न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 08/2018

बउनवान

बृजराज सिंह उम्र 50 वर्ष पुत्र श्री चेनसिंह जाति–राजपूत निवासी–बमोरीकलां तहसील–मॉगरोल जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार,मॉगरोल **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री कमलदीप सिंह हाडा, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 08.08.2019

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मॉगरोल के आदेश दिनांक 15.10.2018 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–बमोरीकलां, तहसील–मॉगरोल की आराजी खसरा नम्बर 1421 रकबा 0.48 हैक्टर किस्म–चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 576/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय विधि एवं संचिका के सिद्धि प्राप्त तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट की विधिवत तामील नहीं हुई है। कब्जे काश्त के संबंध में स्वतंत्र गवाहान से कोई पूछताछ नहीं हुई है। मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट व बयान के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का एकपक्षीय निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। अपीलांट की प्रोपर तामील भी नहीं हुई है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं रहा है। अपीलांट फौजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट व बयान के आधार पर पश्चातवर्ती मानकर सजायाब किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में स्वतंत्र गवाहान के बयान, पूर्व बेदखली व पश्चात्वर्ती निर्णय की प्रति नहीं है। ऐसी स्थिति में [illegible] नहीं माना जा सकता।

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.10.2018 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 17/16 निर्णय दिनांक 27.10.2016 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह है, जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 1421 रकबा 0.48 है0 ग्राम बमोरीकलां से पूर्व में मिसल नम्बर 17/16 निर्णय दिनांक 27.10.2016 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 43/18 में पारित आदेश दिनांक 15.10.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 100/2018

बउनवान

प्रभूलाल पुत्र नेनगा जाति–बैरवा निवासी–सीसवाली
तहसील–मॉगरोल जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार,सीसवाली **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री कमलदीप सिंह हाडा, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 08.08.2019

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली के आदेश दिनांक 16.08.2018 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–सोनवा, तहसील–मॉगरोल की आराजी खसरा नम्बर 349 रकबा 0.11 हैक्टर किस्म–गै.मु.नहर पर अतिक्रमी मानकर 176/–रूपये अर्थदण्ड एंव तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं कानूनी मान्यता प्राप्त सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौके पर कब्जे बाबत कोई पुष्टि नहीं की, पडौसी खेत वालो की कोई साक्ष्य रेकार्ड पर नहीं लेकर मात्र पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को सुनवायी एवं जवाबदेहीं का अवसर दिये बिना एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है व जुर्माना बकाया नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर एकरतफा निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं दंडादेश निरस्त फरमाया जाकर, दोषमुक्त घोंषित किया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। अपीलांट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है, कब्जा पर [illegible] है। [illegible] रखा है। साथ हीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

निवेदन किया कि अपीलांट विवादित आराजी पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती बाबत स्वतंत्र गवाहान के बयान एव बेदखलीनाम नहीं है। ऐसी स्थिति में पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.8.2018 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर सम्वत् 2075 खरीफ में बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है, ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति व नरमी का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली द्वारा निर्णय दिनांक 16.08.2018 से पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 01/2018 में पारित निर्णय दिनांक 16.08.2018 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा नायब तहसीलदार, सीसवाली के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा नायब तहसीलदार कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार,सीसवाली द्वारा निर्णय दिनांक 16.08.2018 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली का उक्त निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 367/2016

बउनवान

बाबूलाल पुत्र श्री भैरूलाल मेघवाल जाति–मेघवाल निवासी–दौलतपुरा तहसील बारां, जिला–बारां (राज.) **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री दिलीपसिंह सिरोहिया, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 14.08.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 06.04.2015 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–दौलतपुरा, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 397 रकबा 1.00 हैक्टर किस्म–चारागाह पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 500/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई जवाबदेही का अवसर दिये बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है ना हीं कोई सरकार तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.04.2015 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उसने आराजी से कब्जा छोड रखा है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है [illegible] अपीलांट उक्त आराजी पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

भविष्य में कभी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। बकाया तावान राशि भी जमा करा दी गयी है। साथ ही निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.04.2015 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में उक्त आराजी पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 454/14 निर्णय दिनांक 11.03.2014 से भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह भूमि है जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 397 रकबा 1.00 है0 ग्राम दौलतपुरा पर पूर्व में मिसल नम्बर 454/14 निर्णय दिनांक 11.3.2014 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 341/15 में पारित आदेश दिनांक 06.04.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 368/2016

बउनवान

ओमप्रकाश पुत्र प्रभूलाल मेघवाल जाति–मेघवाल निवासी–दौलतपुरा तहसील बारां, जिला–बारां (राज.) **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री दिलीपसिंह सिरोहिया, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 14.08.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 06.04.2015 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–दौलतपुरा, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 139 रकबा 0.40 हैक्टर किस्म–चारागाह पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 200/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई जवाबदेही का अवसर दिये बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है ना हीं कोई सरकार तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.04.2015 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उसने आराजी से कब्जा छोड रखा है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है [illegible] अपीलांट उक्त आराजी पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

भविष्य में कभी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। बकाया तावान राशि भी जमा करा दी गयी है। साथ ही निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.04.2015 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में उक्त आराजी पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 444/14 निर्णय दिनांक 11.03.2014 से भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह भूमि है जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 397 रकबा 1.00 है0 ग्राम दौलतपुरा पर पूर्व में मिसल नम्बर 444/14 निर्णय दिनांक 11.3.2014 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 337/15 में पारित आदेश दिनांक 06.04.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 368/2016

बउनवान

बाबूखॉ पुत्र मुरादखॉ जाति–मुसलमान निवासी–आकेंडा
तहसील बारां, जिला–बारां (राज.) **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री दिलीपसिंह सिरोहिया, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 14.08.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 08.03.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–आकेडा, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 526 रकबा 0.80 हैक्टर किस्म–चारागाह पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 440/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई जवाबदेही का अवसर दिये बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है ना हीं कोई सरकार तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.03.2016 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उसका कब्जा छोड रखा है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है [illegible] अपीलांट उक्त आराजी पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

भविष्य में कभी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। बकाया तावान राशि भी जमा करा दी गयी है। साथ ही निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 8.3.2016 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में उक्त आराजी पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 219/15 निर्णय दिनांक 12.2.2015 से भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह भूमि है जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 526 रकबा 0.80 है0 ग्राम आकेडा पर पूर्व में मिसल नम्बर 219/15 निर्णय दिनांक 12.2.2015 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 581/16 में पारित आदेश दिनांक 08.03.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 352/2016

बउनवान

अब्दुल रहमान पुत्र मेहताब खॉ जाति–मुसलमान निवासी–आकेंडा तहसील बारां, जिला–बारां (राज.) **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री दिलीपसिंह सिरोहिया, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 14.08.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 08.03.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–आकेडा, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 526 रकबा 0.64 हैक्टर किस्म–चारागाह पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 352/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई जवाबदेही का अवसर दिये बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है ना हीं कोई सरकार तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.03.2016 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उसने आराजी से कब्जा छोड रखा है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है [illegible] अपीलांट उक्त आराजी पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

भविष्य में कभी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। बकाया तावान राशि भी जमा करा दी गयी है। साथ ही निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 8.3.2016 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में उक्त आराजी पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 218/15 निर्णय दिनांक 12.2.2015 से भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह भूमि है जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 526 रकबा 0.64 है0 ग्राम आकेडा पर पूर्व में मिसल नम्बर 218/15 निर्णय दिनांक 12.2.2015 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 580/16 में पारित आदेश दिनांक 08.03.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 159/2016

बउनवान

रामलाल आयु 35 साल पुत्र गोपाल जाति–बैरवा निवासी–ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील बारां, जिला–बारां (राज.) **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री दिलीपसिंह सिरोहिया, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 14.08.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 18.11.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–लक्ष्मीपुरा, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 246 रकबा 0.30 हैक्टर किस्म–चारागाह पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 165/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई जवाबदेही का अवसर दिये बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है ना हीं कोई सरकार तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.11.2014 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उसने आराजी से कब्जा छोड रखा है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है [illegible] अपीलांट उक्त आराजी पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

भविष्य में कभी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। बकाया तावान राशि भी जमा करा दी गयी है। साथ ही निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.11.2014 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में उक्त आराजी पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 627/13 निर्णय दिनांक 18.12.2013 से भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है, ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति व नरमी का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 18.11.2014 से पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 667/2014 में पारित निर्णय दिनांक 18.11.2014 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार,बारां कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,बारां द्वारा निर्णय दिनांक 18.11.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां का उक्त निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 50/2017

बउनवान

मुकेश आयु 28 साल पुत्र भीमराज जाति–मीणा निवासी–ग्राम बामली तहसील बारां, जिला–बारां (राज.) **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री ओम भारद्वाज, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 08.08.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 18.03.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–बामला, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 999 रकबा 0.30 हैक्टर किस्म–चारागाह पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 180/–रूपये अर्थदण्ड एंव 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई जवाबदेही का अवसर दिये बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है ना हीं कोई सरकार तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.03.2014 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उसने आराजी से कब्जा छोड रखा है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है [illegible] अपीलांट उक्त आराजी पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

भविष्य में कभी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। बकाया तावान राशि भी जमा करा दी गयी है। साथ ही निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.03.2014 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में उक्त आराजी पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 565/13 निर्णय दिनांक 25.03.2013 से भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है, ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति व नरमी का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 18.03.2014 से पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 657/2014 में पारित निर्णय दिनांक 18.03.2014 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार,बारां कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,बारां द्वारा निर्णय दिनांक 18.03.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां का उक्त निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 189/2014

बउनवान

चौथमल पुत्र हजारीलाल जाति–माली निवासी–बारां
तहसील बारां, जिला–बारां (राज.) **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री घनश्याम अग्रवाल, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 08.08.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 25.02.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–बारां, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 23 रकबा 0.12 हैक्टर किस्म–गै.मु.रास्ता पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 66/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अपीलांट ने जुर्माने की राशि अधीनस्थ न्यायालय में जमा करा दी है तथा उक्त आराजी से अपना कब्जा छोड दिया है। इस तथ्य की तस्दीक पटवारी हल्का से की जा सकती है। अपीलांट वचन देता है कि भविष्य में कभी भी इस आराजी पर कब्जा नहीं करेगा। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर, सजा माफ की जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड रखा है। वर्तमान में उक्त आराजी खाली पडी हुई है तथा अपीलांट उक्त आराजी पर भविष्य में कभी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। बकाया तावान राशि भी जमा करा दी गयी है। साथ ही निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान व बयान पूर्व बेदखलीनामा नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.02.2014 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में उक्त आराजी पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 906/11 निर्णय दिनांक 11.03.2011 से भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है, ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति व नरमी का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 25.02.2014 से पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 95/2014 में पारित निर्णय दिनांक 25.02.2014 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार,बारां कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,बारां द्वारा निर्णय दिनांक 25.02.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां का उक्त निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री इन्द्र सिंह राव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 58/2017

बउनवान

सत्यनारायण पुत्र श्री रामलाल उम्र 70 वर्ष जाति–काछी
निवासी–बावडीखेडा तहसील–बारां जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री हरीओम चतुर्वेदी, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 19.08.2019

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 17.02.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–बावडीखेडा, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 60 रकबा 0.40 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 264/–रूपये अर्थदण्ड एंव 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं प्रक्रिया एवं विधि के संचायिका के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विरूद्व होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सूचना, सुनवायी एवं जवाबदेहीं का अवसर दिये बिना एवं बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित किया गया है। अतिक्रमित दर्शायी गयी आराजी पर अपीलांट ने किसी प्रकार की फसल काश्त नहीं की है ना हीं कोई कब्जा रहा है उसके विरूद्व कोई तावान राशि भी बकाया नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्व आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां का निर्णय दिनांक 17.02.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय नोटिस की तामील प्रोपर नहीं करायी है। अनुनस्थिति में अपीलांट को बिना सुनवाई जवाबदेही का अवसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

दिये बिना एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है। जबकि अपीलांट ने उक्त आराजी से कई वर्षो से कब्जा छोड रखा है। अपने कथन के समर्थन में हल्का पटवारी बावडीखेडा की रिपोर्ट दिनांक 15.07.2019 पेश की। साथ हीं कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई रेकार्ड व दस्तावेजात् नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती माना जाना विधि विरूद्व एवं कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.2.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में उक्त आराजी पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 744/13 निर्णय दिनांक 13.03.2013 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह है जिसपर अपीलांट द्वारा पश्चात्वर्ती अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर अतिक्रमी पाये जाने पर मिसल नम्बर 744/13 निर्णय दिनांक 13.03.2013 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहींन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 50/14 में पारित आदेश दिनांक 17.02.2014 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.08.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 13/2018

बउनवान

रामदयाल पुत्र श्री प्रभूलाल आयु 60 साल जाति–माली निवासी–सांकली तहसील–बारां, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री अरविन्दसिंह हाडा अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 28.08.2019

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 08.10.2015 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–सांकली, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 655 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 100/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो, तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपीलांट के विरूद्व एकतरफा पारित किया गया है। सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया है, कभी बेदखल भी नहीं किया गया है। वर्णित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है ना हीं उसके विरूद्व तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व उक्त आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.10.2015 निरस्त फरमाया जावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पश्चात्वर्ती मानकर सजायाब किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय [illegible] में पश्चात्वर्ती बाबत

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

कोई साक्ष्य सबूत, स्वतंत्र गवाहान के बयान एंव पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं घोषित किया जा सकता। विवादित आराजी से अपीलांट ने कब्जा छोड दिया है। अपीलांट भविष्य में उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं करने हेतु बचनबद्ध है। उसके विरूद्व कोई तावान राशि भी बकाया नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 44/12 निर्णय दिनांक 10.04.2012 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा आदेश दिनांक 08.10.2015 से पारित जप्ती, बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 1145/15 में पारित निर्णय दिनांक 08.10.2015 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, बारां कब्जा छोडने से संतुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 08.10.2015 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.10.2015 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 10/2018

बउनवान

चन्द्रप्रकाश आयु 29 वर्ष पुत्र श्री श्योजी जाति–माली निवासी–सांकली तहसील–बारां, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री अरविन्दसिंह हाडा अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 28.08.2019

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 08.10.2015 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–सांकली, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 655 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 100/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो, तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपीलांट के विरूद्व एकतरफा पारित किया गया है। सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया है, कभी बेदखल भी नहीं किया गया है। वर्णित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है ना हीं उसके विरूद्व तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व उक्त आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.10.2015 निरस्त फरमाया जावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पश्चात्वर्ती मानकर सजायाब किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय [illegible] में पश्चात्वर्ती बाबत

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

कोई साक्ष्य सबूत, स्वतंत्र गवाहान के बयान एंव पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं घोषित किया जा सकता। विवादित आराजी से अपीलांट ने कब्जा छोड दिया है। अपीलांट भविष्य में उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं करने हेतु बचनबद्ध है। उसके विरूद्व कोई तावान राशि भी बकाया नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 46/12 निर्णय दिनांक 10.04.2012 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा आदेश दिनांक 08.10.2015 से पारित जप्ती, बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 1147/15 में पारित निर्णय दिनांक 08.10.2015 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, बारां कब्जा छोडने से संतुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 08.10.2015 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.10.2015 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 12/2018

बउनवान

कन्हैयालाल आयु 55 साल पुत्र श्री भैरूलाल जाति–गुर्जर निवासी–सांकली तहसील–बारां, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री अरविन्दसिंह हाडा अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 28.08.2019

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 08.10.2015 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–सांकली, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 713 रकबा 1.00 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 500/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो, तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपीलांट के विरूद्व एकतरफा पारित किया गया है। सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया है, कभी बेदखल भी नहीं किया गया है। वर्णित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है ना हीं उसके विरूद्व तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व उक्त आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.10.2015 निरस्त फरमाया जावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पश्चात्वर्ती मानकर सजायाब किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय [illegible] में पश्चात्वर्ती बाबत

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

कोई साक्ष्य सबूत, स्वतंत्र गवाहान के बयान एंव पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं घोषित किया जा सकता। विवादित आराजी से अपीलांट ने कब्जा छोड दिया है। उसके विरूद्व कोई तावान राशि भी बकाया नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 43/12 निर्णय दिनांक 22.03.2012 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह है जिसपर अपीलांट द्वारा पश्चात्वर्ती अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर अतिक्रमी पाये जाने पर मिसल नम्बर 43/12 निर्णय दिनांक 22.03.2012 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहींन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 1144/15 में पारित आदेश दिनांक 08.10.2015 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 204/2017

बउनवान

कमल पुत्र भवानीशंकर उम्र 35 साल जाति–मीणा निवासी–रकसपुरिया तहसील–मॉगरोल, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार,सीसवाली **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री प्रियदर्शन शर्मा, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 28.08.2019

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली के आदेश दिनांक 06.03.2017 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–रकसपुरिया, तहसील–मॉगरोल की आराजी खसरा नम्बर 361 रकबा 1.60 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 2560/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं दण्डादेश खिलाफ कानून, संचिका के सिद्धी प्राप्त तथ्यो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवायी एवं जवाबदेहीं का अवसर दिये बिना मात्र पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट पर विश्वास करके आदेश पारित किया गया है। जबकि मौके पर कब्जे बाबत ना तो तहकीकात की गई ना हीं कब्जे की कोई पुष्टि की गयी। वर्तमान में उक्त भूमि पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है, जुर्माना राशि भी जमा करा दी गयी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.3.2017 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पश्चात्वर्ती मानकर सजायाब किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय [illegible] में पश्चात्वर्ती बाबत

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

कोई साक्ष्य सबूत, स्वतंत्र गवाहान के बयान एंव पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती घोषित नहीं किया जा सकता। विवादित आराजी से अपीलांट ने कब्जा छोड दिया है। उसके विरूद्व कोई तावान राशि भी बकाया नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 04/16 निर्णय दिनांक 25.02.2016 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह है जिसपर अपीलांट द्वारा पश्चात्वर्ती अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर अतिक्रमी पाये जाने पर मिसल नम्बर 04/16 निर्णय दिनांक 25.02.2016 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहींन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली द्वारा प्रकरण संख्या 17/2017 में पारित आदेश दिनांक 06.03.2017 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 16/2018

बउनवान

सत्यनारायण आयु 42 वर्ष पुत्र श्री नंदा जाति–मीणा निवासी–ग्राम भटवाडा तहसील–मॉगरोल,जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,मॉगरोल **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री ओम मेहता, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 19.08.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल के आदेश दिनांक 25.1.2018 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–भटवाडा, तहसील–मॉगरोल की आराजी खसरा नम्बर 208 रकबा 0.10 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 160/–रूपये अर्थदण्ड एंव तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अपीलांट के सयुक्त खातेदारी की आराजी ख0नं0 203 रकबा 4.80 हैक्टर स्थित है, जिसके पास हीं हल्का पटवारी द्वारा गलत रूप से खसरा नम्बर 208 रकबा 0.10 है0 भूमि चारागाह बताकर धारा–22 कोलोनाईजेशन एक्ट का नोटिस जारी किया गया है तथा बिना सीमाज्ञान कराये गलत रूप से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को अतिक्रमी मानकर सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश पारित करने से पूर्व तहकीकात करनी चाहिये थी, अगर पैमाइश के बाद अपीलांट का कब्जा पाया जाता है तो उसके विरूद्व कार्यवाहीं अमल में लायी जाना चाहिये था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर एकतरफा निर्णय पारित किया गया है, जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.01.2018 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

3— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर, मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी अपीलांट के खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 208 रकबा 4.82 है0 के लगवां भूमि पर जिसपर अतिक्रमी बताया गया है, जबकि अपीलांट का किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व मौके की पैमाईश नहीं की गयी है, बिना पैमाईश किये अपीलांट को अतिक्रमी मानकर सजायाब करने में भारी भूल की है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.1.2018 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 182/17 निर्णय दिनांक 24.03.2017 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा आदेश दिनांक 25.01.2018 से पारित जप्ती, बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 31/18 में पारित निर्णय दिनांक 25.1.2018 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, मॉगरोल के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, मॉगरोल कब्जा छोडने से संतुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा निर्णय दिनांक 25.1.2018 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.01.2018 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 93/2018

बउनवान

अमृतलाल पुत्र गोपाल जाति–जाट निवासी–उदपुरिया
तहसील–मॉगरोल जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार,सीसवाली **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री कमलदीप सिंह हाडा, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 28.08.2019

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली के आदेश दिनांक 22.07.2018 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–उदपुरिया, तहसील–मॉगरोल की आराजी खसरा नम्बर 503 रकबा 0.40 हैक्टर किस्म– बारानी पर अतिक्रमी मानकर 100/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं कानूनी मान्यता प्राप्त सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौके पर कब्जे बाबत कोई पुष्टि नहीं की, पडौसी खेत वालो की कोई साक्ष्य रेकार्ड पर नहीं लेकर मात्र पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को सुनवायी एवं जवाबदेहीं का अवसर दिये बिना एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है व जुर्माना बकाया नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर एकरतफा निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं दंडादेश निरस्त फरमाया जाकर, दोषमुक्त घोंषित किया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। अपीलांट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है, कब्जा पर [illegible] है। साथ हीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

निवेदन किया कि अपीलांट विवादित आराजी पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती बाबत स्वतंत्र गवाहान के बयान एव बेदखलीनाम नहीं है। ऐसी स्थिति में पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.7.2018 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 385/17 निर्णय दिनांक 10.3.2017 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी बजंड सिवायचक है, जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 503 रकबा 0.40 है0 ग्राम उदपुरिया से पूर्व में मिसल नम्बर 385/17 निर्णय दिनांक 10.03.2017 से भी बेदखल किया जाना प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली द्वारा प्रकरण संख्या 610/18 में पारित आदेश दिनांक 22.07.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 29/2018

बउनवान

रामहेत आयु 50 साल पुत्र श्री बूचीलाल जाति–मीणा निवासी–भटवाडा तहसील–मॉगरोल जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,मॉगरोल **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री बृजराज किशोर शर्मा, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक – 29.08.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल के आदेश दिनांक 25.01.2018 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–भटवाडा, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 197 रकबा 0.40 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर खडी फसल से बेदखली, जप्ती, नीलामी, 640/–रूपये अर्थदण्ड एंव तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

2– अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को जवाबदेहीं एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आपधार पर त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का उक्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने रूप से अतिक्रमी मानकर निर्णय पारित किया है जो किसी भी प्रकार से चलने योग्य नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.01.2018 निरस्त फरमाया जावे।

3– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

4– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर [illegible] पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उ[illegible]ी से कब्जा छोड दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। तावान राशि जमा करा दी है। अपीलांट भविष्य मे उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये आदेश पारित किया गया है। अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.01.2018 निरस्त फरमाया जावे।

5— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 54/17 निर्णय दिनांक 24.03.2017 में भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

6— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह है, जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 197 रकबा 0.40 है0 ग्राम भटवाडा से पूर्व में मिसल नम्बर 54/17 निर्णय दिनांक 24.3.2017 से भी बेदखल किया जाना प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

7— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 35/18 में पारित आदेश दिनांक 25.01.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 05/2018

बउनवान

चन्द्रभान पुत्र हीरा आयु 55 साल जाति–मीणा निवासी–बालून्दा
तहसील–मॉगरोल जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,मॉगरोल **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री बृजराज किशोर शर्मा, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक – 29.08.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल के आदेश दिनांक 18.02.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–बालून्दा, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 178 रकबा 0.40 हैक्टर किस्म गै.मु.नहरी पर अतिक्रमी मानकर खडी फसल से बेदखली, जप्ती, 640/–रूपये अर्थदण्ड एंव तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

2– अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को जवाबदेहीं एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आपधार पर त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का उक्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने रूप से अतिक्रमी मानकर निर्णय पारित किया है जो किसी भी प्रकार से चलने योग्य नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.02.2016 निरस्त फरमाया जावे।

3– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

4– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर [illegible] पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उ[illegible]ी से कब्जा छोड दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। तावान राशि जमा करा दी है। अपीलांट भविष्य मे उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये आदेश पारित किया गया है। अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.2.2016 निरस्त फरमाया जावे।

5— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 75/15 निर्णय दिनांक 23.2.2015 में भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

6— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी गै.मु.नहर है, जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 178 रकबा 0.40 है0 ग्राम बालुन्दा से पूर्व में मिसल नम्बर 75/15 निर्णय दिनांक 23.2.2015 से भी बेदखल किया जाना प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

7— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 68/16 में पारित आदेश दिनांक 18.02.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 25/2018

बउनवान

साहबलाल आयु 46 साल पुत्र मथुरालाल जाति–गुर्जर निवासी–भटवाडा तहसील–मॉगरोल जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,मॉगरोल **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री बृजराज किशोर शर्मा, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक – 29.08.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल के आदेश दिनांक 25.01.2018 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–भटवाडा तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 960/1703 रकबा 0.10 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर खडी फसल से बेदखली, जप्ती, 160/–रूपये अर्थदण्ड एंव तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

2– अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को जवाबदेहीं एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आपधार पर त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का उक्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने रूप से अतिक्रमी मानकर निर्णय पारित किया है जो किसी भी प्रकार से चलने योग्य नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.1.2018 निरस्त फरमाया जावे।

3– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

4– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर [illegible] पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उ[illegible] से कब्जा छोड दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। तावान राशि जमा करा दी है। अपीलांट भविष्य मे उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये आदेश पारित किया गया है। अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.1.2018 निरस्त फरमाया जावे।

5— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 60/17 निर्णय दिनांक 24.3.2017 में भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

6— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

7— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा आदेश दिनांक 25.01.2018 से पारित जप्ती, बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 41/18 में पारित निर्णय दिनांक 25.1.2018 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, मॉगरोल के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, मॉगरोल कब्जा छोडने से संतुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा निर्णय दिनांक 25.1.2018 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल का आदेश दिनांक 25.01.2018 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 383/2016

बउनवान

आनन्दीलाल आयु 62 वर्ष पुत्र मॉगीलाल उर्फ नारायण जाति–माली
निवासी–कोयला, तहसील बारां, जिला–बारां (राज.) **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री राजेन्द्र कुमार सुमन, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 16.09.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 25.04.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–कोयला, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 3034/3534 रकबा 0.24 हैक्टर किस्म–बजंड पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 120/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई जवाबदेही का अवसर दिये बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है। यदि अधीनस्थ न्यायालय काल्पनिक तौर पर कब्जा मानता है तो अपीलांट मौके से कब्जा छोड चुका है। उसके विरूद्व कोई सरकारी तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.4.2014 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, [illegible] से कब्जा छोड रखा

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है तथा अपीलांट उक्त आराजी पर भविष्य में कभी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। बकाया तावान राशि भी जमा करा दी गयी है। साथ ही निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.4.2014 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में उक्त आराजी पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 345/12 निर्णय दिनांक 15.2.2012 से भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा आदेश दिनांक 25.04.2014 से पारित जप्ती, बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 491/14 में पारित निर्णय दिनांक 25.4.2014 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, बारां कब्जा छोडने से संतुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा निर्णय दिनांक 25.04.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल का आदेश दिनांक 25.04.2014 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 16.09.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 57/2018

बउनवान

गोविन्द आयु 60 वर्ष पुत्र फूलचन्द जाति–मीणा निवासी–भटवाडा तहसील मॉगरोल, जिला–बारां (राज.) **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,मॉगरोल **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री राजेन्द्र कुमार सुमन, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 16.09.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल के आदेश दिनांक 05.03.2018 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–भटवाडा, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 1376 रकबा 0.40 हैक्टर किस्म–बजंड पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 640/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई जवाबदेही का अवसर दिये बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है, अपीलांट मौके से कब्जा छोड चुका है। उसके विरूद्व कोई सरकारी तावान राशि भी बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.03.2018 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। अपीलांट अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में कुछ दस्तावेज पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी ख0नं0 1376 रकबा 0.48 है0 [illegible] दारी की आराजी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट का किसी भी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। विवादित आराजी की हल्का पटवारी के स्तर पर कोई पैमाइश नहीं कर रखी है। खातेदारी आराजी को सरकारी मानकर हल्का पटवारी ने अपीलांट के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय में रिपोर्ट पेश की है, जिसके आधार पर अपीलांट को पश्चात्र्ती अतिक्रमी मानकर सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.03.2018 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में उक्त आराजी पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 68/16 निर्णय दिनांक 27.10.2016 से भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट ने कथन है कि इसी खसरा नम्बर 1376 में 0.48 है0 उनके खातेदारी की भूमि है, जो उचित प्रतीत होती है। किन्तु प्रश्नगत आराजी जिसपर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अतिक्रमी माना गया है, अलग भूमि है तथा वर्तमान में सरकारी बजंड राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। इसी आधार पर अतिचारी पाये जाने के फलस्वरूप हीं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्व उक्त आदेश पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 185/18 में पारित आदेश दिनांक 05.03.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.09.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 06/2017

बउनवान

कजोड सिंह पुत्र श्री बालमुकुन्द जाति–लोधा निवासी–तीतरखेडी
पेशा उचित मूल्य दूकानदार तीतरखेडी प्रथम ग्राम पंचायत तीतरखेडी
तहसील–छबडा, जिला–बारां राजस्थान **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये विकास अधिकारी पंचायत समिति, छबडा
जिला–बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील, धारा–22 राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976 के तहत।

उपस्थिति :–1. श्री बृजराज सिंह चौहान, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार रसद **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 05.09.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, छबडा के आदेश दिनांक 07.01.2004 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्व रेस्पोंडेट अन्तर्गत धारा–22 राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976 के तहत प्रस्तुत कर अपील में कथन किया है कि प्रार्थी ग्राम तीतरखेडी प्रथम ग्राम पंचायत तीतरखेडी तहसील–छबडा में उचित मूल्य दूकानदार नियुक्त था, जिसका प्राधिकार पत्र संख्या 34/95 है, रेस्पोडेंट विकास अधिकारी पंचायत समिति,छबडा ने दिनांक 07.01.2004 को अपीलांट का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर, दिनांक 07.01.2004 को निर्णय पारित कर अपीलांट का प्राधिकार निरस्त कर दिया है, जिससे असन्तुष्ट होकर अपील प्रस्तुत की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 07.01.2004 विधि विरूद्व एवं न्याय का सर्वमान्य सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। क्योकि अपीलांट द्वारा जितना माल राशन सामग्री का उठाव किया जाता था तथा अपीलांट द्वारा समय समय पर उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण कर दिया गया है। अपीलांट ने राशन वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गयी है, किन्तु उसके बावजूद अपीलांट को गलत रूप से दोषी ठहराया जाकर, प्राधिकार पत्र निरस्त कर, 19 दिन पश्चात् मुकदमा धारा 403 आई.पी.सी. व धारा 3/7 ई0सी0एक्ट के तहत दर्ज कराया गया है जो कानूनन गलत है।

2– अपीलांट के विरूद्व उपरोक्त तथ्यो से संबंधित प्रकरण संख्या 516/04 सरकार बनाम कजोड सिंह धारा, 403 आई.पी.सी. व धारा, 3/7 ई.सी.एक्ट में अपीलांट को दिनांक 27.10.2016 को न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छबडा द्वारा निर्णय पारित कर, अपीलांट को दोषमुक्त किया जा चुका है। इसलिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट उचित मूल्य दूकान का उक्त लाईसेंस बहाल करवाने का वैधानिक अधिकारी है।

3— अपीलांट के विरूद्व दिनांक 2.6.2004 से दिनांक 27.10.2016 तक फौजदारी प्रकरण न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छबडा के यहॉ विचाराधीन रहा है तथा दिनांक 27.10.2016 को उक्त प्रकरण का न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर अपीलांट को दोषमुक्त कर दिये जाने के बाद अपीलांट ने उक्त निर्णय की नकल प्राप्त कर, रेस्पों के कार्यालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि मुझे माननीय न्यायालय अति.मुख्य न्यायिक मजि. छबडा द्वारा दोषमुक्त मानकर बरी कर दिया है इसलिये उसका निरस्त लाईसेंस को बहाल किया जाकर, राशन सामग्री की सप्लायी चालू की जावे। किन्तु रेस्पो. द्वारा कोई सुनवाई नहीं की है। इसलिये अपील न्यायालय में पेश की गयी है।

4— अपीलांट ने उक्त अपील न्यायालय अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छबडा से दिनांक 27.10.2016 को बरी होने व अपीलांट बीमार हो जाने के कारण अपील पेश नहीं कर सकता तथा स्वस्थ होने पर अपील प्रस्तुत की गयी है। इसलिये निर्णय दिनांक 07.01.2004 से अपील पेश करने तक का समय मुजरा किये जाने पर अपील अवधि मध्य पेश है। अपील मियाद के लिये पृथक से धारा—5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र पेश किया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 7.1.2004 निरस्त किया जाकर, अपीलांट का प्राधिकार पत्र संख्या 34/95 बहाल किया जाकर, अपीलांट को राशन सामग्री की सप्लायी बहाल रखने के आदेश पारित किये जावे।

5— प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड उपलब्ध नहीं होने पर, बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद सुनी गयी।

6— बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ग्राम पंचायत तीतरखेडी पंचायत समिति,छबडा का उचित मूल्य दूकानदार है। अधीनस्थ न्यायालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति, छबडा द्वारा आदेश दिनांक 7.1.2004 से अपीलांट का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जाकर, अस्थायी अटेचमेंट डीलर मॉगीलाल उचित मूल्य दूकानदार तीतरखेडी द्वितीय के किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना किसी कारण व जॉच कर सत्यापन किये बिना हीं अपीलांट के विरूद्व मनगढन्त आधार कि अपीलांट ने अकाल राहत गेहूॅ को थोक विक्रेता से प्राप्त कर, वितरण किये गये गेहूॅ के कूपन पंचायत समिति में जमा नहीं कराये, गेहूॅ का दुरूपयोग व खुर्द—बुर्द का दोषी मानकर, प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया है। इस संबंध में रसद विभाग ने ना तो थोक विक्रेता से गेहूॅ उठाव की जॉच की ना हीं कूपन जमा होने का सत्यापन किया। प्रार्थी को बेवजह दोषी मानकर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है।

7— विकास अधिकारी, पंचायत समिति, छबडा के विरूद्व अपीलांट के विरूद्व फौजदारी कार्यवाहीं भी प्रस्तावित की गयी थी जो [illegible] न्यायालय अति. मुख्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायिक मजिस्ट्रेट में धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दर्ज हुई है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 27.10.2016 से अपीलांट को दोषमुक्त किया गया है। इस प्रकार अपीलांट ने कोई अनियमितता, गबन नहीं किया गया है। इस कारण प्रार्थी ने रसद विभाग में प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने हेतु काफी निवेदन किया। किन्तु प्रार्थनापत्र पर कोई कार्यवाहीं नहीं की। इसके फलस्वरूप अपीलांट ने अपील प्रस्तुत की है।

8— अपीलांट माननीय न्यायालय अति.मुख्य न्यायिक दोषमुक्त हो चुका है तथा प्राधिकार पत्र बहाल कराने का पूर्ण अधिकारी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर, विकास अधिकारी पंचायत समिति,छबडा का आदेश दिनांक 07.01. 2004 निरस्त फरमाया जाकर, अपीलांट का उचित मूल्य दूकान ग्राम तीतरखेडी पंचायत समिति, छबडा का प्राधिकार पत्र संख्या 34/95 बहाल किया जाकर, राशन सप्लाई चालू करने हेतु जिला रसद अधिकारी, बारां को आदेशित किया जावे।

9— इसके विपरीत पेरोकार रसद प्रवर्तन अधिकारी ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करने हेतु निवेदन किया कि अपीलांट डीलर ने अकाल राहत के दौरान अनाज योजना के तहत श्रमिको को गेहूॅ वितरण में अनियमितता की गयी है। डीलर का दिनांक 04.01.04 को निरीक्षण करने पर डीलर ने राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमि. थोक विक्रेता से गेहूॅ 1650—71—500 क्वि. प्राप्त किये। जिसमें से पंचायत समिमि,छबडा में 1494—46.00 क्विंटल गेहूॅ के कूपन जमा कराये तथा 5 क्वि. गेहूॅ मौके पर पाये जो भी खराब हो चुके थे तथा शेष 150—75—500 क्वि. गेहूॅ स्टॉक में नहीं पाये गये। इस प्रकार डीलर द्वारा गेहूॅ का खुर्दु—बुर्द कर दुरूपयोग किया गया है। इसी आधार पर डीलर का प्राधिकार पत्र पंचायत समिति द्वारा खारिज किया गया है तथा धारा 3/7 ई0सी0एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया गया है। डीलर को माननीय न्यायालय द्वारा संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया है, जो अलग प्रकरण है। डीलर का प्राधिकार पत्र दिनांक 07.01.2004 को हीं खारिज किया जा चुका है। डीलर ने दिनांक 07.03.2017 को लगभग 13 वर्ष बाद अपील पेश की गयी है। वर्तमान में रिक्त उचित मूल्य दूकान की पूर्ति की जा चुकी है। अपील मियाद बाहर पेश की गयी है तथा डीलर का अब प्राधिकार पत्र बहाल किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

10— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अपीलांट को माननीय न्यायालय अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां द्वारा आदेश दिनांक 27.10.2016 से दोषमुक्त किया जा चुका है। इसलिये अपीलांट प्राधिकार पत्र बहाल कराने का अधिकारी है। इसके विपरीत पेरोकार रसद का तर्क है कि डीलर को माननीय न्यायालय अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छबडा द्वारा संदेह का लाभ दिया गया है, जो अलग प्रकरण है तथा अपील मियाद बहार पेश की गयी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय विकास अधिकारी पंचायत समिति, छबडा द्वारा दिनांक 07.01.2004 को डीलर को दोषी पाये जाने पर, डीलर का प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया था, तब से डीलर लगातार निलंबित चल रहा है। अपीलांट ने इस आदेश के विरुद्ध अपील दिनांक 07.03.2017

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

को प्रस्तुत की गयी है, जो लगभग 13 वर्ष पश्चात् पेश की गयी है। अपीलांट ने अपील मे मियाद के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र धारा–5 मियाद अधिनियम में फौजदारी प्रकरण लंबित होने व बीमार होने का कारण अंकित किया है जो उचित प्रतीत नहीं होता है क्योकि मातहत न्यायालय ने अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 07.01.2004 को निलंबित किया गया है तथा अपील दिनांक 07.03.2017 को लगभग 13 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की गयी है, विलम्ब के संबंध में बताये गये कारण उचित प्रतीत नहीं होते है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलांट ने हस्तगत अपील मियाद बहार पेश की गयी है।

11– परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील मियाद बाहर पेश किये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय विकास अधिकारी पंचायत समिति, छबडा का आदेश दिनांक 07.01.2004 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.09.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 05/2016

बउनवान

कन्हैयालाल आयु 60 सान पुत्र श्री रामप्रताप जाति–मीणा निवासी–भडसुई तहसील–बारां जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री पिकेंश जगरवाल, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 25.09.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 28.04.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–भडसुई, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 643 कुल रकबा 0.20 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 100/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो एवं तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है, ना हीं अपीलांट को कभी बेदखल किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र हल्का पटवारी के बयानो के आधार पर अतिक्रमी माना है जबकि अपीलांट का उक्त वर्णित आराजियात् पर कोई कब्जा नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.04.2014 निरस्त किया जाकर अपीलांट को सजा व जुर्माने से बरी किया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को ना तो विधिवत नोटिस जारी किया है ना हीं सुनवाई व जवाब का कोई अवसर दिया है, एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। निर्णय परफोर्मा [illegible] विश्वसनीय नहीं माना

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

जा सकता। अपीलांट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है, कब्जा काफी समय से छोड रखा है। हल्का पटवारी ने अपीलांट को विरूद्व बिना मौके देखे व कब्जे की जॉच किये बिना अधीनस्थ न्यायालय में रिपोर्ट पेश की गयी है, इसी आधार पर अपीलांट को सजायाब किया गया है, जो विधि विरूद्व है। वर्तमान में अपीलांट को कोई कब्जा काश्त नहीं है ना हीं उसके विरूद्व कोई तावान राशि बकाया है। अपीलांट भविष्य में भी उक्त आराजी पर कभी कब्जा नहीं करने के लिए वचनबद्व है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.04.2014 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर सम्वत् 2070 में भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है, ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति व नरमी का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 28.04.2014 से पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 306/2014 में पारित निर्णय दिनांक 28.04.2014 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार,बारां कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,बारां द्वारा निर्णय दिनांक 28.04.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां का उक्त निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 42/2017

बउनवान
लटूर पुत्र हजारा जाति– मोग्या निवासी–कलमण्डा
तहसील–बारां जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री जितेन्द्र नागर, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक – 25.09.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 05.10.2015 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–मोठपुर तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 312 रकबा 0.32 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 176/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का सहीं प्रकार अवलोकन नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वितीय अतिचारी बाबत कोई रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है। अनुपस्थिति में निर्णय फरमाया गया है। अपीलांट को जवाबदेहीं व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं मिला है। अपीलांट का किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं और ना हीं उक्त प्रकरण में उसे विधिवत तामील हुई है। केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का का निर्णय दिनांक 5.10.2015 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। [illegible] जमा करा दी है। अपीलांट भविष्य मे उक्त आराजी पर कभी अतिचार [illegible] के लिये वचनबद्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये आदेश पारित किया गया है। अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.10.2015 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 734/12 निर्णय दिनांक 05.11.2012 में भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 1057/15 में पारित निर्णय दिनांक 05.10.2015 दी गयी सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे व तहसीलदार, बारां कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 05.10.2015 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.10.2015 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 38/2017

बउनवान

भोजराज पुत्र चतुर्भज बैरवा जाति–बैरवा निवासी–ठूसरां
तहसील–बारां जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री जितेन्द्र नागर, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक – 25.09.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 05.10.2015 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–ठूसरां तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 388 रकबा 0.32 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 176/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का सहीं प्रकार अवलोकन नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वितीय अतिचारी बाबत कोई रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है। अनुपस्थिति में निर्णय फरमाया गया है। अपीलांट को जवाबदेहीं व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं मिला है। अपीलांट का किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं और ना हीं उक्त प्रकरण में उसे विधिवत तामील हुई है। केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का का निर्णय दिनांक 5.10.2015 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। [illegible] जमा करा दी है। अपीलांट भविष्य मे उक्त आराजी पर कभी अतिचार [illegible] के लिये वचनबद्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये आदेश पारित किया गया है। अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.10.2015 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 1157/14 निर्णय दिनांक 30.12.2014 में भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 1034/15 में पारित निर्णय दिनांक 05.10.2015 दी गयी सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे व तहसीलदार, बारां कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 05.10.2015 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.10.2015 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 319/2016

बउनवान

पुष्पदयाल आयु 50 वर्ष पुत्र देवलाल धाकड निवासी–फूसरां
तहसील–बारां जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री जितेन्द्र नागर, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक – 25.09.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 18.11.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–फूसरा तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 849/386 रकबा 0.32 हैक्टर किस्म हवाई पट्टी पर अतिक्रमी मानकर 176/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का सहीं प्रकार अवलोकन नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वितीय अतिचारी बाबत कोई रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है। अनुपस्थिति में निर्णय फरमाया गया है। अपीलांट को जवाबदेहीं व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं मिला है। अपीलांट का किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं और ना हीं उक्त प्रकरण में उसे विधिवत तामील हुई है। केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का का निर्णय दिनांक 18.11.2014 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। [illegible] जमा करा दी है। अपीलांट भविष्य मे उक्त आराजी पर कभी अतिचार [illegible] के लिये वचनबद्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये आदेश पारित किया गया है। अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.11.2014 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 261/14 निर्णय दिनांक 03.03.2014 में भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 713/14 में पारित निर्णय दिनांक 18.11.2014 दी गयी सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे व तहसीलदार, बारां कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 18.11.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.11.2014 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 355/2016

बउनवान

गोपाल पुत्र चतरा जाति–माली निवासी ग्राम बामला
तहसील–बारां जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री जितेन्द्र नागर, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक – 25.09.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 17.11.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–बामला तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 1563 रकबा 0.30 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 180/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का सहीं प्रकार अवलोकन नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वितीय अतिचारी बाबत कोई रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है। अनुपस्थिति में निर्णय फरमाया गया है। अपीलांट को जवाबदेहीं व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं मिला है। अपीलांट का किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं और ना हीं उक्त प्रकरण में उसे विधिवत तामील हुई है। केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का का निर्णय दिनांक 17.11.2014 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। [illegible] जमा करा दी है। अपीलांट भविष्य मे उक्त आराजी पर कभी अतिचार [illegible] के लिये वचनबद्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये आदेश पारित किया गया है। अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.11.2014 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 579/13 निर्णय दिनांक 22.04.2013 में भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 827/14 में पारित निर्णय दिनांक 17.11.2014 दी गयी सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे व तहसीलदार, बारां कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 17.11.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.11.2014 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 117/2016

बउनवान

बजरंगलाल पुत्र नारायण जाति–मीणा निवासी–रारोती
तहसील–बारां जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री जितेन्द्र नागर, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक – 23.09.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 03.11.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–रारोती तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 24 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 100/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का सहीं प्रकार अवलोकन नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वितीय अतिचारी बाबत कोई रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है। अनुपस्थिति में निर्णय फरमाया गया है। अपीलांट को जवाबदेहीं व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं मिला है। अपीलांट का किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं और ना हीं उक्त प्रकरण में उसे विधिवत तामील हुई है। केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का का निर्णय दिनांक 03.11.2014 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। [illegible] जमा करा दी है। अपीलांट भविष्य मे उक्त आराजी पर कभी अतिचार [illegible] के लिये वचनबद्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये आदेश पारित किया गया है। अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.11.2014 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 721/13 निर्णय दिनांक 16.12.2013 में भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 805/14 में पारित निर्णय दिनांक 03.11.2014 दी गयी सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे व तहसीलदार, बारां कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 03.11.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.11.2014 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 128/2016

बउनवान

कालूलाल पुत्र गजानन्द जाति–मेहर निवासी ग्राम बामला तहसील–बारां जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री जितेन्द्र नागर, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक – 23.09.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 17.11.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–बामला तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 1525 रकबा 0.30 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 180/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का सहीं प्रकार अवलोकन नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वितीय अतिचारी बाबत कोई रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है। अनुपस्थिति में निर्णय फरमाया गया है। अपीलांट को जवाबदेहीं व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं मिला है। अपीलांट का किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं और ना हीं उक्त प्रकरण में उसे विधिवत तामील हुई है। केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का का निर्णय दिनांक 17.11.2014 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। [illegible] जमा करा दी है। अपीलांट भविष्य मे उक्त आराजी पर कभी अतिचार [illegible] के लिये वचनबद्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये आदेश पारित किया गया है। अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.11.2014 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 265/12 निर्णय दिनांक 17.05.2012 में भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 823/14 में पारित निर्णय दिनांक 17.11.2014 दी गयी सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे व तहसीलदार, बारां कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 17.11.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.11.2014 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 193/2014

बउनवान

बद्रीलाल पुत्र जमनालाल जाति–मीणा निवासी–बोरडी
तहसील–बारां जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री जितेन्द्र नागर, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक – 23.09.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 07.03.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–बोरेडी तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 460 रकबा 0.30 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 165/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का सहीं प्रकार अवलोकन नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वितीय अतिचारी बाबत कोई रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है। अनुपस्थिति में निर्णय फरमाया गया है। अपीलांट को जवाबदेहीं व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं मिला है। अपीलांट का किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं और ना हीं उक्त प्रकरण में उसे विधिवत तामील हुई है। केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का का निर्णय दिनांक 07.03.2014 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। [illegible] जमा करा दी है। अपीलांट भविष्य मे उक्त आराजी पर कभी अतिचार [illegible] के लिये वचनबद्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये आदेश पारित किया गया है। अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.03.2014 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 1096/13 निर्णय दिनांक 19.12.2013 में भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 558/14 में पारित निर्णय दिनांक 07.03.2014 दी गयी सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे व तहसीलदार, बारां कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 07.03.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.03.2014 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 354/2016

बउनवान

सत्यनारायण पुत्र जगन्नाथ मेघवाल निवासी–तेजगढ
तहसील–बारां जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री जितेन्द्र नागर, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक – 23.09.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 24.02.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–मजरावता तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 43 रकबा 0.25 हैक्टर किस्म गै.मु.नाला पर अतिक्रमी मानकर 125/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का सहीं प्रकार अवलोकन नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वितीय अतिचारी बाबत कोई रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है। अनुपस्थिति में निर्णय फरमाया गया है। अपीलांट को जवाबदेहीं व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं मिला है। अपीलांट का किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं और ना हीं उक्त प्रकरण में उसे विधिवत तामील हुई है। केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का का निर्णय दिनांक 24.2.2014 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। [illegible] जमा करा दी है। अपीलांट भविष्य मे उक्त आराजी पर कभी अतिचार [illegible] के लिये वचनबद्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये आदेश पारित किया गया है। अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.2.2014 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 1122/11 निर्णय दिनांक 21.10.2011 में भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 175/14 में पारित निर्णय दिनांक 24.2.2014 दी गयी सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे व तहसीलदार, बारां कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 24.2.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.2.2014 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 74/2016

बउनवान

कालूलाल पुत्र पृथ्वीलाल बंजारा जाति–बंजारा निवासी बडगांव तहसील–अन्ता जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार,अन्ता **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री जितेन्द्र नागर, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक – 23.09.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अन्ता के आदेश दिनांक 31.12.2015 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–बडगांव तहसील–अन्ता की आराजी खसरा नम्बर 1776 रकबा 0.45 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 720/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का सहीं प्रकार अवलोकन नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वितीय अतिचारी बाबत कोई रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है। अनुपस्थिति में निर्णय फरमाया गया है। अपीलांट को जवाबदेहीं व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं मिला है। अपीलांट का किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं और ना हीं उक्त प्रकरण में उसे विधिवत तामील हुई है। केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का का निर्णय दिनांक 31.12.2015 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। [illegible] जमा करा दी है। अपीलांट भविष्य मे उक्त आराजी पर कभी अतिचार [illegible] के लिये वचनबद्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये आदेश पारित किया गया है। अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.12.2015 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर सम्वत् 2066 में भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह है, जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर अतिचार करने में सम्वत् 2066 में भी बेदखल किया जाना प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रकरण संख्या 317/15 में पारित आदेश दिनांक 31.12.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 510/2014

बउनवान

कन्हैयालाल पुत्र शंकरलाल उम्र–55 वर्ष जाति–धाकड निवासी–गोरधपुरा तहसील–बारां, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री जितेन्द्र नागर, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 25.09.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 12.03.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–गोरधनपुरा, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 744 रकबा 0.10 हैक्टर किस्म सडक पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 50/– रूपये अर्थदण्ड एंव 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों एवं दस्तावेजो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर आदेश पारित किया है जिसका कोई प्रमाण पत्रावली में मौजूद नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व्यवहार प्रक्रिया के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आराजी अपीलांट के खेत से लगवां खाली भूमि है जिसको खाली छोड रखा है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.03.2014 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को नोटिस की प्रोपर तामील नहीं करायी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये, अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है, सिर्फ सजा से छोड रखा है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

भविष्य में उक्त आराजी पर कभी भी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका व कब्जे की जॉच किये, हल्का पटवारी की रिपोर्ट को विश्वसनीय मानकर, निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.03.2014 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 1193/12 निर्णय दिनांक 17.10.2012 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 411/14 में पारित निर्णय दिनांक 12.03.2014 दी गयी सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे व तहसीलदार, बारां कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 12.03.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.03.2014 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 07/2016

बउनवान

तेजमल आयु 58 साल पुत्र धनगजरा जाति–बारेठ राव निवासी–ग्राम भडसुई तहसील बारां, जिला–बारां (राज.) **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री पिकेंश जगरवाल, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 25.09.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 24.04.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–भडसुई, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 545/703 रकबा 0.08 हैक्टर किस्म–सिवायचक पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 40/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई जवाबदेही का अवसर दिये बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है ना हीं कोई सरकार तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.04.2014 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उसने आराजी से कब्जा छोड रखा है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है [illegible] अपीलांट उक्त आराजी पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

भविष्य में कभी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। बकाया तावान राशि भी जमा करा दी गयी है। साथ ही निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.04.2014 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में उक्त आराजी पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 114/11 निर्णय दिनांक 21.2.2011 से भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है, ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति व नरमी का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 24.4.2014 से पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 312/2014 में पारित निर्णय दिनांक 24.04.2014 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार,बारां कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,बारां द्वारा निर्णय दिनांक 24.04.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां का उक्त निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 04/2016

बउनवान

रामप्रसाद आयु 41 साल पुत्र श्री पन्नालाल जाति–मीणा निवासी–भडसुई तहसील–बारां, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री पिकेंश जगरवाल अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 25.09.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 24.04.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–भडसुई, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 599 रकबा 0.48 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 240/–रूपये अर्थदण्ड एंव 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो, तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपीलांट के विरूद्व एकतरफा पारित किया गया है। सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया है, कभी बेदखल भी नहीं किया गया है। वर्णित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है ना हीं उसके विरूद्व तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व उक्त आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.04.2014 निरस्त फरमाया जावें।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पश्चात्वर्ती मानकर सजायाब किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय [illegible] में पश्चात्वर्ती बाबत

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

कोई साक्ष्य सबूत, स्वतंत्र गवाहान के बयान एंव पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं घोषित किया जा सकता। विवादित आराजी से अपीलांट ने कब्जा छोड दिया है। उसके विरूद्व कोई तावान राशि भी बकाया नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 109/11 निर्णय दिनांक 21.2.2011 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह है जिसपर अपीलांट द्वारा पश्चात्वर्ती अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर अतिक्रमी पाये जाने पर मिसल नम्बर 109/11 निर्णय दिनांक 21.2.2011 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहींन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 310/14 में पारित आदेश दिनांक 24.04.2014 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 179/2017

बउनवान

रामप्रसाद आयु 50 साल पुत्र श्री पन्नालाल जाति–मीणा निवासी–भडसुई तहसील–बारां, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री पिकेंश जगरवाल अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 25.09.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 08.10.2015 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–भडसुई, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 599 रकबा 0.64 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 320/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो, तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपीलांट के विरूद्व एकतरफा पारित किया गया है। सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया है, कभी बेदखल भी नहीं किया गया है। वर्णित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है ना हीं उसके विरूद्व तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व उक्त आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.10.2015 निरस्त फरमाया जावें।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पश्चात्वर्ती मानकर सजायाब किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय [illegible] में पश्चात्वर्ती बाबत

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

कोई साक्ष्य सबूत, स्वतंत्र गवाहान के बयान एंव पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं घोषित किया जा सकता। विवादित आराजी से अपीलांट ने कब्जा छोड दिया है। उसके विरूद्व कोई तावान राशि भी बकाया नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 310/14 निर्णय दिनांक 24.4.2014 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह है जिसपर अपीलांट द्वारा पश्चात्वर्ती अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर अतिक्रमी पाये जाने पर मिसल नम्बर 310/14 निर्णय दिनांक 24.4.2014 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहींन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 1170/15 में पारित आदेश दिनांक 08.10.2015 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 60/2017

बउनवान

जानकीलाल पुत्र गोपीलाल जाति–मोग्या निवासी–बावडीखेडा
तहसील–बारां जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री जितेन्द्र नागर, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक – 25.09.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 17.02.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–बावडीखेडा तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 330 रकबा 0.80 हैक्टर किस्म गै.मु.तालाब पर अतिक्रमी मानकर 440/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का सहीं प्रकार अवलोकन नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वितीय अतिचारी बाबत कोई रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है। अनुपस्थिति में निर्णय फरमाया गया है। अपीलांट को जवाबदेहीं व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं मिला है। अपीलांट का किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं और ना हीं उक्त प्रकरण में उसे विधिवत तामील हुई है। केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का का निर्णय दिनांक 17.2.2014 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। [illegible] जमा करा दी है। अपीलांट भविष्य मे उक्त आराजी पर कभी अतिचार [illegible] के लिये वचनबद्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये आदेश पारित किया गया है। अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.2.2014 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 757/13 निर्णय दिनांक 13.03.2013 में भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी गै.मु.तालाब है जिसपर अपीलांट द्वारा पश्चात्वर्ती अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर अतिक्रमी पाये जाने पर मिसल नम्बर 757/13 निर्णय दिनांक 13.3.2013 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहींन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 63/14 में पारित आदेश दिनांक 17.02.2014 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 54/2018

बउनवान

कालूलाल पुत्र मॉगीलाल जाति–माली निवासी–भटवाडा
तहसील–मॉगरोल, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,मॉगरोल **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री सिमरन सिंह, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 26.09.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल के आदेश दिनांक 05.03.2018 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–भटवाडा, तहसील–मॉगरोल की आराजी खसरा नम्बर 175 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म बजंड अतिक्रमी मानकर 320/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है। अपीलांट को सुनवाई, जवाबदेहीं एवं साक्ष्य प्रस्तुत करन का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली एवं रेकार्ड पर मौजूद तथ्यों का गहनता से अध्ययन नहीं कर, विधि विरूद्व निर्णय पारित किया है, जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का उक्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने साईक्लोस्टाईल परफोर्मा पर निर्णय पारित किया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णरू दिनांक 5.3.2018 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं रहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पश्चातवर्ती मानकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

सजायाब किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती बाबत कोई साक्ष्य सबूत, स्वतंत्र गवाहान के बयान एंव पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं घोषित किया जा सकता। विवादित आराजी से अपीलांट ने कब्जा छोड दिया है तथा भविष्य में कभी भी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। उसके विरूद्व कोई तावान राशि भी बकाया नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 70/16 निर्णय दिनांक 27.10.2016 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है, ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति व नरमी का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा निर्णय दिनांक 05.03.2018 से पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 189/2018 में पारित निर्णय दिनांक 5.3.2018 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, मॉगरोल के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, मॉगरोल कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,मॉगरोल द्वारा निर्णय दिनांक 05.03.2018 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल का उक्त निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 35/2017

बउनवान

छीतरलाल आयु 70 साल पुत्र श्री नाथूलाल जाति–बैरवा निवासी–हनोतिया तहसील–बारां, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री नंदकिशोर गुर्जर, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 25.09.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 19.03.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–गुगलहेडी, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 156 रकबा 0.64 हैक्टर किस्म गै.मु.नाला अतिक्रमी मानकर 224/–रूपये अर्थदण्ड एंव 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो, तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपीलांट के विरूद्व एकतरफा पारित किया गया है। सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया है, कभी बेदखल भी नहीं किया गया है। वर्णित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है ना हीं उसके विरूद्व तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व उक्त आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.03.2014 निरस्त फरमाया जावें।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पश्चात्वर्ती मानकर सजायाब किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय [illegible] में पश्चात्वर्ती बाबत

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

कोई साक्ष्य सबूत, स्वतंत्र गवाहान के बयान एंव पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं घोषित किया जा सकता। विवादित आराजी से अपीलांट ने कब्जा छोड दिया है। उसके विरूद्व कोई तावान राशि भी बकाया नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर पूर्व में भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी गै.मु. नाला है, जो सार्वजनिक हित की भूमि है, जिसपर अपीलांट द्वारा पश्चात्वर्ती अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर अतिक्रमी पाये जाने पर पूर्व में बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहींन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 240/14 में पारित आदेश दिनांक 19.03.2014 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री इन्द्र सिंह राव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 61/2018

बउनवान

चौथमल पुत्र देवीलाल जाति–कोली निवासी–बोहत
तहसील–मॉगरोल, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार, मॉगरोल **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री राजेश कुमार गुप्ता, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक 26.09.2018

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मॉगरोल के आदेश दिनांक 22.02.2018 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–बोहत, तहसील–मॉगरोल की आराजी खसरा नम्बर 1361 रकबा 0.16 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 120/– रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट को सुनवायी, जवाबदेहीं एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। निर्णय साईक्लोस्टाईल परफोर्मा पर है, जिसे स्पेसिफिक निर्णय की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.02.2018 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। तावान राशि जमा करा दी है तथा अपीलांट भविष्य में कभी भी उक्त आराजी पर अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये आदेश पारित किया गया है। अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.2.2018 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 03/16 निर्णय दिनांक 07.11.2016 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है, ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति व नरमी का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा निर्णय दिनांक 22.02.2018 से पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 10/2018 में पारित निर्णय दिनांक 22.02.2018 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, मॉगरोल के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, मॉगरोल कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,मॉगरोल द्वारा निर्णय दिनांक 22.02.2018 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मॉगरोल का उक्त निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 40/2018

बउनवान

शंभूदयाल पुत्र श्री नाथूलाल जाति–धाकड निवासी–लुहारिया
तहसील–बारां, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री भगवान सिंह, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 26.09.2019

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 14.03.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–लुहारिया, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 287 रकबा 0.10 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 50/–रूपये अर्थदण्ड एंव 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो, तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपीलांट के विरूद्व एकतरफा पारित किया गया है। सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया है, कभी बेदखल भी नहीं किया गया है। वर्णित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है ना हीं उसके विरूद्व तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व उक्त आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.03.2014 निरस्त फरमाया जावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पश्चात्वर्ती मानकर सजायाब किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय [illegible] में पश्चात्वर्ती बाबत

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

कोई साक्ष्य सबूत, स्वतंत्र गवाहान के बयान एंव पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं घोषित किया जा सकता। विवादित आराजी से अपीलांट ने कब्जा छोड दिया है। अपीलांट भविष्य में उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं करने हेतु बचनबद्ध है। उसके विरूद्व कोई तावान राशि भी बकाया नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 590/11 निर्णय दिनांक 23.11.2011 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा आदेश दिनांक 14.03.2014 से पारित जप्ती, बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 518/14 में पारित निर्णय दिनांक 14.3.2014 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, बारां कब्जा छोडने से संतुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 14.03.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.03.2014 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 245/2016

बउनवान

शरीफ आयु 50 साल पुत्र श्री चॉद मोहम्मद जाति–मुसलमान निवासी–मोठपुर तहसील–बारां, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री दुल्हेसिंह, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 26.09.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 19.02.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–मोठपुर, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 312 रकबा 1.32 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 726/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया है ना ही अपीलांट को उक्त आराजी से कभी बेदखल किया गया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है, ना ही कोई तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सजायाब करने में भारी कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.02.2016 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पश्चात्वर्ती मानकर सजायाब किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय [illegible] में पश्चात्वर्ती बाबत

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

कोई साक्ष्य सबूत, स्वतंत्र गवाहान के बयान एंव पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं घोषित किया जा सकता। विवादित आराजी से अपीलांट ने कब्जा छोड दिया है। अपीलांट भविष्य में उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं करेगा। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 56/15 निर्णय दिनांक 25.03.2015 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य कथन रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व बिना सुनवाई किये एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है ना ही उक्त आराजी पर कब्जा है। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी कर, सुनवाई व जवाबदेही का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह भूमि है जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 56/2015 निर्णय दिनांक 25.03.2015 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 168/16 में पारित आदेश दिनांक 19.02.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 19/2018

बउनवान

रामप्रसाद उम्र 56 वर्ष पुत्र श्री रामनारायण जाति–मीना निवासी–भडसुई तहसील–बारां जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री आलोक गोयल, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक – 26.09.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 08.10.2015 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–भडसुई तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 590 रकबा 0.10 हैक्टर किस्म गै.मु.रास्ता पर अतिक्रमी मानकर 50/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का सहीं प्रकार अवलोकन नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वितीय अतिचारी बाबत कोई रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है। अनुपस्थिति में निर्णय फरमाया गया है। अपीलांट को जवाबदेहीं व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं मिला है। अपीलांट का किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं और ना हीं उक्त प्रकरण में उसे विधिवत तामील हुई है। केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का का निर्णय दिनांक 08.10.2015 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। [illegible] जमा करा दी है। अपीलांट भविष्य मे उक्त आराजी पर कभी अतिचार [illegible] के लिये वचनबद्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये आदेश पारित किया गया है। अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.10.2015 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 24/13 निर्णय दिनांक 27.2.2013 में भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 1178/15 में पारित निर्णय दिनांक 08.10.2015 दी गयी सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे व तहसीलदार, बारां कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 08.10.2015 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.10.2015 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 114/2017

बउनवान

नाथूलाल उम्र 61 वर्ष पुत्र श्री गजानन्द जाति–किराड निवासी–कोयला तहसील–बारां जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री आलोक गोयल, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक – 26.09.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 21.10.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–कोयला तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 817 रकबा 0.40 हैक्टर किस्म गै.मु.बेहड पर अतिक्रमी मानकर 200/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का सहीं प्रकार अवलोकन नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वितीय अतिचारी बाबत कोई रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है। अनुपस्थिति में निर्णय फरमाया गया है। अपीलांट को जवाबदेहीं व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं मिला है। अपीलांट का किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं और ना हीं उक्त प्रकरण में उसे विधिवत तामील हुई है। केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का का निर्णय दिनांक 21.10.2016 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। अपीलांट वृद्ध है व अंधा है, जो काश्त करने की स्थिति में नहीं है। हल्का पटवारी ने अपीलांट के विरूद्व बिना मौके व कब्जे की जांच किये, अतिक्रमण रिपोर्ट तहसील में पेश की है, इसी रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सजायाब किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

गया है। निर्णय साईक्लोस्टाईल परफोर्मा पर पारित किया है, जिसे किसी भी सूरत में विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने पश्चात्वर्ती अतिक्रमण मानकर सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती बाबत कोई रेकार्ड नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.10.2016 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 421/16 निर्णय दिनांक 23.2.2016 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी गै.मु.बेहड सिवायचक भूमि है, जिसपर अपीलांट द्वारा पश्चात्वर्ती अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर अतिक्रमी पाये जाने पर मिसल नम्बर 421/16 निर्णय दिनांक 23.2.2016 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहींन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 987/16 में पारित आदेश दिनांक 21.10.2016 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 07/2019

बउनवान

कमल सोनी आयु 50 साल पुत्र श्री रामकुंवार जाति–स्वर्णकार
निवासी–नाकोडा कॉलोनी, बारां तहसील–बारां जिला–बारां (राज0) **(अपीलांट)**

बनाम

1– अनिल पुत्र श्री जुगलकिशोर जाति–नन्दवाना निवासी–नलका
2– मनोहर पुत्र श्री जुगलकिशोर जाति–नन्दवाना निवासी–नलका
3– रतनदेवी पत्नी स्व.श्री जुगलकिशोर जाति–नन्दवाना निवासी–नलका
4– सुरेश पुत्र श्री जुगलकिशोर जाति–नन्दवाना निवासी–नलका
5– हरिबाबू पुत्र श्री जुगलकिशोर जाति–नन्दवाना निवासी–नलका
6– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंट्स)**

अपील बनाराजगी तहसीलदार–बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 486 दिनांक 10.04.2019 वाके ग्राम तलावडा अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री राजेन्द्र कुमार सुमन, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. श्री राजेन्द्रकुमार गोस्वामी,अभिभाषक **(रेस्पोडेंट कम 1 ता 5)**

निर्णय दिनांक– 25.09.2019

1– अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके माल तलावडा पटवार हल्का बारां तहसील–बारां में आराजी खाता संख्या 47 पुराना 40 में वर्णित खसरा नम्बर 129 रकबा 5.39 है0, खसरा नं0 130 रकबा 6.13 है0, खसरा नं0 156 रकबा 3.87 है0 कुल किता 3 रकबा 15.39 हैक्टयर बखाता जुगलकिशोर पुत्र श्री राधाबल्लभ जाति–नन्दवाना निवासी–नलका तहसील–बारां के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी जो वर्तमान में रेस्पों0 कम 1 ता 5 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।

2– उक्त वर्णित आराजी खसरा नं0 156 रकबा 3.87 है0 में से रकबा 0.40 है0 पश्चिमी आराजी (कोठे की तरफ वाली) को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.5.2018 को रेस्पों कम 1 ता 5 के पिता खातेदार श्री जुगलकिशोर पुत्र श्री राधाबल्लभ जाति–नन्दवाना नि. नलका से अपीलांट ने कीमतन खरीद किया था। अपीलांट ने उक्त आराजी क्रय करने के बाद रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.5.2018 की पालना में रेस्पो0 कम–6 के यहॉ क्रयशुदा भूमि का इन्तकाल दर्ज करने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया था। किन्तु रेस्पो. ने अपीलांट के पक्ष में इन्तकाल नहीं खोलते हुये रेस्पों कमांक 1 ता 5 के नाम खोल दिया है जो विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है, क्योकि रेस्पों0 कमांक 1 ता 5 के पिता जुगलकिशोर द्वारा उक्त वर्णित आराजियात् खसरा नम्बर 156 रकबा 3.87 हैक्टर में से रकबा 0.40 हैक्टर पश्चिमी आराजी (कोठे की तरफ वाली) को जरिये रजिस्टर्ड क्रय विक्रय दिनांक 30.5.2018 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट को कीमतन बेचान किया जा चुका था। रजिस्टर्ड विक्रयपत्र की एक प्रति रेस्पोडेंट क्रम–6 के पास पहुॅच जाने के बाद भी बिना जॉच पडताल किये, रेस्पोडेंट क्रम–6 तहसीलदार बारां द्वारा अपीलांट द्वारा खरीदशुदा आराजीयात् खसरा नम्बर 156 रकबा 0.40 है0 पश्चिमी आराजी(कोठे की तरफ वाली) पर अपीलांट के नाम इन्तकाल ना खोलते हुये सम्पूर्ण आराजियात् का इन्तकाल रेस्पोंडेट क्रम 1 ता 5 के नाम गलत खोला गया है जो विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेंट क्रम–6 द्वारा खोला गया इन्तकाल नं0 486 दिनांक 10.04.2019 निरस्त किया जाकर, अपीलांट द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.05.2018 से खरीदशुदा आराजियात् खसरा नम्बर 156 रकबा 3.87 हैक्टयर में से रकबा 0.40 है0 पश्चिमी आराजी (कोठे की तरफ वाली) पर अपीलांट के नाम इन्तकाल खोला जाकर, राजस्व रेकार्ड में अपीलांट का नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

3– इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट्स को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख प्रति प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पोडेंट्स क्रम 1 ता 5 की बहस सुनी गयी।

4– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि खातेदार श्री जुगलकिशोर पुत्र राधाबल्लभ जाति–नन्दवाना के खातेदारी के खाता सं0 47 में आराजी ख0नं0 129 रकबा 5.39 है0, ख0नं0 130 रकबा 6.13 है0, ख0नं0 156 रकबा 3.87 है0 कुल रकबा 15.39 है0 दर्ज है। इसमें से अपीलांट ने खातेदार जुगलकिशोर से आराजी ख0नं0 156 रकबा 3.87 है0 में से 0.40 है0 पश्चिमी ओर की आराजी(कोठे की तरफ वाली) कीमतन 25,00,000/–लाख रूपये में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.05.2018 को खरीद की गयी थी। खरीद पश्चात् से अपीलांट क्रयशुदा आराजी पर काबिज है। इस क्रयशुदा आराजी का इन्तकाल खुलवाने हेतु अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां को विक्रय पत्र की प्रति मय प्रार्थनापत्र पेश की गयी थी तथा उप पंजीयन कार्यालय से भी प्रति रेस्पों0 क्रम–6 तहसीलदार, बारां को सीधे हीं राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु भिजवायी गयी है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर इन्तकाल नहीं खोलकर, खातेदार जुगलकिशोर की मृत्यु होने पर, वरिसान् के नाम सम्पूर्ण आराजी का विरासतन फौती इन्तकाल संख्या 486 दिनांक 4.4.2019 वाके ग्राम तलावडा तस्दीक कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त इन्तकाल तस्दीक करने में घोर लापरवाहीं की गयी है। अपीलांट अपनी क्रयशुदा आराजी का इन्तकाल अपने नाम दर्ज करने का कानूनन अधिकारी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं 486 दिनांक 10.04.2019 वाके ग्राम तलावडा निरस्त किया जाकर, क्रयशुदा आराजी का इन्तकाल अपीलांट के पक्ष में तस्दीक किये जाने हेतु निवेदन किया।

5– इसके विपरीत रेस्पों0 [illegible] के अधिवक्ता के कथन का समर्थन व्यक्त करते हुये निवेदन किया कि अपीलांट [illegible] श्री जुगलकिशोर जी

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

ने अपने खातेदारी की आराजी में से खसरा नम्बर 156 रकबा 3.87 में से आराजी 0.40 है0 पश्चिमी तरफ की, अपीलांट को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र बेचान की गयी है। यदि हमारे खातेदारी की आराजी में से बेचान की गयी आराजी 0.40 है0 का इन्तकाल रेस्पों0 के पक्ष में दर्ज किया जाता है तो रेस्पोडेंट्स को कोई आपत्ति नहीं है।

6— हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। जिससे पाया जाता है कि खातेदार जुगलकिशोर पुत्र राधाबल्लभ जाति—नन्दवाना सा.नलका के खाता सख्या 47 में आराजियात् खसरा नम्बर 129 रकबा 5.39 है0, खसरा नं0 130 रकबा 6.13 है0, खसरा नं0 156 रकबा 3.87 है0 कुल किता 3 रकबा 15.39 हैक्टयर अवस्थित है। जिसमें से खातेदार जुगलकिशोर द्वारा अपने खाते की आराजी खसरा नम्बर 156 रकबा 3.87 हैक्टयर में से 0.40 है0 पश्चिमी(कोठे की तरफ वाली) आराजी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.05.2018 को अपीलांट कमल सोनी को बेचान किया गया है। किन्तु इस विक्रय पत्र का रेस्पोडेंट क्रम—6 तहसीलदार, बारां द्वारा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद नहीं कर, खातेदार जुगलकिशोर की मृत्यु होने पर, वर्णित समस्त आराजी का विरासतन वरिसान् रेस्पोंडेंट क्रम 1 ता 5 के पक्ष में फौती इन्तकाल तस्दीक किया गया है। जबकि खातेदार द्वारा आराजी ख0नं0 156 रकबा 3.87 है0 में से 0.40 है0 पश्चिमी ओर की तरफ का विधिवत बेचान अपीलांट के पक्ष में किया जाना प्रमाणित होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का राजस्व रेकार्ड में अमल नहीं कर, विधिवत कानूनी भूल की गयी है, जो दुरूस्त किये जाने योग्य है।

7— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 486 दिनांक 10.04.2019 वाके ग्राम तलावडा तहसील—बारां निरस्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि बेयनामा एवं समस्त अन्य दस्तावेजात् आदि का विस्तृत अध्ययन कर तथा सभी प्रभावित पक्षकारान् को सुनवाई का अवसर प्रदान कर, विधिक प्रावधानो के अनुसार पुनः निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 12/2016

बउनवान

बृजमोहन पुत्र ग्यारसीलाल आयु 58 साल जाति–नाथ निवासी–सांखली तहसील–बारां जिला–बारां (राज0) **(अपीलांट)**

बनाम

1– कन्हैयालाल पुत्र ग्यारसीनाथ जाति–नाथ निवासी–सांखली तह.बारां
2– शिवराज पुत्र ग्यारसीनाथ जाति–नाथ निवासी–सांखली तह.बारां
3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंट्स)**

अपील बनाराजगी तहसीलदार–बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 343 दिनांक 24.02.2013 वाके ग्राम सांखली अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री बृजकिशोर शर्मा, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. श्री नरेन्द्र सिंह हाडा,अभिभाषक **(रेस्पोडेंट कम 1 व 2)**

निर्णय दिनांक– 26.09.2019

1– अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम सांखली तहसील–बारां मे आराजी खसरा नम्बर 575, 582, 596 व 643 कुल 4 किता रकबा 0.48 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 9, 13 कुल 2 किता रकबा 4.77 हैक्टयर खातेदार श्री ग्यारसीलाल पुत्र नाथूलाल जाति–नाथ के खाते दर्ज थी, जिनका देहान्त दिनांक 15.09.2012 को गया है। उनकी मृत्युपरान्त दिनांक 24.01.2013 को हल्का पटवारी/ जॉच आई.एल.आर एवं प्रमाणित सजरा ग्राम पंचायत के आधार पर तहसीलदार, बारां द्वारा मृतक ग्यारसीलाल के वारिसान् के नाम इन्तकाल तस्दीक कर राजस्व रेकार्ड में बृजमोहन अपीलांट व रेस्पोडेंट कन्हैयालाल, शिवराज पुत्रगण व प्रेमबाई पुत्री पत्नी हरलाल वारिसान् के रूप में अंकित किये गये है। जिसमें प्रेमबाई पुत्री का स्वर्गवास वर्ष 2006 में हीं हो चुका था, उनका नाम भी मृतक ग्यारसीलाल के वारिस के रूप में दर्ज कर दिया गया है जो कतई गैरकानूनी है। मृतक प्रेमबाई का देहान्त ग्यारसीलाल से पूर्व हीं हो चुका था। काननून मृतका प्रेमबाई के नाम नामान्तकरण स्वीकार किया जाना कतई गैरकानूनी है तथा विधिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर, इन्तकाल नं0 343 दिनांक 24.01.2013 निरस्त फरमाया जावे।

2– इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट्स को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख प्रति प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पोडेंट्स कम 1 व 2 की बहस सुनी गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

3— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट्स के पिता श्री ग्यारसीलाल जी के खातेदारी में ग्राम सांखली तहसील—बारां में खाता संख्या 22 मे आराजी खसरा नम्बर 9, 13 कुल 2 किता रकबा 4.77 हैक्टयर व खाता संख्या 20 में खसरा नम्बर 575, 582, 596 व 643 कुल 4 किता रकबा 0.48 हैक्टयर अवस्थित है। उनके पिता का देहान्त दिनांक 15.09.2012 को होने पर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा फौती इन्तकाल विरासतन दिनांक 24.01.2013 को तस्दीक किया गया है, जिसमें अपीलांट व रेस्पोडेंट वारिसान् के साथ—साथ पुत्री प्रेमबाई का नाम भी दर्ज कर दिया है। जबकि प्रेमबाई पुत्री की मृत्यु पिता की मृत्यु के पहले दिनांक 05.05.2006 को लगभग 6 वर्ष पूर्व हीं हो चुकी है। काननून पिता के पहले पुत्री की मृत्यु होने से, पुत्री का नाम वारिसतन इन्तकाल में दर्ज करने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुत्री प्रेमबाई का नाम इन्तकाल नं0 343 में अपीलांट व रेस्पोडेंट के साथ दर्ज करने में भारी कानूनी व वैधानिक त्रुटि की गयी है, जो विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीकी विरासतन फौती इन्तकाल संख्या 343 दिनांक 24.01.2013 निरस्त फरमाया जाकर, पुत्री प्रेमबाई को छोडकर शेष वारिसान् का पुनः फौती इन्तकाल खोला जावे तथा राजस्व रेकार्ड में उनके नाम अमल करने के तहसीलदार, बारां को आदेश प्रदान किये जावे।

4— इसके विपरीत रेस्पों0 अभिभाषक ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का समर्थन व्यक्त करते हुये निवेदन किया कि उनके पिता श्री ग्यारसीलाल जी की मृत्युउपरान्त फौती इन्तकाल खोला गया है, जिसमें पुत्री प्रेमबाई का नाम भी दर्ज हो गया है, जबकि प्रेमबाई की मृत्यु पिता की मृत्यु के पूर्व हीं हो चुकी है। इसलिये प्रेमबाई का नाम इन्तकाल में से निरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः पुत्री का नाम इन्तकाल से विलोपित या हटाने में उन्हे कोई आपत्ति नहीं है।

5 — हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। जिससे पाया जाता है कि खातेदार ग्यारसीलाल पुत्र नाथू कोम नाथ नि. सा.देह के ग्राम सांकली तहसील—बारां में खाता संख्या 22 मे आराजी खसरा नम्बर 9, 13 कुल 2 किता रकबा 4.77 हैक्टयर व खाता संख्या 20 में खसरा नम्बर 575, 582, 596 व 643 कुल 4 किता रकबा 0.48 हैक्टयर अवस्थित है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा खातेदार ग्यारसीलाल की मृत्यु होने पर विरासतन फौती इन्तकाल संख्या 343 दिनांक 24.01.2013 को खोला गया है। अपील में अपीलांट के मुख्य तर्क रहा है कि उक्त इन्तकाल में मृतक की पुत्री प्रेमबाई का गलत दर्ज गया है, मृतका की मृत्यु पिता की मृत्यु से पूर्व हीं हो चुकी है। काननून उसका नाम विरासतन इन्तकाल में दर्ज करने का प्रावधान नहीं है। अपीलांट अभिभाषक का उक्त कथन उचित प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना वंशवृक्ष की जॉच पडताल किये तथा कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर, विरासतन फौती इन्तकाल तस्दीक किया गया है जो विधि सम्मत नहीं होने से, निरस्त किया जाकर, पुनः वैधानिक वारिसान् के नाम इन्तकाल दर्ज किया जाना उचित समझते है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल संख्या 343 दिनांक 24.01.2013 वाके ग्राम सांकली तहसील—बारां निरस्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि मृतक ग्यारसीलाल पुत्र नाथू जाति—नाथ सा.देह के वैधानिक वारिसान्/पक्षकारान् को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, पेरा—5 में उल्लेखित तथ्यों के सम्प्रेषण में विधिवत जॉच कर, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 एवं प्रचलित कानूनी प्रावधानों के अनुरूप प्रकरण का परीक्षण कर, विधि सम्मत वारिसान् के नाम विरासतन फौती इन्तकाल तस्दीक किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 19/2015

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला–मॉगरोल **(प्रार्थी)**

बनाम

1–श्री वरूण आत्मज श्री सुरेशकुमार जाति–महाजन निवासी ग्राम रायथल तहसील–मॉगरोल जिला–बारां (राज.) **(अप्रार्थी)**

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. पेरोकार सरकार **(प्रार्थी)**

2. श्री महेशप्रकाश गौतम अभिभाषक **(अप्रार्थी)**

आदेश दिनांक– 25.09.2019

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, मॉगरोल ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी श्री वरूण पुत्र सुरेशकुमार के गत सेटलमेंट 2014 से 2023 के अनुसार ग्राम रायथल की बन्दोबस्त जमाबन्दी सम्वत् 2014 से 2023 में ख0नं0 860 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। वर्तमान सेटलमेंट 2044–63 में भू प्रबंध विभाग द्वारा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार नवीन खसरा नम्बर 318 रकबा 1.21 है0 कायम हुए एवं बाद केचमेंट ग्राम रायथल ख0नं0 318 रकबा 1.21 है0 व 320 रकबा 0.27 कुल 1.48 है0 से मिलकर, ख0नं0 2258 रकबा 1.42 है0 कायम हुये है, जो अप्रार्थी के खाते दर्ज है जिसमें से 1.21 है0 गै.मु. तलाई है। इस प्रकार उक्त आराजी की सेटलमेंट पूर्व किस्म गै.मु.तलाई होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 की धारा–16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है। इसलिये अप्रार्थी को किया गया आवंटन/नियमन नियम विरूद्व है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

अतः उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन/नियमन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

2— प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से दिनांक 30.07.2015 अभिभाषक उपस्थित हुये तथा अप्रार्थी की ओर से दिनांक 25.04.2016 को जवाब रेफरेंस पेश किया गया।

3— अप्रार्थी अभिभाषक ने अपने जवाब में लिखा है कि अप्रार्थी के खाते में खसरा नम्बर 2558 रकबा 1.21 है0 आराजी होना स्वीकार है किन्तु उक्त आराजी पर अवैधानिक रूप से अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज किया जाना अस्वीकार है। कानूनन रूप से केचमेंट विभाग द्वारा विधि के प्रावधानों के तहत किस्म परिवर्तन करके अप्रार्थी के खाते दर्ज की गयी है एवं उल्लेखित सभीं बिन्दुओं को अस्वीकार करते हुये विशेष कथन में लिखा है कि रेफरेंस कार्यवाहीं मियाद बाहर है। अप्रार्थी के खातेदारी मिले लगभग 28 साल हो चुके है तथा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 के निर्णय भी दिनांक 2.8.2004 को पारित हुआ है जिसको भी लगभग 12 वर्ष हो चुके है। इसलिये निर्णय की दिनांक से हीं रेफरेंस कार्यवाहीं मियाद बाहर है जो किसी भी प्रकार से चलने योग्य नहीं है।

सेटलमेंट एवं केचमेंट विभाग द्वारा कानूनी प्रावधानों के तहत किस्म परिवर्तित करके आराजी को नहरी II दर्ज किया गया है, तब से हीं अप्रार्थी का शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा एवं स्वामित्तव निरन्तर बरकरार है। उक्त आराजी केचमेंट एरिया में स्थित है तथा वर्तमान में किसी भी रूप से गै.मु.तलाई के रूप में काम नहीं आ रहीं है ना हीं वहॉ पूर्व में किसी प्रकार की गै.मु.तलाई स्थित थी। अतः रेफरेंस मियाद बाहर चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

4— प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर बहस विद्वान पेरोकार सरकार व अप्रार्थी अभिभाषक सुनी गयी।

5— बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि अप्रार्थी को पिता श्री सुरेश कुमार जी को ग्राम रायथल में आराजी ख0नं0 860 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि आवंटित हुयी थी। उस वक्त विवादित आराजी की किस्म गै.मु.तलाई थी। उससे पूर्व भी पहले सेटलमेंट में भी तलाई दर्ज थी। विवादित आराजी के बाद सेटलमेंट खसरा नम्बर 318 रकबा 1.21 है0 कायम हुए एवं बाद केचमेंट ग्राम रायथल ख0नं0 318 रकबा 1.21 है0 व 320 रकबा 0.27 कुल 1.48 है0 से मिलकर, ख0नं0 2258 रकबा 1.42 है0 किस्म नहरी II कायम हुये है, जो अप्रार्थी के खाते दर्ज है जिसमें से अप्रार्थी की आराजी रकबा 1.21 है0 गै.मु.तलाई है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा—16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य उपलब्ध नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आवंटन/नियमन नियम विरूद्व हुआ है। ऐसे नियम विरूद्व आंवटन/नियमन प्रारम्भतः ही शून्य है, जिसे किसी भी दशा में मान्यता नहीं दी जा सकती। वादग्रस्त आराजी के संबंध में जितनी भी कार्यवाहियॉ हुई है, वह निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है, माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत आराजी को गै.मु.तलाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

6– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने पेरोकार सरकार के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी को पिता श्री सुरेश कुमार जी को ग्राम रायथल तहसील–मॉगरोल में आराजी खं0नं0 860 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि आवंटित हुई थी, जो दिनांक 17.10.1967 से उनके गैर खातेदारी में दर्ज हुई व बाद में खातेदारी अधिकार दिये गये। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट व केचमेंट नये नम्बर 2558 रकबा 1.42 है0 कायम किये गये है, जिसपर अप्रार्थी बदस्तूर काबिज काश्त है। आवंटित आराजी पर अप्रार्थी को लगभग 28 वर्ष पूर्व खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के पश्चात् आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता। ऐसे विधि के प्रावधान तथा उच्च न्यायालय की नजीरें है।

साथ ही निवेदन किया कि अप्रार्थी उक्त आराजी पर लगातार काबिज काश्त है तथा तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा गलत कार्यवाहीं कर रेफरेंस प्रस्तुत किया गया है जो मियाद बाहर है। अधीनस्थ न्यायालय ने डी.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 के निर्णय दिनांक 2.8.2004 की पालना में रेफरेंस प्रस्तुत किया है, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश को भी लगभग 12 वर्ष पूर्ण हो चुके है, जो भी मियाद बाहर हो चुका है। अब पालना कराया जाना किसी भी सूरत में विधि सम्मत नहीं है। अतः रेफरेंस तहसीलदार, मॉगरोल खारिज फरमाया जावे।

7– हमने पेरोकार सरकार व अप्रार्थी अभिभाषक की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अप्रार्थी के पिता श्री सुरेश कुमार जी को ग्राम रायथल में आराजी खं0नं0 860 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि आवंटित हुयी थी। उस वक्त विवादित आराजी की किस्म गै.मु. तलाई थी, जो आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। विवादित आराजी के बाद सेटलमेंट खसरा नम्बर 318 रकबा 1.21 है0 कायम हुए एवं बाद केचमेंट ग्राम रायथल ख0नं0 318 रकबा 1.21 है0 व 320 रकबा 0.27 कुल 1.48 है0 से मिलकर नये ख0नं0 2258 रकबा 1.42 है0 किस्म नहरी II कायम हुये है, जो अप्रार्थी के खाते दर्ज है जिसमें से अप्रार्थी की आराजी रकबा 1.21 है0 गै.मु.तलाई है। इस प्रकार अप्रार्थी को जिस वक्त भूमि आवंटित की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी गै.मु. तलाई खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आराजी का नियमन नियम विरूद्व हुआ है।

8– अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार स्पष्ट है कि अप्रार्थी के पिता श्री सुरेश कुमार को ग्राम रायथल तहसील–मॉगरोल की आवंटित आराजी खं0नं0 860 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा किस्म गै.मु. तलाई भूमि आवंटित हुयी थी, जिसकी किस्म गै.मु.तलाई होने से आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। विवादित आराजी के बाद सेटलमेंट खसरा नम्बर 318 रकबा 1.21 है0 कायम हुए एवं बाद केचमेंट ग्राम रायथल ख0नं0 318 रकबा 1.21 है0 के नये ख0नं0 2258 रकबा 1.21 है0 किस्म नहरी II कायम हुये है, जो अप्रार्थी के खाते दर्ज है। उक्त आराजी [illegible] पूर्व किस्म गै.मु. तलाई दर्ज थी जिसका आवंटन/नियमन अप्रार्थी [illegible] विरूद्व हुआ है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 सं ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन/नियमन को विधि विरूद्व मानते हुए, निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

9— परिणास्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, मॉगरोल का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थी श्री वरूण पुत्र श्री सुरेश कुमार के वर्तमान में वाके ग्राम रायथल तहसील—मॉगरोल में दर्ज आराजी 2558 रकबा 1.21 हैक्टयर किस्म नहरी II जो मूल रूप से सेटलमेंट व केटमेंट पूर्व ख0नं0 860 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा ग्राम रायथल से बना है, अप्रार्थी को गलत रूप से आवंटन हुआ है, आवंटन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा—82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार, मॉगरोल को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, जयपुर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनशिचित करे।

10— तहसीलदार, मॉगरोल को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटित आराजी जो खातेदार वरूण पुत्र श्री सुरेश कुमार के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें। अप्रार्थी को पाबन्द किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय होने तक, वर्णित आराजी खसरा नम्बर 2558 रकबा 1.21 हैक्टयर किस्म नहरी II की यथास्थिति बनाये रखें। इस आराजी को रहन,बेचान,हस्तान्तरण व खुर्द—बुर्द नहीं करे।

आदेश आज दिनांक 25.09.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर, बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 208/16

बउनवान

हेमराज पुत्र श्री नाथूलाल जाति–माली निवासी–पाठेडा
तहसील–बारां, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री चैनसिंह सिरोहिया, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 17.10.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 10.11.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–पाठेडा, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 1399 रकबा 0.30 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 165/– रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के प्रतिकूल होने से काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवायी व जवाबदेहीं का अवसर दिये, बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अतिक्रमित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं हैं। ना हीं सरकारी तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व विधि विरूद्व एकपक्षीय आदेश पारित करने में विधिक भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां का आदेश दिनांक 10.11.2014 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये, अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है। अब्जा पूर्व से छोड रखा

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

है तथा भविष्य में उक्त आराजी पर कभी भी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका व कब्जे की जॉच किये, हल्का पटवारी की रिपोर्ट को विश्वसनीय मानकर, निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.11.2014 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 813/14 निर्णय दिनांक 21.03.2014 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 907/14 में पारित निर्णय दिनांक 10.11.2014 दी गयी सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे व तहसीलदार, बारां कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 10.11.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.11.2014 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 130/17

बउनवान

हेमराज पुत्र श्री नाथूलाल जाति–माली निवासी–पाठेडा
तहसील–बारां, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री चैनसिंह सिरोहिया, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 17.10.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 20.03.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–पाठेडा, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 1399 रकबा 0.30 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 165/– रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के प्रतिकूल होने से काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवायी व जवाबदेहीं का अवसर दिये, बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अतिक्रमित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं हैं। ना हीं सरकारी तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व विधि विरूद्व एकपक्षीय आदेश पारित करने में विधिक भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां का आदेश दिनांक 20.03.2014 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये, अनुचितरीति से निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है। कब्जा पूर्व से छोड रखा

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

है तथा भविष्य में उक्त आराजी पर कभी भी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका व कब्जे की जॉच किये, हल्का पटवारी की रिपोर्ट को विश्वसनीय मानकर, निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.11.2014 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 613/13 निर्णय दिनांक 25.03.2013 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 813/14 में पारित निर्णय दिनांक 20.03.2014 दी गयी सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे व तहसीलदार, बारां कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 20.03.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.03.2014 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– इन्द्र सिंह राव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 25/2018

बउनवान

हेमराज शर्मा पुत्र हजारीलाल जाति–ब्राहमण उचित मूल्य दूकानदार
ग्राम पंचायत ठीकरिया तहसील–अता निवासी ग्राम–ठीकरिया
हाल अन्ता वार्ड नं0 4 अन्ता तहसील–अन्ता जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये जिला रसद अधिकारी, बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील, धारा–22 राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976 के तहत।

उपस्थिति :–1. श्री गजेन्द्र कुमार पंचौली, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार रसद **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 03.10.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक जिला रसद अधिकारी, बारां के आदेश दिनांक 12.06.2018 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्व रेस्पोंडेट अन्तर्गत धारा–22 राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976 के तहत प्रस्तुत कर अपील में कथन किया है कि जिला रसद अधिकारी, बारां द्वारा दिनांक 12.06.2018 को अपीलांट का प्राधिकार पर निलंबित कर नजदीकी डीलर श्री हेमराज गोपाल उचित मूल्य दूकानदार वार्ड नं0 3, 7, 14 अन्ता शहर तहसील–अन्ता को ठीकरिया ग्राम पंचायत की दुकान पर राशन सामग्री वितरण करने हेतु अधिकृत किया है। इस आदेश से असंतुष्ट होकर माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी है।

2– श्री शिवाजी राम जाट प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दुकान का निरीक्षण दिनांक 07.06.2018 को करना बताया एवं कारण बताओ नोटिस में 190 लीटर केरोसीन की कालाबाजारी करते हुये पाया जाना बताते हुये राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ(वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की क्लाज–20 एवं प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लघंन करना बताया तथा उपस्थित होकर जवाब पेशी हेतु दिनांक 1.7.2018 नियत की गयी। इसपर अपीलांट ने अधीनस्थ कार्यालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया एवं स्टॉक रजिस्टर व वितरण रजिस्टर में कोई अन्तर नहीं बताया, रिपोर्ट ऑफ पोस ट्रान्जेक्शन के आधार पर भी कोई अन्तर नहीं है। राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश–1976 के क्लाज 8(2) में आज्ञात्मक प्रावधान है कि बिना आदेश की तारीख

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

से 90 दिन के अन्दर रसद विभाग को पूरी जॉच कर सुनवाई का अवसर प्राधिकारधारी को देकर निर्णय पारित करना होगा। अर्थात 90 दिन तक हीं प्राधिकार पत्र निलंबित रखा जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी,बारां द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 12.06.2018 को निलंबित किया तथा निलंबन अवधि 90 दिन दिनांक 1.09.2018 को पूरे होने एवं अपीलांट द्वारा रसद विभाग में अनेको बार निवेदन किया कि मेरे प्रकरण में कब निर्णय होगा। परन्तु अभी तक निर्णय पारित नहीं किया है। जबकि प्रार्थी बिल्कुल निर्दोष है।

3— अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथाकथित अन्य व्यक्ति की झूठी सूचना कि जप्तशुदा केरोसीन अपीलांट से खरीदा है। इसे विश्वसनीय मानकर झूठी पुलिस कार्यवाहीं की गयी एवं अपीलांट की अनुपस्थित में हीं प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 07.06.2018 को जॉच करना बताया व बिना किसी आधार के 190 लीटर केरोसीन की कालाबाजारी करना बताया जिसकी पुष्टि स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर एवं पॉस ट्रान्जेक्शन से भी नहीं हुयी। अतः राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ(वितरण का विनियमन) के क्लॉज—8(2) में वर्णित निलंबन अवधि 90 दिन के पूरी हो जाने बाद के निर्णय पारित नहीं होने से विवश होकर माननीय न्यायालय में अपील निलंबन आदेश की गयी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी, बारां के निलंबन आदेश दिनांक 12.6.2018 को निरस्त किया जाकर अपीलांट के प्राधिकार पत्र संख्या 33/97 उचित मूल्य दूकान ग्राम पंचायत ठीकरिया तहसील—अन्ता को बहाल किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

4— प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में जिला रसद अधिकारी,बारां से अभिलेख प्राप्त होने पर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद सुनी गयी।

5— बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ग्राम पंचायत ठीकरिया तहसील अन्ता का उचित मूल्य दुकानदार है जिसका प्राधिकार पत्र अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी,बारां द्वारा बिना किसी आधार व जॉच पडताल किये, मात्र कयास के आधार पर कि अपीलांट ने अवैध रूप से केरोसीन की कालाबाजारी की है, इसी आधार पर दोषी मानकर,प्राधिकार पत्र दिनांक 12.6.2018 को निलंबित कर दिया है। जबकि रसद विभाग द्वारा पकडा गया केरोसीन से उसका कोई संबंध नहीं है। मौके पर जप्ती के दौरान पकडे गये व्यक्तियों ने अपीलांट का नाम द्वैषतावश लिया है। अपीलांट ने केरोसीन की कभी कोई कालाबाजारी नहीं की है। उसका स्टॉक व वितरण रजिस्टर विधिवत रूप से संधारित है। पोस मशीन में भी स्टॉक पूर्ण है।

6— प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा पुलिस थाना अन्ता की सूचना के आधार पर दिनांक 7.6.2018 को एक ऑटो में 10 केन में 190 लीटर नीला केरोसीन पकडा गया है, जिसका अवैध बेचान अपीलांट द्वारा किया जाना बताकर अपीलांट को एकतरफा दोषी मानकर, थाना अन्ता में प्रथम सूचना रिपोर्ट [illegible] क[illegible] गयी व अपीलांट के

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

विरूद्व धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम,1995 के तहत केस अधिरोपित कर दिया है, जबकि अपीलांट पूर्णतया निर्दोष है, जप्तशुदा केरोसीन के उसका कोई वास्ता नहीं है। मात्र मौके पर पकडे गये व्यक्तियों के झूठे कथन के आधार पर अपीलांट को दोषी नहीं माना जा सकता। इसकी पुष्टि हेतु डीलर के स्टॉक व पोस मशीन के वितरण एवं बचे स्टॉक की जॉच होना आवश्यक है, अपीलांट की दूकान में पोस मशीन अनुसार माह जून–2018 में केरोसीन का प्रारंभिक स्टॉक 127.5 लीटर शेष था। पुलिस द्वारा जप्ती की कार्यवाहीं दिनांक 07.06.2018 को की गयी है, उस दिन भी स्टॉक 127.5 लीटर हीं था तथा अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 12.06.2018 को निलंबित कर, अटेचमेंट नजदीकी डीलर हेमराज गोयल अन्ता शहर को किये जाने पर अपीलांट ने अटेचमेंट किये गये डीलर को केरोसीन का 127.5 लीटर हीं स्टॉक सम्भलाया गया है। इस प्रकार स्टॉक पूर्ण है। जब पोस मशीन में स्टॉक व वितरण पूर्ण है तो कालाबाजारी करना केसे माना जा सकता है। यदि उसके द्वारा केरोसीन की कालाबाजारी की गयी होती तो पोस मशीन के स्टॉक व वितरण में भिन्नता होती। इस प्रकार स्टॉक पूर्ण होने से स्पष्ट है कि अपीलांट डीलर ने जप्तशुदा केरोसीन 190 लीटर का अवैध बेचान नहीं किया है ना हीं उसका जप्त केरोसीन से कोई संबंध या सरोकार है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय ने में भी यह हीं जवाब प्रस्तुत किया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में अभी तक कोई आदेश पारित नहीं किया है। जबकि किसी भी डीलर का 90 दिवस से अधिक प्राधिकार पत्र निलंबित नहीं किया जा सकता। अपीलांट निर्दोष है, उसके साथ अन्याय हुआ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निलंबन आदेश दिनांक 12.6.2018 निरस्त किया जाकर, अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाकर राशन सप्लाई बहाल की जावे।

7– इसके विपरीत पेरोकार रसद प्रवर्तन अधिकारी ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करने हेतु निवेदन किया कि पुलिस थाना अन्ता की सूचना पर रसद विभाग द्वारा दिनांक 07.06.2018 को एक ऑटो में तीन व्यक्तियो को अवैध रूप से 10 केन में नीले रंग का केरोसीन कुल 190 लीटर अवैध परिवहन करते पाये जाने पर मौके पर ऑटो व केरोसीन को जप्त किया गया है। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों ने उक्त केरोसीन 190 लीटर डीलर हेमराज शर्मा उचित मूल्य दूकानदार ठीकरिया से खरीद करना अपने बयानों में बताया है। इस संबंध में प्रवर्तन निरीक्षक डीलर की दूकान के स्टॉक की जॉच हेतु मौके पर पहुॅचे है किन्तु दूकान व मोबाइल बंद पायी गयी है। इसलिये स्टॉक व वितरण की जॉच नहीं हो सकी। चूकि मौके पर पकडे गये व्यक्तियों ने उक्त नीले केरोसीन को डीलर से खरीद करना बताया है। इसके आधार पर अपीलांट के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज तथा धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया है एवं जप्तशुदा माल के निस्तारण हेतु धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कराया गया है। इस प्रकार डीलर द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण योग्य नीले केरोसीन का अवैध रूप से कालाबाजारी की नियत से बेचान किया गया है। इसी आधार पर डीलर का प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया है। डीलर के विरूद्व आरोप प्रमाणित है। अतः अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

8— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्व एकतरफा कार्यवाहीं करते हुये 190 लीटर की अवैध रूप से कालाबाजारी कर, बेचान करने का दोषी मानकर प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया है जबकि जप्तशुदा केरोसीन से उसका कोई संबंध नहीं है। उसका पोस मशीन अनुसार स्टॉक व वितरण पूर्ण है तथा उसपर लगाया गया आरोप प्रमाणित नहीं है। इसके विपरीत रेस्पों0 पेरोकार रसद का तर्क है कि मौके पर जप्ती के दौरान पकडे गये व्यक्तियों ने जप्तशुदा केरोसीन को प्रार्थी डीलर से खरीद करना बयानों में बताया है जिससे डीलर द्वारा केरोसीन के अवैध बेचान करने की पुष्टि होती है तथा इसी आधार पर प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया है। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि पुलिस थाना अन्ता की सूचना पर रसद विभाग द्वारा दिनांक 07.06.2018 को बमोरी रोड अन्ता से एक लोंडिग ऑटो को पकडा है जिसमें 10 जरीकेन में नीला केरोसीन पाये जाने पर, ऑटो व नीला केरोसीन कुल 190 लीटर, जो सावर्जनिक वितरण प्रणाली का होने से जप्त किया गया है। मौके पर ऑटो ड्राईवर सहित 3 व्यक्ति पकडे गये है जिनके द्वारा जप्तशुदा नीले केरोसीन को डीलर हेमराज शर्मा से क्रय करना बताये जाने पर, राशन विभाग द्वारा डीलर के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट व आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा, 3/7 के तहत कार्यवाहीं एवं जप्तशुदा माल के निस्तारण हेतु धारा, 6(ए) का प्रकरण पंजीबद्व कराया गया है। चूकि डीलर का बहस के दौरान कथन रहा है कि जप्तशुदा केरोसीन से उसका कोई संबंध नहीं है। उसका स्टॉक व वितरण पूर्ण है। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि रसद विभाग द्वारा डीलर के विरूद्व मौके पर पकडे गये व्यक्तियों के कथन के आधार पर केरोसीन कालाबाजारी का दोषी मानते हुये, कार्यवाहीं की गयी है तथा इसी आधार पर प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया है। जबकि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा डीलर के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाहीं करने से पूर्व डीलर के केरोसीन स्टॉक व वितरण की जॉच करना अनिवार्य है। इस संबंध में पेरोकार रसद का कथन है कि डीलर की दूकान बंद पाये जाने से जॉच नहीं हो सकी। उक्त कथन व्यवहारिक व कानून संगत नहीं है। डीलर के स्टॉक व वितरण की जॉच के अभाव में डीलर को पूर्णरूपेण दोषी माना जाना कानून संगत प्रतीत नहीं होता है। चूकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में पोस मशीन के माह जून—2018 के स्टॉक की प्रति पेश की गयी है जिससे पाया जाता है कि डीलर के पास माह जून—2018 में प्रारंभिक स्टॉक 127.5 लीटर था जो माह जून—2018 के अन्त तक 127.5 लीटर हीं शेष रहा है तथा अटेचमेंट किये डीलर श्री हेमराज गोयल, अन्ता को भी 127.5 लीटर केरोसीन हीं सम्भलाया गया ह। जबकि जप्ती की घटना दिनांक 07.06.2018 की है। इससे स्पष्ट होता है कि जिस वक्त पुलिस विभाग व रसद विभाग द्वारा सयुक्त रूप से जप्ती की कार्यवाहीं की गयी थी, उस वक्त डीलर का स्टॉक पूर्ण था।

9— चूकि प्रकरण में पेरोकार रसद यह सिद्व करने में असफल रहे है कि जब डीलर की स्टॉक व वितरण की जॉच नहीं की गयी तो मात्र वक्त जप्ती उपस्थित व्यक्तियों के कथन के आधार पर डीलर को पूर्णरूपेण कैसे दोषी माना जा सकता है। जबकि डीलर द्वारा प्रस्तुत [illegible] उसका स्टॉक पूर्ण

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में संदेह का लाभ अपीलांट के पक्ष में जाता है तथा अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाना उचित समझते है।

10— परिणामस्वरूप अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी, बारां द्वारा पारित निलंबन आदेश दिनांक 12.06.2018 निरस्त किया जाकर, प्राधिकार पत्र संख्या 33/97 बहाल किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.10.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 06/2019

बउनवान

ठाकुरलाल आयु 41 साल पुत्र श्री रामचरण मेहता जाति–किराड
निवासी–महोदरा तहसील–शाहबाद जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये जिला रसद अधिकारी, बारां
जिला–बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील, धारा–22 राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976 के तहत।

उपस्थिति :–1. श्री गजेन्द्र कुमार पंचौली, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार रसद **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक–03.10.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद के प्राधिकार पत्र निलंबन आदेश दिनांक 29.10.2004 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्व रेस्पोंडेट अन्तर्गत धारा–22 राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976 के तहत प्रस्तुत कर अपील में कथन किया है कि प्रार्थी ग्राम पंचायत, महोदरा तहसील–शाहबाद का उचित मूल्य दूकानदार है। प्रार्थी को दिनांक 26.10.2004 को तहसीलदार शाहबाद ने नोटिस दिया था कि अन्दर 7 योम मे संलग्न कूपन सूची के अनुसार किन–किन उपभोक्ताओं को कूपन के पेटे गेहूँ का भुगतान किया गया है, कार्यालय में उपस्थित होकर उपभोक्ता सूची के साथ अपना जवाब प्रस्तुत करे। अन्यथा पुलिस कार्यवाहीं अमल में लायी जावेगी। अपीलांट का नोटिस की अवधि समाप्त होने से पहले हीं दिनांक 29.10.2004 को उपखण्ड अधिकारी,शाहबाद ने लाईसेंस निलंबित कर दिया।

2– इस संदर्भ में जिला रसद अधिकारी,बारां द्वारा दिनांक 22.09.2015 को उचित मूल्य दूकान ग्राम पंचायत महोदरा प्रथम चालू कराने के संबंध में आदेश दिया है कि प्रवर्तन अधिकारी,शाहबाद विस्तृत जॉच कर, रिपोर्ट पेश करे। परन्तु रेस्पो0 जिला रसद अधिकारी,बारां द्वारा आज तक अपीलांट का लाईसेंस संख्या 236/2002 बहाल नहीं किया। फलत् विवश होकर अपील प्रस्तुत की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आज तक लाईसेंस बहाल नहीं किया जाना कानूनी तथ्यों के विपरीत है। जबकि धारा, 8(2) राज. खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का नियमन) आदेश 1976 के प्रावधानों के अनुसार 90 दिन तक लाईसेंस निलंबित रखा जा सकता है। इसलिये अपीलांट का लाईसेंस बहाल किया जाना विधिसंगत एवं न्यायहित में होगा। अतः अपील की अवधि में से डी0ए0ओ0 द्वारा में समय–समय पर आवेदन किये जाने वाले समय को मुजरा किये जाने पर 3 माह अवधि मध्य पेश की

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

गयी है। इसके संबंध में पृथक से धारा–5 लिमिटेशन एक्ट प्रार्थनापत्र पेश किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलांट का लाईसेंस नं0 236/2002 उचित मूल्य दूकान महोदरा तहसील–शाहबाद बहाल किया जाकर सप्लाई चालू किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

3– प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड उपलब्ध नहीं होने पर, रिपोर्ट प्राप्त हुई है। तत्पश्चात् बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद सुनी गयी।

4– बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ग्राम पंचायत महोदरा प्रथम तहसील–शाहबाद का उचित मूल्य दूकानदार है। अपीलांट को तहसीलदार,शाहबाद ने अकाल राहत कार्य के दौरान श्रमिको को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कूपनों पर गेहूँ के वितरण की व्यवस्था किये जाने पर, कूपनों पर फर्जी तरीके से गेहूँ का भुगतान करने के कयास के आधार पर, कूपन सूची के आधार पर भुगतान किये गये उपभोक्ताओं को गेहूँ की सूची प्रस्तुत करने का दिनांक 26.10.2004 को नोटिस दिया तथा तीन दिवस पश्चात् हीं बिना जॉच पडताल किये हीं तथा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना हीं एकपक्षीय कार्यवाहीं करते हुये दिनांक 29.10.2004 को उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिया तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। फौजदारी प्रकरण में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां में दिनांक 27.6.2013 को एफ.आई. लग चुकी है। माननीय न्यायालय में अपीलांट के विरूद्व कोई आरोप सिद्व नहीं माने गय है।

5– अपीलांट ने जिला रसद अधिकारी, बारां के यहॉ माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में प्राधिकार पत्र बहाल करने हेतु निवेदन किये जाने पर, जिला रसद अधिकारी,बारां ने मामले का परीक्षण कर दिनांक 22.09.2015 को प्रवर्तन अधिकारी, शाहबाद को जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत कर, विस्तृत रिपोर्ट पेश करने हेतु आदेशित किया गया। किन्तु ना तो प्रवर्तन अधिकारी,शाहबाद द्वारा जिला रसद अधिकारी,बारां को रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी ना हीं जिला रसद अधिकारी, बारां द्वारा आदिनांक तक अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किया गया। जबकि उसपर कोई आरोप प्रमाणित नहीं है। अपीलांट ने मजबूरन अपील प्रस्तुत की गयी है। अपीलांट के पास उचित मूल्य दूकान के अतिरिक्त परिवार पालन का अन्य कोई साधन नहीं है। अतः अपीलांट पर सहानूभूतिपूर्वक विचार कर, निलंबित प्राधिकार पत्र बहाल किया जाकर राशन सप्लाई बहाल दिये जाने हेतु निवेदन किया गया।

6– इसके विपरीत पेरोकार रसद प्रवर्तन अधिकारी ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करने हेतु निवेदन किया कि अपीलांट डीलर ने वर्ष 2004 में अकाल राहत के दौरान श्रमिको को कूपन के बदले गेहूँ वितरण में अनियमितता व गबन किया गया है। इसी आधार पर तत्समय उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद द्वारा डीलर का प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया है। उक्त गबन किये जाने पर फौजदारी का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, [illegible] होने से डीलर का

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

लाईसेंस बहाल नहीं किया गया है। अपीलांट ने उक्त अपील वर्ष 2004 के निलंबन आदेश के विरूद्व पेश की गयी है, जो लगभग 15 वर्ष पश्चात् मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है। वर्तमान में ग्राम पंचायत महोदरा पर नवीन डीलर की नियुक्ति की जा चुकी है। वर्तमान में कोई रिक्ती नहीं है। अपीलांट पर गम्भीर आरोप प्रमाणित है। इसलिये प्राधिकार पत्र बहाल किया जाना न्याय संगत नहीं है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

7— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अपीलांट ने अकाल राहत के दौरान श्रमिकों को कूपन पर गेहूॅ वितरण में कोई अनिमितता नहीं की है तथा फौजदारी प्रकरण में भी माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां द्वारा आदेश दिनांक 27.06.2013 से दोषमुक्त किया जा चुका है। इसलिये अपीलांट प्राधिकार पत्र बहाल कराने का अधिकारी है। इसके विपरीत पेरोकार रसद का तर्क है कि अपीलांट ने अपील मियाद बहार पेश की गयी है तथा डीलर पर अकाल राहत के दौरान श्रमिकों को कूपनों पर गेहूॅ वितरण में फर्जी तरीके से अनियमितता एवं गबन किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद द्वारा अनियमिताओं के आधार पर दिनांक 26.10.2004 को डीलर को दोषी पाये जाने पर, प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया है। तभी से डीलर लगातार निलंबित चल रहा है। अपीलांट ने इस आदेश के विरूद्व अपील दिनांक 07.06.2019 को प्रस्तुत की गयी है, जो लगभग 15 वर्ष पश्चात् पेश की गयी है। अपीलांट ने अपील मे मियाद के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र धारा—5 मियाद अधिनियम में विलम्ब के संबंध में जो कारण अंकित किये गये है, उचित प्रतीत नहीं होते है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलांट ने हस्तगत अपील मियाद बहार पेश की गयी है।

8— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील मियाद बाहर पेश किये जाने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 03.10.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 77/2013

बउनवान

राजस्थान सरकार जर्ये पंचायत प्रसार अधिकारी जिला परिषद, बारां
जिला–बारां **(निगराकार)**

बनाम

1– ओमप्रकाश पुत्र श्री जगदीश प्रसाद धाकड निवासी–किशनगंज तहसील–
किशनगंज पोस्ट किशनगंज जिला–बारां
2– ग्राम पंचायत किशनगंज जर्ये ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव,
पंचायत समिति किशनगंज जिला–बारां **(गैर निगराकारान्)**

निगरानी अन्तर्गत धारा– 92, 97 राजस्थान पंचायती–राज अधिनियम,1994

उपस्थिति :–1. श्री रूपचंद सिंघावत, अभिभाषक **(निगराकार)**
2. श्री सूर्यप्रकाश नागर, अभिभाषक **(गैर निगराकार क्रम–1)**

निर्णय दिनांक– 09.10.2019

1– निगराकार ने विरूद्व गैर निगराकारान् निगरानी अन्तर्गत धारा–92, 97 पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर अंकित किया है कि गैर निगराकार को ग्राम पंचायत, किशनगंज द्वारा आबादी भूमि में पैमाइशी **70 x 32= 2240 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–14 दिनांक 05.06.2003 को जारी किया गया है, जो ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाहीं रजिस्टर के प्रस्ताव में गैर निगराकार का नाम अंकित किया है, जबकि नियमानुसार कार्यवाहीं बैठक में पट्टा आवेदनकर्ता के बाबत उल्लेख होना व प्रस्ताव लिया जाना चाहिये था। ग्राम पंचायत द्वारा गैर निरनिगराकार से प्रार्थनापत्र प्राप्त नहीं किया गया है। पट्टा जारी करने के पूर्व आबादी भूमि विक्रय की सार्वजनिक उद्घोषणा जारी कर पट्टाधारी व्यक्ति को उचित दर पर पट्टा जारी किया जाना चाहिये था। परन्तु पंचायत द्वारा जारी पट्टे के बाबत कार्यवाहीं नियमानुसार नहीं की गयी है, इसलिये पट्टा सर्वथा निरस्तनीय है।

2– गैरनिगराकार क्रम–2 ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने से पूर्व गैर निगराकार पट्टाधारी से नियमन पेटे राशि जमा नहीं कराई है ना हीं मौका निरीक्षण के लिये ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित प्रारूप संख्या–21 में रजिस्टर का संधारण किया गया है। जबकि पट्टाधारी के नाम ग्राम किशनगंज में अन्य स्थान पर आवासीय मकान स्थित है। इस प्रकार पंचायत द्वारा नियमों की अनदेखी करके पट्टा जारी किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत किशनगंज द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व आबादी भूमि विक्रय हेतु प्रारूप संख्या–22 में आपत्तियॉ प्राप्त नहीं की गई है, ना हीं नीलाम समिति का गठन किया गया है, नीलाम समिति द्वारा आबादी भूमि का नीलाम किया गया है जो पंचायती [illegible] अधिनियम–1994 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

नियम–157 के विरूद्व है। ग्राम पंचायत द्वारा कथित रूप से गैर निगराकार क्रम–1 को जारी पट्टे में नियम–154 के तहत बाजार कीमत का ध्यान नहीं रखा गया हैं। पंचायत द्वारा उक्त भूमि का पट्टा 200/–रूपये प्रति पट्टा प्राप्त कर, तत्कालीन सरपंच द्वारा जारी किया गया है। पंचायती राज अधिनियम, 1994 के नियम 156(1) नियम 156(2) तक तहत जारी किये गये आवासीय भूमि के पट्टो की न्यूनतम कीमत राशि प्राप्त करके सरपंच द्वारा पट्टा जारी किया गया है।

3– इस पट्टे की जॉच स्थानीय ऑडिट अंकेक्षण निधि विभाग, कोटा के ऑडिट वर्ष 2003–04 के पेरा संख्या–7 में अंकित है जिसके अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टे की कुल राशि 94,800/– रूपये होती है। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा 200/–रूपये में पट्टा जारी किया गया है। जबकि 10 हजार से 50 हजार एवं 50 हजार से 1 लाख तक की राशि की स्वीकृति जिला परिषद, बारां से प्राप्त की जानी चाहिये थी। पंचायत द्वारा पट्टा नियमों के प्रतिकूल जारी किया गया है, जो निरस्तनीय है। साथ हीं अंकित किया है कि अधिनियम के नियम–167 के अन्तर्गत जारी पट्टो पर नियमानुसार सरपंच व सचिव के हस्ताक्षर होना चाहिये। जबकि गैर निग. क्रम–1 के हक में जारी पट्टे पर केवल तत्कालीन सरपंच के हस्ताक्षर है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सरपंच ग्राम पंचायत, किशनगंज द्वारा मनमाने तरीके से अपने चहेतो को अनुचित लाभ पहुॅचाने की नियत से गैरकानूनी तरीके से राजकोष को नुकसान पहुॅचाया गया है। अतः जारी पट्टे निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर, गैरनिगराकार क्रम–1 को जारी पट्टा संख्या–14 दिनांक 05.06.2003 निरस्त फरमाया जावे।

4– इस पर निगरानी दर्ज रजिस्टर की गयी। गैर निगराकारान् को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक निगराकार व गैर निगराकार क्रम–1 की बहस सुनी गयी।

5– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक निगराकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत किशनगंज द्वारा गैर निगराकार क्रम–1 को नियमों एवं कानूनी प्रावधानों एवं प्रक्रिया के विपरीत जाकर, गैर निग. को ग्राम किशनगंज में आबादी भूमि पैमाइशी **70 x 32= 2240 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–14 दिनांक 05.06.2003 जारी किया गया है। पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व ना तो आबादी भूमि विक्रय की सार्वजनिक उद्घोषणा जारी की गयी, ना हीं विकास अधिकारी या जिला परिषद, बारां से आज्ञा प्राप्त की गयी है। पंचायत द्वारा ना तो निर्धारित प्रारूप संख्या–21 में पट्टा रजिस्टर संधारित किया। ना हीं यह जॉच की कि पट्टाधारी ग्राम किशनगंज में निवास करता है या अन्य स्थान का। बिना जॉच पडताल किये हीं पट्टा जारी किया गया है। पंचायत द्वारा कथित पट्टा मात्र 200/–रूपये प्रति पट्टा राशि प्राप्त कर जारी किया गया है। पट्टा जारी करने से पूर्व ना तो कमेटी तैयार की गयी, ना हीं अनुशंषा ली गयी। बिना कोरम की अनुमति के हीं चुपचाप तरीके से अपने चहेतो व्यक्तियों को अनुमति लाभ प्रदान करने की नियत से 200/– [illegible] किया गया है। जबकि उक्त भूमि पैमाइशी **70 x 32= 2240 वर्गफी** [illegible] समय बाजार मुल्यांकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

कीमत **94,800/–** बनती है। इस प्रकार तत्कालीन सरपंच द्वारा गैर निग. क्रम–1 को उक्त पट्टा जारी कर राज पक्ष को काफी राजस्व हानि पहुँचायी गयी है। सरपंच द्वारा उक्त कार्यवाहीं अनुचित तरीके की गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे पर निमयानुसार सरपंच एवं ग्राम सचिव दोनो के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। किन्तु उक्त पट्टे में ग्राम सचिव के हस्ताक्षर नहीं है, ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा जारी उक्त पट्टा प्रारम्भतः हीं शून्य की श्रेणी मे आता है।

6– पंचायत समिति, किशनगंज की स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा आडिट की गयी थी। जिसमें आडिट वर्ष 2003–04 के पेरा–9 में आक्षेपित किया गया है कि पट्टाधारी से उक्त बकाया राशि वसूली की जावे। यदि राशि वसूली नहीं हो तो उक्त पट्टे निरस्त किये जावे। पंचायत समिति,किशनगंज के स्तर से बकाया राशि वसूली के काफी प्रयास किये गये, किन्तु असफल रहे है। अतः गैर निगराकार के विरूद्व उक्त पट्टा संख्या पैमाइशी **70 x 32= 2240 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–14 दिनांक 05.06.2003 विधि के प्रावधानों व नियमों के प्रतिकूल होने से पट्टा निरस्त किये जाने हेतु निगरानी प्रस्तुत की गयी है। अतः निगरानी स्वीकार कर, गैर निग. क्रम–1 को जारी पट्टा दिनांक 05.06.2013 निरस्त फरमाया जावे।

7– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक गैर निग. क्रम–1 ने निगराकार अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि तत्कालीन सरंपच ग्राम पंचायत, किशनगंज द्वारा वर्ष–2003 में आबादी भूमि पर नियमानुसार सार्वजनिक उद्धोषणा जारी कर, आवासहीन व्यक्तियो को नियमानुसार राशि जमा कराकर, विधिवत पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टे जारी करने में तत्कालीन सरपंच द्वारा कोई नियमों की अवहेलना नहीं की गयी है। पट्टा नियमित प्रकिया अनुसार हीं जारी किया गया है। निगराकार के यह कथन उचित नहीं है कि पट्टे पर सरपंच के हीं हस्ताक्षर है। सहवन से सचिव के हस्ताक्षर नहीं होने से यह नहीं माना जा सकता है कि उक्त पट्टा वैघ नहीं है। निग. का यह कथन भी उचित नहीं है कि पट्टाधारी के ग्राम किशनगंज में अन्य आवासीय मकान है या मूल रूप से किशनगंज का निवासी नहीं है। उक्त पट्टा वर्ष 2003 में तत्समय जारी किया गया था। अन्य आवासीय मकान बाद में भी बनाये जा सकते है। ऐसे आधारहींन तर्को एवं ऑडिट पेरा रिपोर्ट के आधार पर गैर निग. का पट्टा खारिज नहीं किया जा सकता। पट्टा यदि अवैध या अमान्य है तो उसके संबंध में पंचायत समिति के स्तर से समिति का गठन कर, पट्टे की विधिक जॉच कराया जाना चाहिये। ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर पट्टा निरस्त किया जाना कानूनी प्रावधानों एवं व्यवहारिक प्रकिया के विपरीत है। अतः निगरानी कानूनी प्रावधानों के विपरीत एवं आधारहींन होने से निरस्त फरमायी जावे।

8– हमने विद्वान अभिभाषक निगराकार एवं गैर निगराकार क्रम–1 की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया जिससे पाया जाता है कि ग्राम पंचायत, किशनगंज के तत्कालीन सरपंच द्वारा दिनांक 05.06.2003 को गैर निगराकार क्रम–1 को आबादी भूमि पर पैमाइशी **70 x 32= 2240 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–14 दिनांक 05.06.2003 को जारी किया गया है, जिसे आडिट अंकेक्षण वर्ष, 2003-04 के पेरा–9 में आक्षेपित किये जाने पर, निगराकार द्वारा गैर निगराकार के विरूद्व राज[illegible]राज अधिनियम, 1994

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

के प्रावधानो के तहत पट्टा निरस्तीकरण हेतु निगरानी प्रस्तुत की गयी है। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि तत्कालीन सरपंच द्वारा दिनांक 05.06.2003 को आबादी भूमि आरक्षित किये बिना, बिना सार्वजनिक उद्घोषणा जारी किये, मात्र आरक्षित न्यूनतम दर 200/–रूपये नियत करके, गैर निगराकार क्रम–1 को पैमाइशी **70 x 32= 2240 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–14 दिनांक 05.06.2003 जारी किया गया है। उक्त पट्टे का ना तो विधिवत रेकार्ड संधारित किया गया है, ना हीं उक्त पट्टे पर ग्राम सचिव, किशनगंज के हस्ताक्षर मौ जूद है। इससे स्पष्ट होता है कि सरपंच ग्राम पंचायत, किशनगंज द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये, अपने चहेते व्यक्तियों को अवैध रूप से पट्टा जारी किया गया है, जो कानूनी प्रावधानों एवं नियमों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

9– परिणामस्वरूप, निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर, गैर निगराकार क्रम–1 को तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत,किशनगंज द्वारा जारी आवासीय पट्टा पैमाइशी **70 x 32= 2240 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–14 दिनांक 05.06.2003 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 78/2013

बउनवान

राजस्थान सरकार जर्ये पंचायत प्रसार अधिकारी जिला परिषद, बारां
जिला–बारां **(निगराकार)**

बनाम

1– नारायणसिंह पुत्र हरिबल्लभ जाति–जाट निवासी–किशनगंज तहसील–
किशनगंज पोस्ट किशनगंज जिला–बारां
2– ग्राम पंचायत किशनगंज जर्ये ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव,
पंचायत समिति किशनगंज जिला–बारां **(गैर निगराकारान्)**

निगरानी अन्तर्गत धारा– 92, 97 राजस्थान पंचायती–राज अधिनियम,1994

उपस्थिति :–1. श्री रूपचंद सिंघावत, अभिभाषक **(निगराकार)**
2. श्री सूर्यप्रकाश नागर, अभिभाषक **(गैर निगराकार क्रम–1)**

निर्णय दिनांक– 09.10.2019

1– निगराकार ने विरूद्व गैर निगराकारान् निगरानी अन्तर्गत धारा–92, 97 पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर अंकित किया है कि गैर निगराकार को ग्राम पंचायत, किशनगंज द्वारा आबादी भूमि में पैमाइशी **2437 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–20 दिनांक 05.06.2003 को जारी किया गया है, जो ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाहीं रजिस्टर के प्रस्ताव में गैर निगराकार का नाम अंकित किया है, जबकि नियमानुसार कार्यवाहीं बैठक में पट्टा आवेदनकर्ता के बाबत उल्लेख होना व प्रस्ताव लिया जाना चाहिये था। ग्राम पंचायत द्वारा गैर निरनिगराकार से प्रार्थनापत्र प्राप्त नहीं किया गया है। पट्टा जारी करने के पूर्व आबादी भूमि विक्रय की सार्वजनिक उद्घोषणा जारी कर पट्टाधारी व्यक्ति को उचित दर पर पट्टा जारी किया जाना चाहिये था। परन्तु पंचायत द्वारा जारी पट्टे के बाबत कार्यवाहीं नियमानुसार नहीं की गयी है, इसलिये पट्टा सर्वथा निरस्तनीय है।

2– गैरनिगराकार क्रम–2 ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने से पूर्व गैर निगराकार पट्टाधारी से नियमन पेटे राशि जमा नहीं कराई है ना हीं मौका निरीक्षण के लिये ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित प्रारूप संख्या–21 में रजिस्टर का संधारण किया गया है। जबकि पट्टाधारी के नाम ग्राम किशनगंज में अन्य स्थान पर आवासीय मकान स्थित है। इस प्रकार पंचायत द्वारा नियमों की अनदेखी करके पट्टा जारी किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत किशनगंज द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व आबादी भूमि विक्रय हेतु प्रारूप संख्या–22 में आपत्तियॉ प्राप्त नहीं की गई है, ना हीं नीलाम समिति का गठन किया गया है, नीलाम समिति द्वारा आबादी भूमि का नीलाम किया गया है जो पंचायती [illegible] अधिनियम–1994 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

नियम–157 के विरूद्व है। ग्राम पंचायत द्वारा कथित रूप से गैर निगराकार क्रम–1 को जारी पट्टे में नियम–154 के तहत बाजार कीमत का ध्यान नहीं रखा गया हैं। पंचायत द्वारा उक्त भूमि का पट्टा 200/–रूपये प्रति पट्टा प्राप्त कर, तत्कालीन सरपंच द्वारा जारी किया गया है। पंचायती राज अधिनियम, 1994 के नियम 156(1) नियम 156(2) तक तहत जारी किये गये आवासीय भूमि के पट्टो की न्यूनतम कीमत राशि प्राप्त करके सरपंच द्वारा पट्टा जारी किया गया है।

3– इस पट्टे की जॉच स्थानीय ऑडिट अंकेक्षण निधि विभाग, कोटा के ऑडिट वर्ष 2003–04 के पेरा संख्या–7 में अंकित है जिसके अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टे की कुल राशि 94,080/– रूपये होती है। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा 200/–रूपये में पट्टा जारी किया गया है। जबकि 10 हजार से 50 हजार एवं 50 हजार से 1 लाख तक की राशि की स्वीकृति जिला परिषद, बारां से प्राप्त की जानी चाहिये थी। पंचायत द्वारा पट्टा नियमों के प्रतिकूल जारी किया गया है, जो निरस्तनीय है। साथ हीं अंकित किया है कि अधिनियम के नियम–167 के अन्तर्गत जारी पट्टो पर नियमानुसार सरपंच व सचिव के हस्ताक्षर होना चाहिये। जबकि गैर निग. क्रम–1 के हक में जारी पट्टे पर केवल तत्कालीन सरपंच के हस्ताक्षर है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सरपंच ग्राम पंचायत, किशनगंज द्वारा मनमाने तरीके से अपने चहेतो को अनुचित लाभ पहुॅचाने की नियत से गैरकानूनी तरीके से राजकोष को नुकसान पहुॅचाया गया है। अतः जारी पट्टे निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर, गैरनिगराकार क्रम–1 को जारी पट्टा संख्या–20 दिनांक 05.06.2003 निरस्त फरमाया जावे।

4– इस पर निगरानी दर्ज रजिस्टर की गयी। गैर निगराकारान् को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक निगराकार व गैर निगराकार क्रम–1 की बहस सुनी गयी।

5– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक निगराकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत किशनगंज द्वारा गैर निगराकार क्रम–1 को नियमों एवं कानूनी प्रावधानों एवं प्रक्रिया के विपरीत जाकर, गैर निग. को ग्राम किशनगंज में आबादी भूमि पैमाइशी **2437 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–20 दिनांक 05.06.2003 जारी किया गया है। पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व ना तो आबादी भूमि विक्रय की सार्वजनिक उद्घोषणा जारी की गयी, ना हीं विकास अधिकारी या जिला परिषद, बारां से आज्ञा प्राप्त की गयी है। पंचायत द्वारा ना तो निर्धारित प्रारूप संख्या–21 में पट्टा रजिस्टर संधारित किया। ना हीं यह जॉच की कि पट्टाधारी ग्राम किशनगंज में निवास करता है या अन्य स्थान का। बिना जॉच पडताल किये हीं पट्टा जारी किया गया है। पंचायत द्वारा कथित पट्टा मात्र 200/–रूपये प्रति पट्टा राशि प्राप्त कर जारी किया गया है। पट्टा जारी करने से पूर्व ना तो कमेटी तैयार की गयी, ना हीं अनुशंषा ली गयी। बिना कोरम की अनुमति के हीं चुपचाप तरीके से अपने चहेतो व्यक्तियों को अनुमति लाभ प्रदान करने की नियत से 200/– रूपये राशि में [illegible] है। जबकि उक्त भूमि पैमाइशी **2437 वर्गफीट** के तत्समय बाजार मु[illegible]त **94,080/–** बनती

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

है। इस प्रकार तत्कालीन सरपंच द्वारा गैर निग. क्रम–1 को उक्त पट्टा जारी कर राज पक्ष को काफी राजस्व हानि पहुॅचायी गयी है। सरपंच द्वारा उक्त कार्यवाहीं अनुचित तरीके की गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे पर निमयानुसार सरपंच एवं ग्राम सचिव दोनो के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। किन्तु उक्त पट्टे में ग्राम सचिव के हस्ताक्षर नहीं है, ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा जारी उक्त पट्टा प्रारम्भतः हीं शून्य की श्रेणी मे आता है।

6– पंचायत समिति, किशनगंज की स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, द्वारा आडिट की गयी थी। जिसमें आडिट वर्ष 2003–04 के पेरा–9 में आक्षेपित किया गया है कि पट्टाधारी से उक्त बकाया राशि वसूली की जावे। यदि राशि वसूली नहीं हो तो उक्त पट्टे निरस्त किये जावे। पंचायत समिति,किशनगंज के स्तर से बकाया राशि वसूली के काफी प्रयास किये गये, किन्तु असफल रहे है। अतः गैर निगराकार के विरूद्व उक्त पट्टा संख्या पैमाइशी **2437 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–20 दिनांक 05.06.2003 विधि के प्रावधानों व नियमों के प्रतिकूल होने से पट्टा निरस्त किये जाने हेतु निगरानी प्रस्तुत की गयी है। अतः निगरानी स्वीकार कर, गैर निग. क्रम–1 को जारी पट्टा दिनांक 05.06.2013 निरस्त फरमाया जावे।

7– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक गैर निग. क्रम–1 ने निगराकार अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि तत्कालीन सरंपच ग्राम पंचायत, किशनगंज द्वारा वर्ष–2003 में आबादी भूमि पर नियमानुसार सार्वजनिक उद्धोषणा जारी कर, आवासहीन व्यक्तियो को नियमानुसार राशि जमा कराकर, विधिवत पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टे जारी करने में तत्कालीन सरपंच द्वारा कोई नियमों की अवहेलना नहीं की गयी है। पट्टा नियमित प्रकिया अनुसार हीं जारी किया गया है। निगराकार के यह कथन उचित नहीं है कि पट्टे पर सरपंच के हीं हस्ताक्षर है। सहवन से सचिव के हस्ताक्षर नहीं होने से यह नहीं माना जा सकता है कि उक्त पट्टा वैध नहीं है। निग. का यह कथन भी उचित नहीं है कि पट्टाधारी के ग्राम किशनगंज में अन्य आवासीय मकान है या मूल रूप से किशनगंज का निवासी नहीं है। उक्त पट्टा वर्ष 2003 में तत्समय जारी किया गया था। अन्य आवासीय मकान बाद में भी बनाये जा सकते है। ऐसे आधारहींन तर्को एवं ऑडिट पेरा रिपोर्ट के आधार पर गैर निग. का पट्टा खारिज नहीं किया जा सकता। पट्टा यदि अवैध या अमान्य है तो उसके संबंध में पंचायत समिति के स्तर से समिति का गठन कर, पट्टे की विधिक जॉच कराया जाना चाहिये। ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर पट्टा निरस्त किया जाना कानूनी प्रावधानों एवं व्यवहारिक प्रकिया के विपरीत है। अतः निगरानी कानूनी प्रावधानों के विपरीत एवं आधारहींन होने से निरस्त फरमायी जावे।

8– हमने विद्वान अभिभाषक निगराकार एवं गैर निगराकार क्रम–1 की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया जिससे पाया जाता है कि ग्राम पंचायत, किशनगंज के तत्कालीन सरपंच द्वारा दिनांक 05.06.2003 को गैर निगराकार क्रम–1 को आबादी भूमि पर पैमाइशी **2437 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–20 दिनांक 05.06.2003 को जारी किया गया है, जिसे आडिट अंकेक्षण वर्ष, 2003–04 [illegible] किये जाने पर, निगराकार द्वारा गैर निगराकार के विरूद्व राज. पं[illegible] अधिनियम, 1994 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रावधानो के तहत पट्टा निरस्तीकरण हेतु निगरानी प्रस्तुत की गयी है। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि तत्कालीन सरपंच द्वारा दिनांक 05.06.2003 को आबादी भूमि आरक्षित किये बिना, बिना सार्वजनिक उद्घोषणा जारी किये, मात्र आरक्षित न्यूनतम दर 200/–रूपये नियत करके, गैर निगराकार क्रम–1 को पैमाइशी **2437 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–20 दिनांक 05.06.2003 जारी किया गया है। उक्त पट्टे का ना तो विधिवत रेकार्ड संधारित किया गया है, ना हीं उक्त पट्टे पर ग्राम सचिव, किशनगंज के हस्ताक्षर मौजूद है। इससे स्पष्ट होता है कि सरपंच ग्राम पंचायत, किशनगंज द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये, अपने चहेते व्यक्तियों को अवैध रूप से पट्टा जारी किया गया है, जो कानूनी प्रावधानों एवं नियमों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

9– परिणामस्वरूप, निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर, गैर निगराकार क्रम–1 को तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत,किशनगंज द्वारा जारी आवासीय पट्टा पैमाइशी **2437 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–20 दिनांक 05.06.2003 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 79/2013

बउनवान

राजस्थान सरकार जर्ये पंचायत प्रसार अधिकारी जिला परिषद, बारां
जिला–बारां **(निगराकार)**

बनाम

1– मल्लूभाई पुत्र श्री पीरमोहम्मद जाति–मुसलमान निवासी–किशनगंज तहसील–किशनगंज पोस्ट किशनगंज जिला–बारां
2– ग्राम पंचायत किशनगंज जर्ये ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, पंचायत समिति किशनगंज जिला–बारां **(गैर निगराकारान्)**

निगरानी अन्तर्गत धारा– 92, 97 राजस्थान पंचायती–राज अधिनियम,1994

उपस्थिति :–1. श्री रूपचंद सिंघावत, अभिभाषक **(निगराकार)**
2. श्री सूर्यप्रकाश नागर, अभिभाषक **(गैर निगराकार क्रम–1)**

निर्णय दिनांक– 09.10.2019

1– निगराकार ने विरूद्व गैर निगराकारान् निगरानी अन्तर्गत धारा–92, 97 पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर अंकित किया है कि गैर निगराकार को ग्राम पंचायत, किशनगंज द्वारा आबादी भूमि में पैमाइशी **25 x 15= 375 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–13 दिनांक 20.05.2003 को जारी किया गया है, जो ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाहीं रजिस्टर के प्रस्ताव में गैर निगराकार का नाम अंकित किया है, जबकि नियमानुसार कार्यवाहीं बैठक में पट्टा आवेदनकर्ता के बाबत उल्लेख होना व प्रस्ताव लिया जाना चाहिये था। ग्राम पंचायत द्वारा गैर निरनिगराकार से प्रार्थनापत्र प्राप्त नहीं किया गया है। पट्टा जारी करने के पूर्व आबादी भूमि विक्रय की सार्वजनिक उद्घोषणा जारी कर पट्टाधारी व्यक्ति को उचित दर पर पट्टा जारी किया जाना चाहिये था। परन्तु पंचायत द्वारा जारी पट्टे के बाबत कार्यवाहीं नियमानुसार नहीं की गयी है, इसलिये पट्टा सर्वथा निरस्तनीय है।

2– गैरनिगराकार क्रम–2 ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने से पूर्व गैर निगराकार पट्टाधारी से नियमन पेटे राशि जमा नहीं कराई है ना हीं मौका निरीक्षण के लिये ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित प्रारूप संख्या–21 में रजिस्टर का संधारण किया गया है। जबकि पट्टाधारी के नाम ग्राम किशनगंज में अन्य स्थान पर आवासीय मकान स्थित है। इस प्रकार पंचायत द्वारा नियमों की अनदेखी करके पट्टा जारी किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत किशनगंज द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व आबादी भूमि विक्रय हेतु प्रारूप संख्या–22 में आपत्तियॉ प्राप्त नहीं की गई है, ना हीं नीलाम समिति का गठन किया गया है, नीलाम समिति द्वारा आबादी भूमि का नीलाम किया गया है जो पंचायती [illegible] अधिनियम–1994 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

नियम–157 के विरूद्व है। ग्राम पंचायत द्वारा कथित रूप से गैर निगराकार क्रम–1 को जारी पट्टे में नियम–154 के तहत बाजार कीमत का ध्यान नहीं रखा गया हैं। पंचायत द्वारा उक्त भूमि का पट्टा 200/–रूपये प्रति पट्टा प्राप्त कर, तत्कालीन सरपंच द्वारा जारी किया गया है। पंचायती राज अधिनियम, 1994 के नियम 156(1) नियम 156(2) तक तहत जारी किये गये आवासीय भूमि के पट्टो की न्यूनतम कीमत राशि प्राप्त करके सरपंच द्वारा पट्टा जारी किया गया है।

3– इस पट्टे की जॉच स्थानीय ऑडिट अंकेक्षण निधि विभाग, कोटा के ऑडिट वर्ष 2003–04 के पेरा संख्या–7 में अंकित है जिसके अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टे की कुल राशि 94,080/– रूपये होती है। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा 200/–रूपये में पट्टा जारी किया गया है। जबकि 10 हजार से 50 हजार एवं 50 हजार से 1 लाख तक की राशि की स्वीकृति जिला परिषद, बारां से प्राप्त की जानी चाहिये थी। पंचायत द्वारा पट्टा नियमों के प्रतिकूल जारी किया गया है, जो निरस्तनीय है। साथ हीं अंकित किया है कि अधिनियम के नियम–167 के अन्तर्गत जारी पट्टो पर नियमानुसार सरपंच व सचिव के हस्ताक्षर होना चाहिये। जबकि गैर निग. क्रम–1 के हक में जारी पट्टे पर केवल तत्कालीन सरपंच के हस्ताक्षर है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सरपंच ग्राम पंचायत, किशनगंज द्वारा मनमाने तरीके से अपने चहेतो को अनुचित लाभ पहुॅचाने की नियत से गैरकानूनी तरीके से राजकोष को नुकसान पहुॅचाया गया है। अतः जारी पट्टे निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर, गैरनिगराकार क्रम–1 को जारी पट्टा संख्या–13 दिनांक 20.05.2003 निरस्त फरमाया जावे।

4– इस पर निगरानी दर्ज रजिस्टर की गयी। गैर निगराकारान् को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक निगराकार व गैर निगराकार क्रम–1 की बहस सुनी गयी।

5– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक निगराकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत किशनगंज द्वारा गैर निगराकार क्रम–1 को नियमों एवं कानूनी प्रावधानों एवं प्रक्रिया के विपरीत जाकर, गैर निग. को ग्राम किशनगंज में आबादी भूमि पैमाइशी **25 x 15= 375 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–13 दिनांक 20.05.2003 जारी किया गया है। पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व ना तो आबादी भूमि विक्रय की सार्वजनिक उद्घोषणा जारी की गयी, ना हीं विकास अधिकारी या जिला परिषद, बारां से आज्ञा प्राप्त की गयी है। पंचायत द्वारा ना तो निर्धारित प्रारूप संख्या–21 में पट्टा रजिस्टर संधारित किया। ना हीं यह जॉच की कि पट्टाधारी ग्राम किशनगंज में निवास करता है या अन्य स्थान का। बिना जॉच पडताल किये हीं पट्टा जारी किया गया है। पंचायत द्वारा कथित पट्टा मात्र 200/–रूपये प्रति पट्टा राशि प्राप्त कर जारी किया गया है। पट्टा जारी करने से पूर्व ना तो कमेटी तैयार की गयी, ना हीं अनुशंषा ली गयी। बिना कोरम की अनुमति के हीं चुपचाप तरीके से अपने चहेतो व्यक्तियों को अनुमति लाभ प्रदान करने की नियत से 200/– [illegible] किया गया है। जबकि उक्त भूमि पैमाइशी **25 x 15= 375 वर्गफी[illegible]** समय बाजार मुल्यांकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

कीमत 94,080/– बनती है। इस प्रकार तत्कालीन सरपंच द्वारा गैर निग. क्रम–1 को उक्त पट्टा जारी कर राज पक्ष को काफी राजस्व हानि पहुँचायी गयी है। सरपंच द्वारा उक्त कार्यवाहीं अनुचित तरीके की गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे पर निमयानुसार सरपंच एवं ग्राम सचिव दोनो के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। किन्तु उक्त पट्टे में ग्राम सचिव के हस्ताक्षर नहीं है, ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा जारी उक्त पट्टा प्रारम्भतः हीं शून्य की श्रेणी मे आता है।

6– पंचायत समिति, किशनगंज की स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा आडिट की गयी थी। जिसमें आडिट वर्ष 2003–04 के पेरा–9 में आक्षेपित किया गया है कि पट्टाधारी से उक्त बकाया राशि वसूली की जावे। यदि राशि वसूली नहीं हो तो उक्त पट्टे निरस्त किये जावे। पंचायत समिति,किशनगंज के स्तर से बकाया राशि वसूली के काफी प्रयास किये गये, किन्तु असफल रहे है। अतः गैर निगराकार के विरूद्व उक्त पट्टा संख्या पैमाइशी **25 x 15= 375 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–13 दिनांक 20.05.2003 विधि के प्रावधानों व नियमों के प्रतिकूल होने से पट्टा निरस्त किये जाने हेतु निगरानी प्रस्तुत की गयी है। अतः निगरानी स्वीकार कर, गैर निग. क्रम–1 को जारी पट्टा दिनांक 20.05.2013 निरस्त फरमाया जावे।

7– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक गैर निग. क्रम–1 ने निगराकार अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि तत्कालीन सरंपच ग्राम पंचायत, किशनगंज द्वारा वर्ष–2003 में आबादी भूमि पर नियमानुसार सार्वजनिक उद्धोषणा जारी कर, आवासहीन व्यक्तियो को नियमानुसार राशि जमा कराकर, विधिवत पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टे जारी करने में तत्कालीन सरपंच द्वारा कोई नियमों की अवहेलना नहीं की गयी है। पट्टा नियमित प्रकिया अनुसार हीं जारी किया गया है। निगराकार के यह कथन उचित नहीं है कि पट्टे पर सरपंच के हीं हस्ताक्षर है। सहवन से सचिव के हस्ताक्षर नहीं होने से यह नहीं माना जा सकता है कि उक्त पट्टा वैघ नहीं है। निग. का यह कथन भी उचित नहीं है कि पट्टाधारी के ग्राम किशनगंज में अन्य आवासीय मकान है या मूल रूप से किशनगंज का निवासी नहीं है। उक्त पट्टा वर्ष 2003 में तत्समय जारी किया गया था। अन्य आवासीय मकान बाद में भी बनाये जा सकते है। ऐसे आधारहींन तर्को एवं ऑडिट पेरा रिपोर्ट के आधार पर गैर निग. का पट्टा खारिज नहीं किया जा सकता। पट्टा यदि अवैध या अमान्य है तो उसके संबंध में पंचायत समिति के स्तर से समिति का गठन कर, पट्टे की विधिक जॉच कराया जाना चाहिये। ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर पट्टा निरस्त किया जाना कानूनी प्रावधानों एवं व्यवहारिक प्रकिया के विपरीत है। अतः निगरानी कानूनी प्रावधानों के विपरीत एवं आधारहींन होने से निरस्त फरमायी जावे।

8– हमने विद्वान अभिभाषक निगराकार एवं गैर निगराकार क्रम–1 की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया जिससे पाया जाता है कि ग्राम पंचायत, किशनगंज के तत्कालीन सरपंच द्वारा दिनांक 05.06.2003 को गैर निगराकार क्रम–1 को आबादी भूमि पर पैमाइशी **25 x 15= 375 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–13 दिनांक 20.05.2003 को जारी किया गया है, जिसे आडिट अंकेक्षण वर्ष, 2003-04 के पेरा–9 में आक्षेपित किये जाने पर, निगराकार द्वारा गैर निगराकार के विरूद्व राज[illegible] राज अधिनियम, 1994

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

के प्रावधानो के तहत पट्टा निरस्तीकरण हेतु निगरानी प्रस्तुत की गयी है। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि तत्कालीन सरपंच द्वारा दिनांक 05.06.2003 को आबादी भूमि आरक्षित किये बिना, बिना सार्वजनिक उद्घोषणा जारी किये, मात्र आरक्षित न्यूनतम दर 200/–रूपये नियत करके, गैर निगराकार क्रम–1 को पैमाइशी **25 x 15= 375 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–13 दिनांक 20.05.2003 जारी किया गया है। उक्त पट्टे का ना तो विधिवत रेकार्ड संधारित किया गया है, ना हीं उक्त पट्टे पर ग्राम सचिव, किशनगंज के हस्ताक्षर मौजूद है। इससे स्पष्ट होता है कि सरपंच ग्राम पंचायत, किशनगंज द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये, अपने चहेते व्यक्तियों को अवैध रूप से पट्टा जारी किया गया है, जो कानूनी प्रावधानों एवं नियमों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

9– परिणामस्वरूप, निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर, गैर निगराकार क्रम–1 को तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत,किशनगंज द्वारा जारी आवासीय पट्टा पैमाइशी **25 x 15= 375 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–13 दिनांक 20.05.2003 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 80/2013

बउनवान

राजस्थान सरकार जर्ये पंचायत प्रसार अधिकारी जिला परिषद, बारां
जिला–बारां **(निगराकार)**

बनाम

1– मदनलाल पुत्र गोपाल जाति–माली निवासी–किशनगंज तहसील–
किशनगंज पोस्ट किशनगंज जिला–बारां
2– ग्राम पंचायत किशनगंज जर्ये ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव,
पंचायत समिति किशनगंज जिला–बारां **(गैर निगराकारान्)**

निगरानी अन्तर्गत धारा– 92, 97 राजस्थान पंचायती–राज अधिनियम,1994

उपस्थिति :–1. श्री रूपचंद सिंघावत, अभिभाषक **(निगराकार)**
2. श्री सूर्यप्रकाश नागर, अभिभाषक **(गैर निगराकार क्रम–1)**

निर्णय दिनांक– 09.10.2019

1– निगराकार ने विरूद्व गैर निगराकारान् निगरानी अन्तर्गत धारा–92, 97 पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर अंकित किया है कि गैर निगराकार को ग्राम पंचायत, किशनगंज द्वारा आबादी भूमि में पैमाइशी **61 x 47= 2867 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–02 दिनांक 20.05.2003 को जारी किया गया है, जो ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाहीं रजिस्टर के प्रस्ताव में गैर निगराकार का नाम अंकित किया है, जबकि नियमानुसार कार्यवाहीं बैठक में पट्टा आवेदनकर्ता के बाबत उल्लेख होना व प्रस्ताव लिया जाना चाहिये था। ग्राम पंचायत द्वारा गैर निरनिगराकार से प्रार्थनापत्र प्राप्त नहीं किया गया है। पट्टा जारी करने के पूर्व आबादी भूमि विक्रय की सार्वजनिक उद्घोषणा जारी कर पट्टाधारी व्यक्ति को उचित दर पर पट्टा जारी किया जाना चाहिये था। परन्तु पंचायत द्वारा जारी पट्टे के बाबत कार्यवाहीं नियमानुसार नहीं की गयी है, इसलिये पट्टा सर्वथा निरस्तनीय है।

2– गैरनिगराकार क्रम–2 ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने से पूर्व गैर निगराकार पट्टाधारी से नियमन पेटे राशि जमा नहीं कराई है ना हीं मौका निरीक्षण के लिये ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित प्रारूप संख्या–21 में रजिस्टर का संधारण किया गया है। जबकि पट्टाधारी के नाम ग्राम किशनगंज में अन्य स्थान पर आवासीय मकान स्थित है। इस प्रकार पंचायत द्वारा नियमों की अनदेखी करके पट्टा जारी किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत किशनगंज द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व आबादी भूमि विक्रय हेतु प्रारूप संख्या–22 में आपत्तियॉ प्राप्त नहीं की गई है, ना हीं नीलाम समिति का गठन किया गया है, नीलाम समिति द्वारा आबादी भूमि का नीलाम किया गया है जो पंचायती [illegible] अधिनियम–1994 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

नियम–157 के विरूद्व है। ग्राम पंचायत द्वारा कथित रूप से गैर निगराकार क्रम–1 को जारी पट्टे में नियम–154 के तहत बाजार कीमत का ध्यान नहीं रखा गया हैं। पंचायत द्वारा उक्त भूमि का पट्टा 200/–रूपये प्रति पट्टा प्राप्त कर, तत्कालीन सरपंच द्वारा जारी किया गया है। पंचायती राज अधिनियम, 1994 के नियम 156(1) नियम 156(2) तक तहत जारी किये गये आवासीय भूमि के पट्टो की न्यूनतम कीमत राशि प्राप्त करके सरपंच द्वारा पट्टा जारी किया गया है।

3– इस पट्टे की जॉच स्थानीय ऑडिट अंकेक्षण निधि विभाग, कोटा के ऑडिट वर्ष 2003–04 के पेरा संख्या–7 में अंकित है जिसके अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टे की कुल राशि 94,080/– रूपये होती है। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा 200/–रूपये में पट्टा जारी किया गया है। जबकि 10 हजार से 50 हजार एवं 50 हजार से 1 लाख तक की राशि की स्वीकृति जिला परिषद, बारां से प्राप्त की जानी चाहिये थी। पंचायत द्वारा पट्टा नियमों के प्रतिकूल जारी किया गया है, जो निरस्तनीय है। साथ हीं अंकित किया है कि अधिनियम के नियम–167 के अन्तर्गत जारी पट्टो पर नियमानुसार सरपंच व सचिव के हस्ताक्षर होना चाहिये। जबकि गैर निग. क्रम–1 के हक में जारी पट्टे पर केवल तत्कालीन सरपंच के हस्ताक्षर है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सरपंच ग्राम पंचायत, किशनगंज द्वारा मनमाने तरीके से अपने चहेतो को अनुचित लाभ पहुॅचाने की नियत से गैरकानूनी तरीके से राजकोष को नुकसान पहुॅचाया गया है। अतः जारी पट्टे निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर, गैरनिगराकार क्रम–1 को जारी पट्टा संख्या–02 दिनांक 20.05.2003 निरस्त फरमाया जावे।

4– इस पर निगरानी दर्ज रजिस्टर की गयी। गैर निगराकारान् को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक निगराकार व गैर निगराकार क्रम–1 की बहस सुनी गयी।

5– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक निगराकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत किशनगंज द्वारा गैर निगराकार क्रम–1 को नियमों एवं कानूनी प्रावधानों एवं प्रक्रिया के विपरीत जाकर, गैर निग. को ग्राम किशनगंज में आबादी भूमि पैमाइशी **61 x 47= 2867 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–02 दिनांक 20.05.2003 जारी किया गया है। पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व ना तो आबादी भूमि विक्रय की सार्वजनिक उद्घोषणा जारी की गयी, ना हीं विकास अधिकारी या जिला परिषद, बारां से आज्ञा प्राप्त की गयी है। पंचायत द्वारा ना तो निर्धारित प्रारूप संख्या–21 में पट्टा रजिस्टर संधारित किया। ना हीं यह जॉच की कि पट्टाधारी ग्राम किशनगंज में निवास करता है या अन्य स्थान का। बिना जॉच पडताल किये हीं पट्टा जारी किया गया है। पंचायत द्वारा कथित पट्टा मात्र 200/–रूपये प्रति पट्टा राशि प्राप्त कर जारी किया गया है। पट्टा जारी करने से पूर्व ना तो कमेटी तैयार की गयी, ना हीं अनुशंषा ली गयी। बिना कोरम की अनुमति के हीं चुपचाप तरीके से अपने चहेतो व्यक्तियों को अनुमति लाभ प्रदान करने की नियत से 200/– [illegible] किया गया है। जबकि उक्त भूमि पैमाइशी **61 x 47= 2867 वर्गफी** [illegible] समय बाजार मुल्यांकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

कीमत 94,080/– बनती है। इस प्रकार तत्कालीन सरपंच द्वारा गैर निग. क्रम–1 को उक्त पट्टा जारी कर राज पक्ष को काफी राजस्व हानि पहुँचायी गयी है। सरपंच द्वारा उक्त कार्यवाहीं अनुचित तरीके की गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे पर निमयानुसार सरपंच एवं ग्राम सचिव दोनो के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। किन्तु उक्त पट्टे में ग्राम सचिव के हस्ताक्षर नहीं है, ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा जारी उक्त पट्टा प्रारम्भतः हीं शून्य की श्रेणी मे आता है।

6– पंचायत समिति, किशनगंज की स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा आडिट की गयी थी। जिसमें आडिट वर्ष 2003–04 के पेरा–9 में आक्षेपित किया गया है कि पट्टाधारी से उक्त बकाया राशि वसूली की जावे। यदि राशि वसूली नहीं हो तो उक्त पट्टे निरस्त किये जावे। पंचायत समिति,किशनगंज के स्तर से बकाया राशि वसूली के काफी प्रयास किये गये, किन्तु असफल रहे है। अतः गैर निगराकार के विरूद्व उक्त पट्टा संख्या पैमाइशी **61 x 47= 2867 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–02 दिनांक 20.05.2003 विधि के प्रावधानों व नियमों के प्रतिकूल होने से पट्टा निरस्त किये जाने हेतु निगरानी प्रस्तुत की गयी है। अतः निगरानी स्वीकार कर, गैर निग. क्रम–1 को जारी पट्टा दिनांक 20.05.2013 निरस्त फरमाया जावे।

7– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक गैर निग. क्रम–1 ने निगराकार अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि तत्कालीन सरंपच ग्राम पंचायत, किशनगंज द्वारा वर्ष–2003 में आबादी भूमि पर नियमानुसार सार्वजनिक उद्धोषणा जारी कर, आवासहीन व्यक्तियो को नियमानुसार राशि जमा कराकर, विधिवत पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टे जारी करने में तत्कालीन सरपंच द्वारा कोई नियमों की अवहेलना नहीं की गयी है। पट्टा नियमित प्रकिया अनुसार हीं जारी किया गया है। निगराकार के यह कथन उचित नहीं है कि पट्टे पर सरपंच के हीं हस्ताक्षर है। सहवन से सचिव के हस्ताक्षर नहीं होने से यह नहीं माना जा सकता है कि उक्त पट्टा वैघ नहीं है। निग. का यह कथन भी उचित नहीं है कि पट्टाधारी के ग्राम किशनगंज में अन्य आवासीय मकान है या मूल रूप से किशनगंज का निवासी नहीं है। उक्त पट्टा वर्ष 2003 में तत्समय जारी किया गया था। अन्य आवासीय मकान बाद में भी बनाये जा सकते है। ऐसे आधारहींन तर्को एवं ऑडिट पेरा रिपोर्ट के आधार पर गैर निग. का पट्टा खारिज नहीं किया जा सकता। पट्टा यदि अवैध या अमान्य है तो उसके संबंध में पंचायत समिति के स्तर से समिति का गठन कर, पट्टे की विधिक जॉच कराया जाना चाहिये। ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर पट्टा निरस्त किया जाना कानूनी प्रावधानों एवं व्यवहारिक प्रकिया के विपरीत है। अतः निगरानी कानूनी प्रावधानों के विपरीत एवं आधारहींन होने से निरस्त फरमायी जावे।

8– हमने विद्वान अभिभाषक निगराकार एवं गैर निगराकार क्रम–1 की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया जिससे पाया जाता है कि ग्राम पंचायत, किशनगंज के तत्कालीन सरपंच द्वारा दिनांक 05.06.2003 को गैर निगराकार क्रम–1 को आबादी भूमि पर पैमाइशी **61 x 47= 2867 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–02 दिनांक 20.05.2003 को जारी किया गया है, जिसे आडिट अंकेक्षण वर्ष, 2003-04 के पेरा–9 में आक्षेपित किये जाने पर, निगराकार द्वारा गैर निगराकार के विरूद्व राज[illegible] राज अधिनियम, 1994

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

के प्रावधानो के तहत पट्टा निरस्तीकरण हेतु निगरानी प्रस्तुत की गयी है। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि तत्कालीन सरपंच द्वारा दिनांक 05.06.2003 को आबादी भूमि आरक्षित किये बिना, बिना सार्वजनिक उद्घोषणा जारी किये, मात्र आरक्षित न्यूनतम दर 200/–रूपये नियत करके, गैर निगराकार क्रम–1 को पैमाइशी **61 x 47= 2867 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–02 दिनांक 20.05.2003 जारी किया गया है। उक्त पट्टे का ना तो विधिवत रेकार्ड संधारित किया गया है, ना हीं उक्त पट्टे पर ग्राम सचिव, किशनगंज के हस्ताक्षर मौजूद है। इससे स्पष्ट होता है कि सरपंच ग्राम पंचायत, किशनगंज द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये, अपने चहेते व्यक्तियों को अवैध रूप से पट्टा जारी किया गया है, जो कानूनी प्रावधानों एवं नियमों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

9– परिणामस्वरूप, निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर, गैर निगराकार क्रम–1 को तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत,किशनगंज द्वारा जारी आवासीय पट्टा पैमाइशी **61 x 47= 2867 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–02 दिनांक 20.05.2003 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 82/2013

बउनवान

राजस्थान सरकार जर्ये पंचायत प्रसार अधिकारी जिला परिषद, बारां
जिला–बारां **(निगराकार)**

बनाम

1– दीपचन्द पुत्र श्री मोतीलाल माली निवासी–किशनगंज तहसील–
किशनगंज पोस्ट किशनगंज जिला–बारां
2– ग्राम पंचायत किशनगंज जर्ये ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव,
पंचायत समिति किशनगंज जिला–बारां **(गैर निगराकारान्)**

निगरानी अन्तर्गत धारा– 92, 97 राजस्थान पंचायती–राज अधिनियम,1994

उपस्थिति :–1. श्री रूपचंद सिंघावत, अभिभाषक **(निगराकार)**
2. श्री सूर्यप्रकाश नागर, अभिभाषक **(गैर निगराकार क्रम–1)**

निर्णय दिनांक– 09.10.2019

1– निगराकार ने विरूद्व गैर निगराकारान् निगरानी अन्तर्गत धारा–92, 97 पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर अंकित किया है कि गैर निगराकार को ग्राम पंचायत, किशनगंज द्वारा आबादी भूमि में पैमाइशी **20 x 40= 800 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–22 दिनांक 05.06.2003 को जारी किया गया है, जो ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाहीं रजिस्टर के प्रस्ताव में गैर निगराकार का नाम अंकित किया है, जबकि नियमानुसार कार्यवाहीं बैठक में पट्टा आवेदनकर्ता के बाबत उल्लेख होना व प्रस्ताव लिया जाना चाहिये था। ग्राम पंचायत द्वारा गैर निरनिगराकार से प्रार्थनापत्र प्राप्त नहीं किया गया है। पट्टा जारी करने के पूर्व आबादी भूमि विक्रय की सार्वजनिक उद्घोषणा जारी कर पट्टाधारी व्यक्ति को उचित दर पर पट्टा जारी किया जाना चाहिये था। परन्तु पंचायत द्वारा जारी पट्टे के बाबत कार्यवाहीं नियमानुसार नहीं की गयी है, इसलिये पट्टा सर्वथा निरस्तनीय है।

2– गैरनिगराकार क्रम–2 ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने से पूर्व गैर निगराकार पट्टाधारी से नियमन पेटे राशि जमा नहीं कराई है ना हीं मौका निरीक्षण के लिये ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित प्रारूप संख्या–21 में रजिस्टर का संधारण किया गया है। जबकि पट्टाधारी के नाम ग्राम किशनगंज में अन्य स्थान पर आवासीय मकान स्थित है। इस प्रकार पंचायत द्वारा नियमों की अनदेखी करके पट्टा जारी किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत किशनगंज द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व आबादी भूमि विक्रय हेतु प्रारूप संख्या–22 में आपत्तियॉ प्राप्त नहीं की गई है, ना हीं नीलाम समिति का गठन किया गया है, नीलाम समिति द्वारा आबादी भूमि का नीलाम किया गया है जो पंचायती [illegible] अधिनियम–1994 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

नियम–157 के विरूद्व है। ग्राम पंचायत द्वारा कथित रूप से गैर निगराकार क्रम–1 को जारी पट्टे में नियम–154 के तहत बाजार कीमत का ध्यान नहीं रखा गया हैं। पंचायत द्वारा उक्त भूमि का पट्टा 200/–रूपये प्रति पट्टा प्राप्त कर, तत्कालीन सरपंच द्वारा जारी किया गया है। पंचायती राज अधिनियम, 1994 के नियम 156(1) नियम 156(2) तक तहत जारी किये गये आवासीय भूमि के पट्टो की न्यूनतम कीमत राशि प्राप्त करके सरपंच द्वारा पट्टा जारी किया गया है।

3– इस पट्टे की जॉच स्थानीय ऑडिट अंकेक्षण निधि विभाग, कोटा के ऑडिट वर्ष 2003–04 के पेरा संख्या–7 में अंकित है जिसके अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टे की कुल राशि 33,600/– रूपये होती है। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा 200/–रूपये में पट्टा जारी किया गया है। जबकि 10 हजार से 50 हजार एवं 50 हजार से 1 लाख तक की राशि की स्वीकृति जिला परिषद, बारां से प्राप्त की जानी चाहिये थी। पंचायत द्वारा पट्टा नियमों के प्रतिकूल जारी किया गया है, जो निरस्तनीय है। साथ हीं अंकित किया है कि अधिनियम के नियम–167 के अन्तर्गत जारी पट्टो पर नियमानुसार सरपंच व सचिव के हस्ताक्षर होना चाहिये। जबकि गैर निग. क्रम–1 के हक में जारी पट्टे पर केवल तत्कालीन सरपंच के हस्ताक्षर है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सरपंच ग्राम पंचायत, किशनगंज द्वारा मनमाने तरीके से अपने चहेतो को अनुचित लाभ पहुॅचाने की नियत से गैरकानूनी तरीके से राजकोष को नुकसान पहुॅचाया गया है। अतः जारी पट्टे निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर, गैरनिगराकार क्रम–1 को जारी पट्टा संख्या–22 दिनांक 05.06.2003 निरस्त फरमाया जावे।

4– इस पर निगरानी दर्ज रजिस्टर की गयी। गैर निगराकारान् को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक निगराकार व गैर निगराकार क्रम–1 की बहस सुनी गयी।

5– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक निगराकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत किशनगंज द्वारा गैर निगराकार क्रम–1 को नियमों एवं कानूनी प्रावधानों एवं प्रक्रिया के विपरीत जाकर, गैर निग. को ग्राम किशनगंज में आबादी भूमि पैमाइशी **20 x 40= 800 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–22 दिनांक 05.06.2003 जारी किया गया है। पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व ना तो आबादी भूमि विक्रय की सार्वजनिक उद्घोषणा जारी की गयी, ना हीं विकास अधिकारी या जिला परिषद, बारां से आज्ञा प्राप्त की गयी है। पंचायत द्वारा ना तो निर्धारित प्रारूप संख्या–21 में पट्टा रजिस्टर संधारित किया। ना हीं यह जॉच की कि पट्टाधारी ग्राम किशनगंज में निवास करता है या अन्य स्थान का। बिना जॉच पडताल किये हीं पट्टा जारी किया गया है। पंचायत द्वारा कथित पट्टा मात्र 200/–रूपये प्रति पट्टा राशि प्राप्त कर जारी किया गया है। पट्टा जारी करने से पूर्व ना तो कमेटी तैयार की गयी, ना हीं अनुशंषा ली गयी। बिना कोरम की अनुमति के हीं चुपचाप तरीके से अपने चहेतो व्यक्तियों को अनुमति लाभ प्रदान करने की नियत से 200/– [illegible] किया गया है। जबकि उक्त भूमि पैमाइशी **20 x 40= 800 वर्गफी[illegible]** समय बाजार मुल्यांकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

कीमत **33,600/–** बनती है। इस प्रकार तत्कालीन सरपंच द्वारा गैर निग. क्रम–1 को उक्त पट्टा जारी कर राज पक्ष को काफी राजस्व हानि पहुँचायी गयी है। सरपंच द्वारा उक्त कार्यवाहीं अनुचित तरीके की गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे पर निमयानुसार सरपंच एवं ग्राम सचिव दोनो के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। किन्तु उक्त पट्टे में ग्राम सचिव के हस्ताक्षर नहीं है, ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा जारी उक्त पट्टा प्रारम्भतः हीं शून्य की श्रेणी मे आता है।

6– पंचायत समिति, किशनगंज की स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा आडिट की गयी थी। जिसमें आडिट वर्ष 2003–04 के पेरा–9 में आक्षेपित किया गया है कि पट्टाधारी से उक्त बकाया राशि वसूली की जावे। यदि राशि वसूली नहीं हो तो उक्त पट्टे निरस्त किये जावे। पंचायत समिति,किशनगंज के स्तर से बकाया राशि वसूली के काफी प्रयास किये गये, किन्तु असफल रहे है। अतः गैर निगराकार के विरूद्व उक्त पट्टा संख्या पैमाइशी **20 x 40= 800 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–22 दिनांक 05.06.2003 विधि के प्रावधानों व नियमों के प्रतिकूल होने से पट्टा निरस्त किये जाने हेतु निगरानी प्रस्तुत की गयी है। अतः निगरानी स्वीकार कर, गैर निग. क्रम–1 को जारी पट्टा दिनांक 05.06.2013 निरस्त फरमाया जावे।

7– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक गैर निग. क्रम–1 ने निगराकार अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि तत्कालीन सरंपच ग्राम पंचायत, किशनगंज द्वारा वर्ष–2003 में आबादी भूमि पर नियमानुसार सार्वजनिक उद्धोषणा जारी कर, आवासहीन व्यक्तियो को नियमानुसार राशि जमा कराकर, विधिवत पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टे जारी करने में तत्कालीन सरपंच द्वारा कोई नियमों की अवहेलना नहीं की गयी है। पट्टा नियमित प्रकिया अनुसार हीं जारी किया गया है। निगराकार के यह कथन उचित नहीं है कि पट्टे पर सरपंच के हीं हस्ताक्षर है। सहवन से सचिव के हस्ताक्षर नहीं होने से यह नहीं माना जा सकता है कि उक्त पट्टा वैघ नहीं है। निग. का यह कथन भी उचित नहीं है कि पट्टाधारी के ग्राम किशनगंज में अन्य आवासीय मकान है या मूल रूप से किशनगंज का निवासी नहीं है। उक्त पट्टा वर्ष 2003 में तत्समय जारी किया गया था। अन्य आवासीय मकान बाद में भी बनाये जा सकते है। ऐसे आधारहींन तर्को एवं ऑडिट पेरा रिपोर्ट के आधार पर गैर निग. का पट्टा खारिज नहीं किया जा सकता। पट्टा यदि अवैध या अमान्य है तो उसके संबंध में पंचायत समिति के स्तर से समिति का गठन कर, पट्टे की विधिक जॉच कराया जाना चाहिये। ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर पट्टा निरस्त किया जाना कानूनी प्रावधानों एवं व्यवहारिक प्रकिया के विपरीत है। अतः निगरानी कानूनी प्रावधानों के विपरीत एवं आधारहींन होने से निरस्त फरमायी जावे।

8– हमने विद्वान अभिभाषक निगराकार एवं गैर निगराकार क्रम–1 की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया जिससे पाया जाता है कि ग्राम पंचायत, किशनगंज के तत्कालीन सरपंच द्वारा दिनांक 05.06.2003 को गैर निगराकार क्रम–1 को आबादी भूमि पर पैमाइशी **20 x 40= 800 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–22 दिनांक 05.06.2003 को जारी किया गया है, जिसे आडिट अंकेक्षण वर्ष, 2003-04 के पेरा–9 में आक्षेपित किये जाने पर, निगराकार द्वारा गैर निगराकार के विरूद्व राज[illegible]राज अधिनियम, 1994

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

के प्रावधानो के तहत पट्टा निरस्तीकरण हेतु निगरानी प्रस्तुत की गयी है। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि तत्कालीन सरपंच द्वारा दिनांक 05.06.2003 को आबादी भूमि आरक्षित किये बिना, बिना सार्वजनिक उद्घोषणा जारी किये, मात्र आरक्षित न्यूनतम दर 200/–रूपये नियत करके, गैर निगराकार क्रम–1 को पैमाइशी **20 x 40= 800 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–22 दिनांक 05.06.2003 जारी किया गया है। उक्त पट्टे का ना तो विधिवत रेकार्ड संधारित किया गया है, ना हीं उक्त पट्टे पर ग्राम सचिव, किशनगंज के हस्ताक्षर मौ जूद है। इससे स्पष्ट होता है कि सरपंच ग्राम पंचायत, किशनगंज द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये, अपने चहेते व्यक्तियों को अवैध रूप से पट्टा जारी किया गया है, जो कानूनी प्रावधानों एवं नियमों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

9– परिणामस्वरूप, निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर, गैर निगराकार क्रम–1 को तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत,किशनगंज द्वारा जारी आवासीय पट्टा पैमाइशी **20 x 40= 800 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–22 दिनांक 05.06.2003 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 84/2013

बउनवान

राजस्थान सरकार जर्ये पंचायत प्रसार अधिकारी जिला परिषद, बारां
जिला–बारां **(निगराकार)**

बनाम

1– कैलाशबाई पत्नी चेतन जाति–राठौर निवासी–किशनगंज तहसील–
किशनगंज पोस्ट किशनगंज जिला–बारां
2– ग्राम पंचायत किशनगंज जर्ये ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव,
पंचायत समिति किशनगंज जिला–बारां **(गैर निगराकारान्)**

निगरानी अन्तर्गत धारा– 92, 97 राजस्थान पंचायती–राज अधिनियम,1994

उपस्थिति :–1. श्री रूपचंद सिंघावत, अभिभाषक **(निगराकार)**
2. श्री सूर्यप्रकाश नागर, अभिभाषक **(गैर निगराकार क्रम–1)**

निर्णय दिनांक– 09.10.2019

1– निगराकार ने विरूद्व गैर निगराकारान् निगरानी अन्तर्गत धारा–92, 97 पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर अंकित किया है कि गैर निगराकार को ग्राम पंचायत, किशनगंज द्वारा आबादी भूमि में पैमाइशी **21 x 15= 315 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–09 दिनांक 05.06.2003 को जारी किया गया है, जो ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाहीं रजिस्टर के प्रस्ताव में गैर निगराकार का नाम अंकित किया है, जबकि नियमानुसार कार्यवाहीं बैठक में पट्टा आवेदनकर्ता के बाबत उल्लेख होना व प्रस्ताव लिया जाना चाहिये था। ग्राम पंचायत द्वारा गैर निरनिगराकार से प्रार्थनापत्र प्राप्त नहीं किया गया है। पट्टा जारी करने के पूर्व आबादी भूमि विक्रय की सार्वजनिक उद्घोषणा जारी कर पट्टाधारी व्यक्ति को उचित दर पर पट्टा जारी किया जाना चाहिये था। परन्तु पंचायत द्वारा जारी पट्टे के बाबत कार्यवाहीं नियमानुसार नहीं की गयी है, इसलिये पट्टा सर्वथा निरस्तनीय है।

2– गैरनिगराकार क्रम–2 ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने से पूर्व गैर निगराकार पट्टाधारी से नियमन पेटे राशि जमा नहीं कराई है ना हीं मौका निरीक्षण के लिये ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित प्रारूप संख्या–21 में रजिस्टर का संधारण किया गया है। जबकि पट्टाधारी के नाम ग्राम किशनगंज में अन्य स्थान पर आवासीय मकान स्थित है। इस प्रकार पंचायत द्वारा नियमों की अनदेखी करके पट्टा जारी किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत किशनगंज द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व आबादी भूमि विक्रय हेतु प्रारूप संख्या–22 में आपत्तियॉ प्राप्त नहीं की गई है, ना हीं नीलाम समिति का गठन किया गया है, नीलाम समिति द्वारा आबादी भूमि का नीलाम किया गया है जो पंचायती [illegible] अधिनियम–1994 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

नियम–157 के विरूद्व है। ग्राम पंचायत द्वारा कथित रूप से गैर निगराकार क्रम–1 को जारी पट्टे में नियम–154 के तहत बाजार कीमत का ध्यान नहीं रखा गया हैं। पंचायत द्वारा उक्त भूमि का पट्टा 200/–रूपये प्रति पट्टा प्राप्त कर, तत्कालीन सरपंच द्वारा जारी किया गया है। पंचायती राज अधिनियम, 1994 के नियम 156(1) नियम 156(2) तक तहत जारी किये गये आवासीय भूमि के पट्टो की न्यूनतम कीमत राशि प्राप्त करके सरपंच द्वारा पट्टा जारी किया गया है।

3– इस पट्टे की जॉच स्थानीय ऑडिट अंकेक्षण निधि विभाग, कोटा के ऑडिट वर्ष 2003–04 के पेरा संख्या–7 में अंकित है जिसके अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टे की कुल राशि 13,230/– रूपये होती है। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा 200/–रूपये में पट्टा जारी किया गया है। जबकि 10 हजार से 50 हजार एवं 50 हजार से 1 लाख तक की राशि की स्वीकृति जिला परिषद, बारां से प्राप्त की जानी चाहिये थी। पंचायत द्वारा पट्टा नियमों के प्रतिकूल जारी किया गया है, जो निरस्तनीय है। साथ हीं अंकित किया है कि अधिनियम के नियम–167 के अन्तर्गत जारी पट्टो पर नियमानुसार सरपंच व सचिव के हस्ताक्षर होना चाहिये। जबकि गैर निग. क्रम–1 के हक में जारी पट्टे पर केवल तत्कालीन सरपंच के हस्ताक्षर है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सरपंच ग्राम पंचायत, किशनगंज द्वारा मनमाने तरीके से अपने चहेतो को अनुचित लाभ पहुॅचाने की नियत से गैरकानूनी तरीके से राजकोष को नुकसान पहुॅचाया गया है। अतः जारी पट्टे निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर, गैरनिगराकार क्रम–1 को जारी पट्टा संख्या–09 दिनांक 05.06.2003 निरस्त फरमाया जावे।

4– इस पर निगरानी दर्ज रजिस्टर की गयी। गैर निगराकारान् को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक निगराकार व गैर निगराकार क्रम–1 की बहस सुनी गयी।

5– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक निगराकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत किशनगंज द्वारा गैर निगराकार क्रम–1 को नियमों एवं कानूनी प्रावधानों एवं प्रक्रिया के विपरीत जाकर, गैर निग. को ग्राम किशनगंज में आबादी भूमि पैमाइशी **21 x 15= 315 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–09 दिनांक 05.06.2003 जारी किया गया है। पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व ना तो आबादी भूमि विक्रय की सार्वजनिक उद्घोषणा जारी की गयी, ना हीं विकास अधिकारी या जिला परिषद, बारां से आज्ञा प्राप्त की गयी है। पंचायत द्वारा ना तो निर्धारित प्रारूप संख्या–21 में पट्टा रजिस्टर संधारित किया। ना हीं यह जॉच की कि पट्टाधारी ग्राम किशनगंज में निवास करता है या अन्य स्थान का। बिना जॉच पडताल किये हीं पट्टा जारी किया गया है। पंचायत द्वारा कथित पट्टा मात्र 200/–रूपये प्रति पट्टा राशि प्राप्त कर जारी किया गया है। पट्टा जारी करने से पूर्व ना तो कमेटी तैयार की गयी, ना हीं अनुशंषा ली गयी। बिना कोरम की अनुमति के हीं चुपचाप तरीके से अपने चहेतो व्यक्तियों को अनुमति लाभ प्रदान करने की नियत से 200/– [illegible] किया गया है। जबकि उक्त भूमि पैमाइशी **21 x 15= 315 वर्गफी** [illegible] समय बाजार मुल्यांकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

कीमत **13,230/–** बनती है। इस प्रकार तत्कालीन सरपंच द्वारा गैर निग. क्रम–1 को उक्त पट्टा जारी कर राज पक्ष को काफी राजस्व हानि पहुॅचायी गयी है। सरपंच द्वारा उक्त कार्यवाहीं अनुचित तरीके की गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे पर निमयानुसार सरपंच एवं ग्राम सचिव दोनो के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। किन्तु उक्त पट्टे में ग्राम सचिव के हस्ताक्षर नहीं है, ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा जारी उक्त पट्टा प्रारम्भतः हीं शून्य की श्रेणी मे आता है।

6– पंचायत समिति, किशनगंज की स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा आडिट की गयी थी। जिसमें आडिट वर्ष 2003–04 के पेरा–9 में आक्षेपित किया गया है कि पट्टाधारी से उक्त बकाया राशि वसूली की जावे। यदि राशि वसूली नहीं हो तो उक्त पट्टे निरस्त किये जावे। पंचायत समिति,किशनगंज के स्तर से बकाया राशि वसूली के काफी प्रयास किये गये, किन्तु असफल रहे है। अतः गैर निगराकार के विरूद्व उक्त पट्टा संख्या पैमाइशी **21 x 15= 315 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–09 दिनांक 05.06.2003 विधि के प्रावधानों व नियमों के प्रतिकूल होने से पट्टा निरस्त किये जाने हेतु निगरानी प्रस्तुत की गयी है। अतः निगरानी स्वीकार कर, गैर निग. क्रम–1 को जारी पट्टा दिनांक 05.06.2013 निरस्त फरमाया जावे।

7– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक गैर निग. क्रम–1 ने निगराकार अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि तत्कालीन सरंपच ग्राम पंचायत, किशनगंज द्वारा वर्ष–2003 में आबादी भूमि पर नियमानुसार सार्वजनिक उद्धोषणा जारी कर, आवासहीन व्यक्तियो को नियमानुसार राशि जमा कराकर, विधिवत पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टे जारी करने में तत्कालीन सरपंच द्वारा कोई नियमों की अवहेलना नहीं की गयी है। पट्टा नियमित प्रकिया अनुसार हीं जारी किया गया है। निगराकार के यह कथन उचित नहीं है कि पट्टे पर सरपंच के हीं हस्ताक्षर है। सहवन से सचिव के हस्ताक्षर नहीं होने से यह नहीं माना जा सकता है कि उक्त पट्टा वैघ नहीं है। निग. का यह कथन भी उचित नहीं है कि पट्टाधारी के ग्राम किशनगंज में अन्य आवासीय मकान है या मूल रूप से किशनगंज का निवासी नहीं है। उक्त पट्टा वर्ष 2003 में तत्समय जारी किया गया था। अन्य आवासीय मकान बाद में भी बनाये जा सकते है। ऐसे आधारहींन तर्को एवं ऑडिट पेरा रिपोर्ट के आधार पर गैर निग. का पट्टा खारिज नहीं किया जा सकता। पट्टा यदि अवैध या अमान्य है तो उसके संबंध में पंचायत समिति के स्तर से समिति का गठन कर, पट्टे की विधिक जॉच कराया जाना चाहिये। ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर पट्टा निरस्त किया जाना कानूनी प्रावधानों एवं व्यवहारिक प्रकिया के विपरीत है। अतः निगरानी कानूनी प्रावधानों के विपरीत एवं आधारहींन होने से निरस्त फरमायी जावे।

8– हमने विद्वान अभिभाषक निगराकार एवं गैर निगराकार क्रम–1 की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया जिससे पाया जाता है कि ग्राम पंचायत, किशनगंज के तत्कालीन सरपंच द्वारा दिनांक 05.06.2003 को गैर निगराकार क्रम–1 को आबादी भूमि पर पैमाइशी **21 x 15= 315 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–09 दिनांक 05.06.2003 को जारी किया गया है, जिसे आडिट अंकेक्षण वर्ष, 2003-04 के पेरा–9 में आक्षेपित किये जाने पर, निगराकार द्वारा गैर निगराकार के विरूद्व राज[illegible]राज अधिनियम, 1994

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

के प्रावधानो के तहत पट्टा निरस्तीकरण हेतु निगरानी प्रस्तुत की गयी है। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि तत्कालीन सरपंच द्वारा दिनांक 05.06.2003 को आबादी भूमि आरक्षित किये बिना, बिना सार्वजनिक उद्घोषणा जारी किये, मात्र आरक्षित न्यूनतम दर 200/–रूपये नियत करके, गैर निगराकार क्रम–1 को पैमाइशी **21 x 15= 315 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–09 दिनांक 05.06.2003 जारी किया गया है। उक्त पट्टे का ना तो विधिवत रेकार्ड संधारित किया गया है, ना हीं उक्त पट्टे पर ग्राम सचिव, किशनगंज के हस्ताक्षर मौजूद है। इससे स्पष्ट होता है कि सरपंच ग्राम पंचायत, किशनगंज द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये, अपने चहेते व्यक्तियों को अवैध रूप से पट्टा जारी किया गया है, जो कानूनी प्रावधानों एवं नियमों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

9– परिणामस्वरूप, निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर, गैर निगराकार क्रम–1 को तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत,किशनगंज द्वारा जारी आवासीय पट्टा पैमाइशी **21 x 15= 315 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–09 दिनांक 05.06.2003 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 85/2013

बउनवान

राजस्थान सरकार जर्ये पंचायत प्रसार अधिकारी जिला परिषद, बारां
जिला–बारां **(निगराकार)**

बनाम

1– ईशरायल पुत्र श्री रूस्तमखॉ जाति–मुसलमान निवासी–किशनगंज तहसील–किशनगंज पोस्ट किशनगंज जिला–बारां
2– ग्राम पंचायत किशनगंज जर्ये ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, पंचायत समिति किशनगंज जिला–बारां **(गैर निगराकारान्)**

निगरानी अन्तर्गत धारा– 92, 97 राजस्थान पंचायती–राज अधिनियम,1994

उपस्थिति :–1. श्री रूपचंद सिंघावत, अभिभाषक **(निगराकार)**
2. श्री सूर्यप्रकाश नागर, अभिभाषक **(गैर निगराकार क्रम–1)**

निर्णय दिनांक– 09.10.2019

1– निगराकार ने विरूद्व गैर निगराकारान् निगरानी अन्तर्गत धारा–92, 97 पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर अंकित किया है कि गैर निगराकार को ग्राम पंचायत, किशनगंज द्वारा आबादी भूमि में पैमाइशी **40 x 50= 2000 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–03 दिनांक 05.06.2003 को जारी किया गया है, जो ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाहीं रजिस्टर के प्रस्ताव में गैर निगराकार का नाम अंकित किया है, जबकि नियमानुसार कार्यवाहीं बैठक में पट्टा आवेदनकर्ता के बाबत उल्लेख होना व प्रस्ताव लिया जाना चाहिये था। ग्राम पंचायत द्वारा गैर निरनिगराकार से प्रार्थनापत्र प्राप्त नहीं किया गया है। पट्टा जारी करने के पूर्व आबादी भूमि विक्रय की सार्वजनिक उद्घोषणा जारी कर पट्टाधारी व्यक्ति को उचित दर पर पट्टा जारी किया जाना चाहिये था। परन्तु पंचायत द्वारा जारी पट्टे के बाबत कार्यवाहीं नियमानुसार नहीं की गयी है, इसलिये पट्टा सर्वथा निरस्तनीय है।

2– गैरनिगराकार क्रम–2 ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने से पूर्व गैर निगराकार पट्टाधारी से नियमन पेटे राशि जमा नहीं कराई है ना हीं मौका निरीक्षण के लिये ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित प्रारूप संख्या–21 में रजिस्टर का संधारण किया गया है। जबकि पट्टाधारी के नाम ग्राम किशनगंज में अन्य स्थान पर आवासीय मकान स्थित है। इस प्रकार पंचायत द्वारा नियमों की अनदेखी करके पट्टा जारी किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत किशनगंज द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व आबादी भूमि विक्रय हेतु प्रारूप संख्या–22 में आपत्तियॉ प्राप्त नहीं की गई है, ना हीं नीलाम समिति का गठन किया गया है, नीलाम समिति द्वारा आबादी भूमि का नीलाम किया गया है जो पंचायती [illegible] अधिनियम–1994 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

नियम–157 के विरूद्व है। ग्राम पंचायत द्वारा कथित रूप से गैर निगराकार क्रम–1 को जारी पट्टे में नियम–154 के तहत बाजार कीमत का ध्यान नहीं रखा गया हैं। पंचायत द्वारा उक्त भूमि का पट्टा 200/–रूपये प्रति पट्टा प्राप्त कर, तत्कालीन सरपंच द्वारा जारी किया गया है। पंचायती राज अधिनियम, 1994 के नियम 156(1) नियम 156(2) तक तहत जारी किये गये आवासीय भूमि के पट्टो की न्यूनतम कीमत राशि प्राप्त करके सरपंच द्वारा पट्टा जारी किया गया है।

3– इस पट्टे की जॉच स्थानीय ऑडिट अंकेक्षण निधि विभाग, कोटा के ऑडिट वर्ष 2003–04 के पेरा संख्या–7 में अंकित है जिसके अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टे की कुल राशि 84,000/– रूपये होती है। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा 200/–रूपये में पट्टा जारी किया गया है। जबकि 10 हजार से 50 हजार एवं 50 हजार से 1 लाख तक की राशि की स्वीकृति जिला परिषद, बारां से प्राप्त की जानी चाहिये थी। पंचायत द्वारा पट्टा नियमों के प्रतिकूल जारी किया गया है, जो निरस्तनीय है। साथ हीं अंकित किया है कि अधिनियम के नियम–167 के अन्तर्गत जारी पट्टो पर नियमानुसार सरपंच व सचिव के हस्ताक्षर होना चाहिये। जबकि गैर निग. क्रम–1 के हक में जारी पट्टे पर केवल तत्कालीन सरपंच के हस्ताक्षर है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सरपंच ग्राम पंचायत, किशनगंज द्वारा मनमाने तरीके से अपने चहेतो को अनुचित लाभ पहुॅचाने की नियत से गैरकानूनी तरीके से राजकोष को नुकसान पहुॅचाया गया है। अतः जारी पट्टे निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर, गैरनिगराकार क्रम–1 को जारी पट्टा संख्या–03 दिनांक 05.06.2003 निरस्त फरमाया जावे।

4– इस पर निगरानी दर्ज रजिस्टर की गयी। गैर निगराकारान् को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक निगराकार व गैर निगराकार क्रम–1 की बहस सुनी गयी।

5– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक निगराकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत किशनगंज द्वारा गैर निगराकार क्रम–1 को नियमों एवं कानूनी प्रावधानों एवं प्रक्रिया के विपरीत जाकर, गैर निग. को ग्राम किशनगंज में आबादी भूमि पैमाइशी **40 x 50= 2000 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–03 दिनांक 05.06.2003 जारी किया गया है। पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व ना तो आबादी भूमि विक्रय की सार्वजनिक उद्घोषणा जारी की गयी, ना हीं विकास अधिकारी या जिला परिषद, बारां से आज्ञा प्राप्त की गयी है। पंचायत द्वारा ना तो निर्धारित प्रारूप संख्या–21 में पट्टा रजिस्टर संधारित किया। ना हीं यह जॉच की कि पट्टाधारी ग्राम किशनगंज में निवास करता है या अन्य स्थान का। बिना जॉच पडताल किये हीं पट्टा जारी किया गया है। पंचायत द्वारा कथित पट्टा मात्र 200/–रूपये प्रति पट्टा राशि प्राप्त कर जारी किया गया है। पट्टा जारी करने से पूर्व ना तो कमेटी तैयार की गयी, ना हीं अनुशंषा ली गयी। बिना कोरम की अनुमति के हीं चुपचाप तरीके से अपने चहेतो व्यक्तियों को अनुमति लाभ प्रदान करने की नियत से 200/– [illegible] किया गया है। जबकि उक्त भूमि पैमाइशी **40 x 50= 2000 वर्गफी[illegible]** क समय बाजार मुल्यांकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

कीमत **84,000/–** बनती है। इस प्रकार तत्कालीन सरपंच द्वारा गैर निग. क्रम–1 को उक्त पट्टा जारी कर राज पक्ष को काफी राजस्व हानि पहुँचायी गयी है। सरपंच द्वारा उक्त कार्यवाहीं अनुचित तरीके की गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे पर निमयानुसार सरपंच एवं ग्राम सचिव दोनो के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। किन्तु उक्त पट्टे में ग्राम सचिव के हस्ताक्षर नहीं है, ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा जारी उक्त पट्टा प्रारम्भतः हीं शून्य की श्रेणी मे आता है।

6– पंचायत समिति, किशनगंज की स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा आडिट की गयी थी। जिसमें आडिट वर्ष 2003–04 के पेरा–9 में आक्षेपित किया गया है कि पट्टाधारी से उक्त बकाया राशि वसूली की जावे। यदि राशि वसूली नहीं हो तो उक्त पट्टे निरस्त किये जावे। पंचायत समिति,किशनगंज के स्तर से बकाया राशि वसूली के काफी प्रयास किये गये, किन्तु असफल रहे है। अतः गैर निगराकार के विरूद्व उक्त पट्टा संख्या पैमाइशी **40 x 50= 2000 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–03 दिनांक 05.06.2003 विधि के प्रावधानों व नियमों के प्रतिकूल होने से पट्टा निरस्त किये जाने हेतु निगरानी प्रस्तुत की गयी है। अतः निगरानी स्वीकार कर, गैर निग. क्रम–1 को जारी पट्टा दिनांक 05.06.2013 निरस्त फरमाया जावे।

7– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक गैर निग. क्रम–1 ने निगराकार अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि तत्कालीन सरंपच ग्राम पंचायत, किशनगंज द्वारा वर्ष–2003 में आबादी भूमि पर नियमानुसार सार्वजनिक उद्धोषणा जारी कर, आवासहीन व्यक्तियो को नियमानुसार राशि जमा कराकर, विधिवत पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टे जारी करने में तत्कालीन सरपंच द्वारा कोई नियमों की अवहेलना नहीं की गयी है। पट्टा नियमित प्रकिया अनुसार हीं जारी किया गया है। निगराकार के यह कथन उचित नहीं है कि पट्टे पर सरपंच के हीं हस्ताक्षर है। सहवन से सचिव के हस्ताक्षर नहीं होने से यह नहीं माना जा सकता है कि उक्त पट्टा वैघ नहीं है। निग. का यह कथन भी उचित नहीं है कि पट्टाधारी के ग्राम किशनगंज में अन्य आवासीय मकान है या मूल रूप से किशनगंज का निवासी नहीं है। उक्त पट्टा वर्ष 2003 में तत्समय जारी किया गया था। अन्य आवासीय मकान बाद में भी बनाये जा सकते है। ऐसे आधारहींन तर्को एवं ऑडिट पेरा रिपोर्ट के आधार पर गैर निग. का पट्टा खारिज नहीं किया जा सकता। पट्टा यदि अवैध या अमान्य है तो उसके संबंध में पंचायत समिति के स्तर से समिति का गठन कर, पट्टे की विधिक जॉच कराया जाना चाहिये। ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर पट्टा निरस्त किया जाना कानूनी प्रावधानों एवं व्यवहारिक प्रकिया के विपरीत है। अतः निगरानी कानूनी प्रावधानों के विपरीत एवं आधारहींन होने से निरस्त फरमायी जावे।

8– हमने विद्वान अभिभाषक निगराकार एवं गैर निगराकार क्रम–1 की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया जिससे पाया जाता है कि ग्राम पंचायत, किशनगंज के तत्कालीन सरपंच द्वारा दिनांक 05.06.2003 को गैर निगराकार क्रम–1 को आबादी भूमि पर पैमाइशी **40 x 50= 2000 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–03 दिनांक 05.06.2003 को जारी किया गया है, जिसे आडिट अंकेक्षण वर्ष, 2003-04 के पेरा–9 में आक्षेपित किये जाने पर, निगराकार द्वारा गैर निगराकार के विरूद्व राज[illegible]राज अधिनियम, 1994

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

के प्रावधानो के तहत पट्टा निरस्तीकरण हेतु निगरानी प्रस्तुत की गयी है। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि तत्कालीन सरपंच द्वारा दिनांक 05.06.2003 को आबादी भूमि आरक्षित किये बिना, बिना सार्वजनिक उद्घोषणा जारी किये, मात्र आरक्षित न्यूनतम दर 200/–रूपये नियत करके, गैर निगराकार क्रम–1 को पैमाइशी **40 x 50= 2000 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–03 दिनांक 05.06.2003 जारी किया गया है। उक्त पट्टे का ना तो विधिवत रेकार्ड संधारित किया गया है, ना हीं उक्त पट्टे पर ग्राम सचिव, किशनगंज के हस्ताक्षर मौजूद है। इससे स्पष्ट होता है कि सरपंच ग्राम पंचायत, किशनगंज द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये, अपने चहेते व्यक्तियों को अवैध रूप से पट्टा जारी किया गया है, जो कानूनी प्रावधानों एवं नियमों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

9– परिणामस्वरूप, निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर, गैर निगराकार क्रम–1 को तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत,किशनगंज द्वारा जारी आवासीय पट्टा पैमाइशी **40 x 50= 2000 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–03 दिनांक 05.06.2003 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 86/2013

बउनवान

राजस्थान सरकार जर्ये पंचायत प्रसार अधिकारी जिला परिषद, बारां
जिला–बारां **(निगराकार)**

बनाम

1– अतुल सुराना पुत्र विद्यासागर जाति–महाजन निवासी–किशनगंज तहसील–किशनगंज पोस्ट किशनगंज जिला–बारां
2– ग्राम पंचायत किशनगंज जर्ये ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, पंचायत समिति किशनगंज जिला–बारां **(गैर निगराकारान्)**

निगरानी अन्तर्गत धारा– 92, 97 राजस्थान पंचायती–राज अधिनियम,1994

उपस्थिति :–1. श्री रूपचंद सिंघावत, अभिभाषक **(निगराकार)**
2. श्री सूर्यप्रकाश नागर, अभिभाषक **(गैर निगराकार क्रम–1)**

निर्णय दिनांक– 09.10.2019

1– निगराकार ने विरूद्व गैर निगराकारान् निगरानी अन्तर्गत धारा–92, 97 पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर अंकित किया है कि गैर निगराकार को ग्राम पंचायत, किशनगंज द्वारा आबादी भूमि में पैमाइशी **115 x 85.5= 4887 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–20 दिनांक 20.05.2003 को जारी किया गया है, जो ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाहीं रजिस्टर के प्रस्ताव में गैर निगराकार का नाम अंकित किया है, जबकि नियमानुसार कार्यवाहीं बैठक में पट्टा आवेदनकर्ता के बाबत उल्लेख होना व प्रस्ताव लिया जाना चाहिये था। ग्राम पंचायत द्वारा गैर निरनिगराकार से प्रार्थनापत्र प्राप्त नहीं किया गया है। पट्टा जारी करने के पूर्व आबादी भूमि विक्रय की सार्वजनिक उद्घोषणा जारी कर पट्टाधारी व्यक्ति को उचित दर पर पट्टा जारी किया जाना चाहिये था। परन्तु पंचायत द्वारा जारी पट्टे के बाबत कार्यवाहीं नियमानुसार नहीं की गयी है, इसलिये पट्टा सर्वथा निरस्तनीय है।

2– गैरनिगराकार क्रम–2 ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने से पूर्व गैर निगराकार पट्टाधारी से नियमन पेटे राशि जमा नहीं कराई है ना हीं मौका निरीक्षण के लिये ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित प्रारूप संख्या–21 में रजिस्टर का संधारण किया गया है। जबकि पट्टाधारी के नाम ग्राम किशनगंज में अन्य स्थान पर आवासीय मकान स्थित है। इस प्रकार पंचायत द्वारा नियमों की अनदेखी करके पट्टा जारी किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत किशनगंज द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व आबादी भूमि विक्रय हेतु प्रारूप संख्या–22 में आपत्तियॉ प्राप्त नहीं की गई है, ना हीं नीलाम समिति का गठन किया गया है, नीलाम समिति द्वारा आबादी भूमि का नीलाम किया गया है जो पंचायती [illegible] अधिनियम–1994 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

नियम–157 के विरूद्व है। ग्राम पंचायत द्वारा कथित रूप से गैर निगराकार क्रम–1 को जारी पट्टे में नियम–154 के तहत बाजार कीमत का ध्यान नहीं रखा गया हैं। पंचायत द्वारा उक्त भूमि का पट्टा 200/–रूपये प्रति पट्टा प्राप्त कर, तत्कालीन सरपंच द्वारा जारी किया गया है। पंचायती राज अधिनियम, 1994 के नियम 156(1) नियम 156(2) तक तहत जारी किये गये आवासीय भूमि के पट्टो की न्यूनतम कीमत राशि प्राप्त करके सरपंच द्वारा पट्टा जारी किया गया है।

3– इस पट्टे की जॉच स्थानीय ऑडिट अंकेक्षण निधि विभाग, कोटा के ऑडिट वर्ष 2003–04 के पेरा संख्या–7 में अंकित है जिसके अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टे की कुल राशि 2,05,254/– रूपये होती है। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा 200/–रूपये में पट्टा जारी किया गया है। जबकि 10 हजार से 50 हजार एवं 50 हजार से 1 लाख तक की राशि की स्वीकृति जिला परिषद, बारां से प्राप्त की जानी चाहिये थी। पंचायत द्वारा पट्टा नियमों के प्रतिकूल जारी किया गया है, जो निरस्तनीय है। साथ हीं अंकित किया है कि अधिनियम के नियम–167 के अन्तर्गत जारी पट्टो पर नियमानुसार सरपंच व सचिव के हस्ताक्षर होना चाहिये। जबकि गैर निग. क्रम–1 के हक में जारी पट्टे पर केवल तत्कालीन सरपंच के हस्ताक्षर है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सरपंच ग्राम पंचायत, किशनगंज द्वारा मनमाने तरीके से अपने चहेतो को अनुचित लाभ पहुॅचाने की नियत से गैरकानूनी तरीके से राजकोष को नुकसान पहुॅचाया गया है। अतः जारी पट्टे निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर, गैरनिगराकार क्रम–1 को जारी पट्टा संख्या–20 दिनांक 20.05.2003 निरस्त फरमाया जावे।

4– इस पर निगरानी दर्ज रजिस्टर की गयी। गैर निगराकारान् को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक निगराकार व गैर निगराकार क्रम–1 की बहस सुनी गयी।

5– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक निगराकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत किशनगंज द्वारा गैर निगराकार क्रम–1 को नियमों एवं कानूनी प्रावधानों एवं प्रक्रिया के विपरीत जाकर, गैर निग. को ग्राम किशनगंज में आबादी भूमि पैमाइशी **115 x 85.5= 4887 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–20 दिनांक 20.05.2003 जारी किया गया है। पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व ना तो आबादी भूमि विक्रय की सार्वजनिक उद्घोषणा जारी की गयी, ना हीं विकास अधिकारी या जिला परिषद, बारां से आज्ञा प्राप्त की गयी है। पंचायत द्वारा ना तो निर्धारित प्रारूप संख्या–21 में पट्टा रजिस्टर संधारित किया। ना हीं यह जॉच की कि पट्टाधारी ग्राम किशनगंज में निवास करता है या अन्य स्थान का। बिना जॉच पडताल किये हीं पट्टा जारी किया गया है। पंचायत द्वारा कथित पट्टा मात्र 200/–रूपये प्रति पट्टा राशि प्राप्त कर जारी किया गया है। पट्टा जारी करने से पूर्व ना तो कमेटी तैयार की गयी, ना हीं अनुशंषा ली गयी। बिना कोरम की अनुमति के हीं चुपचाप तरीके से अपने चहेतो व्यक्तियों को अनुमति लाभ प्रदान करने की नियत से 200/– [illegible] किया गया है। जबकि उक्त भूमि पैमाइशी **115 x 85.5= 4887 वर्ग** [illegible] समय बाजार मुल्यांकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

कीमत **2,05,254/–** बनती है। इस प्रकार तत्कालीन सरपंच द्वारा गैर निग. क्रम–1 को उक्त पट्टा जारी कर राज पक्ष को काफी राजस्व हानि पहुॅचायी गयी है। सरपंच द्वारा उक्त कार्यवाहीं अनुचित तरीके की गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे पर निमयानुसार सरपंच एवं ग्राम सचिव दोनो के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। किन्तु उक्त पट्टे में ग्राम सचिव के हस्ताक्षर नहीं है, ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा जारी उक्त पट्टा प्रारम्भतः हीं शून्य की श्रेणी मे आता है।

6– पंचायत समिति, किशनगंज की स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा आडिट की गयी थी। जिसमें आडिट वर्ष 2003–04 के पेरा–9 में आक्षेपित किया गया है कि पट्टाधारी से उक्त बकाया राशि वसूली की जावे। यदि राशि वसूली नहीं हो तो उक्त पट्टे निरस्त किये जावे। पंचायत समिति,किशनगंज के स्तर से बकाया राशि वसूली के काफी प्रयास किये गये, किन्तु असफल रहे है। अतः गैर निगराकार के विरूद्व उक्त पट्टा संख्या पैमाइशी **115 x 85.5= 4887 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–20 दिनांक 20.05.2003 विधि के प्रावधानों व नियमों के प्रतिकूल होने से पट्टा निरस्त किये जाने हेतु निगरानी प्रस्तुत की गयी है। अतः निगरानी स्वीकार कर, गैर निग. क्रम–1 को जारी पट्टा दिनांक 20.05.2013 निरस्त फरमाया जावे।

7– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक गैर निग. क्रम–1 ने निगराकार अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि तत्कालीन सरंपच ग्राम पंचायत, किशनगंज द्वारा वर्ष–2003 में आबादी भूमि पर नियमानुसार सार्वजनिक उद्धोषणा जारी कर, आवासहीन व्यक्तियो को नियमानुसार राशि जमा कराकर, विधिवत पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टे जारी करने में तत्कालीन सरपंच द्वारा कोई नियमों की अवहेलना नहीं की गयी है। पट्टा नियमित प्रकिया अनुसार हीं जारी किया गया है। निगराकार के यह कथन उचित नहीं है कि पट्टे पर सरपंच के हीं हस्ताक्षर है। सहवन से सचिव के हस्ताक्षर नहीं होने से यह नहीं माना जा सकता है कि उक्त पट्टा वैघ नहीं है। निग. का यह कथन भी उचित नहीं है कि पट्टाधारी के ग्राम किशनगंज में अन्य आवासीय मकान है या मूल रूप से किशनगंज का निवासी नहीं है। उक्त पट्टा वर्ष 2003 में तत्समय जारी किया गया था। अन्य आवासीय मकान बाद में भी बनाये जा सकते है। ऐसे आधारहींन तर्को एवं ऑडिट पेरा रिपोर्ट के आधार पर गैर निग. का पट्टा खारिज नहीं किया जा सकता। पट्टा यदि अवैध या अमान्य है तो उसके संबंध में पंचायत समिति के स्तर से समिति का गठन कर, पट्टे की विधिक जॉच कराया जाना चाहिये। ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर पट्टा निरस्त किया जाना कानूनी प्रावधानों एवं व्यवहारिक प्रकिया के विपरीत है। अतः निगरानी कानूनी प्रावधानों के विपरीत एवं आधारहींन होने से निरस्त फरमायी जावे।

8– हमने विद्वान अभिभाषक निगराकार एवं गैर निगराकार क्रम–1 की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया जिससे पाया जाता है कि ग्राम पंचायत, किशनगंज के तत्कालीन सरपंच द्वारा दिनांक 20.05.2003 को गैर निगराकार क्रम–1 को आबादी भूमि पर पैमाइशी **115 x 85.5= 4887 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–20 दिनांक 20.05.2003 को जारी किया गया है, जिसे आडिट अंकेक्षण वर्ष, 2003-04 के पेरा-9 में आक्षेपित किये जाने पर, निगराकार द्वारा गैर निगराकार के विरूद्व राज[illegible]राज अधिनियम, 1994

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

के प्रावधानो के तहत पट्टा निरस्तीकरण हेतु निगरानी प्रस्तुत की गयी है। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि तत्कालीन सरपंच द्वारा दिनांक 20.05.2003 को आबादी भूमि आरक्षित किये बिना, बिना सार्वजनिक उद्घोषणा जारी किये, मात्र आरक्षित न्यूनतम दर 200/–रूपये नियत करके, गैर निगराकार क्रम–1 को पैमाइशी **115 x 85.5= 4887 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–20 दिनांक 20.05.2003 जारी किया गया है। उक्त पट्टे का ना तो विधिवत रेकार्ड संधारित किया गया है, ना हीं उक्त पट्टे पर ग्राम सचिव, किशनगंज के हस्ताक्षर मौजूद है। इससे स्पष्ट होता है कि सरपंच ग्राम पंचायत, किशनगंज द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये, अपने चहेते व्यक्तियों को अवैध रूप से पट्टा जारी किया गया है, जो कानूनी प्रावधानों एवं नियमों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

9– परिणामस्वरूप, निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर, गैर निगराकार क्रम–1 को तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत,किशनगंज द्वारा जारी आवासीय पट्टा पैमाइशी **115 x 85.5= 4887 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–20 दिनांक 20.05.2003 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 81/2013

बउनवान

राजस्थान सरकार जर्ये पंचायत प्रसार अधिकारी जिला परिषद, बारां
जिला–बारां **(निगराकार)**

बनाम

1– जगदीश पुत्र गजानन्द जाति–धाकड निवासी–किशनगंज तहसील–
किशनगंज पोस्ट किशनगंज जिला–बारां (मृतक)
1/1–श्री हरिप्रकाश पुत्र जगदीश जाति–नागर धाकड नि.किशनगंज
1/2–श्री ओमप्रकाश पुत्र जगदीशजाति–नागर धाकड नि.किशनगंज
1/3–श्री गिरराजप्रसाद पुत्र श्री जगदीश जाति–नागर धाकड नि.किशनगंज
1/4–श्री सूर्यप्रकाश पुत्र जगदीश जाति–नागर धाकड नि.किशनगंज

2– ग्राम पंचायत किशनगंज जर्ये ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव,
पंचायत समिति किशनगंज जिला–बारां **(गैर निगराकारान्)**

निगरानी अन्तर्गत धारा– 92, 97 राजस्थान पंचायती–राज अधिनियम,1994

उपस्थिति :–1. श्री रूपचंद सिंघावत, अभिभाषक **(निगराकार)**
2. श्री सूर्यप्रकाश नागर, अभिभाषक **(गैर निगराकार क्रम–1)**

निर्णय दिनांक– 09.10.2019

1– निगराकार ने विरूद्व गैर निगराकारान् निगरानी अन्तर्गत धारा–92, 97 पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर अंकित किया है कि गैर निगराकारान् के पिता को ग्राम पंचायत, किशनगंज द्वारा आबादी भूमि में पैमाइशी **75 x 60= 4500 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–05 दिनांक 05.06.2003 को जारी किया गया है, जो ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाहीं रजिस्टर के प्रस्ताव में गैर निगराकार का नाम अंकित किया है, जबकि नियमानुसार कार्यवाहीं बैठक में पट्टा आवेदनकर्ता के बाबत उल्लेख होना व प्रस्ताव लिया जाना चाहिये था। ग्राम पंचायत द्वारा गैर निरनिगराकार से प्रार्थनापत्र प्राप्त नहीं किया गया है। पट्टा जारी करने के पूर्व आबादी भूमि विक्रय की सार्वजनिक उद्घोषणा जारी कर पट्टाधारी व्यक्ति को उचित दर पर पट्टा जारी किया जाना चाहिये था। परन्तु पंचायत द्वारा जारी पट्टे के बाबत कार्यवाहीं नियमानुसार नहीं की गयी है, इसलिये पट्टा सर्वथा निरस्तनीय है।

2– गैरनिगराकार क्रम–2 ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने से पूर्व गैर निगराकार पट्टाधारी के पिता से नियमन पेटे राशि जमा नहीं कराई है ना हीं मौका निरीक्षण के लिये ग्राम पंचायत द्वारा [illegible] ग्रा0प0 पा–21 में रजिस्टर का संधारण किया गया है। जबकि पट्टाधारी के नाम [illegible] किशनगंज में अन्य स्थान पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

आवासीय मकान स्थित है। इस प्रकार पंचायत द्वारा नियमों की अनदेखी करके पट्टा जारी किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत किशनगंज द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व आबादी भूमि विक्रय हेतु प्रारूप संख्या–22 में आपत्तियॉ प्राप्त नहीं की गई है, ना हीं नीलाम समिति का गठन किया गया है, नीलाम समिति द्वारा आबादी भूमि का नीलाम किया गया है जो पंचायती राज अधिनियम–1994 के नियम–157 के विरूद्व है। ग्राम पंचायत द्वारा कथित रूप से गैर निगराकार क्रम–1/1 से 1/4 के पिता को जारी पट्टे में नियम–154 के तहत बाजार कीमत का ध्यान नहीं रखा गया हैं। पंचायत द्वारा उक्त भूमि का पट्टा 200/–रूपये प्रति पट्टा प्राप्त कर, तत्कालीन सरपंच द्वारा जारी किया गया है। पंचायती राज अधिनियम, 1994 के नियम 156(1) नियम 156(2) तक तहत जारी किये गये आवासीय भूमि के पट्टो की न्यूनतम कीमत राशि प्राप्त करके सरपंच द्वारा पट्टा जारी किया गया है।

3– इस पट्टे की जॉच स्थानीय ऑडिट अंकेक्षण निधि विभाग, कोटा के ऑडिट वर्ष 2003–04 के पेरा संख्या–7 में अंकित है जिसके अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टे की कुल राशि 94,800/– रूपये होती है। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा 200/–रूपये में पट्टा जारी किया गया है। जबकि 10 हजार से 50 हजार एवं 50 हजार से 1 लाख तक की राशि की स्वीकृति जिला परिषद, बारां से प्राप्त की जानी चाहिये थी। पंचायत द्वारा पट्टा नियमों के प्रतिकूल जारी किया गया है, जो निरस्तनीय है। साथ हीं अंकित किया है कि अधिनियम के नियम–167 के अन्तर्गत जारी पट्टो पर नियमानुसार सरपंच व सचिव के हस्ताक्षर होना चाहिये। जबकि गैर निग. क्रम–1 के हक में जारी पट्टे पर केवल तत्कालीन सरपंच के हस्ताक्षर है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सरपंच ग्राम पंचायत, किशनगंज द्वारा मनमाने तरीके से अपने चहेतो को अनुचित लाभ पहुॅचाने की नियत से गैरकानूनी तरीके से राजकोष को नुकसान पहुॅचाया गया है। अतः जारी पट्टे निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर, गैरनिगराकार क्रम–1 के पिता को जारी पट्टा संख्या–05 दिनांक 05.06.2003 निरस्त फरमाया जावे।

4– इस पर निगरानी दर्ज रजिस्टर की गयी। गैर निगराकारान् को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक निगराकार व गैर निगराकार क्रम–1/1 ता 1/4 की बहस सुनी गयी।

5– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक निगराकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत किशनगंज द्वारा गैर निगराकारान् के पिता को नियमों एवं कानूनी प्रावधानों एवं प्रक्रिया के विपरीत जाकर, गैर निग. को ग्राम किशनगंज में आबादी भूमि पैमाइशी **75 x 60= 4500 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–05 दिनांक 05.06.2003 जारी किया गया है। पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व ना तो आबादी भूमि विक्रय की सार्वजनिक उद्घोषणा जारी की गयी, ना हीं विकास अधिकारी या जिला परिषद, बारां से आज्ञा प्राप्त की गयी है। पंचायत द्वारा ना तो निर्धारित [illegible] रजिस्टर संधारित किया। ना हीं यह जॉच की कि पट्टाधारी ग्राम [illegible] निवास करता है या

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

अन्य स्थान का बिना जॉच पडताल किये हीं पट्टा जारी किया गया है। पंचायत द्वारा कथित पट्टा मात्र 200/–रूपये प्रति पट्टा राशि प्राप्त कर जारी किया गया है। पट्टा जारी करने से पूर्व ना तो कमेटी तैयार की गयी, ना हीं अनुशंषा ली गयी। बिना कोरम की अनुमति के हीं चुपचाप तरीके से अपने चहेतो व्यक्तियों को अनुमति लाभ प्रदान करने की नियत से 200/– रूपये राशि में हीं पट्टा जारी किया गया है। जबकि उक्त भूमि पैमाइशी **75 x 60= 4500 वर्गफीट** के तत्समय बाजार मुल्यांकित कीमत **1,89,000/–** बनती है। इस प्रकार तत्कालीन सरपंच द्वारा गैर निग. के पिता को उक्त पट्टा जारी कर राज पक्ष को काफी राजस्व हानि पहुॅचायी गयी है। सरपंच द्वारा उक्त कार्यवाहीं अनुचित तरीके की गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे पर निमयानुसार सरपंच एवं ग्राम सचिव दोनो के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। किन्तु उक्त पट्टे में ग्राम सचिव के हस्ताक्षर नहीं है, ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा जारी उक्त पट्टा प्रारम्भतः हीं शून्य की श्रेणी मे आता है।

6– पंचायत समिति, किशनगंज की स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा आडिट की गयी थी। जिसमें आडिट वर्ष 2003–04 के पेरा–9 में आक्षेपित किया गया है कि पट्टाधारी से उक्त बकाया राशि वसूली की जावे। यदि राशि वसूली नहीं हो तो उक्त पट्टे निरस्त किये जावे। पंचायत समिति,किशनगंज के स्तर से बकाया राशि वसूली के काफी प्रयास किये गये, किन्तु असफल रहे है। अतः गैर निगराकार के विरूद्व उक्त पट्टा संख्या पैमाइशी **75 x 60= 4500 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–05 दिनांक 05.06.2003 विधि के प्रावधानों व नियमों के प्रतिकूल होने से पट्टा निरस्त किये जाने हेतु निगरानी प्रस्तुत की गयी है। अतः निगरानी स्वीकार कर, गैर निगराकारान् के पिता को जारी पट्टा दिनांक 05.06.2013 निरस्त फरमाया जावे।

7– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक गैर निगराकारान् ने निगराकार अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि तत्कालीन सरंपच ग्राम पंचायत, किशनगंज द्वारा वर्ष–2003 में आबादी भूमि पर नियमानुसार सार्वजनिक उद्धोषणा जारी कर, आवासहीन व्यक्तियो को नियमानुसार राशि जमा कराकर, विधिवत पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टे जारी करने में तत्कालीन सरपंच द्वारा कोई नियमों की अवहेलना नहीं की गयी है। पट्टा नियमित प्रकिया अनुसार हीं जारी किया गया है। निगराकार के यह कथन उचित नहीं है कि पट्टे पर सरपंच के हीं हस्ताक्षर है। सहवन से सचिव के हस्ताक्षर नहीं होने से यह नहीं माना जा सकता है कि उक्त पट्टा वैघ नहीं है। निग. का यह कथन भी उचित नहीं है कि पट्टाधारी के ग्राम किशनगंज में अन्य आवासीय मकान है या मूल रूप से किशनगंज का निवासी नहीं है। उक्त पट्टा वर्ष 2003 में तत्समय जारी किया गया था। अन्य आवासीय मकान बाद में भी बनाये जा सकते है। ऐसे आधारहींन तर्को एवं ऑडिट पेरा रिपोर्ट के आधार पर गैर निगराकारान् का पट्टा खारिज नहीं किया जा सकता। पट्टा यदि अवैध या अमान्य है तो उसके संबंध में पंचायत समिति के स्तर से समिति का गठन कर, पट्टे की विधिक जॉच कराया जाना चाहिये। ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर पट्टा निरस्त किया जाना कानूनी प्रावधानों एवं व्यवहारिक प्रकिया के विपरीत है। अतः निगरानी कानूनी प्रावधानों के विपरीत एवं आधारहींन होने से निरस्त फरमायी जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

8— हमने विद्वान अभिभाषक निगराकार एवं गैर निगराकारान् की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया जिससे पाया जाता है कि ग्राम पंचायत, किशनगंज के तत्कालीन सरपंच द्वारा दिनांक 05.06.2003 को गैर निगराकारान् के पिता को आबादी भूमि पर पैमाइशी **75 x 60= 4500 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या—05 दिनांक 05.06.2003 को जारी किया गया है, जिसे आडिट अंकेक्षण वर्ष, 2003—04 रिपोर्ट पेरा—9 से आक्षेपित किये जाने पर, निगराकार द्वारा गैर निगराकारान् के विरूद्व राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानो के तहत पट्टा निरस्तीकरण हेतु निगरानी प्रस्तुत की गयी है। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि तत्कालीन सरपंच द्वारा दिनांक 05.06.2003 को आबादी भूमि आरक्षित किये बिना, बिना सार्वजनिक उद्घोषणा जारी किये, मात्र आरक्षित न्यूनतम दर 200/—रूपये नियत करके, गैर निगराकारान् के पिता को पैमाइशी **75 x 60= 4500 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या—05 दिनांक 05.06.2003 जारी किया गया है। उक्त पट्टे का ना तो विधिवत रेकार्ड संधारित किया गया है, ना हीं उक्त पट्टे पर ग्राम सचिव, किशनगंज के हस्ताक्षर मौजूद है। इससे स्पष्ट होता है कि सरपंच ग्राम पंचायत, किशनगंज द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये, अपने चहेते व्यक्तियों को अवैध रूप से पट्टा जारी किया गया है, जो कानूनी प्रावधानों एवं नियमों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

9— परिणामस्वरूप, निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर, गैर निगराकारान् के पिता को तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत,किशनगंज द्वारा जारी आवासीय पट्टा पैमाइशी **75 x 60= 4500 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या—05 दिनांक 05.06.2003 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 83/2013

बउनवान

राजस्थान सरकार जर्ये पंचायत प्रसार अधिकारी जिला परिषद, बारां
जिला–बारां **(निगराकार)**

बनाम

1– हेमराज पुत्र कॅवरलाल जाति–कोली निवासी–किशनगंज तहसील–
किशनगंज पोस्ट किशनगंज जिला–बारां (मृतक)
1/1–श्री नीरजकुमार पुत्र हेमराज जाति–कोली नि.किशनगंज
1/2–श्री गिरीश पुत्र हेमराज जाति–कोली नि.किशनगंज

2– ग्राम पंचायत किशनगंज जर्ये ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव,
पंचायत समिति किशनगंज जिला–बारां **(गैर निगराकारान्)**

निगरानी अन्तर्गत धारा– 92, 97 राजस्थान पंचायती–राज अधिनियम,1994

उपस्थिति :–1. श्री रूपचंद सिंघावत, अभिभाषक **(निगराकार)**
2. श्री सूर्यप्रकाश नागर, अभिभाषक **(गैर निगराकार क्रम–1)**

निर्णय दिनांक– 09.10.2019

1– निगराकार ने विरूद्व गैर निगराकारान् निगरानी अन्तर्गत धारा–92, 97 पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर अंकित किया है कि गैर निगराकारान् के पिता को ग्राम पंचायत, किशनगंज द्वारा आबादी भूमि में पैमाइशी **23 x 14= 322 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–09 दिनांक 05.06.2003 को जारी किया गया है, जो ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाहीं रजिस्टर के प्रस्ताव में गैर निगराकार का नाम अंकित किया है, जबकि नियमानुसार कार्यवाहीं बैठक में पट्टा आवेदनकर्ता के बाबत उल्लेख होना व प्रस्ताव लिया जाना चाहिये था। ग्राम पंचायत द्वारा गैर निरनिगराकार से प्रार्थनापत्र प्राप्त नहीं किया गया है। पट्टा जारी करने के पूर्व आबादी भूमि विक्रय की सार्वजनिक उद्घोषणा जारी कर पट्टाधारी व्यक्ति को उचित दर पर पट्टा जारी किया जाना चाहिये था। परन्तु पंचायत द्वारा जारी पट्टे के बाबत कार्यवाहीं नियमानुसार नहीं की गयी है, इसलिये पट्टा सर्वथा निरस्तनीय है।

2– गैरनिगराकार क्रम–2 ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने से पूर्व गैर निगराकार पट्टाधारी के पिता से नियमन पेटे राशि जमा नहीं कराई है ना हीं मौका निरीक्षण के लिये ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित प्रारूप संख्या–21 में रजिस्टर का संधारण किया गया है। जबकि पट्टाधारी के नाम ग्राम किशनगंज में अन्य स्थान पर आवासीय मकान स्थित है। इस प्रकार पंचायत द्वारा नियमों की अनदेखी करके पट्टा जारी किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत किशनगंज द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

पट्टा जारी करने से पूर्व आबादी भूमि विक्रय हेतु प्रारूप संख्या–22 में आपत्तियॉ प्राप्त नहीं की गई है, ना हीं नीलाम समिति का गठन किया गया है, नीलाम समिति द्वारा आबादी भूमि का नीलाम किया गया है जो पंचायती राज अधिनियम–1994 के नियम–157 के विरूद्व है। ग्राम पंचायत द्वारा कथित रूप से गैर निगराकार क्रम–1/1 से 1/4 के पिता को जारी पट्टे में नियम–154 के तहत बाजार कीमत का ध्यान नहीं रखा गया हैं। पंचायत द्वारा उक्त भूमि का पट्टा 200/–रूपये प्रति पट्टा प्राप्त कर, तत्कालीन सरपंच द्वारा जारी किया गया है। पंचायती राज अधिनियम, 1994 के नियम 156(1) नियम 156(2) तक तहत जारी किये गये आवासीय भूमि के पट्टो की न्यूनतम कीमत राशि प्राप्त करके सरपंच द्वारा पट्टा जारी किया गया है।

3– इस पट्टे की जॉच स्थानीय ऑडिट अंकेक्षण निधि विभाग, कोटा के ऑडिट वर्ष 2003–04 के पेरा संख्या–7 में अंकित है जिसके अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टे की कुल राशि 13,524/– रूपये होती है। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा 200/–रूपये में पट्टा जारी किया गया है। जबकि 10 हजार से 50 हजार एवं 50 हजार से 1 लाख तक की राशि की स्वीकृति जिला परिषद, बारां से प्राप्त की जानी चाहिये थी। पंचायत द्वारा पट्टा नियमों के प्रतिकूल जारी किया गया है, जो निरस्तनीय है। साथ हीं अंकित किया है कि अधिनियम के नियम–167 के अन्तर्गत जारी पट्टो पर नियमानुसार सरपंच व सचिव के हस्ताक्षर होना चाहिये। जबकि गैर निग. क्रम–1 के हक में जारी पट्टे पर केवल तत्कालीन सरपंच के हस्ताक्षर है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सरपंच ग्राम पंचायत, किशनगंज द्वारा मनमाने तरीके से अपने चहेतो को अनुचित लाभ पहुॅचाने की नियत से गैरकानूनी तरीके से राजकोष को नुकसान पहुॅचाया गया है। अतः जारी पट्टे निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर, गैरनिगराकार क्रम–1 के पिता को जारी पट्टा संख्या–09 दिनांक 05.06.2003 निरस्त फरमाया जावे।

4– इस पर निगरानी दर्ज रजिस्टर की गयी। गैर निगराकारान् को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक निगराकार व गैर निगराकार क्रम–1/1 ता 1/2 की बहस सुनी गयी।

5– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक निगराकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत किशनगंज द्वारा गैर निगराकारान् के पिता को नियमों एवं कानूनी प्रावधानों एवं प्रक्रिया के विपरीत जाकर, गैर निग. को ग्राम किशनगंज में आबादी भूमि पैमाइशी **23 x 14= 322 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–09 दिनांक 05.06.2003 जारी किया गया है। पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व ना तो आबादी भूमि विक्रय की सार्वजनिक उद्घोषणा जारी की गयी, ना हीं विकास अधिकारी या जिला परिषद, बारां से आज्ञा प्राप्त की गयी है। पंचायत द्वारा ना तो निर्धारित प्रारूप संख्या–21 में पट्टा रजिस्टर संधारित किया। ना हीं यह जॉच की कि पट्टाधारी ग्राम किशनगंज में निवास करता है या अन्य स्थान का बिना जॉच पडताल किये हीं पट्टा जारी कर दिया। पंचायत द्वारा कथित पट्टा मात्र 200/–रूपये प्रति पट्टा राशि प्राप्त [illegible] किया गया है। पट्टा

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

जारी करने से पूर्व ना तो कमेटी तैयार की गयी, ना हीं अनुशंषा ली गयी। बिना कोरम की अनुमति के हीं चुपचाप तरीके से अपने चहेतो व्यक्तियों को अनुमति लाभ प्रदान करने की नियत से 200/– रूपये राशि में हीं पट्टा जारी किया गया है। जबकि उक्त भूमि पैमाइशी **23 x 14= 322 वर्गफीट** के तत्समय बाजार मुल्यांकित कीमत **13,524/–** बनती है। इस प्रकार तत्कालीन सरपंच द्वारा गैर निग. के पिता को उक्त पट्टा जारी कर राज पक्ष को काफी राजस्व हानि पहुॅचायी गयी है। सरपंच द्वारा उक्त कार्यवाहीं अनुचित तरीके की गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे पर निमयानुसार सरपंच एवं ग्राम सचिव दोनो के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। किन्तु उक्त पट्टे में ग्राम सचिव के हस्ताक्षर नहीं है, ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा जारी उक्त पट्टा प्रारम्भतः हीं शून्य की श्रेणी मे आता है।

6– पंचायत समिति, किशनगंज की स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा आडिट की गयी थी। जिसमें आडिट वर्ष 2003–04 के पेरा–9 में आक्षेपित किया गया है कि पट्टाधारी से उक्त बकाया राशि वसूली की जावे। यदि राशि वसूली नहीं हो तो उक्त पट्टे निरस्त किये जावे। पंचायत समिति,किशनगंज के स्तर से बकाया राशि वसूली के काफी प्रयास किये गये, किन्तु असफल रहे है। अतः गैर निगराकार के विरूद्व उक्त पट्टा संख्या पैमाइशी **23 x 14= 322 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–09 दिनांक 05.06.2003 विधि के प्रावधानों व नियमों के प्रतिकूल होने से पट्टा निरस्त किये जाने हेतु निगरानी प्रस्तुत की गयी है। अतः निगरानी स्वीकार कर, गैर निगराकारान् के पिता को जारी पट्टा दिनांक 05.06.2013 निरस्त फरमाया जावे।

7– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक गैर निगराकारान् ने निगराकार अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि तत्कालीन सरंपच ग्राम पंचायत, किशनगंज द्वारा वर्ष–2003 में आबादी भूमि पर नियमानुसार सार्वजनिक उद्धोषणा जारी कर, आवासहीन व्यक्तियो को नियमानुसार राशि जमा कराकर, विधिवत पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टे जारी करने में तत्कालीन सरपंच द्वारा कोई नियमों की अवहेलना नहीं की गयी है। पट्टा नियमित प्रकिया अनुसार हीं जारी किया गया है। निगराकार के यह कथन उचित नहीं है कि पट्टे पर सरपंच के हीं हस्ताक्षर है। सहवन से सचिव के हस्ताक्षर नहीं होने से यह नहीं माना जा सकता है कि उक्त पट्टा वैघ नहीं है। निग. का यह कथन भी उचित नहीं है कि पट्टाधारी के ग्राम किशनगंज में अन्य आवासीय मकान है या मूल रूप से किशनगंज का निवासी नहीं है। उक्त पट्टा वर्ष 2003 में तत्समय जारी किया गया था। अन्य आवासीय मकान बाद में भी बनाये जा सकते है। ऐसे आधारहींन तर्को एवं ऑडिट पेरा रिपोर्ट के आधार पर गैर निगराकारान् का पट्टा खारिज नहीं किया जा सकता। पट्टा यदि अवैध या अमान्य है तो उसके संबंध में पंचायत समिति के स्तर से समिति का गठन कर, पट्टे की विधिक जॉच कराया जाना चाहिये। ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर पट्टा निरस्त किया जाना कानूनी प्रावधानों एवं व्यवहारिक प्रकिया के विपरीत है। अतः निगरानी कानूनी प्रावधानों के विपरीत एवं आधारहींन होने से निरस्त फरमायी जावे।

8– हमने विद्वान अभिभाषक निगराकार एवं गैर निगराकारान् की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का [illegible] बहस पर मनन किया जिससे पाया जाता है कि ग्राम पंचायत, किश[illegible]ज [illegible]तत्कालीन सरपंच द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 05.06.2003 को गैर निगराकारान् के पिता को आबादी भूमि पर पैमाइशी **23 x 14= 322 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–09 दिनांक 05.06.2003 को जारी किया गया है, जिसे आडिट अंकेक्षण वर्ष, 2003–04 रिपोर्ट पेरा–9 से आक्षेपित किये जाने पर, निगराकार द्वारा गैर निगराकारान् के विरूद्व राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानो के तहत पट्टा निरस्तीकरण हेतु निगरानी प्रस्तुत की गयी है। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि तत्कालीन सरपंच द्वारा दिनांक 05.06.2003 को आबादी भूमि आरक्षित किये बिना, बिना सार्वजनिक उद्घोषणा जारी किये, मात्र आरक्षित न्यूनतम दर 200/–रूपये नियत करके, गैर निगराकारान् के पिता को पैमाइशी **23 x 14= 322 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–09 दिनांक 05.06.2003 जारी किया गया है। उक्त पट्टे का ना तो विधिवत रेकार्ड संधारित किया गया है, ना हीं उक्त पट्टे पर ग्राम सचिव, किशनगंज के हस्ताक्षर मौजूद है। इससे स्पष्ट होता है कि सरपंच ग्राम पंचायत, किशनगंज द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये, अपने चहेते व्यक्तियों को अवैध रूप से पट्टा जारी किया गया है, जो कानूनी प्रावधानों एवं नियमों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

9– परिणामस्वरूप, निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर, गैर निगराकारान् के पिता को तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत,किशनगंज द्वारा जारी आवासीय पट्टा पैमाइशी **23 x 14= 322 वर्गफीट का** पटट्ा संख्या–09 दिनांक 05.06.2003 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 01/2019

बउनवान

राजस्थान सरकार जर्ये जिला मजिस्ट्रेट, बारां **(प्रार्थी)**

बनाम

रामावतार गोयल पुत्र स्वं. श्री प्रेमनारायण गोयल जाति–महाजन निवासी–देवरी थाना–कस्बाथाना जिला बारां **(अप्रार्थी)**

राज. आयुध अधिनियम 1959 की धारा–17(3) के तहत कार्यवाही

निर्णय दिनांक– 31.10.2019

1– पत्रावली माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा के आदेश दिनांक 19.11.2018 से प्राप्त हुई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने दिनांक 29.10.2016 को भाई सोनू का निधन होने पर, उसके नाम से जारी आर्म्स अनुज्ञापत्र 32 बोर रिवाल्वर गन एफ.जी. 45594 लाईसेंस नं0 2030/बीएच/डी.एम. को अपने नाम दर्ज कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसपर जिला पुलिस अधीक्षक, बारां से आर्म्स अनुशंषा के संबंध मे रिपोर्ट चाहे जाने पर, रिपोर्ट दिनांक 29.12.2016 से लाईसेंस जारी नहीं किये जाने की अनुशंसा के आधार पर, आदेश दिनांक 20.03.2017 से प्रार्थी का आवेदन निरस्त किया गया था, जिसकी अपील माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त,कोटा में दायर करने पर माननीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 19.11.2018 से इस न्यायालय का आदेश क्रमांक एफ.7/न्याय/2017/857 दिनांक 20.3.2017 निरस्त कर, पत्रावली इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित की गयी है कि अपीलांट को उक्त अधिनियम की धारा–14 के तहत सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का विधिवत अवसर प्रदान कर, उपलब्ध अभिलेख का समुचित परीक्षण कर आर्म्स एक्ट में निहित प्रावधानो के परिपेक्ष्य में पुनः विधिसम्मत आदेश पारित किया जावे।

2– प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी पक्षकार रामावतार गोयल को तलब किया गया। अप्रार्थी ने दिनांक 06.03.2019 को उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया गया तथा अप्रार्थी को सुना गया।

3– अप्रार्थी का सुनवाई के दौरान कथन किया है। इस न्यायालय द्वारा अप्रार्थी का बिना सुनवाई किये आर्म्स आवेदन निरस्त किया गया था जिसकी अपील संभागीय आयुक्त महोदय, कोटा को की गयी थी, जिनने माना है उसे सुनवाई के अवसर नहीं दिया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक, बारां द्वारा पूर्व में राजनैतिक दबाब में रिपोर्ट पेश की गयी है। जबकि अपीलांट के विरूद्व किसी भी न्यायालय में कोई फौजदारी प्रकरण दर्ज नहीं है, जिसमें उसके द्वारा कभी लडाई झगडा किया गया हो या किसी हथियार का उपयोग किया है। अप्रार्थी सामाजिक गतिविधियों से जुडा हुआ है तथा आम आदमी के तरह जीवनयापन [illegible] है। थानाधिकारी व

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

उपधीक्षक,शाहाबद द्वारा पूर्व में दिनांक 19.09.2016 को फार्म K पर आर्म्स अनुज्ञापत्र जारी करने में कोई आपत्ति नहीं की गया थी, बाद में राजनैतिक दबाव डालकर पुनः फार्म K पर दिनांक 18.11.2016 को नकारात्मक रिपोर्ट करवाई गयी है। जिला मजिस्ट्रेट,बारां द्वारा प्रार्थी के प्रार्थनापत्र पर पुनः चारित्रिक एवं दर्ज मुकदमों की रिपोर्ट चाहीं गयी थी। जिला पुलिस अधीक्षक, बारां द्वारा दिनांक 13.09.2019 को पुनः रिपोर्ट भिजवायी गयी है, जिसमें माना है कि उसके विरूद्व थाना–कस्बाथाना व शाहबाद में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी के विरूद्व कोई आपराधिक रेकार्ड नहीं है। अप्रार्थी को आर्म्स शस्त्र की सख्त आवश्यकता है क्योकि प्रार्थी के भाई स्व. सोनू गोयल की पत्नी दिप्ती गोयल ग्राम पंचायत बीलखेडा डॉग की सरपंच है जिनके दो पुत्र/पुत्री है, जो नाबालिग है। ग्राम पंचायत में 8 गॉव है जो पूरी तरह से जंगली एवं दस्यू पिडित क्षैत्र है तथा मध्यप्रदेश की सीमाये लगी हुयी है। परिवार को हमेशा जान माल का खतरा है। इसलिये आर्म्स शस्त्र की सख्त आवश्यकता है। अतः अप्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर, अप्रार्थी के नाम नवीन लाईसेंस जारी करने के आदेश प्रदान किये जावे तथा छोटे भाई स्व. सोनू को जारी आर्म्स अनुज्ञापत्र 32 बोर रिवाल्वर गन एफ.जी. 45594 लाईसेंस नं0 2030/बीएच/डी.एम. जो वर्तमान में पुलिस थाना– कस्बाथाना में जमा है, उक्त शस्त्र को अप्रार्थी के नाम जारी करने के आदेश प्रदान किये जावे।

4– हमने अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली का आद्योपात अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि पूर्व में जिला पुलिस अधीक्षक, बारां की रिपोर्ट दिनांक 29.12.2016 के आधार पर अप्रार्थी का आर्म्स अनुज्ञापत्र प्रार्थनापत्र खारिज किया गया था। चूकि माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त,कोटा द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि आवेदक/अपीलार्थी को सुनवाई व अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर प्रदान कर, पुनः आदेश पारित किया जावे। इस परिपेक्ष्य में अप्रार्थी आवेदक को सुना गया जिससे पाया जाता है कि अप्रार्थी को आत्मरक्षार्थ आर्म्स शस्त्र चाहने हेतु जो कारण बताये गये है, उचित प्रतीत होते है तथा जिला पुलिस अधीक्षक, बारां से भी दिनांक 13.09.2019 को अप्रार्थी की चारित्रिक एवं आपराधिक प्रकरणों के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिससे अवलोकन से पाया जाता है कि अप्रार्थी के विरूद्व थाना हाजा पर कोई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्व नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्तमान में अप्रार्थी सचरित्र है तथा आपराधिक प्रकरण पंजीबद्व नहीं है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी को आर्म्स अनुज्ञापत्र जारी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

5– परिणामस्वरूप, अप्रार्थी का प्रार्थनापत्र आर्म्स अनुज्ञापत्र स्वीकार कर, आर्म्स अनुज्ञापत्र जारी किये जाने की अनुशंषा की जाती है। अप्रार्थी रामावतार गोयल पुत्र स्व. श्री प्रेमनारायण गोयल नि. देवरी थाना–कस्बाथाना तह.शाहबाद के अप्रार्थी के भाई स्व. सोनू के नाम से जारी शस्त्र 32 बोर रिवाल्वर नं. 45594 को दर्ज करने के आदेश पारित किये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला मजिस्ट्रेट,बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 10/2019

बउनवान

प्रेमबाई बेवा सुदामा आयु 5 साल जाति–पटवार निवासी–गुरूद्वारे के सामने की गली, बारां तहसील–बारां जिला–बारां (राज0) **(अपीलांटा)**

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील बनाराजगी तहसीलदार–बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 527 दिनांक 10.06.2014 वाके ग्राम कल्याणपुरा अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री नरेन्द्र सिंह हाडा, अभिभाषक **(अपीलांटा)**

2. परोकार सरकार **(रेस्पोडेंट)**

निर्णय दिनांक– 31.10.2019

1– अपीलांटा ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा तस्दीकी नामान्तकरण संख्या 527 दिनांक 10.5.2014 वाके ग्राम कल्याणपुरा तह.बारां से अप्रसन्न होकर अपील प्रस्तुत कर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10.6.2014 खिलाफ कानून व मिसल के विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेंट द्वारा इन्तकाल तस्दीक करते समय वासु पुत्र सुदामा को बालिग दर्ज कर दिया है। जबकि वासु की उम्र मात्र 17 वर्ष है तथा इन्तकाल तस्दीक करते समय वासु की उम्र मात्र 14 वर्ष थी जो नाबांलिग है।

2– वासु पुत्र सुदामा नाबालिंग जरिये वली माता प्रेमबाई बेवा सुदामा दर्ज होना चाहिये था। उक्त तथ्य हल्का पटवारी द्वारा रेस्पों0 के समक्ष भी सहीं रूप से प्रस्तुत नहीं किया है, इस कारण उक्त गलती हुयी है। न्यायहित में उसे सहीं किया जाना न्यायोचित है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 527 दिनांक 10.6.14 वाके ग्राम कल्याणपुरा में दर्ज वासु पुत्र सुदामा को नाबालिंग दर्ज कर जरिये वली माता प्रेमबाई पत्नी सुदामा जाति–पटवा निवासी–बारां दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

3– इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से नामान्तकरण प्रति प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

4– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलांटा के पि[illegible]श्री [illegible]मा की मृत्यु होने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फौती इन्तकाल नं0 527 दिनांक 10.6.2014 तस्दीक किया गया है जिसमें वारिस पुत्र वासु को बालिग दर्ज कर दिया है। जबकि वासु की जन्म तिथि दिनांक 28.6.2002 की है जो जन्मप्रमाण व आधार कार्ड से प्रमाणित है। इन्तकाल तस्दीकी दिनांक को वासु मात्र 12 वर्ष का था। हल्का पटवारी ने बालिंग दर्ज करने में कानूनी भूल है। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बारां ने उक्त इन्तकाल तस्दीक किया है, जो पूर्णतया त्रुटिपूर्ण है तथा दुरूस्त योग्य है। अतः अपीलांटा की अपील स्वीकार की जाकर, तहसीलदार, बारां को उक्त इन्तकाल संशोधित कर, वासु पुत्र सुदामा को नाबालिंग दर्ज कर, जरिये सरंक्षक वली माता प्रेमबाई पत्नी सुदामा जाति–पटवा नि. बारां दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

5– इसके विपरीत पेरोकार सरकार का कथन है कि तत्समय हल्का पटवारी व भू.अभि.निरीक्षक की वारिसान् सजरा रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा इन्तकाल तस्दीक किया गया है। यदि इन्तकाल में वासु को नाबालिंग के स्थान पर बालिग दर्ज कर दिया है तो रेकार्ड का परीक्षण उपरान्त दुरूस्त योग्य है तो उसे सहीं किया जा सकता है।

6– हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांटा व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। जिससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा मृतक सुदामा पुत्र लक्ष्मीचंद का, वारिसान् के नाम दिनांक 10.6.2014 को फौती इन्तकाल नं0 527 वाके ग्राम कल्याणपुरा तस्दीक किया गया है। अपीलांटा का कथन है कि इन्तकाल में वासु को बालिग दर्ज कर दिया है। जबकि वासु नाबालिंग है। इस परिपेक्ष्य में अपीलांटा द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् जन्मप्रमाण व आधार कार्ड प्रस्तुत किये है जिसमें वासु पुत्र सुदामा की जन्मतिथि दिनांक 28.06.2002 अंकित है। इससे प्रतीत होता है कि वक्त तस्दीकी फौती इन्तकाल अपीलांटा का पुत्र वासु नाबालिंग था। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा तत्समय फौती इन्तकाल में वासु को बालिग करने की विधिक भूल की है।

7– परिणामस्वरूप, अपीलांटा की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 527 दिनांक 10.06.2014 वाके ग्राम कल्याणपुरा तह0 बारां निरस्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बारां को इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित की जाती है कि मृतक सुदामा के जायन्दा वारिसान् की विधिवत सुनवाई व अपीलांटा द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् यथा जन्म प्रमाणपत्र व आधारकार्ड का परीक्षण कर, पुनः विधिसम्मत फौती इन्तकाल तस्दीक किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 10/2017

बउनवान

राजेन्द्र आयु 35 साल पुत्र श्री रामसिंह जाति–मीणा निवासी चुरेलिया तहसील–बारां, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री अशोक मीणा, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 31.10.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 08.04.2015 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–चुरेलिया, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 426 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 100/– रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट को सुनवायी, जवाबदेहीं एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किया ना हीं बेदखल किया गया है। बेदखलीनामा पत्रावली में शामिल नहीं है। अतिक्रमित आराजी की पेमाईश नहीं की गयी है ना हीं स्वतंत्र साक्ष्य ली गयी है। केवल मात्र हल्का पटवारी के बयानो के आधार पर अतिक्रमी माना है। जबकि अपीलांट का वर्णित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय आदेश पारित करने में भारी भूल की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 8.4.2015 निरस्त फरमायी जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। तावान राशि जमा करा दी है तथा अपीलांट भविष्य में कभी भी उक्त आराजी पर अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये आदेश पारित किया गया है। अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 8.4.2015 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 172/12 निर्णय दिनांक 15.5.2012 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है, ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति व नरमी का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 08.04.2015 से पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 287/2015 में पारित निर्णय दिनांक 8.4.2015 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, बारां कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 08.04.2015 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां का उक्त निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 118/2017

बउनवान

सूर्यप्रकाश पुत्र श्री रामगोपाल जाति–मीणा निवासी कोटडी तहसील–बारां, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री अशोक मीणा, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 31.10.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 18.3.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–कोटडी, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 22 रकबा 0.50 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 250/– रूपये अर्थदण्ड एंव 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट को सुनवायी, जवाबदेहीं एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किया ना हीं बेदखल किया गया है। बेदखलीनामा पत्रावली में शामिल नहीं है। अतिक्रमित आराजी की पेमाईश नहीं की गयी है ना हीं स्वतंत्र साक्ष्य ली गयी है। केवल मात्र हल्का पटवारी के बयानो के आधार पर अतिक्रमी माना है। जबकि अपीलांट का वर्णित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय आदेश पारित करने में भारी भूल की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.03.2014 निरस्त फरमायी जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। अपने कथन के समर्थन में रिपोर्ट पेश की गयी। साथ हीं कथन किया कि अपीलांट ने बकाया तावान राशि जमा करा दी है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये आदेश पारित किया गया है। अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.03.2014 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 294/13 निर्णय दिनांक 10.04.2013 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह भूमि है, जिसपर अपीलांट द्वारा पश्चात्वर्ती अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर अतिक्रमी पाये जाने पर मिसल नम्बर 294/13 निर्णय दिनांक 10.04.2013 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहींन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 605/14 में पारित आदेश दिनांक 18.03.2014 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 17/2017

बउनवान

मन्नालाल पुत्र प्रहलाद जाति–माली निवासी–चुरेलिया
तहसील–बारां, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री अशोक मीणा, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 31.10.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 08.04.2015 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–चुरेलिया, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 126 रकबा 0.50 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 250/– रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट को सुनवायी, जवाबदेहीं एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किया ना हीं बेदखल किया गया है। बेदखलीनामा पत्रावली में शामिल नहीं है। अतिक्रमित आराजी की पेमाईश नहीं की गयी है ना हीं स्वतंत्र साक्ष्य ली गयी है। केवल मात्र हल्का पटवारी के बयानो के आधार पर अतिक्रमी माना है। जबकि अपीलांट का वर्णित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय आदेश पारित करने में भारी भूल की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.04.2015 निरस्त फरमायी जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। अपने कथन के समर्थन में रिपोर्ट पेश की गयी। साथ हीं कथन किया कि अपीलांट ने बकाया तावान राशि जमा करा दी है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये आदेश पारित किया गया है। अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.04.2015 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 1381/12 निर्णय दिनांक 15.05.2012 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह भूमि है, जिसपर अपीलांट द्वारा पश्चात्वर्ती अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर अतिक्रमी पाये जाने पर मिसल नम्बर 1381/12 निर्णय दिनांक 15.5.2012 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहींन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 281/15 में पारित आदेश दिनांक 08.04.2015 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 390/2016

बउनवान

पंकेश आयु 43 साल पुत्र श्री अर्जुन जाति–मीणा निवासी–कोटडी तुलसां तहसील–बारां जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री मदनमोहन नागर, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 25.11.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 10.2.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–तुमडा, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 330 कुल रकबा 0.24 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 132/–रूपये अर्थदण्ड एंव 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो एवं तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है, ना हीं अपीलांट को कभी बेदखल किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र हल्का पटवारी के बयानो के आधार पर अतिक्रमी माना है जबकि अपीलांट का उक्त वर्णित आराजियात् पर कोई कब्जा नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.2.2016 निरस्त किया जाकर अपीलांट को सजा व जुर्माने से बरी किया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को ना तो विधिवत नोटिस जारी किया है ना हीं सुनवाई व जवाब का कोई अवसर दिया है, एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। निर्णय परफोर्मा [illegible] विश्वसनीय नहीं माना

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

जा सकता। अपीलांट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है, कब्जा काफी समय से छोड रखा है। इस संबंध में में मौका रिपोर्ट पेश की गयी। साथ हीं कथन किया कि हल्का पटवारी ने अपीलांट को विरूद्व बिना मौके देखे व कब्जे की जॉच किये बिना अधीनस्थ न्यायालय में रिपोर्ट पेश की गयी है, इसी आधार पर अपीलांट को सजायाब किया गया है, जो विधि विरूद्व है। वर्तमान में अपीलांट को कोई कब्जा काश्त नहीं है ना हीं उसके विरूद्व कोई तावान राशि बकाया है। अपीलांट भविष्य में भी उक्त आराजी पर कभी कब्जा नहीं करने के लिए वचनबद्व है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.2.2016 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 684/13 निर्णय दिनांक 31.12.2013 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है, ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति व नरमी का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 10.2.2016 से पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 92/2016 में पारित निर्णय दिनांक 10.2.2016 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार,बारां कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार,बारां द्वारा निर्णय दिनांक 10.2.2016 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां का उक्त निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 107/2017

बउनवान

भैरूलाल आयु 45 साल पुत्र बेजनाथ जाति–तेली निवासी–कोयला तहसील–बारां जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री ओम मेहता ाा, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक – 25.11.2019

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 30.01.2017 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–कोयला, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 27621/3427 रकबा 0.50 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 250/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया है। किसी स्वतंत्र गवाह के बयान दर्ज नहीं किये गये है ना हीं प्रार्थी को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर दिया गया है। उक्त निर्णय अपीलांट की गैर हाजरी में साईक्लोस्टाईल प्रफोर्मा पर पारित किया गया है जो न्याय संगत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजी पर अपीलांट का काई कब्जा नहीं है ना हीं तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व विधि विरूद्व आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.1.2017 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उन्होंने आराजी से कब्जा छोड दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। साथ हीं कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय परफोर्मा पर दिया है जो स्पेसिफिक निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.1.2017 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 1075/14 निर्णय दिनांक 18.12.2014 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह भूमि है जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 1075/14 निर्णय दिनांक 18.12.2014 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 123/17 में पारित आदेश दिनांक 30.1.2017 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 06/2017

बउनवान

राज्य सरकार जर्ये प्रवर्तन निरीक्षक, अन्ता/बारां जिला–बारां(राज.) **(प्रार्थी)**

बनाम

श्री त्रिलोक पुत्र श्री मॉगीलाल कुमावत पलायथा अन्ता प्रो. मै0 बालाजी रेस्टोरेंट राष्ट्रीय राजमार्ग, पलायथा अन्ता जिला–बारां **(अप्रार्थी)**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 धारा, 6(ए) के तहत

उपस्थिति :–1. पेरोकार रसद **(प्रार्थी)**

2. श्री विजय कुमार चौहान,अभिभाषक **(अप्रार्थी)**

निर्णय दिनांक– 25.11.2019

1– प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, बारां ने इस्तगासा विरूद्व अप्रार्थी अन्तर्गत धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर इस्तगासे में अंकित किया है कि दिनांक 06.10.2017 को अन्ता से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग पर संचालित ढ़ाबो/रेस्टोरेंट पर घरेलू सिलेण्डरों के बढ़ते व्यवसायिक उपयोग की शिकायत पर मै0 बालाजी रेस्टोरेन्ट राष्ट्रीय राजमार्ग पर दल सहित पहुॅचे। रेस्टोरेन्ट की जॉच के दौरान उसके व्यवसायिक परिसर मे तीन घरेलू गैस सिलेण्डर BPCL कम्पनी के पाये जिसमें एक प्लास्टिक पाईप के जरिये भट्टी से जुडा हुआ था तथा दो गैस सिलेण्डर इसी प्रयोजनार्थ वहॉ रखे हुये थे। इस प्रकार उक्त तीनो 14.2 किग्रा. के घरेलू गैस सिलेण्डर व्यवसायिक उपयोग में पाए गये। इस बाबत रेस्टोरेंट पर उपस्थित प्रतिनिधि श्री त्रिलोक कुमावत से पूछताछ की गई जो कोई जवाब नहीं दे पाये तथा इस बाबत कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया। गैस सिलेण्डरों का विवरण निम्न प्रकार है–

क्र0सं0	सिलेण्डर का एस.आर.नं0	कम्पनी	सिलेण्डर पर उपदर्शित एल.पी.जी. का मानक भार	खाली सिलेण्डरो का टेयरवेट	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एल.पी.जी	शुद्व गैस का भार
1	315799	BPCL	14.2	15.7	16.0	0.3
2	283191	BPCL	14.2	15.7	23.2	7.5
3	86083	BPCL	14.2	15.9	28.8	12.9

इस प्रकार उक्त फर्म मालिक ने घरेलू प्रयोजनार्थ सिलेण्डरों का अपने व्यवसयिक हितो की पूर्ति में काम में लिया है जो नियम विरूद्व है तथा राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का स्पष्ट उल्लघंन है। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरो को जप्त सरकार कर रूबरू मौतबिरान श्री योगेन्द्र पुत्र गोवर्धनलाल प्रतिनिधि मै. अन्ता गैस सर्विस अन्ता की सुपुर्दगी में दिये गये। इस प्रकार जप्तशुदा 3 घरेलू सिलेण्डरो मय 20.7 किग्रा. गैस एवं एक गैस भट्टी चूल्हे एक प्लास्टिक पाई[illegible] लेटर का नियमानुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राजसात किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2— प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी के उपस्थित होकर अपने समर्थन में दिनांक 24.11.2018 को जवाब इस्तगासा पेश किया गया।

3— अप्रार्थी ने अपने जवाब में लिखा है कि प्रार्थी रेस्टोरेंट का व्यवसाय करता है। दिनांक 6.10.2017 को व्यवसायिक स्थल पर व्यवसायिक गैस सिलेण्डरो का हीं इस्तेमाल कर रहा था। प्रार्थी का आवास कस्बा पलायथा में मार्ग सकडा होने से घरेलू सिलेण्डर हिन्दुस्तान पेट्रालियम के प्रार्थी के ढ़ाबे पर हीं रखकर जाते है ओर वहॉ से उन सिलेण्डरों का प्रार्थी घर पर भिजवा देता है। उक्त दिनांक को भी घरेलू सिलेण्डर जो जॉच के दौरान जप्त किये गये है, घर भिजवाने के लिये ढ़ाबे पर रखे हुये थे जिनको रसद विभाग के अधिकारियों द्वारा जप्त कर लिया है। प्रार्थी ने कभी भी घरेलू सिलेण्डरो का व्यवसायिक कार्य में इस्तेमाल नहीं किया है। रसद विभाग ने जबरन जप्त किये है।

4— प्रकरण में अप्रार्थी का जवाब प्राप्त होने पर, बहस विद्वान पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी अभिभाषक सुनी गयी।

5— बहस के दौरान विद्वान पेरोकार सरकार ने इस्तगासे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अन्ता में घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ कार्य में लिये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर, गठित दल के साथ दिनांक 06.10.2017 को अप्रार्थी के व्यवसायिक रेस्टोरेंट मै. बालाजी रेस्पोडेंट राष्ट्रीय राजमार्ग, अन्ता पर पहुॅचकर जॉच की गयी। जॉच के दौरान दुकान में मौके पर 3 घरेलू सिलेण्डर एक गैस चूल्हा पाया गया। जिनमें से एक गैस सिलेण्डर भट्टी से जुडा हुआ था तथा दो गैस सिलेण्डर इसी प्रयोजनार्थ रखे हुये थे। मौके पर उपस्थित व्यवसायिक मालिक से इसके संबंध में पूछताछ की गयी। किन्तु उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया गया है, जो विधि विरूद्व एवं राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है एवं दंडनीय अपराध है। अतः जप्तशुदा चार घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस एवं एक चूल्हे का राजसात किया जावे।

6— इसके विपरीत विद्धान अप्रार्थी अभिभाषक का कथन है कि रसद विभाग द्वारा उसके विरूद्व गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यवसायिक उपयोग में लिये जाने से, सिलेण्डर व चूल्हा जप्त किये जाने का केस दर्ज किया गया है। जबकि अप्रार्थी द्वारा उक्त गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग नहीं किया गया है। मौके पर विभाग द्वारा उक्त गैस सिलेण्डरो का चुल्हे से जुडे होने की बात लिखी है। यह कथन पूर्णतया असत्य एवं निराधार है। उक्त [illegible] सिलेण्डरो को कभी भी व्यवसायिक उपयोग में नहीं लिया गया है। उक्त [illegible] सिलेण्डर घरेलू उपयोग के

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

लिये है। उसका घर ग्राम पलायथा में है, घर का रास्ता काफी सकडा होने से वाहन घर पर नहीं पहुॅच पाने है। इसलिये गैस ऐजेन्सी वाले हॉम डिलेवरी उसके दुकान पर हीं कर देते है। प्रार्थी अपनी सुविधा अनुसार उक्त गैस सिलेण्डरों को घर पर पहूॅचा देता है। इसी उद्धेश्य हेतु गैस सिलेण्डर उसके रेस्टोरेंट में रखे हुये थे। किन्तु रसद विभाग से उसकी कोई बात नहीं सुनी तथा उनपर झूठी रिपोर्ट तैयार कर, केस दर्ज कर दिया है। प्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है। उसने कभी भी घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवासियक उपयोग हेतु दुरूपयोग नहीं किया है। इस्तगासा मनगठंत व निराधार तथ्यों पर आधारित है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः इस्तगासा निरस्त फरमाया जाकर, जप्तशुदा गैस सिलेण्डर 3 मय गैस एवं भट्टी अन्तरिम सुपुर्दगीदार से अप्रार्थी को वापस लौटाये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

7— हमने विद्वान पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी अभिभाषक को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, अन्ता द्वारा अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसायिक परिसर मै0 बालाजी रेस्टोरेंट राष्ट्रीय राजमार्ग, अन्ता पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग में लिये जाने पर, मौके पर 3 गैस सिलेण्डरों एवं भट्टी को जप्त किया गया है। इसी प्रकार अप्रार्थी का कथन रहा है कि उसके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का किसी प्रकार से दुरूपयोग नहीं किया है। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रवर्तन निरीक्षक, अन्ता द्वारा अप्रार्थी के व्यवसायिक परिसर पर मौके पर जप्तशुदा एक गैस सिलेण्डर व भट्टी एक प्लास्टिक पाईप से जुडा हुआ पाया गया है। इसी आधार पर मौके पर गैस सिलेण्डरो एवं भट्टी को जप्त किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग में लिया जाना प्रमाणित है, जो अप्रार्थी की घोर अनियमितता की श्रेणी में आता है।

8— परिणामस्वरूप, प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, अन्ता द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में उपरोक्तानुसार जप्तशुदा 3 गैस सिलेण्डर मय 20.7 किग्रा. गैस एवं एक गैस भट्टी को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा सामान को अंतरिम सुपुर्दगीदार से प्राप्त कर, नियमानुसार उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों को संबंधित कम्पनी एच0पी0 में जमा कराकर, रसीद प्राप्त करे तथा भट्टी चुल्हे का खुली नीलामी में विक्रय कराकर, प्राप्त आय को राजकीय राजसात मद में जमा करावे।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 07/2017

बउनवान

राज्य सरकार जर्ये प्रवर्तन निरीक्षक, अन्ता/बारां जिला–बारां(राज.) **(प्रार्थी)**

बनाम

श्री बाबूलाल पुत्र मोतीलाल प्रजापत पलायथा अन्ता प्रो. मै0 बाबा रामदेव ढ़ाबा व रेस्टोरेंट राष्ट्रीय राजमार्ग, पलायथा अन्ता जिला–बारां **(अप्रार्थी)**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 धारा, 6(ए) के तहत

उपस्थिति :–1. पेरोकार रसद **(प्रार्थी)**

2. श्री विजय कुमार चौहान,अभिभाषक **(अप्रार्थी)**

निर्णय दिनांक– 25.11.2019

1– प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, बारां ने इस्तगासा विरूद्व अप्रार्थी अन्तर्गत धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर इस्तगासे में अंकित किया है कि दिनांक 06.10.2017 को अन्ता से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग पर संचालित ढ़ाबो/रेस्टोरेंट पर घरेलू सिलेण्डरों के बढ़ते व्यवसायिक उपयोग की शिकायत पर मै0 बाबा रामदेव ढ़ाबा व रेस्टोरेन्ट राष्ट्रीय राजमार्ग पर दल सहित पहुॅचे। रेस्टोरेन्ट की जॉच के दौरान उसके व्यवसायिक परिसर मे तीन घरेलू गैस सिलेण्डर दो BPCL व एक HPCL कम्पनी के पाये जिसमें एक प्लास्टिक पाईप के जरिये भट्टी से जुडा हुआ था तथा दो गैस सिलेण्डर इसी प्रयोजनार्थ वहॉ रखे हुये थे। इस प्रकार उक्त तीनो 14.2 किग्रा. के घरेलू गैस सिलेण्डर व्यवसायिक उपयोग में पाए गये। इस बाबत रेस्टोरेंट पर उपस्थित प्रतिनिधि श्री बाबूलाल से पूछताछ की गई जो कोई जवाब नहीं दे पाये तथा इस बाबत कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया। गैस सिलेण्डरों का विवरण निम्न प्रकार है–

क0सं0	सिलेण्डर का एस.आर.नं0	कम्पनी	सिलेण्डर पर उपदर्शित एल.पी.जी. का मानक भार	खाली सिलेण्डरो का टेयरवेट	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एल.पी.जी	शुद्व गैस का भार
1	857156	HPCL	14.2	16.1	22.2	6.1
2	280876	BPCL	14.2	15.9	28.0	12.1
3	140746	BPCL	14.2	16.4	23.2	6.8

इस प्रकार उक्त फर्म मालिक ने घरेलू प्रयोजनार्थ सिलेण्डरों का अपने व्यवसयिक हितो की पूर्ति में काम में लिया है जो नियम विरूद्व है तथा राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का स्पष्ट उल्लघंन है। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरो को जप्त सरकार कर रूबरू मौतबिरान श्री योगेन्द्र पुत्र गोवर्धनलाल[illegible] सर्विस अन्ता की सुपुर्दगी में दिये गये। इस प्रकार जप्तशुदा 3 घरेलू [illegible] सिलेण्डरों मय 25.00 किग्रा.

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

गैस एवं एक गैस भट्टी चूल्हे एक प्लास्टिक पाईप मय रेगुलेटर का नियमानुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राजसात किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2— प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी के उपस्थित होकर अपने समर्थन में दिनांक 24.12.2018 को जवाब इस्तगासा पेश किया गया।

3— अप्रार्थी ने अपने जवाब में लिखा है कि प्रार्थी रेस्टोरेंट का व्यवसाय करता है। दिनांक 6.10.2017 को व्यवसायिक स्थल पर व्यवसायिक गैस सिलेण्डरो का हीं इस्तेमाल कर रहा था। प्रार्थी का आवास कस्बा पलायथा में मार्ग सकडा होने से घरेलू सिलेण्डर हिन्दुस्तान पेट्रालियम के प्रार्थी के ढ़ाबे पर हीं रखकर जाते है ओर वहॉ से उन सिलेण्डरों का प्रार्थी घर पर भिजवा देता है। उक्त दिनांक को भी घरेलू सिलेण्डर जो जॉच के दौरान जप्त किये गये है, घर भिजवाने के लिये ढ़ाबे पर रखे हुये थे जिनको रसद विभाग के अधिकारियों द्वारा जप्त कर लिया है। प्रार्थी ने कभी भी घरेलू सिलेण्डरो का व्यवसायिक कार्य में इस्तेमाल नहीं किया है। रसद विभाग ने जबरन जप्त किये है।

4— प्रकरण में अप्रार्थी का जवाब प्राप्त होने पर, बहस विद्वान पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी अभिभाषक सुनी गयी।

5— बहस के दौरान विद्वान पेरोकार सरकार ने इस्तगासे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अन्ता में घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ कार्य में लिये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर, गठित दल के साथ दिनांक 06.10.2017 को अप्रार्थी के व्यवसायिक रेस्टोरेंट मै. बाबा रामदेव ढ़ाबा व रेस्टोरेंट राष्ट्रीय राजमार्ग, अन्ता पर पहुॅचकर जॉच की गयी। जॉच के दौरान दुकान में मौके पर 3 घरेलू सिलेण्डर एक गैस चूल्हा पाया गया। जिनमें से एक गैस सिलेण्डर भट्टी से जुडा हुआ था तथा दो गैस सिलेण्डर इसी प्रयोजनार्थ रखे हुये थे। मौके पर उपस्थित व्यवसायिक मालिक से इसके संबंध में पूछताछ की गयी। किन्तु उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया गया है, जो विधि विरूद्व एवं राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है एवं दंडनीय अपराध है। अतः जप्तशुदा तीन घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस एवं एक चूल्हे का राजसात किया जावे।

6— इसके विपरीत विद्वान अप्रार्थी अभिभाषक का कथन है कि रसद विभाग द्वारा उसके विरूद्व गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यवसायिक उपयोग में लिये जाने से, सिलेण्डर व चूल्हा जप्त किये जाने का केस दर्ज किया गया है। जबकि अप्रार्थी द्वारा उक्त गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग नहीं किया गया है। मौके पर विभाग द्वारा उक्त गैस सिलेण्डरो का चुल्हे [illegible] है। यह कथन पूर्णतया असत्य एवं निराधार है। उसके द्वारा घरे[illegible]लेण्डरो को कभी भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

व्यवसायिक उपयोग में नहीं लिया गया है। उक्त गैस सिलेण्डर घरेलू उपयोग के लिये है। उसका घर ग्राम पलायथा में है, घर का रास्ता काफी सकडा होने से वाहन घर पर नहीं पहुॅच पाने है। इसलिये गैस ऐजेन्सी वाले हॉम डिलेवरी उसके दुकान पर हीं कर देते है। प्रार्थी अपनी सुविधा अनुसार उक्त गैस सिलेण्डरों को घर पर पहूॅचा देता है। इसी उद्धेश्य हेतु गैस सिलेण्डर उसके रेस्टोरेंट में रखे हुये थे। किन्तु रसद विभाग से उसकी कोई बात नहीं सुनी तथा उनपर झूठी रिपोर्ट तैयार कर, केस दर्ज कर दिया है। प्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है। उसने कभी भी घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवासियक उपयोग हेतु दुरूपयोग नहीं किया है। इस्तगासा मनगठंत व निराधार तथ्यों पर आधारित है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः इस्तगासा निरस्त फरमाया जाकर, जप्तशुदा गैस सिलेण्डर 3 मय गैस एवं भट्टी अन्तरिम सुपुर्दगीदार से अप्रार्थी को वापस लौटाये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

7— हमने विद्वान पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी अभिभाषक को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, अन्ता द्वारा अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसायिक परिसर मै0 बाबा रामदेव ढ़ाबा व रेस्टोरेंट राष्ट्रीय राजमार्ग, अन्ता पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग में लिये जाने पर, मौके पर 3 गैस सिलेण्डरों एवं भट्टी को जप्त किया गया है। इसी प्रकार अप्रार्थी का कथन रहा है कि उसके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का किसी प्रकार से दुरूपयोग नहीं किया है। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रवर्तन निरीक्षक, अन्ता द्वारा अप्रार्थी के व्यवसायिक परिसर पर मौके पर जप्तशुदा एक गैस सिलेण्डर व भट्टी एक प्लास्टिक पाईप से जुडा हुआ पाया गया है। इसी आधार पर मौके पर गैस सिलेण्डरो एवं भट्टी को जप्त किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग में लिया जाना प्रमाणित है, जो अप्रार्थी की घोर अनियमितता की श्रेणी में आता है।

8— परिणामस्वरूप, प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, अन्ता द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में उपरोक्तानुसार जप्तशुदा 3 गैस सिलेण्डर मय 25.00 किग्रा. गैस एवं एक गैस भट्टी को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा सामान को अंतरिम सुपुर्दगीदार से प्राप्त कर, नियमानुसार उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों को संबंधित कम्पनी एच0पी0 में जमा कराकर, रसीद प्राप्त करे तथा भट्टी चुल्हे का खुली नीलामी में विक्रय कराकर, प्राप्त आय को राजकीय राजसात मद में जमा करावे।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 239/2016

बउनवान

नाथूलाल पुत्र आनन्नदी जाति–धाकड साकिन रूपपुरा
तहसील अन्ता, जिला–बारां (राज.) **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री राजेश कुमार गुप्ता अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 23.12.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता के आदेश दिनांक 15.02.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–रूपपुरा, तहसील–अन्ता की आराजी खसरा नम्बर 69 रकबा 0.08 हैक्टर किस्म–चारागाह पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 128/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई जवाबदेही का अवसर दिये बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है ना हीं कोई सरकार तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.02.2016 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उसने आराजी से कब्जा छोड रखा है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है [illegible] अपीलांट उक्त आराजी पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

भविष्य में कभी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। उसने तावान राशि भी जमा करा दी गयी है। साथ ही निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.02.2016 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में उक्त आराजी पर अतिचार करने पर खरीफ सम्वत् 2072 में भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है। इस संबंध में तहसीलदार, अन्ता की मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसके अवलोकन से पाया जाता है कि मौके पर सफेदा पेड लगा हुआ है तथा शेष भूमि खाली बतायी गयी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा निर्णय दिनांक 15.02.2016 से पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 350/2015 में पारित निर्णय दिनांक 15.02.2016 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, अन्ता के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, अन्ता कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा निर्णय दिनांक 15.02.2016 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता का उक्त निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 237/2016

बउनवान

लटूरलाल पुत्र श्री भैरूलाल जाति–धाकड साकिन रूपपुरा
तहसील अन्ता, जिला–बारां (राज.) **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री राजेश कुमार गुप्ता अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 23.12.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता के आदेश दिनांक 15.02.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–रूपपुरा, तहसील–अन्ता की आराजी खसरा नम्बर 69 रकबा 0.16 हैक्टर किस्म–चारागाह पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 256/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई जवाबदेही का अवसर दिये बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है ना हीं कोई सरकार तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.02.2016 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उसने आराजी से कब्जा छोड रखा है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है [illegible] अपीलांट उक्त आराजी पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

भविष्य में कभी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता की मौका रिपोर्ट भी प्राप्त हुई है जिसमें भूमि पडत बतायी गयी है। उसने तावान राशि भी जमा करा दी गयी है। साथ ही निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.02.2016 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में उक्त आराजी पर अतिचार करने पर खरीफ सम्वत् 2072 में भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है तथा कब्जा छोडने के संबंध में तहसीलदार, अन्ता की मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा निर्णय दिनांक 15.02.2016 से पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 344/2015 में पारित निर्णय दिनांक 15.02.2016 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, अन्ता के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, अन्ता कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा निर्णय दिनांक 15.02.2016 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता का उक्त निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 238/2016

बउनवान

दयाराम पुत्र मोडूराम जाति–गूजर साकिन रूपपुरा
तहसील अन्ता, जिला–बारां (राज.) **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री राजेश कुमार गुप्ता अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 23.12.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता के आदेश दिनांक 15.02.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–रूपपुरा, तहसील–अन्ता की आराजी खसरा नम्बर 69 रकबा 0.08 हैक्टर किस्म–चारागाह पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 128/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई जवाबदेही का अवसर दिये बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है ना हीं कोई सरकार तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.02.2016 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उसने आराजी से कब्जा छोड रखा है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है [illegible] अपीलांट उक्त आराजी पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

भविष्य में कभी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। उसने तावान राशि भी जमा करा दी गयी है। साथ ही निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.02.2016 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में उक्त आराजी पर अतिचार करने पर खरीफ सम्वत् 2072 में भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है। इस संबंध में तहसीलदार, अन्ता की मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसके अवलोकन से पाया जाता है कि मौके पर छोटा से फ्लाईएस का घर बना हुआ है तथा शेष भूमि खाली बतायी गयी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा निर्णय दिनांक 15.02.2016 से पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 349/2015 में पारित निर्णय दिनांक 15.02.2016 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, अन्ता के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, अन्ता कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा निर्णय दिनांक 15.02.2016 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता का उक्त निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 240/2016

बउनवान

नाथूलाल पुत्र कॅवरलाल जाति–धाकड साकिन रूपपुरा
तहसील अन्ता, जिला–बारां (राज.) **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री राजेश कुमार गुप्ता अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 23.12.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता के आदेश दिनांक 15.02.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–रूपपुरा, तहसील–अन्ता की आराजी खसरा नम्बर 69 रकबा 0.16 हैक्टर किस्म–चारागाह पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 256/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई जवाबदेही का अवसर दिये बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है ना हीं कोई सरकार तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.02.2016 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उसने आराजी से कब्जा छोड रखा है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है [illegible] अपीलांट उक्त आराजी पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

भविष्य में कभी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। उसने तावान राशि भी जमा करा दी गयी है। साथ ही निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.02.2016 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में उक्त आराजी पर अतिचार करने पर खरीफ सम्वत् 2072 में भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है। इस संबंध में तहसीलदार, अन्ता की मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसके अवलोकन से पाया जाता है कि मौके पर सफेदा पेड लगा हुआ है तथा शेष भूमि खाली बतायी गयी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा निर्णय दिनांक 15.02.2016 से पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 343/2015 में पारित निर्णय दिनांक 15.02.2016 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, अन्ता के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, अन्ता कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा निर्णय दिनांक 15.02.2016 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता का उक्त निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 241/2016

बउनवान

रामशरण पुत्र श्री प्रभूलाल जाति–धाकड साकिन रूपपुरा
तहसील अन्ता, जिला–बारां (राज.) **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री राजेश कुमार गुप्ता अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 23.12.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता के आदेश दिनांक 15.02.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–रूपपुरा, तहसील–अन्ता की आराजी खसरा नम्बर 69 रकबा 0.16 हैक्टर किस्म–चारागाह पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 256/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई जवाबदेही का अवसर दिये बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है ना हीं कोई सरकार तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.02.2016 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड रखा है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है [illegible] अपीलांट उक्त आराजी पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

भविष्य में कभी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। उसने तावान राशि भी जमा करा दी गयी है। साथ ही निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.02.2016 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में उक्त आराजी पर अतिचार करने पर खरीफ सम्वत् 2072 में भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है। इस संबंध में तहसीलदार, अन्ता की मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसके अवलोकन से पाया जाता है कि मौके पर सफेदा पेड लगा हुआ है तथा शेष भूमि खाली बतायी गयी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा निर्णय दिनांक 15.02.2016 से पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 342/2015 में पारित निर्णय दिनांक 15.02.2016 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, अन्ता के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, अन्ता कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा निर्णय दिनांक 15.02.2016 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता का उक्त निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 183/2016

बउनवान

बृजमोहन पुत्र गंगाधर आयु 42 वर्ष जाति–बैरागी निवासी–चैनपुरिया तहसील–बारां हाल निवासी आर.के.पुरम् कोटा जिला–कोटा **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री विरेन्द्र गौतम, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 23.12.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 28.04.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–चैनपुरिया, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 619 रकबा 0.13 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 65/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

2– अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं विधि के संचायिका के सर्वमान्य सिद्धान्तों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवायी एवं जवाबदेहीं का अवसर दिये बिना एकतरफा आदेश पारित किया है। अपीलांट का अतिक्रमित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है ना हीं अपीलांट की ओर कोई सरकारी तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एकपक्षीय एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.04.2014 निरस्त फरमाया जावे।

3– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

4– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है। आराजी [illegible]सें छोड़ रखा है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट उक्त आराजी पर कभी भी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पश्चात्वर्ती मानकर सजायाब किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती बाबत कोई साक्ष्य सबूत, स्वतंत्र गवाहान के बयान एंव पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं घोषित किया जा सकता। विवादित आराजी से अपीलांट ने कब्जा छोड दिया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

5— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर खरीफ सम्वत् 2069 में भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

6— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। इस संबंध में विवादित आराजी की तहसीलदार, बारां से मौका रिपोर्ट चाहीं गयी है। जिसके अवलोकन से अपीलांट का प्रश्नगत आराजी पर कब्जा यथावत है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि वह उक्त आराजी पर कब्जा छोडने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति व नरमी का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 28.04.2014 से पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 59/2014 में पारित निर्णय दिनांक 28.04.2014 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, बारां कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 28.04.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां का उक्त निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 184/2016

बउनवान

हरिओम पुत्र गंगाधर आयु 40 वर्ष जाति–बैरागी निवासी–चैनपुरिया तहसील–बारां हाल निवासी आर.के.पुरम् कोटा जिला–कोटा **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री विरेन्द्र गौतम, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 23.12.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 28.04.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–चैनपुरिया, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 537 रकबा 0.50 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 250/–रूपये अर्थदण्ड एंव 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

2– अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं विधि के संचायिका के सर्वमान्य सिद्धान्तों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवायी एवं जवाबदेहीं का अवसर दिये बिना एकतरफा आदेश पारित किया है। अपीलांट का अतिक्रमित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है ना हीं अपीलांट की ओर कोई सरकारी तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एकपक्षीय एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.04.2014 निरस्त फरमाया जावे।

3– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

4– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है। [illegible] सें छोड़ रखा है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट उक्त आराजी पर कभी भी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पश्चात्वर्ती मानकर सजायाब किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती बाबत कोई साक्ष्य सबूत, स्वतंत्र गवाहान के बयान एंव पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं घोषित किया जा सकता। विवादित आराजी से अपीलांट ने कब्जा छोड दिया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

5— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर खरीफ सम्वत् 2069 में भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

6— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। प्रकरण मे तहसीलदार,बारां से मौका रिपोर्ट चाहीं जाने पर रिपोर्ट प्राप्त हुई है। हल्का पटवारी सीमली की रिपोर्ट दिनांक 4.11.2019 के अवलोकन से पाया जाता है कि प्रश्नगत आराजी पर अपीलांट आज भी अतिक्रमी है। जिससे अपीलांट का पश्चात्वर्ती अतिक्रमण प्रमाणित होता है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 61/14 में पारित आदेश दिनांक 28.04.2014 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 137/14

बउनवान

उग्रसेन पुत्र माग्या जाति–मोग्या निवासी–बडां
तहसील–बारां, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री दिलीप सिंह सिरोहिया, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 23.12.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 21.04.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–बडां, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 1435 रकबा 0.40 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 200/– रूपये अर्थदण्ड एंव 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के प्रतिकूल होने से काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवायी व जवाबदेहीं का अवसर दिये, बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अतिक्रमित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं हैं। ना हीं सरकारी तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व विधि विरूद्व एकपक्षीय आदेश पारित करने में विधिक भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां का आदेश दिनांक 21.04.2014 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये, अनुचितरीति से निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है। कब्जा पूर्व से छोड रखा

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

है तथा भविष्य में उक्त आराजी पर कभी भी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका व कब्जे की जॉच किये, हल्का पटवारी की रिपोर्ट को विश्वसनीय मानकर, निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.04.2014 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 1087/10 निर्णय दिनांक 3.11.2010 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। प्रकरण मे तहसीलदार,बारां से मौका रिपोर्ट चाहीं जाने पर वर्तमान में उक्त आराजी से कब्जा छोडना अवगत कराया गया है। किन्तु पत्रावली पर मौजूद रेकार्ड व दस्तावेजात् से अपीलांट का पश्चात्वर्ती अतिक्रमण प्रमाणित होता है। विवादित आराजी चारागाह भूमि है जिसपर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 1087/10 निर्णय दिनांक 03.11.2010 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 479/14 में पारित आदेश दिनांक 21.04.2014 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 139/14

बउनवान

सूरसेन पुत्र माग्या जाति–मोग्या निवासी–बडां
तहसील–बारां, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री दिलीप सिंह सिरोहिया, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 23.12.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 21.04.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–बडां, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 1435 रकबा 0.40 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 200/– रूपये अर्थदण्ड एंव 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के प्रतिकूल होने से काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवायी व जवाबदेहीं का अवसर दिये, बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अतिक्रमित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं हैं। ना हीं सरकारी तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व विधि विरूद्व एकपक्षीय आदेश पारित करने में विधिक भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां का आदेश दिनांक 21.04.2014 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये, अनुचितरीति से निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है। कब्जा पूर्व से छोड रखा

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

है तथा भविष्य में उक्त आराजी पर कभी भी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका व कब्जे की जॉच किये, हल्का पटवारी की रिपोर्ट को विश्वसनीय मानकर, निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.04.2014 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 1087/10 निर्णय दिनांक 3.11.2010 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। प्रकरण मे तहसीलदार,बारां से मौका रिपोर्ट चाहीं जाने पर वर्तमान में उक्त आराजी से कब्जा छोडना अवगत कराया गया है। किन्तु पत्रावली पर मौजूद रेकार्ड व दस्तावेजात् से अपीलांट का पश्चात्वर्ती अतिक्रमण प्रमाणित होता है। विवादित आराजी चारागाह भूमि है जिसपर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 1087/10 निर्णय दिनांक 03.11.2010 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 481/14 में पारित आदेश दिनांक 21.04.2014 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 140/14

बउनवान

सुग्रीम पुत्र माग्या जाति–मोग्या निवासी–बडां
तहसील–बारां, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री दिलीप सिंह सिरोहिया, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 23.12.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 22.12.2008 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–बडां, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 1401 रकबा 0.64 है0 व खसरा नम्बर 1435 रकबा 0.10 है0 कुल 0.74 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 370/– रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के प्रतिकूल होने से काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवायी व जवाबदेहीं का अवसर दिये, बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अतिक्रमित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं हैं। ना हीं सरकारी तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व विधि विरूद्व एकपक्षीय आदेश पारित करने में विधिक भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां का आदेश दिनांक 22.12.2008 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये, अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है। विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

आराजी पर अपीलांट का वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है, कब्जा पूर्व से छोड रखा है तथा भविष्य में उक्त आराजी पर कभी भी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका व कब्जे की जॉच किये, हल्का पटवारी की रिपोर्ट को विश्वसनीय मानकर, निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.12.2008 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 116/08 निर्णय दिनांक 17.04.2008 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। प्रकरण मे तहसीलदार,बारां से मौका रिपोर्ट चाहीं जाने पर वर्तमान में उक्त आराजी से कब्जा छोडना अवगत कराया गया है। किन्तु पत्रावली पर मौजूद रेकार्ड व दस्तावेजात् से अपीलांट का पश्चात्वर्ती अतिक्रमण प्रमाणित होता है। विवादित आराजी चारागाह भूमि है जिसपर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 116/08 निर्णय दिनांक 17.04.2008 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 1048/08 में पारित आदेश दिनांक 22.12.2008 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 141/14

बउनवान

रमेश पुत्र माग्या जाति–मोग्या निवासी–बडां
तहसील–बारां, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री दिलीप सिंह सिरोहिया, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 23.12.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 21.04.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–बडां, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 1435 रकबा 0.40 है0 किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 200/– रूपये अर्थदण्ड एंव 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के प्रतिकूल होने से काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवायी व जवाबदेहीं का अवसर दिये, बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अतिक्रमित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं हैं। ना हीं सरकारी तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व विधि विरूद्व एकपक्षीय आदेश पारित करने में विधिक भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां का आदेश दिनांक 21.04.2014 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये, अनुचितरीति से निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है। कब्जा पूर्व से छोड रखा

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

है तथा भविष्य में उक्त आराजी पर कभी भी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका व कब्जे की जॉच किये, हल्का पटवारी की रिपोर्ट को विश्वसनीय मानकर, निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.4.2014 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 1085/10 निर्णय दिनांक 3.11.2010 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। प्रकरण मे तहसीलदार,बारां से मौका रिपोर्ट चाहीं जाने पर वर्तमान में उक्त आराजी से कब्जा छोडना अवगत कराया गया है। किन्तु पत्रावली पर मौजूद रेकार्ड व दस्तावेजात् से अपीलांट का पश्चात्वर्ती अतिक्रमण प्रमाणित होता है। विवादित आराजी चारागाह भूमि है जिसपर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 1085/10 निर्णय दिनांक 3.11.2014 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 480/14 में पारित आदेश दिनांक 21.04.2014 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 138/14

बउनवान

छीतर पुत्र धन्नालाल जाति–बैरवा निवासी–बोरीना
तहसील–बारां, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री दिलीप सिंह सिरोहिया, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 23.12.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 24.02.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–बोरीना, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 368 रकबा 0.16 है0 किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 88/– रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के प्रतिकूल होने से काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवायी व जवाबदेहीं का अवसर दिये, बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अतिक्रमित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं हैं। ना हीं सरकारी तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व विधि विरूद्व एकपक्षीय आदेश पारित करने में विधिक भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां का आदेश दिनांक 24.2.2014 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये, अनुचितरीति से निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है। अब्जा पूर्व से छोड रखा

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

है तथा भविष्य में उक्त आराजी पर कभी भी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका व कब्जे की जॉच किये, हल्का पटवारी की रिपोर्ट को विश्वसनीय मानकर, निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.02.2014 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 311/13 निर्णय दिनांक 22.02.2013 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है, ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति व नरमी का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 24.02.2014 से पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 241/2014 में पारित निर्णय दिनांक 24.2.2014 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार,बारां कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,बारां द्वारा निर्णय दिनांक 24.02.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां का उक्त निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 61/14

बउनवान

सत्यनारायण आयु 35 साल पुत्र श्री मूलीलाल जाति–माली
निवासी–बम्बूलियाजागीर तहसील–बारां, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री रमेश चन्द शर्मा, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 23.12.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 6.11.2012 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–बम्बूलिया जागीर, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 935 रकबा 0.40 है0 किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 200/– रूपये अर्थदण्ड एंव 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के विपरीत होने से काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवायी व जवाबदेहीं का अवसर दिये, बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये मात्र हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं हैं। ना हीं सरकारी तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व विधि विरूद्व एकपक्षीय आदेश पारित करने में विधिक भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां का आदेश दिनांक 6.11.2012 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये, अनुचित रूप से निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है। कब्जा पूर्व से छोड रखा

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

है तथा भविष्य में उक्त आराजी पर कभी भी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। अपने कथन के समर्थन में हल्का पटवारी बडां की रिपोर्ट दिनांक 2.7.2014 फर्द दस्तावेज पेश की। साथ हीं कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका व कब्जे की जॉच किये, हल्का पटवारी की रिपोर्ट को विश्वसनीय मानकर, निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 6.11.2012 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 274/12 निर्णय दिनांक 21.3.2012 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह भूमि है जिसपर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 274/12 निर्णय दिनांक 23.3.2012 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 655/12 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2012 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 108/17

बउनवान

प्रभूलाल आयु 75साल पुत्र श्री दोल्या जाति–कुम्हार निवासी–लेवा तहसील–बारां, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री मदनमोहन नागर, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 30.12.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 11.04.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–लेवा, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 496 रकबा 0.60 है0 किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 330/– रूपये अर्थदण्ड एंव 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवायी व जवाबदेहीं का अवसर दिये, बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अतिक्रमित आराजी की पैमाईश नहीं की गयी है। अतिक्रमित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं हैं। ना हीं सरकारी तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व विधि विरूद्व एकपक्षीय आदेश पारित करने में विधिक भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां का आदेश दिनांक 11.4.2016 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये, अनुचितरीति से निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, जो उसे छोड़ रखा है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

भविष्य में उक्त आराजी पर कभी भी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका व कब्जे की जॉच किये, हल्का पटवारी की रिपोर्ट को विश्वसनीय मानकर, निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.4.2016 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 589/13 निर्णय दिनांक 31.12.2013 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह भूमि है जिसपर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 589/13 निर्णय दिनांक 31.12.2013 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 62/16 में पारित आदेश दिनांक 11.04.2016 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 193/17

बउनवान

रमेश चन्द आयु 65 साल पुत्र श्री रामकरण जाति–मीणा निवासी–कोटडी तहसील–बारां, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री मदनमोहन नागर, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 30.12.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 18.03.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–कोटडी, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 165 रकबा 0.40 है0 किस्म गै.मु. पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 200/– रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवायी व जवाबदेहीं का अवसर दिये, बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अतिक्रमित आराजी की पैमाईश नहीं की गयी है। अतिक्रमित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं हैं। ना हीं सरकारी तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व विधि विरूद्व एकपक्षीय आदेश पारित करने में विधिक भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां का आदेश दिनांक 18.03.2014 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये, अनुचितरीति से निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, जो उसे छोड़ रखा है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

भविष्य में उक्त आराजी पर कभी भी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका व कब्जे की जॉच किये, हल्का पटवारी की रिपोर्ट को विश्वसनीय मानकर, निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.3.2014 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 289/13 निर्णय दिनांक 10.4.2013 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी गै.मु.सिवायचक भूमि है जिसपर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 289/13 निर्णय दिनांक 10.4.2013 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 610/14 में पारित आदेश दिनांक 18.03.2014 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 109/17

बउनवान

प्रभूलाल आयु 75साल पुत्र श्री दोल्या जाति–कुम्हार निवासी–लेवा तहसील–बारां, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री मदनमोहन नागर, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 30.12.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 16.3.2017 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–लेवा, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 496 रकबा 0.60 है0 किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 330/– रूपये अर्थदण्ड एंव 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवायी व जवाबदेहीं का अवसर दिये, बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अतिक्रमित आराजी की पैमाईश नहीं की गयी है। अतिक्रमित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं हैं। ना हीं सरकारी तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व विधि विरूद्व एकपक्षीय आदेश पारित करने में विधिक भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां का आदेश दिनांक 16.03.2017 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये, अनुचितरीति से निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, जो उसे छोड़ रखा है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

भविष्य में उक्त आराजी पर कभी भी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका व कब्जे की जॉच किये, हल्का पटवारी की रिपोर्ट को विश्वसनीय मानकर, निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.3.2017 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 794/15 निर्णय दिनांक 23.11.2015 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह भूमि है जिसपर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 794/15 निर्णय दिनांक 23.11.2015 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 591/17 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2017 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 199/2017

बउनवान

दशरथ पुत्र श्री श्योपाल जाति–माली निवासी–सांकली
तहसील–बारां, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री अरविन्दसिंह हाडा अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 30.12.2019

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 08.10.2015 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–सांकली, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 675 रकबा 1.20 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 600/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो, तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपीलांट के विरूद्व एकतरफा पारित किया गया है। सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया है, कभी बेदखल भी नहीं किया गया है। वर्णित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है ना हीं उसके विरूद्व तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व उक्त आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.10.2015 निरस्त फरमाया जावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पश्चात्वर्ती मानकर सजायाब किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय [illegible] में पश्चात्वर्ती बाबत

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

कोई साक्ष्य सबूत, स्वतंत्र गवाहान के बयान एंव पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं घोषित किया जा सकता। विवादित आराजी से अपीलांट ने कब्जा छोड दिया है। उसके विरूद्व कोई तावान राशि भी बकाया नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 44/14 निर्णय दिनांक 28.4.2014 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह है जिसपर अपीलांट द्वारा पश्चात्वर्ती अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर अतिक्रमी पाये जाने पर मिसल नम्बर 44/14 निर्णय दिनांक 28.4.2014 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहींन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 1148/15 में पारित आदेश दिनांक 08.10.2015 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 11/2018

बउनवान

चन्द्रप्रकाश आयु 29 साल पुत्र श्री श्योजी जाति–माली निवासी–सांकली तहसील–बारां, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री अरविन्दसिंह हाडा अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 30.12.2019

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 26.2.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–सांकली, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 655, 659 कुल रकबा 0.40 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 200/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो, तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपीलांट के विरूद्व एकतरफा पारित किया गया है। सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया है, कभी बेदखल भी नहीं किया गया है। वर्णित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है ना हीं उसके विरूद्व तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व उक्त आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.2.2016 निरस्त फरमाया जावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पश्चात्वर्ती मानकर सजायाब किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय [illegible] में पश्चात्वर्ती बाबत

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

कोई साक्ष्य सबूत, स्वतंत्र गवाहान के बयान एंव पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं घोषित किया जा सकता। विवादित आराजी से अपीलांट ने कब्जा छोड दिया है। उसके विरूद्व कोई तावान राशि भी बकाया नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 46/12 निर्णय दिनांक 10.4.2012 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह है जिसपर अपीलांट द्वारा पश्चात्वर्ती अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर अतिक्रमी पाये जाने पर मिसल नम्बर 46/12 निर्णय दिनांक 10.4.2012 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहींन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 257/16 में पारित आदेश दिनांक 26.02.2016 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 14/2018

बउनवान

देवलाल आयु 48 साल पुत्र श्री कस्तूरचन्द जाति–माली निवासी–सांकली तहसील–बारां, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री अरविन्दसिंह हाडा अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 30.12.2019

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 08.10.2015 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–सांकली, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 659 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 100/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो, तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपीलांट के विरूद्व एकतरफा पारित किया गया है। सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया है, कभी बेदखल भी नहीं किया गया है। वर्णित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है ना हीं उसके विरूद्व तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व उक्त आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 8.10.2015 निरस्त फरमाया जावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पश्चात्वर्ती मानकर सजायाब किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय [illegible] में पश्चात्वर्ती बाबत

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

कोई साक्ष्य सबूत, स्वतंत्र गवाहान के बयान एंव पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं घोषित किया जा सकता। विवादित आराजी से अपीलांट ने कब्जा छोड दिया हैउसके विरूद्व कोई तावान राशि भी बकाया नहीं है। अपीलांट उक्त आराजी पर भविष्य में कभी भी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 31/12 निर्णय दिनांक 23.3.2012 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा आदेश दिनांक 08.10.2015 से पारित जप्ती, बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 1137/15 में पारित निर्णय दिनांक 8.10.2015 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, बारां कब्जा छोडने से संतुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 08.10.2015 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.10.2015 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 70/2018

बउनवान

भैरूलाल आयु 56 साल पुत्र श्री श्रवणलाल जाति–मीना निवासी–चैनपुरिया तहसील–मॉगरोल, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार,सीसवाली **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री अरविन्दसिंह हाडा अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 30.12.2019

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली के आदेश दिनांक 15.2.2018 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–शाहपुरा, तहसील–मॉगरोल की आराजी खसरा नम्बर 355, 353/370 कुल रकबा 0.30 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 360/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो, तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपीलांट के विरूद्व एकतरफा पारित किया गया है। सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया है, कभी बेदखल भी नहीं किया गया है। वर्णित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है ना हीं उसके विरूद्व तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व उक्त आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.2.2018 निरस्त फरमाया जावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं रहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पश्चातवर्ती मानकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

सजायाब किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती बाबत कोई साक्ष्य सबूत, स्वतंत्र गवाहान के बयान एंव पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं घोषित किया जा सकता। विवादित आराजी से अपीलांट ने कब्जा छोड दिया हैउसके विरूद्व कोई तावान राशि भी बकाया नहीं है। अपीलांट उक्त आराजी पर भविष्य में कभी भी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 01/17 निर्णय दिनांक 27.2.2017 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली द्वारा आदेश दिनांक 15.02.2018 से पारित जप्ती, बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 28/118 में पारित निर्णय दिनांक 15.02.2018 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा नायब तहसीलदार, सीसवाली के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा नायब तहसीलदार, सीसवाली कब्जा छोडने से संतुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.02.2018 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.02.2018 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 05/2018

बउनवान

राज्य सरकार जर्ये प्रवर्तन निरीक्षक, बारां जिला–बारां(राज.) **(प्रार्थी)**

बनाम

श्री अजय शर्मा पुत्र श्री कृष्णबल्लभ शर्मा, जय अम्बे भोजनालय,
चारमूर्ति चौराहा, बारां जिला–बारां **(अप्रार्थी)**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 धारा, 6(ए) के तहत

उपस्थिति :–1. पेरोकार रसद **(प्रार्थी)**
2. श्री अरविन्द पंचौली,अभिभाषक **(अप्रार्थी)**

निर्णय दिनांक– 30.12.2019

1– प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, बारां ने इस्तगासा विरूद्व अप्रार्थी अन्तर्गत धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर इस्तगासे में अंकित किया है कि दिनांक 09.04.2018 को बारां शहर में घरेलू सिलेण्डरों के बढ़ते व्यवसायिक उपयोग की शिकायत पर जय अम्बे भोजनालय चारमूर्ति चौराहा, बारां पर दल सहित पहुॅचे। रेस्टोरेन्ट की जॉच के दौरान उसके व्यवसायिक परिसर मे 6 घरेलू गैस सिलेण्ड(14.2 के.जी.) व 2 गैस चूल्हा भट्टी इनमें दो गैस सिलेण्डर भट्टियों से जुडे हुये थे जिनपर खाना बनाया जा रहा था तथा चार सिलेण्डर इसी प्रयोजनार्थ भोजनालय परिसर में रखे हुये थे। इस बाबत रेस्टोरेंट पर उपस्थित प्रतिनिधि श्री अजय शर्मा से पूछताछ की गई जो कोई जवाब नहीं दे पाये तथा इस बाबत कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया। गैस सिलेण्डरों का विवरण निम्न प्रकार है–

क्र0सं0	सिलेण्डर का एस.आर.नं0	कम्पनी	सिलेण्डर पर उपदर्शित एल.पी.जी. का मानक भार	खाली सिलेण्डरो का टेयरवेट	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एल.पी.जी	शुद्व गैस का भार
1	317414	HPCL	14.2	15.9	21.20	5.3
2	0417946	BPCL	14.2	16.0	17.6	1.6
3	566969	HPCL	14.2	15.4	29.50	14.1
4	4330025	HPCL	14.2	15.4	29.50	0
5	170949	HPCL	14.2	15.5	29.80	14.3
6	017264T	HPCL	14.2	15.7	29.80	14.4
	योग					49.4

इस प्रकार उक्त फर्म मालिक ने घरेलू प्रयोजनार्थ सिलेण्डरों का अपने व्यवसयिक हितो की पूर्ति में काम में लिया है जो नियम विरूद्व है तथा राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का स्पष्ट उल्लघंन है। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर राजकोषीय सरकार कर रूबरू मौतबिरान श्री भॅवरसिंह पुत्र अखेराज सिंह निवासी [illegible] विजय कॉलोनी हाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिनिधि मै. राज एचपी गैस एजेन्सी,बारां की सुपुर्दगी में दिये गये। इस प्रकार जप्तशुदा 6 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 49.4 किग्रा. गैस एवं दो गैस चूल्हा भट्टी का नियमानुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राजसात किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2— प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी के उपस्थित होकर अपने समर्थन में दिनांक 27.02.2019 को जवाब इस्तगासा पेश किया गया।

3— अप्रार्थी ने अपने जवाब में लिखा है कि प्रार्थी को दिया गया नोटिस मिथ्या एवं मनगढ़न्त होने से अस्वीकार है। प्रार्थी ने कभी भी घरेलू गैस का उपयोग नहीं किया है। जप्तशुदा गैस सिलेण्डरों में से 3 सिलेण्डर मेरे स्वयं के थे जो हम तीन भाई है तीनों के एक—एक है तथा तीन सिलेण्डर होटल में काम करने वाले कर्मचारियों के थे जिन्हे होम डिलेवरी वाला प्रार्थी के होटल का पता देने के कारण होटल पर हीं डिलेवरी कर गया था। दो चूल्हा भट्टी मेरे होटल के थे। अतः प्रार्थी के विरूद्व की गयी कार्यवाहीं को ड्रोप फरमायी जाकर जप्तशुदा गैस सिलेण्डर मय गैस व दो चूल्हा भट्टी प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

4— प्रकरण में अप्रार्थी का जवाब प्राप्त होने पर, बहस विद्वान पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी अभिभाषक सुनी गयी।

5— बहस के दौरान विद्वान पेरोकार सरकार ने इस्तगासे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अन्ता में घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ कार्य में लिये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर, गठित दल के साथ दिनांक 09.04.2018 को अप्रार्थी के व्यवसायिक रेस्टोरेंट मै0 जय अम्बे भोजनालय, बारां पर पहुॅचकर जॉच की गयी। जॉच के दौरान दुकान में मौके पर 6 घरेलू सिलेण्डर व दो गैस चूल्हा भट्टी पायी गयी। जिनमें से दो गैस सिलेण्डर, चूल्हा भट्टी से जुडी हुई थे तथा चार गैस सिलेण्डर इसी प्रयोजनार्थ रखे हुये थे। मौके पर उपस्थित व्यवसायिक मालिक से इसके संबंध में पूछताछ की गयी। किन्तु उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया गया है, जो विधि विरूद्व एवं राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है एवं दंडनीय अपराध है। अतः जप्तशुदा 6 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस एवं दो चूल्हा भट्टी को राजसात किया जावे।

6— इसके विपरीत विद्वान अप्रार्थी अभिभाषक का कथन है कि रसद विभाग द्वारा उसके विरूद्व गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यवसायिक उपयोग में लिये जाने से, सिलेण्डर व चूल्हा जप्त किये जाने का केस दर्ज किया गया है। जबकि अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग नहीं किया गया है। मौके पर विभाग द्वारा गैस सिलेण्डरो का चुल्हे [illegible] है। यह कथन पूर्णतया असत्य एवं निराधार है। मौके पर गैस सि[illegible]साायिक गैस सिलेण्डरों

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

से हीं जुडे हुये थे। जप्तशुदा गैस सिलेण्डरों में से तीन गैस सिलेण्डर तीनों भाईयों के थे तथा तीन गैस सिलेण्डर भोजनालय पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के थे जिनके द्वारा होम डिलेवरी उनके होटल पर हीं ली गयी थी तथा सभी अपनी–अपनी सुविधानुसार गैस सिलेण्डरों को घर पर ले जाते है तथा गैस खत्म होने पर होम डिलेवरी उनके व्यवसायिक होटल से हीं करते है। उसके द्वारा कभी भी घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग नहीं किया है। होटल पर व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों को निर्धारित दर पर खरीद कर हीं उपयोग में लिया जाता रहा है। मात्र संदेह के आधार पर जप्ती की कार्यवाहीं की गयी है, जो पूर्णतया असत्य व निराधार होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः इस्तगासा निरस्त फरमाया जाकर, जप्तशुदा गैस सिलेण्डर 6 मय गैस एवं दो चूल्हा भट्टी अन्तरिम सुपुर्दगीदार से अप्रार्थी को वापस लौटाये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

7– हमने विद्वान पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी अभिभाषक को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, बारां द्वारा अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसायिक परिसर मै0 जय अम्बे भोजनालय, बारां पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग में लिये जाने पर, मौके पर 6 गैस सिलेण्डरों एवं दो चूल्हा भट्टी को जप्त किया गया है। इसी प्रकार अप्रार्थी का कथन रहा है कि उसके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का किसी प्रकार से दुरूपयोग नहीं किया है। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रवर्तन निरीक्षक, बारां द्वारा अप्रार्थी के व्यवसायिक परिसर पर मौके पर जप्तशुदा दो गैस सिलेण्डर चूल्हा भट्टी से जुडे हुये पाये गये है। इसी आधार पर मौके पर गैस सिलेण्डरो एवं भट्टी को जप्त किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग में लिया जाना प्रमाणित है, जो अप्रार्थी की घोर अनियमितता की श्रेणी में आता है।

8– परिणामस्वरूप, प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, बारां द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में उपरोक्तानुसार जप्तशुदा 6 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 49.4 किग्रा. गैस एवं दो चूल्हा भट्टी को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा सामान को अंतरिम सुपुर्दगीदार से प्राप्त कर, नियमानुसार उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों को संबंधित कम्पनी एच0पी0सी0एल0 में जमा कराकर, रसीद प्राप्त करे तथा दोनो चूल्हा भट्टी का खुली नीलामी में विक्रय कराकर, प्राप्त आय को राजकीय राजसात मद में जमा करावे।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 244/16

बउनवान

जानकीलाल पुत्र हीरालाल जाति–गूजर निवासी–खेडलीकेशो तहसील–बारां, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री ओम भारद्वाज, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 27.01.2020

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 23.02.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–खेडलीकेशो, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 277 रकबा 1.60 है0 किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर जप्ती,बेदखली, 800/– रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवाई व जवाबदेहीं का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है। मनमाना विधि विरूद्व निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का उक्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। पूर्व बेदखलीनामा व द्वितीय अतिक्रमी की कोई साक्ष्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.02.2016 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये, अनुचितरीति से निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है। दब्जा पूर्व से छोड रखा

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका व कब्जे की जॉच किये, हल्का पटवारी की रिपोर्ट को विश्वसनीय मानकर, निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर सजायाब किया गया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में पूर्व बेदखलीनामा व स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है ऐसी स्थिति में पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय आदेश पारित करने की कानूनी त्रुटि की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.2.2016 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 1022/14 निर्णय दिनांक 18.12.2014 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह भूमि है जिसपर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 1011/14 निर्णय दिनांक 18.12.2014 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 366/16 में पारित आदेश दिनांक 23.02.2016 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 35/18

बउनवान

सुखवीर पुत्र जानकीलाल जाति–गूर्जर निवासी–खेडलीकेशो
तहसील–बारां, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री ओम भारद्वाज, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 27.01.2020

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 27.11.2017 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–खेडलीकेशो, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 277 रकबा 0.50 है0 किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर जप्ती,बेदखली, 250/– रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को काल्पनिक तौर पर अतिक्रमी माना है, जबकि अपीलांट ने कब्जा छोड दिया है। हल्का पटवारी ने मौके पर जाकर अपीलांट को कभी नहीं बताया है कि आपका अमुक स्थान पर कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत आदेश पारित किया है। निर्णय साईक्लो स्टाइल परफोर्मा पर है जो स्पेसिफिक निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई जवाबदेहीं का अवसर दिये, एकपक्षीय आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.11.2017 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये, अनुचितरीति से निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है, कब्जा पूर्व से छोड रखा

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका व कब्जे की जॉच किये, हल्का पटवारी की रिपोर्ट को विश्वसनीय मानकर, स्लाईक्लोस्टाइल प्रफोर्मा पर निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर सजायाब किया गया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में पूर्व बेदखलीनामा व स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है ऐसी स्थिति में पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय आदेश पारित करने की कानूनी त्रुटि की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.11.2017 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 1022/14 निर्णय दिनांक 18.12.2014 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह भूमि है जिसपर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 1022/14 निर्णय दिनांक 18.12.2014 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 373/16 में पारित आदेश दिनांक 27.11.2017 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 82/16

बउनवान

सत्यवान पुत्र सीताराम आयु 40 वर्ष जाति–मीणा निवासी–तिसाया तहसील–बारां, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार, सीसवाली **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री ओम भारद्वाज, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 27.01.2020

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली के आदेश दिनांक 16.03.2018 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–तिसाया, तहसील–मॉगरोल की आराजी खसरा नम्बर 206/1121 रकबा 0.32 है0 किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर जप्ती,बेदखली, 512/– रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवाई व जवाबदेहीं का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है। मनमाना विधि विरूद्व निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का उक्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.03.2018 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये, अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है, कब्जा पूर्व से छोड रखा

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका व कब्जे की जॉच किये, हल्का पटवारी की रिपोर्ट को विश्वसनीय मानकर, निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर सजायाब किया गया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में पूर्व बेदखलीनामा व स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है ऐसी स्थिति में पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय आदेश पारित करने की कानूनी त्रुटि की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.03.2018 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 93/17 निर्णय दिनांक 14.03.2017 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है, ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति व नरमी का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली द्वारा निर्णय दिनांक 16.03.2018 से पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 237/2018 में पारित निर्णय दिनांक 16.3.2018 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा नायब तहसीलदार, सीसवाली के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा नायब तहसीलदार, सीसवाली कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली द्वारा निर्णय दिनांक 16.03.2018 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली का उक्त निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 308/16

बउनवान

अरूणकुमार पुत्र रामस्वरूप जाति–ब्राहमण साकिन अन्ता
तहसील–बारां, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,अन्ता **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री कृष्णकान्त शर्मा, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 15.01.2020

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता के आदेश दिनांक 14.03.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–अन्ता, तहसील–अन्ता की आराजी खसरा नम्बर 75 रकबा 0.48 है0 किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर जप्ती,बेदखली, 768/– रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। पत्रवली में अपीलांट की दिनांक 18.2.2016 को उपस्थित दर्ज है, लेकिन आगामी पेशी अपीलांट को नहीं थी। उसके भाई का पटवारी हल्का से विवाद चल रहा है, इसलिये अपीलांट को आदतन अतिक्रमी बताया गया है। जबकि उक्त आराजी पर कई लोगो के मकान बने हुये है, उन्हे कभी नोटिस नहीं दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई किये आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता का आदेश दिनांक 14.3.2016 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये, अनुचित रीति से निर्णय पारित किया है। अपीलांअ अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ था किन्तु उसे अगली पेशी नहीं दी गयी तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

बाद में एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी माना है, जबकि विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है। हल्का पटवारी ने रंजिशवश उसके विरूद्व झूठी रिपोर्ट पेश की है, इसी आधार पर निर्णय पारित किया गया है, जो विधि विरूद्व मनमाना एवं कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 415/15 निर्णय दिनांक 23.4.2015 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह भूमि है जिसपर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 415/14 निर्णय दिनांक 23.4.2015 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रकरण संख्या 92/16 में पारित आदेश दिनांक 14.03.2016 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 92/2016

बउनवान

रामलाल पुत्र श्री जयलाल जाति–लश्करी निवासी–आमा
तहसील–अन्ता जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार,अन्ता **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री कृष्णकान्त शर्मा, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 27.01.2020

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अन्ता के आदेश दिनांक 10.12.2015 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–आमा तहसील–अन्ता की आराजी खसरा नम्बर 153 रकबा 0.08 हैक्टर किस्म गै.मु.रास्ता पर अतिक्रमी मानकर 40/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व न्याय के स्वीकृत सिद्धान्तो से परे होने से काबिले खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेतो का समुचित विवेचन नहीं करके निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। विवादित आराजी पर अपीलांट को कोई अतिक्रमण नहीं है। हल्का पटवारी ने उक्त भूमि की कभी पैमाइश नहीं की ना हीं अपीलांट को बेदखल किया गया है। पत्रावली में पैमाइश व बेदखलीनामा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्व विधि विरूद्व आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.12.2015 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को ना तो विधिवत नोटिस जारी किया है ना हीं सुनवाई व जवाब का कोई अवसर दिया है, एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। अपीलांट का विवा[illegible] आ[illegible]ी पर कोई कब्जा नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

है, कब्जा काफी समय से छोड रखा है। साथ हीं कथन किया कि हल्का पटवारी ने अपीलांट को विरूद्व बिना मौके देखे व कब्जे की जॉच किये बिना अधीनस्थ न्यायालय में रिपोर्ट पेश की गयी है, इसी आधार पर अपीलांट को सजायाब किया गया है, जो विधि विरूद्व है। वर्तमान में अपीलांट को कोई कब्जा काश्त नहीं है ना हीं उसके विरूद्व कोई तावान राशि बकाया है। अपीलांट भविष्य में भी उक्त आराजी पर कभी कब्जा नहीं करने के लिए वचनबद्व है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.12.2015 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर सम्वत् 2071 में बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है, ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति व नरमी का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अन्ता द्वारा निर्णय दिनांक 10.12.2015 से पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 445/2015 में पारित निर्णय दिनांक 10.12.2015 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, अन्ता के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार,अन्ता कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार,अन्ता द्वारा निर्णय दिनांक 10.12.2015 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अन्ता का उक्त निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 75/2017

बउनवान

रामप्रताप पुत्र प्रभूलाल जाति–मीणा निवासी–बैंगना
तहसील–बारां जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री जितेन्द्र नागर, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक – 20.01.2020

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 07.10.2015 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–बैंगना तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 52 रकबा 0.16 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 120/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का सहीं प्रकार अवलोकन नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वितीय अतिचारी बाबत कोई रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है। अनुपस्थिति में निर्णय फरमाया गया है। अपीलांट को जवाबदेहीं व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं मिला है। अपीलांट का किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं और ना हीं उक्त प्रकरण में उसे विधिवत तामील हुई है। केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का का निर्णय दिनांक 7.10.2015 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। [illegible] जमा करा दी है। अपीलांट भविष्य मे उक्त आराजी पर कभी अतिचार [illegible] के लिये वचनबद्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये आदेश पारित किया गया है। अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.10.2015 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 1167/13 निर्णय दिनांक 13.12.2013 में भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 1107/15 में पारित निर्णय दिनांक 07.10.2015 दी गयी सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे व तहसीलदार, बारां कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 07.10.2015 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.10.2015 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 346/2016

बउनवान

राधेश्याम पुत्र हीरालाल जाति–अहीर निवासी–मेलखेडी
तहसील–बारां, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री रमेशचन्द शर्मा, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 20.01.2020

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 11.06.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–मोठपुर, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 108 रकबा 0.48 हैक्टर किस्म गै.मु.श्मशान अतिक्रमी मानकर 264/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर दिये बिना उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। उक्त आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है ना हीं उसके विरूद्व तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व विधि विरूद्व आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.06.2016 निरस्त फरमाया जावें।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पश्चात्वर्ती मानकर सजायाब किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय [illegible] में पश्चात्वर्ती बाबत

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

कोई साक्ष्य सबूत, स्वतंत्र गवाहान के बयान एंव पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं घोषित किया जा सकता। विवादित आराजी से अपीलांट ने कब्जा छोड दिया है। उसके विरूद्व कोई तावान राशि भी बकाया नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 299/14 निर्णय दिनांक 03.03.2014 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी गै.मु. श्मशान है, जो सार्वजनिक हित की भूमि है, जिसपर अपीलांट द्वारा पश्चात्वर्ती अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर अतिक्रमी पाये जाने पर पूर्व में मिसल नम्बर 299/14 निर्णय दिनांक 03.03.2014 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहींन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 171/16 में पारित आदेश दिनांक 11.06.2016 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 377/2014

बउनवान

बाबूलाल पुत्र खेमा जाति–मेघवाल निवासी–खेडली भेडोलिया
तहसील–बारां, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 27.01.2020

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 24.04.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–खेडली भेडोलिया, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 372 रकबा 0.16 हैक्टर किस्म चारागाह अतिक्रमी मानकर 80/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर दिये बिना उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। उक्त आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है ना हीं उसके विरूद्व तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व विधि विरूद्व आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.04.2014 निरस्त फरमाया जावें।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पश्चात्वर्ती मानकर सजायाब किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय [illegible] में पश्चात्वर्ती बाबत

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

कोई साक्ष्य सबूत, स्वतंत्र गवाहान के बयान एंव पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं घोषित किया जा सकता। विवादित आराजी से अपीलांट ने कब्जा छोड दिया है। उसके विरूद्व कोई तावान राशि भी बकाया नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 583/12 निर्णय दिनांक 10.04.2012 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह है, जो सार्वजनिक हित की भूमि है, जिसपर अपीलांट द्वारा पश्चात्वर्ती अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर अतिक्रमी पाये जाने पर पूर्व में मिसल नम्बर 583/12 निर्णय दिनांक 10.04.2012 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहींन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 317/14 में पारित आदेश दिनांक 24.04.2014 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 22/2018

बउनवान

रतनलाल आयु 70 साल पुत्र श्री बिरधीलाल जाति–गूजर निवासी–तुलसां तहसील–बारां, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री धर्मेन्द्र सिंह सोंलकी, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 27.01.2020

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 18.03.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–तुलसां, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 494 रकबा 0.80 हैक्टर किस्म चारागाह अतिक्रमी मानकर 400/–रूपये अर्थदण्ड एंव 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर नहीं दिया है, ना हीं उक्त आराजी से कभी बेदखल किया गया है। पत्रावली में बेदखलीनामा व पैमाइश रिपोर्ट नहीं है। उक्त आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है ना हीं उसके विरूद्व तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है, जबकि अपीलांट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.03.2014 निरस्त फरमाया जावें।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं [illegible] है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट को हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पश्चात्वर्ती मानकर सजायाब किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती बाबत कोई साक्ष्य सबूत, स्वतंत्र गवाहान के बयान एंव पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं घोषित किया जा सकता। विवादित आराजी से अपीलांट ने कब्जा छोड दिया है। उसके विरूद्व कोई तावान राशि भी बकाया नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 277/13 निर्णय दिनांक 04.10.2013 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह है, जो सार्वजनिक हित की भूमि है, जिसपर अपीलांट द्वारा पश्चात्वर्ती अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर अतिक्रमी पाये जाने पर पूर्व में मिसल नम्बर 277/13 निर्णय दिनांक 04.10.2013 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहींन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 602/14 में पारित आदेश दिनांक 18.03.2014 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 55/2018

बउनवान

तोलाराम उम्र 535 वर्ष पुत्र श्री रामप्रताप जाति–गुर्जर निवासी तिसाया तहसील बारां, जिला–बारां (राज.) **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री बालमुकुन्द गुर्जर, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 27.01.2020

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 16.03.2017 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–तिसाया, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 1198 रकबा 0.80 हैक्टर किस्म–चारागाह पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 400/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आदेश पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का सहीं ढंग से गौर नहीं किया गया है। मात्र हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है जो न्यायोचित नहीं है। उक्त वर्णित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय आदेश पारित करने में विधिक भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.3.2017 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उसने आराजी से कब्जा छोड रखा है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है [illegible] अपीलांट उक्त आराजी पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

भविष्य में कभी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। बकाया तावान राशि भी जमा करा दी गयी है। साथ ही निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.03.2017 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 362/16 निर्णय दिनांक 30.3.2016 से भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह भूमि है जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 1198 रकबा 0.80 है0 ग्राम तिसाया पर पूर्व में मिसल नम्बर 362/16 निर्णय दिनांक 30.03.2016 से भी बेदखल किया जाना प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहींन होने खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 630/17 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 56/2018

बउनवान

रमेशचन्द उम्र 45 वर्ष पुत्र श्री भैरूलाल जाति–गुर्जर निवासी तिसाया तहसील बारां, जिला–बारां (राज.) **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री बालमुकुन्द गुर्जर, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 27.01.2020

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 16.03.2017 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–तिसाया, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 1195 रकबा 2.00 हैक्टर किस्म–चारागाह पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 1000/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आदेश पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का सहीं ढंग से गौर नहीं किया गया है। मात्र हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है जो न्यायोचित नहीं है। उक्त वर्णित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय आदेश पारित करने में विधिक भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.3.2017 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उसने आराजी से कब्जा छोड रखा है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है [illegible] अपीलांट उक्त आराजी पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

भविष्य में कभी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। बकाया तावान राशि भी जमा करा दी गयी है। साथ ही निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.03.2017 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 353/16 निर्णय दिनांक 30.3.2016 से भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह भूमि है जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 1198 रकबा 0.80 है0 ग्राम तिसाया पर पूर्व में मिसल नम्बर 353/16 निर्णय दिनांक 30.03.2016 से भी बेदखल किया जाना प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहींन होने खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 128/17 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 30/2018

बउनवान

जवाहरी आयु 60 वर्ष पुत्र श्री चतुर्भज जाति–मेघवाल निवासी–लिसाडिया तहसील–बारां जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री बृजराज सिंह चौहान, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 27.01.2020

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 08.10.2015 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–लिसाडिया तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 66 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 100/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यो के प्रतिकूल होने से काबिल खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवायी जवाबदेही का अवसर दिये बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये अपीलांट की अनुपस्थिति में एकतरफा निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अपीलांट का अतिक्रमित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है ना हीं कोई सरकारी तावान बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व विधि विरूद्व आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.10.2015 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को ना तो विधिवत नोटिस जारी किया है ना हीं सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर दिया है, एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। अपीलांट का पैतृक [illegible] पर कोई कब्जा नहीं है, कब्जा काफी समय से छोड रखा है। साथ हीं [illegible] कि हल्का पटवारी ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट को विरूद्व बिना मौके देखे व कब्जे की जॉच किये बिना अधीनस्थ न्यायालय में रिपोर्ट पेश की गयी है, इसी आधार पर अपीलांट को सजायाब किया गया है, जो विधि विरूद्व है। वर्तमान में अपीलांट को कोई कब्जा काश्त नहीं है ना हीं उसके विरूद्व कोई तावान राशि बकाया है। अपीलांट भविष्य में भी उक्त आराजी पर कभी कब्जा नहीं करने के लिए वचनबद्व है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.10.2015 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 275/14 निर्णय दिनांक 03.03.2014 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है, ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति व नरमी का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 08.10.2015 से पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 1159/15 में पारित निर्णय दिनांक 08.10.2015 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, बारां कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,बारां द्वारा निर्णय दिनांक 08.10.2015 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां का उक्त निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 01/2017

बउनवान

राज्य सरकार जर्ये प्रवर्तन निरीक्षक, अन्ता जिला–बारां(राज.) **(प्रार्थी)**

बनाम

श्री इकबाल हुसैन पुत्र श्री नूर मोहम्मद सीसवाली जिला–बारां
प्रो.–साहिल मोबाईल पॉइंट मॉगरोल रोड, सीसवाली जिला–बारां **(अप्रार्थी)**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 धारा, 6(ए) के तहत

उपस्थिति :–1. पेरोकार रसद **(प्रार्थी)**
2. श्री असलम भारती,अभिभाषक **(अप्रार्थी)**

निर्णय दिनांक– 27.01.2020

1– प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, अन्ता ने इस्तगासा विरूद्व अप्रार्थी अन्तर्गत धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर इस्तगासे में अंकित किया है कि दिनांक 07.03.2017 को बारां अन्ता में घरेलू गैस सिलेण्डरां के छोडे वाहनो में अवैध रूप से भरने की शिकायत पर सहिल मोबाइल पॉईट मॉगरोल रोड, सीसवाली पर पहुॅचा। दुकान की जॉच के दौरान दुकान मालिक श्री इकबाल हुसैन द्वारा वाहन मारूति 800 आर.जे.28 सी.ए. 2700 में अवैध रिफलिंग की जा रहीं थी। मौके पर दो गैस सिलेण्डर बी0पी0सी0एल0 कम्पनी के मिले जिनमे एक न्लास्टिक पाईप के जरिये रिफलिंग मशीन से जुडा हुआ था तथा एक गैस सिलेण्डर इसी प्रयोजनार्थ वहॉ रखा हुआ था । इस प्रकार उक्त दोनो 14.2 किग्रा0 के घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से रिफलिंग के व्यवसायिक उपयोग करते पाए गये। इस बाबत दुकानदार श्री इकबाल हुसैन से पूछताछ की गई जो कोई जवाब नहीं दे पाये तथा इस बाबत कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किये। गैस सिलेण्डरों का विवरण निम्न प्रकार है–

क0सं0	सिलेण्डर का एस.आर.नं0	कम्पनी	सिलेण्डर पर उपदर्शित एल.पी.जी. का मानक भार	खाली सिलेण्डरो का टेयरवेट	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एल.पी.जी	शुद्व गैस का भार
1	277284 S	BPCL	14.2	16.2	16.2	0.0
2	041640S	BPCL	14.2	15.9	28.9	13.0

इस प्रकार उक्त फर्म मालिक ने घरेलू प्रयोजनार्थ सिलेण्डरों का अपने व्यवसयिक हितो की पूर्ति में काम में लिया है जो नियम विरूद्व है तथा राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का स्पष्ट उल्लघंन है। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरो व मशीन को जप्त सरकार कर रूबरू मौतबिरान श्री इन्द्र राज गोस्वामी पुत्र भॅवरलाल गोस्वामी हाल प्रतिनिधि मै. गैस सर्विस, अन्ता की सुपुर्दगी में दिये गये। इस जप्तशुदा 2 घरेलू गैस

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

सिलेण्डरों मय 13.0 किग्रा. गैस एवं एक रिफलिंग मशीन का नियमानुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राजसात किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2— प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुये। अभिभाषक को जवाब हेतु कई अवसर दिये गये के बावजूद कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। प्रकरण में जवाब बन्द कर बहस उभयपक्ष अभिभाषक सुनी गयी।

3— बहस के दौरान विद्वान पेरोकार सरकार ने इस्तगासे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अन्ता में घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ कार्य में लिये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर, दिनांक 7.3.2017 को अप्रार्थी के अप्रार्थी की दुकान प्रो0 साहिल मोबाइल पोइंट, सीसवाली पर पहुॅचकर जॉच की गयी। जॉच के दौरान दुकान में मौके पर 2 घरेलू सिलेण्डर व गैस रिफलिंग करने की मशीन पायी गयी। मौके पर एक वाहन मारूति कार में गैस सिलेण्डर से रिफलिंग की जा रहीं थी। मौके पर उपस्थित व्यवसायिक मालिक से इसके संबंध में पूछताछ की गयी। किन्तु उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया गया है, जो विधि विरूद्व एवं राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है एवं दंडनीय अपराध है। अतः जप्तशुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस एवं रिफलिंग मशीन को राजसात किया जावे।

6— इसके विपरीत विद्धान अप्रार्थी अभिभाषक का कथन है कि रसद विभाग द्वारा उसके विरूद्व गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यवसायिक उपयोग में लिये जाने से, सिलेण्डरो को जप्त किये जाने का केस दर्ज किया गया है। जबकि अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग नहीं किया गया है। मौके पर विभाग द्वारा गैस रिफलिंग करने की बात लिखी है, जो पूर्णतया असत्य एवं निराधार है। अप्रार्थी का व्यवसायिक परिसर दुकान के ऊपर उसका रहवास है जिसमें परिवार सहित निवास करते है। गैस सिलेण्डरों को एक हीं परिसर होने से दुकान में रखे गये थे। उनके द्वारा कभी भी गैस सिलेण्डरों में से गैस रिफलिंग का व्यवसाय नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा मात्र संदेह के आधार पर जप्ती की कार्यवाहीं की गयी है, जो पूर्णतया असत्य व निराधार होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः इस्तगासा निरस्त फरमाया जाकर, जप्तशुदा गैस सिलेण्डर 2 मय गैस एवं मशीन को अन्तरिम सुपुर्दगीदार से अप्रार्थी को वापस लौटाये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

7— हमने विद्वान पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी अभिभाषक को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, अन्ता द्वारा अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसायिक परिसर मै0 साहिल मोबाइल पोइंट, सीसवाली पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग में लिये जाने पर, मौके पर 2 [illegible] रिफलिंग मशीन को जप्त किया गया है। इसी प्रकार अप्रार्थी का कथन [illegible] उसके द्वारा घरेलू गैस

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

सिलेण्डरों का किसी प्रकार से दुरूपयोग नहीं किया है। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रवर्तन निरीक्षक, अन्ता द्वारा अप्रार्थी के व्यवसायिक परिसर पर मौके पर जप्तशुदा गैस सिलेण्डर से मारूति कार में रिफलिंग की जा रहीं थी। इसी आधार पर मौके पर गैस सिलेण्डरो एवं मशीन को जप्त किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग में लिया जाना प्रमाणित है, जो अप्रार्थी की घोर अनियमितता की श्रेणी में आता है।

8— परिणामस्वरूप, प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, अन्ता द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में उपरोक्तानुसार जप्तशुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डर कम्पनी बी0पी0सी0एल0 मय 13.0 किग्रा. गैस एवं एक गैस रिफलिंग मशीन को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा सामान को अंतरिम सुपुर्दगीदार से प्राप्त कर, नियमानुसार उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों को संबंधित कम्पनी बी0पी0सी0एल0 में जमा कराकर, रसीद प्राप्त करे तथा एक रिफलिंग गैस मशीन को खुली नीलामी में विक्रय कराकर, प्राप्त आय को राजकीय राजसात मद में जमा करावे।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 21/2016

बउनवान

बिरधीबाई आयु 65 वर्ष पुत्री किशना जाति–चमार मेघवाली निवासी–देलाहेडी तहसील–अन्ता हाल निवासी कवासपुरा अन्ता वार्ड नं0 13 अन्ता जिला–बारां (राज0) **(अपीलांटा)**

बनाम

1– कालू पुत्र बिशना जाति–चमार मेघवाल निवासी–देलाहेडी (मृतक)
1/1 ओमप्रकाश उम्र 40 वर्ष पुत्र कालू
1/2 जोधराज उम्र 30 वर्ष पुत्र कालू निवासी–देलाहेडी तह0अन्ता
2– कजोडीबाई आयु 75 वर्ष बेवा आनन्दीलाल
3– राजाराम आयु 5 वर्ष पुत्र आननन्दीलाल
4– रामेश्वर आयु 45 वर्ष पुत्र आनन्दीलाल
5– रमेश आयु 42 वर्ष पुत्र आनन्दीलाल
6– बनासबाई आयु 50 वर्ष पुत्री आनन्दीलाल पत्नी रामभरोस जाति–चमार हाल नि0 मेघवाल महोल्ला वार्ड नं0 2 सागोंद जिला–कोटा
7– रामविलासी बाई आयु 45 वर्ष बेवा सुरेश जाति–चमार मेघवाल निवासी–देलाहेडी तहसील–अन्ता जिला–बारां
8– पदमाबाई उम्र 22 वर्ष पुत्री सुरेश पत्नी जगदीश जाति–चमार मेघवाल निवासी–देलाहेडी तहसील–अन्ता
9– राजवीर उम्र 17 वर्ष पुत्र सुरेश नाबालिंग
10–सियाबाई उम्र 15 वर्ष पुत्री सुरेश नाबालिंग
11–नव्या उम्र 13 वर्ष पुत्री सुरेश नाबालिंग जरिये वली माता खुद रामविलासी बाई आयु 45 वर्ष बेवा सुरेश जाति–चमार मेघवाल निवासी–देलाहेडी तहसील–अता जिला बारां
12– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता **(रेस्पोंडेंटस्)**

अपील बनाराजगी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा तस्दीकी नामान्तकरण संख्या 107 दिनांक 05.10.1977 वाके ग्राम–देलाहेडी तहसील–अन्ता अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री बृजराज सिंह चौहान, अभिभाषक **(अपीलांटा)**
2. श्री कृष्णकान्त शर्मा,अभिभाषक **(रेस्पोडेंट्स)**

निर्णय दिनांक– 27.01.2020

अपीलांटा ने अपील प्रस्तुत कर कथन किया है कि वाके ग्राम देल्याहेडी तहसील–अन्ता जमाबन्दी संख्या 2037 से 2040 अनुसार खाता नं0 5 पुराना 44 मे खसरा नम्बर 26, 27, 39, 46, 212, 213, 1214, 215, 221, 222, 225, 5/2, 198/1, 226/1 कुल किता–14 रकबा 52 बीघा 16 बि. स्थित थी जो खातेदार आनन्दया, कालू पिसरान बिशना कोम चमार सा. देह जिस्त कार्ड में अंकित थी जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

इन्तकाल नं. 107 में दर्ज हुआ है। लेकिन अपीलांटा बिरधीबाई का नाम दर्ज नहीं किया है। अपीलांटा भी मृतक बिशना पुत्र धूल्या की जायज वारिस है। उक्त आराजियात् के पूर्व खातेदार बिशना पुत्र धूल्या थे। आनन्दया उर्फ आनंदीलाल का स्वर्गवास हो चुका है तथा वर्तमान में आनन्दया उर्फ आनन्दीलाल के जीवित वारिस एवं कायम मुकामान रेस्पों0 क्रम–2 ता 11 है। उक्त आराजीयात् के बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 297, 298, 315, 322, 353, 354, 35, 356, 357, 358, 359, 365, 366, 369, 374, 375, 376/501 कुल किता 18 कुल रकबा 10.09 हैक्टर जमाबन्दी सम्वत् 207 से 2075 में अंकित है।

अपीलांटा के पिता बिशना पुत्र धूल्या का स्वर्गवास होने के बाद उक्त आराजी उनके पुत्रों आनन्दया उर्फ आनन्दीलाल, कालू के नाम दर्ज कर दी है जबकि अपीलांट बिरधीबाई भी बिशना की जायन्दा पुत्री है तथा अपने पिता के जीवनकाल से अपने हिस्से 1/3 पर काबिज काश्त मौके पर चली आ रहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त इन्तकाल नं0 107 बिना तहकीकात किये खोला गया है जो अवैधानिक एवं गैरकानूनी एवं अवैधानिक होने से काबिल निरस्तनीय है।

इस इन्तकाल नं0 107 दिनांक 5.10.1977 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 19.06.2016 को पटवारी हल्का से किसान क्रेडिट कार्ड के लिये खाते की नकल लेने हेतु मौखिक निवेदन करने पर पटवारी हल्का द्वारा बताने पर कि खाते में तेरा नाम अंकित नहीं है। इस पर अपीलांटा ने उक्त इन्तकाल की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन दिनांक 20.06.2016 को पेश कर नकल इन्तकाल दिनांक 24.06.2016 को प्राप्त की गयी। अस्तु जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश की है। धारा–5 मियाद अधिनियम का आवेदन मय शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत किया गया है। अतः अपीलांटा की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अन्ता द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 107 दिनांक 05.10.1977 ग्राम देल्याहेडी निरस्त फरमाया जाकर, मृतक बिशना के वारिसान आनन्दया, कालू के साथ अपीलांटा बिरधीबाई के नाम अंकित किये जाने हेतु तहसीलदार, अन्ता को आदेश प्रदान किये जावे।

इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट्स को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख प्रति प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांटा व रेस्पोडेंट क्रम–3 अभिभाषक सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांटा ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलांटा के पिता श्री बिशनाजी के ग्राम देल्हाहेडी तहसील–अन्ता के खाता संख्या जमाबन्दी संख्या 2037 से 2040 अनुसार खाता नं0 5 पुराना 44 से खसरा नम्बर 26, 27, 39, 46, 212, 213, 1214, 215, 221, 222, 225, 5/2, 198/1, 226/1 कुल किता–14 रकबा 52 बीघा 16 बिस्वा अवस्थित थी जिसके बाद सेटलमेंट नये नम्बरान् बने है जो वर्तमान में रेस्पोडेंट्स के नाम दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अन्ता द्वारा अपीलांटा के पिता बिशना पुत्र धूल्या जी के स्वर्गवास होने के बाद उक्त आराजी उनके पुत्रो आनन्दया उर्फ आनंदीलाल, कालू के नाम दर्ज कर, इन्तकाल नं0 107 दिनांक 05.10.1977 को दर्ज किया गया है, जबकि अपीलांटा बिरधीबाई [illegible] जीवित वारिस है तथा विरासतन आराजी में से 1/3 हिस्सा प्राप्त कर [illegible] कपेण कानूनी अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी तहकीकात व जानकारी किये रेस्पोंडेंट्स की मिलीभगत से आनन फानन में दोनो पुत्रों के नाम हीं फौती इन्तकाल खोला है। जबकि अपीलांट मृतक बिशनजी की वैधानिक पुत्री है। अपीलांटा अपने हक व हिस्से की आराजी पर काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम एवं कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर उक्त इन्तकाल तस्दीक किया है, जो अवैधानिक व नियमों को प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांटा की अपील स्वीकार की जाकर, उक्त तस्दीकी इन्तकाल नं0 107 दिनांक 5.10.1977 निरस्त फरमाया जाकर, मृतक बिशना के वारिसान में आनन्दया, कालू के साथ अपीलांटा का नाम भी दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

इसके विपरीत विद्वान रेस्पोडेंट अभिभाषक क्रम–3 ने अपीलांटा अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त फौती इन्तकाल दिनांक 05.10.1977 को खोला गया है जबकि अपीलांटा ने उक्त अपील लगभग 42 वर्ष पश्चात् पेश की है। इसके बाद राजस्व रेकार्ड में आनन्दीलाल के वारिसान् व कायम मुकामान रेकार्ड पर आ चुके है तथा सभी अपने–अपने हक व हिस्से पर बदस्तूर काबिज काश्त है। अपीलांटा ने उक्त अपील मियाद बाहर पेश की है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांटा व रेस्पोडेंट क्रम–3 की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। जिससे पाया जाता है कि अपीलांटा द्वारा हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अन्ता तस्दीकी नामान्तकरण संख्या 107 तस्दीकी दिनांक 05.10.1977 वाके ग्राम देल्याहेडी तहसील–अन्ता से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गयी है। अपीलांटा का अपील में मत रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वर्णित आराजियात् का फौती इन्तकाल मृतक बिशनाजी के पुत्रो के नाम खोला है, जबकि अपीलांटा बिरधीबाई मृतक की जायन्दा वैधानिक वारिस है, इसलिये उक्त इन्तकाल को निरस्त कर, उसका नाम भी इन्तकाल में दर्ज किया जावे। जबकि रेस्पोंडेंट अभिभाषक का कथन है कि अपीलांटा ने अपील मियाद बाहर पेश की है। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलांट ने हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अन्ता द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 107 दिनांक 05.10.1977 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। अपील काफी विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है। अपीलांटा ने अपील को विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में धारा–5 लिमिटेशन एक्ट प्रार्थनापत्र में जो कारण प्रस्तुत किये है, उचित व क्षम्य योग्य प्रतीत नहीं होते है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलांटा ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है।

परिणामस्वरूप अपीलांटा की अपील मियाद बाहर प्रस्तुत करने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 02/2019

बउनवान

भैरूलाल पुत्र रामगोपाल जाति–सेन आयु 63 वर्ष निवासी–विजयपुर तहसील–बारां जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

1– मेघराज पुत्र रामगोपाल जाति–सेन निवासी–हरिओम नगर सांवरिया जी के मंदिर के पास,कोटा जिला–कोटा

2– लक्ष्मीनारायण पुत्र रामगोपाल जाति–सेन निवासी चारभुजा मंदिर की गली के पास छावनी, कोटा जिला–कोटा

3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंटस्)**

अपील बनाराजगी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित वसीयती आदेश दिनांक 20.12.2018 वाके ग्राम–विजयपुरा तहसील–बारां अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री रूपेन्द्र सिंह हाडा, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. श्री बनेराज सिंह,अभिभाषक **(रेस्पोडेंट कम 1 व 2)**

निर्णय दिनांक– 20.1.2020

1– अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.12.2018 मिसल नम्बर 205/2018 पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। मृतका मॉगीबाई पुत्री मन्ना के खातेदारी एवं स्वामित्व की आराजी वाके ग्राम विजयपुर तहसील–बारां में सम्वत् 2070–73 के खाता संख्या 99 पुराना 103 की आराजी खसरा नम्बर 118 रकबा 0.80 है0, ख0नं0 120 रकबा 0.31 है0 कुल 2 किता रकबा 1.11 हैक्टयर स्थित है। खातेदारा मॉगीबाई पुत्री मन्ना का स्वर्गवास हो चुका है। अपीलांट द्वारा ही उक्त आराजियात् को मॉगीबाई के जीवनकाल से आज तक निरन्तर काश्त किया जा रहा है। वर्तमान में भी अपीलांट हीं उक्त आराजी पर काबिज काश्त है। अपीलांट के अतिरिक्त उक्त आराजियात् पर किसी अन्य का कोई हक व हिस्सा नहीं है।

मृतका मॉगीबाई द्वारा उक्त आराजियात् की वसीयत अपीलांट के पक्ष में निष्पादित करवाई गयी है जिसके आधार पर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के यहॉ नामान्तकरण खोलने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है जो हल्का पटवारी सीमली को जॉच के आदेश प्रदान किये गये है। हल्का पटवारी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट पेश की गई है जिसे आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किये है, इसके बावजूद विधि विरूद्व निर्णय पारित करने से न्याय प्रभावित हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को अपना जवाबदेही व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है जो कि कानून होने से निरस्त

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां का निर्णय दिनांक 20.12.2018 निरस्त फरमाया जावे।

2— इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट्स को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पोडेंट क्रम—1 व 2 सुनी गयी।

3— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलांट के माता मॉगीबाई पुत्री मन्नाजी के ग्राम विजयपुरा में आराजी ख0नं0 118 रकबा 0.80 है0 व 120 रकबा 0.31 है0 कुल 2 किता रकबा 1.11 है0 अवस्थित है। मृतका मॉगीबाई की माता ने उनके कोई पुत्र नहीं होने से अपीलांट को उसके जीवनकाल से हीं गोद ले लिया था तथा अपीलांट नानी के पास हीं रहा है। अपीलांट ने हीं वर्णित आराजियात् की देखभाल की है तथा काबिज काश्त रहा है। वर्तमान में भी उक्त अराजियात् पर अपीलांट की काबिज काश्त है। मृतका मॉगीबाई अपीलांट के पास हीं रहीं है। उसकी देखभाल व सेवासुश्रेषा अपीलांट ने हीं की है। तीनों पुत्र पिता की आराजी पर काबिज काश्त है। अपीलांट हीं मॉगीबाई माता की मृत्युपरान्त तहरीरी वसीयत दिनांक 1.7.2010 के आधार पर वसीयती पुत्र होने से उक्त आराजियात् को प्राप्त करने का वैधानिक वारिस है।

4— अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में मॉगीबाई की मृत्यु होने पर, उक्त आराजीयात् की वसीयत के आधार पर फौती इन्तकाल खुलवाने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया जिसपर अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त की गयी। हल्का पटवारी ने वसीयत के संबंध में कोई उल्लेख नहीं कर, विधि विरूद्व रिपोर्ट दिनांक 04.07.2018 को पेश की गयी। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने मृतका मॉगीबाई का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विरासतन नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित करने से पूर्व वसीयत की ग्राहयता की कोई जॉच नहीं की है। ना हीं अपीलांट को सुनवाई जवाबदेहीं व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किया है। उक्त वसीयत अनरजिस्टर्ड वसीयत है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य लेकर, वसीयत की जॉच उपरान्त आदेश पारित करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने नियमों के प्रतिकूल जाकर, आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्व एवं कानूनी प्रावधानों के असंगत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर, वसीयत के आधार पर वर्णित आराजियात् का नामान्तकरण दर्ज करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां को आदेशित किया जावे।

5— इसके विपरीत विद्वान रेस्पोडेंट अभिभाषक क्रम—1 व 2 ने अपीलांट अभिभाषक के कथन पर अभिव्यक्त किया कि विवादित आराजी मॉगीबाई माता की खातेदारी भूमि है। यदि वसीयत सही है तो [illegible] के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करने पर उन्हे कोई आपत्ति नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

6— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पोडेंट की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया जिससे पाया जाता है कि विवादित आराजी ख0नं0 118 रकबा 0.80 है0 व ख0नं0 120 रकबा 0.31 है0 ग्राम विजयपुरा मृतका मॉगीबाई पुत्री मन्ना सा.देह के खातेदारी की भूमि है। अपीलांट व रेस्पोंडेट मृतका से वारिसान् है। अपील में अपीलांट का मुख्य तर्क है मृतका मॉगीबाई ने अपीलांट के पक्ष में दिनांक 01.07.2010 को वसीयत तहरीर की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत की जॉच व सुनवाई किये बिना, बिना साक्ष्य सबूत लिये विरासतन फौती इन्तकाल दर्ज करने के आदेश पारित किये है जो निरस्त किये जाकर वसीयत के आधार पर नामान्तकरण दर्ज किया जावे। इसके विपरीत रेस्पोडेंट अभिभाषक का तर्क है कि वसीयत की जॉच कर नामान्तकरण दर्ज किया जा सकता है। इस परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में मृतका मॉगीबाई द्वारा दिनांक 01.07.2010 को तहरीरी अनरजिस्टर्ड वसीयत प्रस्तुत की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनरजिस्टर्ड वसीयत की कोई जॉच नहीं की गयी है। ना हीं वसीयत पर अपीलांट व वसीयत के गवाहान की साक्ष्य ली है तथा ना हीं विरासतन वारिसान् की विधिवत सुनवाई की गयी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत की जॉच व पक्षकारान् को सुनवाई व साक्ष्य लिये बिना आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां का आदेश दिनांक 20.12.2018 निरस्त किये जाने योग्य है।

7— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2018 निरस्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलांट व मृतका मॉगीबाई के वारिसान् एवं वसीयत के गवाहान को विधिवित सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर, प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित किया जावे। पक्षकारान् को निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 04.03.2020 को उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 37 / 2014

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता जिला–बारां **(प्रार्थी)**

बनाम

1–श्री मकसूद पुत्र नन्हेखॉ जाति–मुसलमान निवासी–पलायथा
तहसील–अन्ता जिला–बारां (राज.) **(अप्रार्थी)**

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. पेरोकार सरकार **(प्रार्थी)**
2. श्री बृजराज किशोर शर्मा, अभिभाषक **(अप्रार्थी)**

आदेश दिनांक– 27.01.2020

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी मकसूद पुत्र नन्हेखॉ मुसलमान निवासी–पलायथा को ग्राम पलायथा तहसील–अन्ता की आराजी खसरा नम्बर 1067 रकबा 0.16 है0 किस्म सिवायचक बजंड दिनांक 21.06.2000 को आवंटित हुई थी। आवंटित आराजी के सम्वत् 2010–29 में साबिक खसरा नम्बर 801 रकबा 31 बीघा 15 बिस्वा किस्म नाला दर्ज है। उक्त आराजी की सेटलमेंट पूर्व किस्म नाला होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 की धारा–16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है। इसलिये अप्रार्थी को किया गया आवंटन नियम विरूद्व है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536 / 2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

अतः उक्त आवंटन / नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536 / 03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन / नियमन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुये तथा अप्रार्थी द्वारा दिनांक 18.05.2017 को जवाब रेफरेंस पेश किया गया।

3– अप्रार्थी अभिभाषक ने [illegible] कि उक्त आराजी अप्रार्थी को आवंटन शिविर पलायथा में आवंटित हुई [illegible] भूमि बजंड व समतल

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

भूमि थी। वहॉ पर कोई खाल नाल आदि नहीं था। चारो ओर खातेदारो की भूमि स्थित है। अप्रार्थी 2000 से उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वर्तमान में अप्रार्थी की गेहूॅ की फसल पैदा की है। अप्रार्थी 70 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है, उक्त आराजी से लगा हुआ अप्रार्थी का खाते का खेत है। अप्रार्थी गत 50 वर्षो से उक्त आवंटित भूमि पर काश्त कर रहा है, मौके पर कोई खाल नाल नहीं है। उक्त आराजी अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज हो चुकी है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी रेफरेंस की कार्यवाहीं गैर कानूनी एवं नियम विरूद्व है। अतः प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे।

4— प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर बहस विद्वान पेरोकार सरकार व अप्रार्थी अभिभाषक सुनी गयी।

5— बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि अप्रार्थी को भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा शिविर केम्प पलायथा पर, आराजी खसरा नम्बर 1067 रकबा 0.16 है0 ग्राम पलायथा का दिनांक 21.6.2000 आवंटन किया गया है। जिस उक्त अप्रार्थी को भूमि आवंटित हुयी है उस वक्त विवादित आराजी की किस्म बजंड राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। लेकिन उससे पूर्व सेटलमेंट सम्वत् 2010—29 में नाला दर्ज थी। विवादित आराजी बाद सेटलमेंट ख0नं0 1067 रकबा 0.16 है0 किस्म बजंड दर्ज हुयी है। लेकिन इसका मूल स्वरूप नाला हीं है, जो प्रतिबंधित भूमि है तथा यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा—16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आवंटन नियम विरूद्व हुआ है। ऐसे नियम विरूद्व आंवटन/नियमन प्रारम्भतः ही शून्य है, जिसे किसी भी दशा में मान्यता नहीं दी जा सकती। वादग्रस्त आराजी के संबंध में जितनी भी कार्यवाहियॉ हुई है, वह निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त आवंटन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत आवंटित आराजी को नाला दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा—82 भू राजस्व अधिनियम,1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

6— इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने पेरोकार सरकार के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी को भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा शिविर मुकाम पलायथा पर अप्रार्थी भूमिहीन एवं उक्त आवंटित आराजी पर लगातार काबिज काश्त होने से, कमेटी द्वारा अप्रार्थी को विवादित आराजी खसरा नम्बर 1067 रकबा 0.16 है0 किस्म बजंड का आवंटन किया है। मौके पर उक्त भूमि नाला नहीं है, भूमि समतल होने के कारण अप्रार्थी वर्षो उक्त आराजी को काश्त कर रहा है। अप्रार्थी को उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार मिल चुके है। खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के पश्चात् आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता। ऐसे विधि के प्रावधान तथा उच्च न्यायालय [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

साथ ही निवेदन किया कि तहसीलदार, अन्ता द्वारा काफी वर्षो पश्चात् अब्दुल रहमान बनाम सरकार रिट में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 के आधार पर उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किये जाने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है जबकि उक्त आवंटन सरकार द्वारा किया गया है जिसमें स्टेट की ओर से तहसीलदार द्वारा रिप्रजेन्ट किया गया है। इसलिये तहसीलदार को उक्त कार्यवाहीं प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी को उक्त आराजीयात् का विधि सम्मत व प्रक्रिया के तहत आवटंन हुआ है जिसे निरस्त नहीं किया जा सकता। इसलिये रेफरेन्स प्रार्थनापत्र निरस्त फरमाया जावे।

7— हमने पेरोकार सरकार व अप्रार्थी अभिभाषक की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अप्रार्थी मकसूद खॉ पुत्र नन्हेखॉ नि. पलायथा को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 1067 कुल रकबा 2.91 है0 में से 0.16 है0 दिनांक 21.06.2000 को आवंटित हुयी थी जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में ख0नं0 2246/1067 रकबा 0.16 है0 अप्रार्थी के खाते दर्ज है। विवादित आराजी आवंटन योग्य नहीं थी। उक्त आराजी सेटलमेंट पूर्व सम्वत् 2010—29 ख0नं0 801 रकबा 39 बीघा 15 बिस्वा किस्म नाला राजस्व रेकार्ड खाता सरकार दर्ज है। इस प्रकार अप्रार्थी को आवंटित आराजी की मूल किस्म नाला है, जो आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आराजी का आवंटन नियम विरूद्व हुआ है।

8— बहस के दौरान अभिभाषक अप्रार्थी ने तर्क दिया है कि आवंटित आराजी उसके खातेदारी में दर्ज हो चुकी है। खातेदारी में भूमि दर्ज होने के पश्चात् आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। इस परिपेक्ष्य में अप्रार्थी अभिभाषक का कथन हस्तगत प्रकरण में लागू नहीं होता है।

9— अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार स्पष्ट है कि अप्रार्थी को आवंटित आराजी सेटलमेंट पूर्व सम्वत् 2010—29 में आराजी ख0नं0 801 रकबा 31 बीघा 15 बिस्वा भूमि वाके ग्राम पलायथा किस्म नाला खाता सरकार दर्ज थी जिसमें से अप्रार्थी मकसूद पुत्र नन्हेखॉ जाति—मुसलमान निवासी पलायथा को बाद सेटलमेंट बने नये नम्बर 2246/1067 रकबा 0.16 है0 ग्राम पलायथा का दिनांक 21.6.2000 को आवंटन हुआ है, जो वास्तविक रूप से सेटलमेंट पूर्व किस्म नाला दर्ज थी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

10— परिणास्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, अन्ता का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थी मकसूद पुत्र नन्हेखॉ मुसलमान निवासी—पलायथा को आवंटित आराजी ख0नं0 2246/1067 रकबा 0.16 है0 किस्म बंजड ग्राम पलायथा दिनांक 21.6.2000 जो मूल रूप से सेटलमेंट [illegible] खसरा नम्बर 801 रकबा 31 बीघा 15 बिस्वा किस्म नाला से बना है जि[illegible]से अप्रार्थी को 0.16 है0 भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

गलत रूप से आवंटित हुयी है, आवंटन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार अन्ता को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, जयपुर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनश्चित करे।

11– तहसीलदार, अन्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटित आराजी जो खातेदार अप्रार्थी मकसूद पुत्र नन्हेखॉ मुसलमान नि. पलायथा के खाते दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें। अप्रार्थी को पाबन्द किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय होने तक, वर्णित आराजी खसरा नम्बर 2246/1067 रकबा 0.16 है0 ग्राम पलायथा किस्म बजंड की यथास्थिति बनाये रखें। इस आराजी को रहन,बेचान,हस्तान्तरण व खुर्द–बुर्द नहीं करे।

आदेश आज दिनांक 27.01.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर, बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 01/2018

बउनवान

राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड जरिये प्रभारी मदिरालय श्री दयाशंकर पाण्डेय, बारां जिला–बारां **(प्रार्थी)**

बनाम

1–श्री योगेश कुमार वर्मा पुत्र श्री ताराचन्द जाति–खटीक निवासी–कृष्णा कॉलोनी, पुलिस थाने के पीछे,छीपाबडौद जिला–बारां (राज.) **(अप्रार्थी)**

प्रार्थनापत्र जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत

उपस्थिति :–1. श्री मनोज कुमार जैन,अभिभाषक **(प्रार्थी)**

आदेश दिनांक– 16.03.2020

1– प्रार्थी ने जर्ये अभिभाषक जनमॉग वसूली अधिनियम,1952 के तहत प्रार्थनापत्र विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी के विरूद्व विभागीय गबन की राशि समायोजित करने के उपरान्त 2,84,662/–रूपये मय आगे का ब्याज व खर्चे काबिल वसूली योग्य है। इसलिये अप्रार्थी से जनमॉग वसूली अधिनियम,1952 के तहत उक्त राशि वसूल करने के आदेश पारित किये जावे। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मदिरा डिपो छीपाबडौद में अवधि अगस्त–2013 से नवम्बर–2013 के मध्य सरकारी गबन व अनियमितता हुयी है उक्त अवधि के दौरान मदिरा डिपो छीपाबडौद पर श्री अशोक कुमार चौरसिया सहायक प्रबंधक–ाा प्रभारी के पद पर तैनात थे। श्री चौरसिया के कार्यकाल में वास्तविक रूप से उनका सभी कार्य अप्रार्थी श्री योगेश वर्मा श्रमिक द्वारा सम्पादित किया जा रहा था तथा डिपो की चाबियॉ भी श्री वर्मा के पास हीं रहती थी। श्री चौरसिया मदिरा डिपो छीपाबडौद पर महिने में एक या दो बार हीं आते थे। श्री चौरसिया की मृत्यु दिनांक 02.11.2013 को होने पर अप्रार्थी श्री वर्मा ने गोदाम छीपाबडौद के माह अगस्त–2013 से नवम्बर–2013 तक के रेकार्ड में कॉट–छॉट एवं ओवर राईटिंग कर विभिन्न प्रकार की मदिर का स्टॉक कम कर दिया है, जिसकी बिक्री नहीं हुयी थी। कॉट–छॉट का विवरण निम्नानुसार है–

क0सं0	माह का नाम	किस्म मदिरा	संख्या (केसेज में)	कीमत (रूपयों में)
1	अगस्त–13	घूमर 50 यूपी	191	63030
2	सितम्बर–13	जीएसएम 40 यूपी	352	124960
3	सितम्बर–13	जीएसएम 50 यूपी	78	25740
4	सितम्बर–13	बादशाह 50 यूपी	55	18150
5	सितम्बर–13	घूमर पेट 40 यूपी	12	4260
6	सितम्बर–13	घूमर पेट 40 यूपी	156	55380
7	सितम्बर–13	घूमर पेट 50 यूपी	22	7260
8	अक्टूबर–13	बादशाह नेशनल 40	8	2280
9	अक्टूबर–13	घूमर 40 यूपी	72	25560
10	अक्टूबर–13	घूमर 50 यूपी	60	19940

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

11	अक्टूबर–13	जीएसएम 40 यूपी	597	211935
12	अक्टूबर–13	जीएसएम 50 यूपी	50	16500
13	अक्टूबर–13	घूमर 40 यूपी	353	125315
14	अक्टूबर–13	घूमर 50 यूपी	72	23760
15	नवम्बर–13	ढालामारू 40 यूपी	20	7100
कुल योग			2144	7,46,570

इस प्रकार अप्रार्थी ने अपने निजी स्वार्थ सिद्धि हेतु राजकीय कोष का गबन किया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य संस्थान तथा आबकारी विभाग को आर्थिक हानि पहुॅचाने की परिभाषा में आने पर, विभागीय स्तर पर अप्रार्थी को दोषी मानकर, अप्रार्थी श्री वर्मा से उक्त गबन राशि 2,84,662/–रूपये वसूल करने हेतु जन मॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत रिक्वीजेशन प्रस्तुत कर, उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है।

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय द्वारा बाकीदार/अप्रार्थी के विरूद्व 2,84,662/–रूपये बकाया होने पर अप्रार्थी के विरूद्व दिनांक 01.03.2019 को धारा–4(प्रपत्र–2) में राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट, 1952 के तहत राशि 2,84,662/–रूपये काबिल वसूल होने के संबंध में प्रमाण–पत्र जारी किया गया।

3– अप्रार्थी को राजस्थान जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत धारा–6 (प्रपत्र–3) में पत्रांक 209 दिनांक 01.03.2019 से इस आशय का नोटिस जारी किया गया कि आपके विरूद्व इस न्यायालय में जनमॉग वसूली अधिनियम,1952 के तहत रिक्वीजेशन(प्रमाणपत्र) विचाराधीन है, यदि आप उक्त बकाया राशि 2,84,662/– रूपये बकाया होने से इन्कार करते है तो आप इस नोटिस की तारीख जब आपको मिले, उस तारीख से 30 दिवस के अन्दर बकाया इन्कारी की याचिका मय आवश्यक दस्तावेज के पेश करे, यदि आप उचित कारण बताने में असमर्थ रहे तो आपसे उक्त राशि की वसूली राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट,1952 के तहत मूल रकम मय ब्याज 13 प्रतिशत व 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्जेज सहित एक मर्तबा में वसूल की जावेगी। जब तक आप रूपये 2,84,662/–रूपये मय ब्याज व कलेक्शन चार्जेज सहित जमा नहीं करा देवे, तब तक आपको अपनी चल–अचल सम्पत्ति या उसका भाग बेचान,दान अथवा अन्य किसी भी तरीके से खुर्द–बुर्द कराने अथवा हस्तान्तरित करने से रोका जाता है। यदि इस बीच में या आपको जब से नोटिस मिले, तब से आपने अपनी जायदाद को छिपाने, हटाने व बेचने की कोशिश की तो इस प्रमाणपत्र का तत्काल निष्पादन कर दिया जावेगा जिसकी जिम्मेदारी आप स्वंय की होगी। नोटिस के साथ प्रमाणपत्र धारा–4 राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट की प्रतिलिपि सूचनार्थ संलग्न की गयी।

4– न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को जारी नोटिस 01.03.2019 मय प्रमाणपत्र जर्ये तहसीलदार, छीपाबडौद तामील हेतु भेजने पर, अप्रार्थी को दिनांक 17.03.2019 को नोटिस व्यक्तिशः तामील हुआ है। तामीली नोटिस बाद तामील दिनांक 19.03.2019 को प्राप्त हुआ है, जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी ने नोटिस की तामील होने के बावजूद न्यायालय हाजा में अभी दिनांक तक न तो हाजिर उपस्थिति दी। ना हीं इन्कारी की याचिका या जवाब प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

5— प्रकरण में प्रार्थी प्रभारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमि0 मदिरालय, बारां ने प्रार्थनापत्र दिनांक 14.08.2019 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण अप्रार्थी की तलबी स्तर पर लंबित है। जबकि अप्रार्थी योगेश कुमार वर्मा को प्रकरण में पेशी की जानकारी है क्योकि अप्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में रिट याचिका संख्या 8685/19 उनवान योगेश कुमार बनाम राजस्थान स्टेट गंगानगर शुमर मिल्स व अन्य दायर की है जिसमें कोई स्थगन नहीं दिया है। इसलिये वसूली आदेश पारित किये जावे।

6— प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्च न्यायालय,जयपुर में दायर रिट याचिका संख्या 8685/19 का अवलोकन किया जिससे पाया जाता है कि अप्रार्थी ने रिट में उक्त वसूली नोटिस का प्रेयर में उल्लेख किया है तथा अप्रार्थी को नोटिस दिनांक 01.03.2019 की प्रोपर तामील हुयी है। इससे जाहिर होता है कि अप्रार्थी को न्यायालय से जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत जारी प्रमाणपत्र व नोटिस की पूर्ण व स्पष्ट जानकारी है। इसके बावजूद अप्रार्थी ना तो न्यायालय में उपस्थित हुआ है ना हीं नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी ने न्यायालय कार्यवाहीं में सहयोग प्रदान नहीं कर, आदेश की अवहेलना की है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी की तामील मानते हुये प्रकरण में बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गयी।

7— बहस के दौरान विद्वान प्रार्थी अभिभाषक ने निवेदन किया कि राज. स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि0 बारां एक सरकारी उपक्रम है जिसमें मदिरा डिपो छीपाबडौद पर श्री अशोक कुमार चौरसिया सहायक प्रबंधक—ाा प्रभारी के पद पर तैनात थे। श्री चौरसिया के कार्यकाल में मदिरा निकासी करने, रेकार्ड भरने, परमिटो को चढाने आदि/डाटाफिडिंग का कार्य वास्तविक रूप से अप्रार्थी श्री योगेश वर्मा श्रमिक द्वारा सम्पादित किया जा रहा था तथा डिपो की चाबियॉ भी श्री वर्मा के पास हीं रहती थी। श्री चौरसिया मदिरा डिपो छीपाबडौद पर महिने में एक या दो बार हीं आते थे। इस प्रकार कम्पनी के छीपाबडौद डिपो का मदिर इश्यू का समस्त कार्य तथा प्रकिया, कम्प्यूटर सिस्टम पर कार्य सहित समस्त कार्यालय कार्य अप्रार्थी द्वारा सम्पादित किये गये है। अप्रार्थी द्वारा अगस्त—2013 से नवम्बर—2013 की अवधि में रेकार्ड में कॉट—छॉट कर 2144 केसेजो की हेराफेरी कर अपनी स्वार्थ सिद्धी के लिये कम्पनी की मदिर का मूल्य 7,46,570/—रूपये का गबन कर वित्तीय हानि एवं सम्भावित आबकारी शुल्क लगभग 12.38 लाख का नुकसान पहुॅचाया है यानि गबन किया है।

8— मदिर डिपो छीपाबडौद के प्रभारी श्री अशोक कुमार चौरसिया का दिनांक 02.11.2013 को निधन होने पर, अप्रार्थी श्री वर्मा ने गोदाम छीपाबडौद के माह अगस्त—2013 से नवम्बर—2013 तक के रेकार्ड में कॉट—छॉट एवं ओवर राईटिंग कर विभिन्न प्रकार की मदिर का स्टॉक कम किया है जबकि नियम तथा प्रकिया के अनुसार बिक्री हुयी हीं नहीं। अप्रार्थी ने श्री चौरसिया की मृत्यु होने का फायदा उठाते हुये रेकार्ड के खाते में कुल 2144 काटूॅनो का विक्रय इस उद्धेश्य के लिये दिखाया कि उक्त कमी चौरसिया के नामे रह जायेगी ओर उसपर गबन का कोई आरोप नहीं लगेगा। गबन उजागर होने पर विभागीय [illegible] जॉच करायी गयी। जिसमें पाया है कि अप्रार्थी ने अपने निजी स्[illegible] हेतु राजकीय कोष का

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

गबन किया है। अप्रार्थी ने प्रभारी के निधन होने पर परिस्थितियों का अनैतिक तथा अवैधानिक दुरूपयोग कर, धोखाधडी की है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य संस्थान तथा आबकारी विभाग को आर्थिक हानि पहुॅचाने की परिभाषा में आता है। विभागीय स्तर पर अप्रार्थी को दोषी मानकर, अप्रार्थी श्री वर्मा से उक्त गबन राशि 2,84,662/–रूपये वसूल करने का निर्णय किया गया है। इसी आधार पर जन मॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर, अप्रार्थी के विरूद्व उक्त राशि वसूल करने हेतु आदेश पारित किये जावे।

9– हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया। जिससे पाया जाता है कि अप्रार्थी योगेश कुमार वर्मा श्रमिक (आपरेटर) के पद पर मदिर डिपो छीपाबडौद राजस्थान स्टेट गंगानगर शुमर मिल्स लि0 में अस्थाई रूप से कार्यरत रहा है। इसके द्वारा श्री अशोक कुमार चौरसिया सहायक प्रबंधक,छीपाबडौद का कार्य उनकी देखरेख या अनुपस्थिति में सम्पादित किया जाता रहा है। श्री वर्मा द्वारा हीं मदिरा निकासी करने, रेकार्ड भरने, परमिटो को चढ़ाने एवं डाटाफिंडिंग व कम्प्यूटर संबंधी कार्य सम्पादित किया जाता रहा है। जैसा हीं पत्रावली व जॉच रिपोर्ट दिनांक 15.03.2016 व विभागीय पत्रादि के अवलोकन से विदित होता है कि अप्रार्थी ने प्रभारी मदिरा डिपो,छीपाबडौद श्री अशोक कुमार चौरसिया का दिनांक 02.11.2013 को निधन होने पर, अप्रार्थी द्वारा माह अगस्त–2013 से नवम्बर–2013 की अवधि के रेकार्ड में कॉट–छॉट एवं ओवर राईटिंग कर, विभिन्न प्रकार की मदिरा का स्टॉक कम किया गया है, जिसकी बिक्री हीं नहीं हुई है। श्री वर्मा ने उक्त अवधि के दौरान रेकार्ड में कॉट–छॉट इस उद्धेश्य से की है कि उक्त कमी चौरसिया के नाम हीं रह जायेगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री वर्मा द्वारा माह अगस्त–2013 व नवम्बर–2013 की अवधि के मध्य अपने निजी स्वार्थ सिद्धी के लिये रेकार्ड में 2144 कैसेज की हेराफेरी कर कम्पनी को मदिरा मूल्य 7,46,570/–रूपये का गबन कर, वित्तीय हानि या नुकसान पहुॅचाया गया है। विभाग स्तर पर अप्रार्थी से उक्त गबन की समायोजित राशि 2,64,662/–रूपये मय ब्याज व अन्य खर्चे वसूल करने हेतु रिक्वीजेशन प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी के विरूद्व प्रस्तुत रिक्वीजेशन प्रमाणपत्र काबिज वसूली योग्य पाया जाता है।

10– परिणामस्वरूप, प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी श्री योगेश कुमार वर्मा पुत्र श्री ताराचंद जाति–खटीक निवासी कृष्णा कॉलोनी पुलिस थाने के पीछे, छीपाबडौद से राजस्थान जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत राशि 2,84,662/–रूपये मय 13 प्रतिशत ब्याज एवं 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्जेज सहित वसूल किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। अप्रार्थी से उक्त राशि वसूल करने हेतु आदेश की प्रमाणित प्रति मय प्रमाणपत्र धारा–4 प्रभारी, मदिरालय राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि0 बारां जिला–बारां को भिजवाया जावे। निर्णय की प्रति जिला राजस्व लेखाकार, बारां को भिजवायी जावे।

आदेश आज दिनांक 16.03.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर, बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 09/2018

बउनवान

राज्य सरकार जर्ये प्रवर्तन निरीक्षक, बारां जिला–बारां(राज.) **(प्रार्थी)**

बनाम

श्री मॉगीलाल पुत्र श्री हीरलाल सुमन मैसर्स सुमन ओटोमोबाइल्स, माथना चौराहा, मॉगरोल बाईपास,बारां जिला–बारां **(अप्रार्थी)**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 धारा, 6(ए) के तहत

उपस्थिति :–1. पेरोकार रसद **(प्रार्थी)**

2. श्री बृजमोहन गोयल,अभिभाषक **(अप्रार्थी)**

निर्णय दिनांक– 17.02.2020

1– प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, बारां ने इस्तगासा विरूद्व अप्रार्थी अन्तर्गत धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर इस्तगासे में अंकित किया है कि दिनांक 19.04.2018 को बारां शहर में घरेलू सिलेण्डरों के बढ़ते व्यवसायिक उपयोग की शिकायत पर मैसर्स सुमन ओटोमोबाइल्स, मॉगरोल रोड, बारां पर दल सहित जॉच हेतु पहूॅचे। मौके पर श्री मॉगीलाल पुत्र हीरलाल उपस्थित मिले जिनके सामने दुकान परिसर की जॉच की गयी। जॉच के दौरान मौके पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डर(14.2 के.जी) तथा 2 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर(5 के.जी.) एक गैस पाईप बर्नर सहित पाये गये। वक्त जॉच मौके पर दुकान मालिक द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से पाईप के जरिये छोटे सिलेण्डर में गैस भरी जा रहीं थी। इस पर उपस्थित मॉगीलाल से पूछताछ करने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया ना हीं मौके पर इस बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। गैस सिलेण्डरों का विवरण निम्न प्रकार है–

क0सं0	सिलेण्डर का एस.आर.नं0	कम्पनी	सिलेण्डर पर उपदर्शित एल.पी.जी. का मानक भार	खाली सिलेण्डरो का टेयरवेट	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एल.पी.जी	शुद्व गैस का भार
1	715903 S	INDANE	14.2	16.2	16.5	0.3
2	202722 E	HPCL	14.2	15.7	16.5	0.8
3	130723 E	INDANE	5.00	8.5	11.5	3.0
4	131139 E	INDANE	5.00	8.4	8.8	0.4
						4.5

इस प्रकार उक्त फर्म मालिक ने घरेलू प्रयोजनार्थ सिलेण्डरों का अपने व्यवसयिक हितो की पूर्ति में काम में लिया है। दुकानदार द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से रिफलिंग के जरिये छोटे अमानक गैस सिलेण्डरो व पेट्रोमैक्स में से गैस निकालकर उन्हे बेचते है। रिफलिंग से गैस रिसाव जैसी दुर्घटना होने का भी अंदेशा रहता है। जो नियम विरूद्व है तथा राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का स्पष्ट उल्लघंन है। मौके पर उक्त घरेलू तीन गैस सिलेण्डर, गैस पाईप कर सहित व पेमक्स को जप्त सरकार कर,रूबरू मौतबिरान श्री भॅवरसिंह पुत्र अखेराज सिंह [illegible] अभिमन्यु विहार

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

कॉलोनी, हाल प्रतिनिधि मै. राज एचपी गैस ऐजेन्सी, बारां की सुपुर्दगी में दिये गये। इस प्रकार जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर मय 4.5 किग्रा. गैस का नियमानुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राजसात किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2— प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी के उपस्थित होकर अपने समर्थन में दिनांक 29.01.2018 को जवाब इस्तगासा पेश किया गया।

3— अप्रार्थी ने अपने जवाब में लिखा है कि अप्रार्थी के ऑटो मोबाईल्स की दुकान है तथा दुकान के ऊपर हीं उसका मकान है, जहॉ अपने परिवार सहित रहता है। अप्रार्थी ने अपने खाली गैस सिलेण्डर, गैस एजेन्सी पर जाकर भरवाने के लिये रखे हुये थे। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से घरेलू गैस सिलेण्डरों से पाइप के जरिये छोटे सिलेण्डर में गैस नहीं भरी गयी है। घरेलू गैस सिलेण्डर का अपने घरेलू निजी उपयोग में हीं लेता है। जप्ती की कार्यवाहीं मिथ्या आधारों पर तैयार की गयी है। उक्त जप्तशुदा गैस सिलेण्डर गैस भरवाने के लिये दुकान के बाहर रखे हुये थे जिन्हे अभियान के दौरान जप्त किया है। अतः प्रार्थी के विरूद्व की गयी कार्यवाहीं निरस्त फरमायी जावे।

4— प्रकरण में अप्रार्थी का जवाब प्राप्त होने पर, बहस विद्वान पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी अभिभाषक सुनी गयी।

5— बहस के दौरान विद्वान पेरोकार सरकार ने इस्तगासे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि बारां में घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ कार्य में लिये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर, गठित दल के साथ दिनांक 19.04.2018 को अप्रार्थी के व्यवसायिक परिसर मैसर्स सुमन ऑटोमाईल्स, बारां पर पहुॅचकर जॉच की गयी। जॉच के दौरान दुकान में मौके पर 2 घरेलू सिलेण्डर, व 2 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर एक गैस पाईप बर्नर सहित पाये गये तथा मौके पर दुकान मालिक द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से पाईप के जरिये छोटे सिलेण्डर में गैस भरी जा रहीं थी। दुकान पर मौजूद दूकान मालिक मॉगीलाल से इस संबंध में पूछताछ की गयी। किन्तु उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ अवैध गैस रिफलिंग के कार्य में उपयोग लिया गया है, जो विधि विरूद्व एवं राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है एवं दंडनीय अपराध है। अतः जप्तशुदा गैस सिलेण्डर मय गैस एवं एक पाइप बर्नर व पेट्रोमेक्स को राजसात किया जावे।

6— इसके विपरीत विद्धान अप्रार्थी अभिभाषक का कथन है कि रसद विभाग द्वारा उसके विरूद्व गैस सिलेण्डरों से अवैध रूप से रिफलिंग कर, व्यवसायिक उपयोग में लिये जाने से, जप्ती की कार्यवाहीं कर, इस्तगासा प्रस्तुत किया है। जबकि अप्रार्थी द्वारा उक्त गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग [illegible] रिफलिंग का कार्य नहीं किया है। मौके पर विभाग द्वारा उक्त गैस रिफलिंग [illegible] लिखी है, पूर्णतया झूठी,

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

मनगढन्त व निराधार है। जबकि वास्तविकता यह है कि अप्रार्थी की ऑटोमोबाइल्स की दुकान के ऊपर उसका मकान है जिसमें वह परिवार सहित निवास करता है। उक्त सिलेण्डर गैस ऐजेन्सी से गैस भरवाने के लिये रखे गये थे तथा पेट्रोमेन्स घरेलू उपयोग के लिये रखा हुआ था। रसद विभाग ने बिना तहकीकात व हकीकत की जानकारी किये, उसपर झूठा केस तैयार किया गया है। अप्रार्थी ने कभी भी घरेलू गैस सिलेण्डरों की अवेध रिफलिंग नहीं की गयी है। अप्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है। इस्तगासा निराधार तथ्यों पर आधारित होने से निरस्त फरमाया जाकर, जप्तशुदा गैस सिलेण्डर मय गैस अन्तरिम सुपुर्दगीदार से अप्रार्थी को वापस लौटाये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

7— हमने विद्वान पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी अभिभाषक को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, बारां द्वारा अप्रार्थी के व्यवसायिक परिसर मै0 सुमन ऑटोमाबाईल्स, माथना चौराहा, बारां पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग अवैध रिफलिंग की शिकायत पर मौके पर पहूॅचकर जॉच के दौरान घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध रिफलिंग करते पाये जाने पर, 2 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं दो छोटे सिलेण्डर मय गैस को जप्त किया गया है। इस पर अप्रार्थी का कथन रहा है कि उसके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों की अवैध रिफलिंग नहीं की गयी है। जप्तशुदा सिलेण्डर घरेलू उपयोग के लिये हीं रखे गये थे। उसने व्यवसायिक दुरूपयोग नहीं किया है। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रवर्तन निरीक्षक, बारां जॉच के दौरान अप्रार्थी को व्यवसायिक परिसर पर घरेलू गैस सिलेण्डर से छोटे गैस सिलेण्डर में पाईप के जरिये गैस भरते पाया गया है। इसी आधार पर मौके पर गैस सिलेण्डर मय गैस को जप्त किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग अवैध रिफलिंग में लिया जाना प्रमाणित है, जो अप्रार्थी की घोर अनियमितता की श्रेणी में आता है।

8— परिणामस्वरूप, प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, बारां द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में उपरोक्तानुसार जप्तशुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 4.5 किग्रा. गैस एवं 2 छोटे सिलेण्डर, पाईप बर्नर व एक पेट्रोमेक्स को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा सामान को अंतरिम सुपुर्दगीदार से प्राप्त कर, नियमानुसार उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों को संबंधित कम्पनी में जमा कराकर, रसीद प्राप्त करे तथा छोटे गैस सिलेण्डर व पेट्रोमेक्स व पाईप बर्नर का खुली नीलामी में विक्रय कराकर, प्राप्त आय को राजकीय राजसात मद में जमा करावे।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 04/2017

बउनवान

राज्य सरकार जर्ये प्रवर्तन निरीक्षक, अन्ता/बारां जिला–बारां(राज.) **(प्रार्थी)**

बनाम

श्री प्रतीक राजपूत पुत्र श्री सत्यनारायण रापजूत,अन्ता मै0 बृजवासी रेस्टोरेंट राष्ट्रीय राजमार्ग, अन्ता जिला–बारां **(अप्रार्थी)**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 धारा, 6(ए) के तहत

उपस्थिति :–1. पेरोकार रसद **(प्रार्थी)**

2. श्री राजेश कुमार गुप्ता,अभिभाषक **(अप्रार्थी)**

निर्णय दिनांक– 27.02.2020

1– प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, अन्ता ने इस्तगासा विरूद्व अप्रार्थी अन्तर्गत धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर इस्तगासे में अंकित किया है कि दिनांक 06.10.2017 को अन्ता से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग पर संचालित ढ़ाबो/रेस्टोरेंट पर घरेलू सिलेण्डरों के बढ़ते व्यवसायिक उपयोग की शिकायत पर मै0 बृजवासी रेस्टोरेंट, राष्ट्रीय राजमार्ग पर दल सहित पहुॅचे। रेस्टोरेन्ट की जॉच के दौरान उसके व्यवसायिक परिसर मे तीन घरेलू गैस सिलेण्डर BPCL कम्पनी के पाये जिसमें एक प्लास्टिक पाईप के जरिये भट्टी से जुडा हुआ था तथा दो गैस सिलेण्डर इसी प्रयोजनार्थ वहॉ रखे हुये थे। इस प्रकार उक्त तीनो 14.2 किग्रा. के घरेलू गैस सिलेण्डर व्यवसायिक उपयोग में पाए गये। इस बाबत रेस्टोरेंट पर उपस्थित प्रतिनिधि श्री प्रतीक राजपूत से पूछताछ की गई जो कोई जवाब नहीं दे पाये तथा इस बाबत कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया। गैस सिलेण्डरों का विवरण निम्न प्रकार है–

क्र0सं0	सिलेण्डर का एस.आर.नं0	कम्पनी	सिलेण्डर पर उपदर्शित एल.पी.जी. का मानक भार	खाली सिलेण्डरो का टेयरवेट	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एल.पी.जी	शुद्व गैस का भार
1	630765	BPCL	14.2	15.5	21.0	5.5
2	121647	BPCL	14.2	15.9	30.00	14.1
3	080396	BPCL	14.2	15.4	15.90	0.5

इस प्रकार उक्त फर्म मालिक ने घरेलू प्रयोजनार्थ सिलेण्डरों का अपने व्यवसयिक हितो की पूर्ति में काम में लिया है जो नियम विरूद्व है तथा राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का स्पष्ट उल्लघंन है। मौके पर उक्त घरेलू तीन गैस सिलेण्डर, एक भट्टी चूल्हे, एक प्लास्टिक पाईप मय रेगुलेटर को जप्त सरकार कर रूबरू मौतबिरान श्री योगेन्द्र पुत्र गोवर्धनलाल प्रतिनिधि मै. अन्ता गैस [illegible] दिये गये। इस प्रकार जप्तशुदा 3 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 20.1 ग्रा. [illegible] एवं एक गैस भट्टी

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

चूल्हे एक प्लास्टिक पाईप मय रेगुलेटर का नियमानुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राजसात किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2— प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी के उपस्थित होकर अपने समर्थन में दिनांक 12.09.2019 को जवाब इस्तगासा पेश किया गया।

3— अप्रार्थी ने अपने जवाब में लिखा है कि प्रार्थी के विरूद्व की गयी कार्यवाहीं सर्वथा गलत एवं विधि विरूद्व है। अप्रार्थी ने घरेलू सिलेण्डरो का व्यवसायिक उपयोग करने का आरोप सर्वथा मिथ्या है। सम्पूर्ण जॉच कार्यवाहीं प्रवर्तन निरीक्षक ने कार्यालय में बैठकर पूर्ण की है। अप्रार्थी के विरूद्व प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दुर्भावना से ग्रसित होकर कार्यवाहीं की है जो विधि विरूद्व आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। प्रार्थी ने जो सिलेण्डर जप्त किये है उनमें दो सिलेण्डर खाली थे तथा एक सिलेण्डर पूरा भरा हुआ था जिसे घर के उपयोग के लिये लेकर आया था उसके द्वारा किसी प्रकार का व्यवसायिक उपयोग नहीं किया है। अप्रार्थी गरीब व्यवसायी है, उसने कानून का कोई उल्लघंन नहीं किया है। कार्यवाहीं निरस्त फरमायी जावे।

4— प्रकरण में अप्रार्थी का जवाब प्राप्त होने पर, बहस विद्वान पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी अभिभाषक सुनी गयी।

5— बहस के दौरान विद्वान पेरोकार सरकार ने इस्तगासे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अन्ता में घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ कार्य में लिये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर, गठित दल के साथ दिनांक 06.10.2017 को अप्रार्थी के व्यवसायिक रेस्टोरेंट मै. बृजवासी रेस्टोरेंट राष्ट्रीय राजमार्ग, अन्ता पर पहुॅचकर जॉच की गयी। जॉच के दौरान दुकान में मौके पर 3 घरेलू सिलेण्डर एक गैस भट्टी पायी गयी। जिनमें से एक गैस सिलेण्डर भट्टी से जुडा हुआ था तथा दो गैस सिलेण्डर इसी प्रयोजनार्थ रखे हुये थे। मौके पर उपस्थित व्यवसायिक मालिक से इसके संबंध में पूछताछ की गयी। किन्तु उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया गया है, जो विधि विरूद्व एवं राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है एवं दंडनीय अपराध है। अतः जप्तशुदा तीन घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस एवं एक चूल्हे का राजसात किया जावे।

6— इसके विपरीत विद्वान अप्रार्थी अभिभाषक का कथन है कि रसद विभाग द्वारा उसके विरूद्व गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यवसायिक उपयोग में लिये जाने से, सिलेण्डर व चूल्हा जप्त किये जाने का केस दर्ज किया गया है। जबकि अप्रार्थी द्वारा उक्त गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग नहीं किया गया है। मौके पर विभाग द्वारा उक्त गैस सिलेण्डरो का चुल्हे का उपयोग [illegible] है। यह कथन पूर्णतया असत्य एवं निराधार है। प्रार्थी ने जप्ती [illegible] कार्यालय में बैठकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

तैयार की गयी है। उक्त रिपोर्ट में ना तो स्वतंत्र गवाह की साक्ष्य है ना हीं किसी गवाह के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी ने कभी भी रेस्टोरेंट पर घरेलू गैस सिलेण्डरो का व्यवसायिक उपयोग में नहीं लिया गया है। उक्त गैस सिलेण्डर घरेलू उपयोग के लिये है। उसका घर काफी दूर होने से गैस ऐजेन्सी वाले हॉम डिलेवरी उसके दुकान पर हीं कर देते है। प्रार्थी अपनी सुविधा अनुसार उक्त गैस सिलेण्डरों को घर पर पहूँचा देता है। इसी उद्धेश्य हेतु गैस सिलेण्डर उसके रेस्टोरेंट में रखे हुये थे। किन्तु रसद विभाग से उसकी कोई बात नहीं सुनी तथा उनपर झूठी रिपोर्ट तैयार कर, केस दर्ज कर दिया है। प्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है। उसने कभी भी घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवासियक उपयोग हेतु दुरूपयोग नहीं किया है। इस्तगासा मनगठंत व निराधार तथ्यों पर आधारित है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः इस्तगासा निरस्त फरमाया जाकर, जप्तशुदा गैस सिलेण्डर 3 मय गैस एवं एक चुल्हा भट्टी अन्तरिम सुपुर्दगीदार से अप्रार्थी को वापस लौटाये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

7— हमने विद्वान पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी अभिभाषक को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, अन्ता द्वारा अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसायिक परिसर मै0 बृजवासी रेस्टोरेंट राष्ट्रीय राजमार्ग, अन्ता पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग में लिये जाने पर, मौके पर 3 गैस सिलेण्डरों एवं चुल्हा भट्टी को जप्त किया गया है। इसी प्रकार अप्रार्थी का कथन रहा है कि उसके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का किसी प्रकार से दुरूपयोग नहीं किया है। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रवर्तन निरीक्षक, अन्ता द्वारा अप्रार्थी के व्यवसायिक परिसर पर मौके पर जप्तशुदा एक गैस सिलेण्डर व भट्टी एक प्लास्टिक पाईप से जुडा हुआ पाया गया है। इसी आधार पर मौके पर गैस सिलेण्डरो एवं भट्टी को जप्त किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग में लिया जाना प्रमाणित है, जो अप्रार्थी की घोर अनियमितता की श्रेणी में आता है।

8— परिणामस्वरूप, प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, अन्ता द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में उपरोक्तानुसार जप्तशुदा 3 गैस सिलेण्डर मय 20.1 किग्रा. गैस एवं एक चुल्हा भट्टी को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा सामान को अंतरिम सुपुर्दगीदार से प्राप्त कर, नियमानुसार उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों को संबंधित कम्पनी एच0पी0सी0एल0 में जमा कराकर, रसीद प्राप्त करे तथा भट्टी चुल्हे का खुली नीलामी में विक्रय कराकर, प्राप्त आय को राजकीय राजसात मद में जमा करावे।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 13/2018

बउनवान

राज्य सरकार जर्ये प्रवर्तन निरीक्षक, शाहबाद जिला–बारां(राज.) **(प्रार्थी)**

बनाम

श्री रामकुमार पुत्र श्री नारायणलाल मै0 रामा स्वीट्स, नाटई मोड़,
समरानिया तहसील–शाहबाद जिला–बारां **(अप्रार्थी)**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 धारा, 6(ए) के तहत

उपस्थिति :–1. पेरोकार रसद **(प्रार्थी)**

2. श्री ओम मेहता,अभिभाषक **(अप्रार्थी)**

निर्णय दिनांक– 04.03.2020

1– प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, शाहबाद ने इस्तगासा विरूद्व अप्रार्थी अन्तर्गत धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर इस्तगासे में अंकित किया है कि दिनांक 02.05.2018 को घरेलू सिलेण्डरों के बढ़ते व्यवसायिक उपयोग की शिकायत पर जिला रसद अधिकारी, बारां के साथ मैसर्स रामा स्वीट्स, नाटई मोड़ समरानिया पर पहुॅचकर जॉच की गयी। जॉच के दौरान उसके व्यवसायिक परिसर मे चार घरेलू गैस सिलेण्डर(14.2 के.जी.) एक गैस पाईप बर्नर सहित पाये गये। वक्त जॉच मौके पर दुकान मालिक द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से मिठाई बनाने का कार्य किया जा रहा था। इस संबंध में उपस्थित राम कुमार से पूछताछ की गई जिसने कोई सतोंषप्रद जवाब नहीं दिया ना हीं मौके पर इस बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। गैस सिलेण्डरों का विवरण निम्न प्रकार है–

क्र0सं0	सिलेण्डर का एस.आर.नं0	कम्पनी	सिलेण्डर पर उपदर्शित एल.पी.जी. का मानक भार	खाली सिलेण्डरो का टेयरवेट	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एल.पी. जी	शुद्व गैस का भार
1	088845	INDANE	14.2	15.5	22.0	6.5
2	641194 S	INDANE	14.2	15.9	16.0	0.1
3	858408 S	INDANE	14.2	15.7	30.0	14.3
4	685873	INDANE	14.2	15.6	15.7	0.1
						21

इस प्रकार उक्त दूकान मालिक ने घरेलू प्रयोजनार्थ सिलेण्डरों का अपने व्यवसयिक हितो की पूर्ति में काम में लिया है जो नियम विरूद्व है तथा राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का स्पष्ट उल्लघंन है। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों एक भट्टी चूल्हे, को जप्त सरकार कर रूबरू मौतबिरान श्री वसीम अकरम बाबू खॉ नि. समरानिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

हाल प्रतिनिधि मै. समरानिया गैस ऐजेन्सी की सुपुर्दगी में दिये गये। इस प्रकार जप्तशुदा 4 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 21 किग्रा. गैस एवं एक गैस भट्टी चूल्हा मय पाईप का नियमानुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राजसात किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2— प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुये। अप्रार्थी अभिभाषक को लगातार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब इस्तगासा पेश नहीं किया। तत्पश्चात् जवाब अप्रार्थी बंद किया जाकर बहस विद्वान पेरोकार रसद व अभिभाषक अप्रार्थी सुनी गयी।

3— बहस के दौरान विद्वान पेरोकार रसद ने इस्तगासे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि शाहबाद क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ कार्य में लिये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर, गठित दल के साथ दिनांक 02.05.2018 को अप्रार्थी की व्यवसायिक दूकान मैसर्स रामा स्वीट्स नाटई मोड़ समरानिया पर पहुॅचकर जॉच की गयी। जॉच के दौरान दुकान में मौके पर 4 घरेलू सिलेण्डर एक चुल्हा पाया गया। जिनमें से एक सिलेण्डर से चुल्हा जुडा हुआ था जिससे मिठाई बनाने का कार्य किया जा रहा था। इस संबंध में मौके पर उपस्थित दूकान मालिक से पूछताछ की गयी। किन्तु उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया गया है, जो विधि विरूद्व एवं राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है एवं दंडनीय अपराध है। अतः जप्तशुदा चार घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस एवं एक चूल्हे का राजसात किया जावे।

4— इसके विपरीत विद्वान अप्रार्थी अभिभाषक का कथन है कि अप्रार्थी के विरूद्व की गयी कार्यवाहीं सर्वथा गलत एवं विधि विरूद्व है। अप्रार्थी पर घरेलू सिलेण्डरो का व्यवसायिक उपयोग करने का आरोप सर्वथा मिथ्या है। सम्पूर्ण जॉच कार्यवाहीं प्रवर्तन निरीक्षक ने कार्यालय में बैठकर पूर्ण की है। रिपोर्ट में ना तो स्वतंत्र गवाह के बयान है ना हीं हस्ताक्षर है। सरकारी स्तर से कार्यवाहीं रिपोर्ट तैयार की गयी है। जो दुर्भावना से ग्रसित एवं आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। प्रार्थी ने अप्रार्थी की दूकान से जो सिलेण्डर जप्त किये है, वह घरेलू सिलेण्डर है तथा घर के उपयोग के लिये हीं है। उसके द्वारा किसी प्रकार का व्यवसायिक उपयोग नहीं किया गया है। इस्तगासे में जिस प्रकार लिखा है कि मौके पर उक्त सिलेण्डरों से मिठाई बनायी जा रहीं है, उक्त कथन कयास मात्र हीं है। जप्तशुदा सिलेण्डर मात्र घरेलू उपयोग के हीं है। उसका निवास दूकान से दूर होने से गैस ऐजेन्सी वाले हॉम डिलेवरी उसकी दुकान पर हीं कर देते है। अप्रार्थीगण अपनी सुविधा अनुसार उक्त गैस सिलेण्डरों को घर पर पहूॅचा देता है। इसी उद्धेश्य हेतु गैस सिलेण्डर उसकी दूकान में रखे हुये थे। किन्तु रसद विभाग ने उसकी कोई बात नहीं सुनी तथा उनपर झूठी रिपोर्ट [illegible] दिया है। प्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है। उसने कभी भी घरेलू गैस सिलेण्[illegible] का व्यवसायिक उपयोग नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

किया है। इस्तगासा मनगठंत व निराधार तथ्यों पर आधारित है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः इस्तगासा निरस्त फरमाया जाकर, जप्तशुदा गैस सिलेण्डर 4 मय गैस एवं एक चुल्हा भट्टी अन्तरिम सुपुर्दगीदार से अप्रार्थी को वापस लौटाये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

5— हमने विद्वान पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी अभिभाषक को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, शाहबाद द्वारा अप्रार्थी की व्यवसायिक दूकान मै0 रामा स्वीट्स, नाटई मोड़ समरानिया पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग में लिये जाने पर, मौके पर 4 गैस सिलेण्डरों एवं चुल्हा भट्टी को जप्त किया गया है। इसी प्रकार अप्रार्थी का कथन रहा है कि उसके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का किसी प्रकार से दुरूपयोग नहीं किया है। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रवर्तन निरीक्षक, शाहबाद द्वारा अप्रार्थी के व्यवसायिक परिसर पर मौके पर जप्तशुदा एक गैस सिलेण्डर व भट्टी एक प्लास्टिक पाईप से जुडा हुआ पाया गया है। इसी आधार पर मौके पर गैस सिलेण्डरो एवं भट्टी को जप्त किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग में लिया जाना प्रमाणित है, जो अप्रार्थी की घोर अनियमितता की श्रेणी में आता है।

6— परिणामस्वरूप, प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, शाहबाद द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में उपरोक्तानुसार जप्तशुदा 4 गैस सिलेण्डर मय 21 किग्रा. गैस एवं एक चुल्हा भट्टी को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा सामान को अंतरिम सुपुर्दगीदार से प्राप्त कर, नियमानुसार उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों को संबंधित कम्पनी इन्डेन में जमा कराकर, रसीद प्राप्त करे तथा भट्टी चुल्हे का खुली नीलामी में विक्रय कराकर, प्राप्त आय को राजकीय राजसात मद में जमा करावे।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 12/2018

बउनवान

राज्य सरकार जर्ये प्रवर्तन निरीक्षक, शाहबाद जिला–बारां(राज.) **(प्रार्थी)**

बनाम

श्री रवि सिवंर पुत्र श्री बालमुकुन्द मैसर्स बालाजी स्वीट्स, हनुमान चौराहा, समरानिया तहसील–शाहबाद जिला–बारां **(अप्रार्थी)**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 धारा, 6(ए) के तहत

उपस्थिति :–1. पेरोकार रसद **(प्रार्थी)**

2. श्री ओम मेहता,अभिभाषक **(अप्रार्थी)**

निर्णय दिनांक– 04.03.2020

1– प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, शाहबाद ने इस्तगासा विरूद्व अप्रार्थी अन्तर्गत धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर इस्तगासे में अंकित किया है कि दिनांक 02.05.2018 को घरेलू सिलेण्डरों के बढ़ते व्यवसायिक उपयोग की शिकायत पर जिला रसद अधिकारी, बारां के साथ मैसर्स बालाजी स्वीट्स, हनुमान चौराहा, समरानिया पर पहुॅचकर जॉच की गयी। जॉच के दौरान उसके व्यवसायिक परिसर मे तीन घरेलू गैस सिलेण्डर(14.2 के.जी.) एक गैस पाईप बर्नर सहित पाये गये। वक्त जॉच मौके पर दुकान मालिक द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से मिठाई बनाने का कार्य किया जा रहा था। इस संबंध में उपस्थित रवि सिवंर से पूछताछ की गई जिसने कोई सतोंषप्रद जवाब नहीं दिया ना हीं मौके पर इस बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। गैस सिलेण्डरों का विवरण निम्न प्रकार है–

क्र0सं0	सिलेण्डर का एस.आर.नं0	कम्पनी	सिलेण्डर पर उपदर्शित एल.पी.जी. का मानक भार	खाली सिलेण्डरो का टेयरवेट	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एल.पी. जी	शुद्व गैस का भार
1	763071 E	INDANE	14.2	15.4	15.5	0.1
2	188570E	INDANE	14.2	16.0	30.0	14.0
3	514518	INDANE	14.2	15.6	18.7	3.1
						17.2

इस प्रकार उक्त दूकान मालिक ने घरेलू प्रयोजनार्थ सिलेण्डरों का अपने व्यवसयिक हितो की पूर्ति में काम में लिया है जो नियम विरूद्व है तथा राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का स्पष्ट उल्लघंन है। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों, एक भट्टी चूल्हे, को जप्त सरकार कर रूबरू मौतबिरान श्री [illegible] हाल प्रतिनिधि मै. समरानिया गैस ऐजेन्सी की सु[illegible] दिये गये। इस प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

जप्तशुदा 3 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 17.2 किग्रा. गैस एवं एक गैस भट्टी चूल्हा मय पाईप का नियमानुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राजसात किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2— प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुये। अप्रार्थी अभिभाषक को लगातार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब इस्तगासा पेश नहीं किया। तत्पश्चात् जवाब अप्रार्थी बंद किया जाकर बहस विद्वान पेरोकार रसद व अभिभाषक अप्रार्थी सुनी गयी।

3— बहस के दौरान विद्वान पेरोकार रसद ने इस्तगासे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि शाहबाद क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ कार्य में लिये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर, गठित दल के साथ दिनांक 02.05.2018 को अप्रार्थी की व्यवसायिक दूकान मैसर्स बालाजी स्वीट्स, समरानिया पर पहुॅचकर जॉच की गयी। जॉच के दौरान दुकान में मौके पर 3 घरेलू सिलेण्डर एक चुल्हा पाया गया। जिनमें से एक सिलेण्डर से चुल्हा जुडा हुआ था जिससे मिठाई बनाने का कार्य किया जा रहा था। इस संबंध में मौके पर उपस्थित दूकान मालिक से पूछताछ की गयी। किन्तु उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया गया है, जो विधि विरूद्व एवं राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है एवं दंडनीय अपराध है। अतः जप्तशुदा तीन घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस एवं एक चूल्हे का राजसात किया जावे।

4— इसके विपरीत विद्वान अप्रार्थी अभिभाषक का कथन है कि अप्रार्थी के विरूद्व की गयी कार्यवाहीं सर्वथा गलत एवं विधि विरूद्व है। अप्रार्थी पर घरेलू सिलेण्डरो का व्यवसायिक उपयोग करने का आरोप सर्वथा मिथ्या है। सम्पूर्ण जॉच कार्यवाहीं प्रवर्तन निरीक्षक ने कार्यालय में बैठकर पूर्ण की है। रिपोर्ट में ना तो स्वतंत्र गवाह के बयान है ना हीं हस्ताक्षर है। सरकारी स्तर से कार्यवाहीं रिपोर्ट तैयार की गयी है। जो दुर्भावना से ग्रसित एवं आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। प्रार्थी ने अप्रार्थी की दूकान से जो सिलेण्डर जप्त किये है, वह घरेलू सिलेण्डर है तथा घर के उपयोग के लिये हीं है। उसके द्वारा किसी प्रकार का व्यवसायिक उपयोग नहीं किया गया है। इस्तगासे में जिस प्रकार लिखा है कि मौके पर उक्त सिलेण्डरों से मिठाई बनायी जा रहीं है, उक्त कथन कयास मात्र हीं है। जप्तशुदा सिलेण्डर मात्र घरेलू उपयोग के हीं है। उसका निवास दूकान से दूर होने से गैस ऐजेन्सी वाले हॉम डिलेवरी उसकी दुकान पर हीं कर देते है। अप्रार्थीगण अपनी सुविधा अनुसार उक्त गैस सिलेण्डरों को घर पर पहूॅचा देता है। इसी उद्धेश्य हेतु गैस सिलेण्डर उसकी दूकान में रखे हुये थे। किन्तु रसद विभाग ने उसकी कोई बात नहीं सुनी तथा उनपर झूठी रिपोर्ट तैयार कर, केस दर्ज कर दिया है। प्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है। उसने कभी भी घरेलू [illegible] व्यवसायिक उपयोग नहीं किया है। इस्तगासा मनगठंत व निराधार तथ्यों पर [illegible] जो निरस्त किये जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

योग्य है। अतः इस्तगासा निरस्त फरमाया जाकर, जप्तशुदा गैस सिलेण्डर 3 मय गैस एवं एक चुल्हा भट्टी अन्तरिम सुपुर्दगीदार से अप्रार्थी को वापस लौटाये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

5— हमने विद्वान पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी अभिभाषक को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, शाहबाद द्वारा अप्रार्थी की व्यवसायिक दूकान मै0 बालाजी स्वीट्स, हनुमान चौराहा, समरानिया पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग में लिये जाने पर, मौके पर 3 गैस सिलेण्डरों एवं चुल्हा भट्टी को जप्त किया गया है। इसी प्रकार अप्रार्थी का कथन रहा है कि उसके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का किसी प्रकार से दुरूपयोग नहीं किया है। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रवर्तन निरीक्षक, शाहबाद द्वारा अप्रार्थी के व्यवसायिक परिसर पर मौके पर जप्तशुदा एक गैस सिलेण्डर व भट्टी एक प्लास्टिक पाईप से जुडा हुआ पाया गया है। इसी आधार पर मौके पर गैस सिलेण्डरो एवं भट्टी को जप्त किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग में लिया जाना प्रमाणित है, जो अप्रार्थी की घोर अनियमितता की श्रेणी में आता है।

6— परिणामस्वरूप, प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, शाहबाद द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में उपरोक्तानुसार जप्तशुदा 3 गैस सिलेण्डर मय 17.2 किग्रा. गैस एवं एक चुल्हा भट्टी को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा सामान को अंतरिम सुपुर्दगीदार से प्राप्त कर, नियमानुसार उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों को संबंधित कम्पनी इन्डेन में जमा कराकर, रसीद प्राप्त करे तथा भट्टी चुल्हे का खुली नीलामी में विक्रय कराकर, प्राप्त आय को राजकीय राजसात मद में जमा करावे।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 05/2015

बउनवान

श्री दयाराम वर्मा, सहायक निदेशक कृषि एवं उर्वरक निरीक्षक,छबडा
जिला–बारां(राज.) **(प्रार्थी)**

बनाम

1–श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र प्रभूलाल लोधा निवासी–श्रीपुरा थाना–हरनावदाशाहजी तहसील–छीपाबडौद, जिला–बारां
2–श्री हेमन्त कुमार गेरा मैसर्स जगदम्बा ट्रेडर्स हरनावदाशाहजी निवासी–हरनावदाशाहजी तहसील–छीपाबडौद जिला–बारां **(अप्रार्थी)**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 धारा, 6(ए) के तहत

उपस्थिति :–1. पेरोकार रसद **(प्रार्थी)**
2. श्री अरवन्दि पंचौली,अभिभाषक **(अप्रार्थी)**

निर्णय दिनांक– 04.03.2020

1– प्रार्थी श्री दयाराम वर्मा, सहायक निदेशक कृषि विस्तार छबडा ने इस्तगासा विरूद्व अप्रार्थी अन्तर्गत धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर इस्तगासे में अंकित किया है कि दिनांक 15.12.2014 को थानाधिकारी हरनावदा शाहजी द्वारा दूरभाष पर सूचना दी कि ग्राम श्रीपुरा में अवैध रूप से यूरिया उर्वरक विक्रय किया जा रहा है। इस सूचना पर क्षेत्र के सहायक कृषि अधिकारी के साथ मौके पर पहुॅचे। मौके पर 33 बेग यूरिया उत्तम ब्राण्ड के साथ विक्रय करने वाला कृषक श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र प्रभूलाल लोधा निवासी श्रीपुरा एवं थानाधिकारी हरनावदाशाहजी मौजूद मिले। मौके पर उपस्थित थानाधिकारी एवं कृषि विभाग के कर्मचारी के सामने विक्रय करने वाले कृषक श्री लक्ष्मीनारायण लोधा नि. श्रीपुरा से पूछताछ की जिन्होने बताया कि उक्त यूरिया उत्तम ब्राण्ड के 33 बेग वजनी प्रत्येक 50 किलोग्राम श्री हेमन्तकुमार गेरा (फर्म जगदम्बा ट्रेडर्स, हरनावदाशाहजी) के है, जिनको उपभोक्ताओं को विक्रय करवाया जा रहा है। इस पर पूछताछ हेतु श्री हेमन्त कुमार गेरा से सम्पर्क करना चाहा तथा थाने पर बुलाया गया लेकिन हेमन्त कुमार गेरा नहीं आया। मौके पर समस्त उर्वरक की जप्ती कर मौका पर्चा तैयार किया गया। इस जप्त किये गये उत्तम ब्राण्ड यूरिया के 33 बेग व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमि. हरनावदाशाहजी (छीपाबडौद) की सुपुर्दगी में सम्भलाया गया। इस प्रकार श्री लक्ष्मीनारायण लोधा निवासी श्रीपुरा एवं श्री हेमन्त गेरा जिनकी फर्म मै. जगदम्बा ट्रेडर्स, हरनावदाशाहजी के नाम है जिनके विरूद्व आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश,1985 के तहत अभियोग दर्ज कराया गया। साथ हीं प्रकरण में जप्तशुदा माल उर्वरक धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राजसात किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

2— प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक ने दिनांक 25.02.2016 को जवाब इस्तागसा प्रस्तुत किया।

3— अप्रार्थी ने जवाब में लिखा है कि प्रार्थी हेमन्त कुमार गेरा की फर्म मैसर्स जगदम्बा ट्रेडर्स, हरनावदाशाहजी रजिस्टर्ड एवं लाईसेंसी फर्म है। कृषि विभाग ने खाद के 33 बेग अवैध तरीके से जप्त किये है, जिसका जप्त करने का उन्हे कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी ने अनाधिकृत उर्वरक का बेचान नहीं किया है बल्कि उक्त उर्वरक का काश्तकार को बेचान किया था। लक्ष्मीनारायण एक काश्तकार है। उसने खाद के कट्टो को क्रय किया था। साथ हीं अन्य किसानों को भी प्रार्थी ने खाद वितरण किया है, जिसके बिल कृषि निरीक्षक व थानाधिकारी को प्रस्तुत किये थे। मामला मिथ्या व झूठा है। अतः परिवाद खारिज किया जाकर, जप्तशुदा माल वापिस लौटाने के आदेश दिये जावे।

4— बहस उभयपक्ष सुनी गयी। बहस के दौरान प्रार्थी विद्वान पेरोकार रसद का कथन है कि थानाधिकारी हरनावदा शाहजी द्वारा ग्राम श्रीपुरा में अवैध रूप से उर्वरक बेचान करने की शिकायत पर, दिनांक 15.12.2014 को मौके पर पहूॅचकर जॉच की गयी। मौके पर श्री लक्ष्मीनारायण लोधा निवासी श्रीपुरा के पास अवैध रूप से भंडारित कुल 33 बेग उत्तम ब्राण्ड यूरिया के पाये गये। इस संबंध में पूछताछ करने में श्री लोधा द्वारा उक्त यूरिया मै. जगदम्बा ट्रेडर्स, हरनावदाशाहजी के मालिक श्री हेमन्त कुमार गेरा के होना बताया गया। इसपर श्री गेरा को थाने पर बुलाया गया। किन्तु वह नहीं आये। मौके पर यूरिया खरीद के संबंध में जानकारी चाहे जाने पर, कोई बिल नहीं होना श्री लोधा द्वारा अवगत कराया। इस प्रकार मामला संदिग्ध पाये जाने पर मौके पर 33 बेग प्रत्येक 50 किलो वजनी जप्त किये गये। अतः जप्तशुदा उर्वरक 33 बेग को राजसात किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

5— इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने प्रार्थी के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी खाद उर्वरक का लाईसेंसी विक्रेता है। अप्रार्थी से काश्तकार श्री लक्ष्मीनारायण लोधा नि. श्रीपुरा द्वारा काश्तकारी कार्य हेतु 33 बेग उत्तम ब्राण्ड खाद के क्रय किये थे। अप्रार्थी ने खाद का कभी भी अवैध बेचान नहीं किया है ना हीं श्रीलोधा द्वारा इस प्रयोजनार्थ उक्त उर्वरक को क्रय किया है। विभाग द्वारा मिथ्या पूर्ण तरीके से अवैध कार्यवाहीं की गयी है। उसके पास उक्त बेचान के बिल मौजूद है। जप्ती की कार्यवाहीं पूर्णतया विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व की गयी कार्यवाहीं को निरस्त फरमाया जाकर, जप्तशुदा उर्वरक अप्रार्थी को वापस लौटाये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

6— हमने विद्वान पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी अभिभाषक की बहस को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रार्थी उप निदेशक कृषि(विस्तार), बारां द्वारा उर्वरक के अवैध बेचान की शिकायत पर ग्राम श्रीपुरा में [illegible] पर पाया कि श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र प्रभूलाल लोधा निवासी—श्रीपुरा [illegible] अवैध रूप से क्रय किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

हुआ उत्तम ब्राण्ड 33 बेग भण्डारित है। मौके पर संबंधित व्यक्ति से पूछताछ करने पर उक्त उर्वरक श्री हेमन्त कुमार गेरा फर्म मैसर्स जगदम्बा ट्रेडर्स, हरवादाशाहजी से क्रय करना बताया गया। किन्तु मौके पर क्रय संबंधी कोई बिल नहीं उपलब्ध कराया गया। अप्रार्थी श्री लोधा के कथन के समर्थन में श्री गेरा को पूछताछ हेतु संबंधित थाने पर बुलाया गया किन्तु वह उपस्थित नहीं हुए है। इस प्रकार स्पष्ट है अप्रार्थी द्वारा जप्तशुदा उर्वरक 33 बेग उत्तम ब्राण्ड का अवैध रूप से बेचान करने हेतु भण्डारित किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम,1995 की धारा, 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है तथा धारा ,6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 का स्पष्ट उल्लघंन है। प्रार्थी द्वारा जप्तशुदा माल उर्वरक 33 बेग को राजसात करने हेतु इस्तगासा पेश किया है, जो उचित प्रतीत होता है।

7— परिणामस्वरूप, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जप्तशुदा उर्वरक 33 बेग उत्तम ब्राण्ड वजनी प्रत्येक 50 किलोग्राम को राजसात किया जाता है। सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), छबडा को आदेश दिये जाते है कि जप्तशुदा उर्वरक को अन्तरिम सुपुर्दगीदार व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमि. हरनावदा शाहजी से प्राप्त कर, उक्त उर्वरक को विभागीय नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय को विभागीय मद में जमा करावें।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 198/2016

बउनवान

राजू काछी पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति–काछी निवासी–सुसावन बस्ती, बारां तहसील–बारां जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री बृजमोहन गोयल, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक – 16.03.2020

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 12.11.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–सुसावन तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 159,160 रकबा 0.28 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 154/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का सहीं प्रकार अवलोकन नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वितीय अतिचारी बाबत कोई रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है। अनुपस्थिति में निर्णय फरमाया गया है। अपीलांट को जवाबदेहीं व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं मिला है। अपीलांट का किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं और ना हीं उक्त प्रकरण में उसे विधिवत तामील हुई है। केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का का निर्णय दिनांक 12.11.2014 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। [illegible] जमा करा दी है। अपीलांट भविष्य मे उक्त आराजी पर कभी अतिचार [illegible] के लिये वचनबद्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये आदेश पारित किया गया है। अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.11.2014 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 1076/13 निर्णय दिनांक 20.11.2013 में भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 893/14 में पारित निर्णय दिनांक 12.11.2014 दी गयी सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे व तहसीलदार, बारां कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 12.11.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.11.2014 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 43/2014

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला–मॉगरोल **(प्रार्थी)**

बनाम

1–श्री मदनलाल आत्मज किशोरीलाल जाति–माली निवासी–सीसवाली
तहसील–मॉगरोल जिला–बारां (राज.) **(अप्रार्थी)**

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. पेरोकार सरकार **(प्रार्थी)**
2. श्री मदनगोपाल केवडा, अभिभाषक **(अप्रार्थी)**

आदेश दिनांक– 13.02.2020

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, मॉगरोल ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी श्री मदनलाल पुत्र किशोर माली निवासी सीसवाली के खाते 4008 रकबा 0.98 है0 ग्राम सीसवाली में आराजी दर्ज है। जो आराजी गत सेटलमेंट जमाबन्दी 2014 से 2023 के अनुसार ख0नं0 2248 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। वर्तमान सेटलमेंट 2044–63 में भू प्रबंध विभाग द्वारा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार नवीन खसरा नम्बर 4008 रकबा 0.98 है0 कायम हुए जो अप्रार्थी के खाते दर्ज है जिसकी किस्म नहरी प्रथम है। इस प्रकार उक्त आराजी की सेटलमेंट पूर्व किस्म गै.मु.तलाई होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 की धारा–16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है। इसलिये अप्रार्थी को किया गया विक्रय नियम विरूद्व है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन/विक्रय निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

अतः उक्त आवंटन/विक्रय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन/विक्रय निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

2— प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुये तथा दिनांक 30.03.2017 को जवाब रेफरेंस पेश किया गया।

3— अप्रार्थी अभिभाषक ने अपने जवाब में लिखा है कि अप्रार्थी ने खसरा नम्बर 2248 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि जिसके हाल खसरा नम्बर 4008 रकबा 0.98 है0 किस्म गै.मु.तलाई बताई गयी है वह सर्वथा गलत है। वस्तुत उक्त भूमि मौके पर कृषि योग्य भूमि है। इस भूमि पर ना तो कभी तालाब रहा है ना हीं तलाई है। गत 100 वर्षो से अधिक समय से भूमि कृषि कार्य में हीं प्रयुक्त हो रहीं है। उक्त आराजी अप्रार्थी ने तत्कालीन खातेदार लक्ष्मीचंद वल्द धूलीलाल नाई निवासी सीसवाली से खसरा नम्बर 2248 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र तारीखी दिनांक 30.7.1980 को क्रय की है। पंजीकृत विक्रयपत्र बाबत सरकार की देय स्टाम्प ड्यूटी व शुल्क अप्रार्थी उत्तरदाता ने अदा की है। यह भूमि गॉव से लगभग 2 कि.मी. दूर चारो ओर से कृषि क्षेत्र से घिरी हुयी कृषि आराजी है। कृषि से अलावा अन्य उपयोग संभव नहीं है। अतः पंजीकृत विक्रयपत्र बाबत नोटिस की कार्यवाहीं समाप्त की जाकर, इसी स्तर पर ड्रोप फरमायी जावे।

4— प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर बहस विद्वान पेरोकार सरकार व अप्रार्थी अभिभाषक सुनी गयी।

5— बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 4008 रकबा 0.98 है0 ग्राम सीसवाली सेटलमेंट पूर्व खसरा नम्बर 2248 रकबा 6 बीघा 1 बिस्बा से बने है जिसकी किस्म गै.मु. तलाई थी। उक्त भूमि ना आवंटन/नियमन योग्य थी ना हीं विक्रय योग्य थी। अप्रार्थी ने उक्त भूमि विक्रेता लक्ष्मीचंद आत्मज धूलीलाल जाति—नाई नि. सीसवाली के जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र क्रय करना बताया है। उक्त भूमि आवंटी लक्ष्मीचन्द को विधि विरूद्व तरीके से आवंटन हुयी है, जो आवंटन योग्य नहीं थी। अप्रार्थी ने भी विक्रेता से भूमि खरीद करने से पूर्व भूमि की मूल किस्म की जानकारी नहीं की है। चूकि उक्त भूमि की मूल किस्म गै.मु.तलाई है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा—16 के अन्तर्गत आवंटन/विक्रय योग्य उपलब्ध नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त भूमि का विक्रय या हस्तान्तरण नियम विरूद्व हुआ है। ऐसे नियम विरूद्व विक्रय या हस्तान्तरण प्रारम्भतः ही शून्य है, जिसे किसी भी दशा में मान्यता नहीं दी जा सकती। वादग्रस्त आराजी के संबंध में जितनी भी कार्यवाहियॉ हुई है, वह निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त आवंटन व विक्रय को अमान्य किया जाकर, पूर्ववत आवंटित आराजी को गै.मु.तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा—82 भू राजस्व अधिनियम,1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

6— इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने पेरोकार सरकार के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी ने प्रश्नगत आराजी खातेदार श्री लक्ष्मीचंद आत्मज धूलीलाल जाति—नाई नि0 सीसवाली से उसकी खातेदारी आराजी ख0नं0 2248 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा ग्राम सीसवाली को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पंजीयन पत्र खरीद की है तथा कब्जा व दखल प्राप्त किया है। उक्त आराजी वर्तमान में अप्रार्थी के खाते खसरा नम्बर 4008 रकबा 0.98 है0 राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि कृषि योग्य भूमि है तथा गत 100 वर्षो से कृषि हो रहीं है। इसी आधार पर अप्रार्थी ने उक्त भूमि क्रय की है। इस भूमि की किस्म कभी भी तलाई व तालाब नहीं रहीं है। भौतिक रूप से उक्त भूमि चारों ओर से कृषि भूमि से घिरीं हुयी है। जिसपर खेती हो रहीं है। इस भूमि पर अप्रार्थी ने कृषि हेतु काफी धन व्यय किया है। वर्तमान में उक्त आराजी अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है तथा उक्त भूमि की किस्म गै.मु.तलाई दर्ज है। खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के पश्चात् विक्रय व अधिकार को निरस्त नहीं किया जा सकता। ऐसे विधि के प्रावधान तथा उच्च न्यायालय की नजीरें है।

साथ ही निवेदन किया कि अप्रार्थी उक्त आराजी पर लगातार काबिज काश्त है तथा तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा गलत कार्यवाहीं कर रेफरेंस प्रस्तुत किया गया है जो मियाद बाहर है। अधीनस्थ न्यायालय ने डी.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 के निर्णय दिनांक 2.8.2004 की पालना में रेफरेंस प्रस्तुत किया है, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश को भी लगभग 16 वर्ष पूर्ण हो चुके है, जो भी मियाद बाहर हो चुका है। अब पालना कराया जाना किसी भी सूरत में विधि सम्मत नहीं है। अतः रेफरेंस तहसीलदार, मॉगरोल खारिज फरमाया जावे।

7— हमने पेरोकार सरकार व अप्रार्थी अभिभाषक की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 4008 रकबा 0.98 है0 ग्राम सीसवाली जो अप्रार्थी मदनलाल आत्मज किशोरीलाल जाति—माली निवासी—सीसवाली के खाते दर्ज है, उक्त भूमि सेटलमेंट पूर्व खसरा नम्बर 2248 रकबा 6 बीघा 1 बिस्बा से बनी है, जिसकी किस्म गै.मु. तलाई थी। उक्त भूमि ना आवंटन/नियमन योग्य थी ना हीं विक्रय योग्य थी। अप्रार्थी ने उक्त भूमि विक्रेता लक्ष्मीचंद आत्मज धूलीलाल जाति—नाई नि. सीसवाली के जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र क्रय करने का कोई अधिकार नहीं था। विवादित आराजी की वास्तविक मूल किस्म गै.मु.तलाई थी तथा खाता सरकार दर्ज थी, जो भूमि ना तो आवंटन योग्य थी तथा ना हीं विक्रय योग्य। अप्रार्थी को उक्त भूमि का आवंटन/विक्रय या हस्तान्तरण नियम विरूद्व हुआ है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 से ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन/विक्रय को विधि विरूद्व मानते हुए, निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

8— परिणास्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, मॉगरोल का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थी श्री मदनलाल आत्मज किशोरीलाल जाति—माली निवासी—सीसवाली के वर्तमान में वाके ग्राम सीस[illegible]ील—मॉगरोल में दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

आराजी 4008 रकबा 0.98 हैक्टयर किस्म नहरी प्रथम जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व ख0नं0 2248 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा ग्राम सीसवाली से बना है, अप्रार्थी को गलत रूप से विक्रय हुआ है तथा उक्त आराजी खाते दर्ज की गयी है। जिसे निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार, मॉगरोल को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, जयपुर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

9– तहसीलदार, मॉगरोल को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आराजी जो खातेदार मदनलाल आत्मज किशोरीलाल जाति–माली निवासी–सीसवाली के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें। अप्रार्थी को पाबन्द किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय होने तक, वर्णित आराजी वाके ग्राम सीसवाली खसरा नम्बर 4008 रकबा 0.98 हैक्टयर किस्म नहरी नहरी की यथास्थिति बनाये रखें। इस आराजी को रहन,बेचान,हस्तान्तरण व खुर्द–बुर्द नहीं करे।

आदेश आज दिनांक 13.02.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर, बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 20/2018

बउनवान

गोपाल पुत्र श्री पन्नालाल जाति–कुम्हार निवासी–माथना (मृतक)
1/1–मदनलाल पुत्र श्री गोपाल जाति–कुम्हार निवासी–माथना
2/1–मोतीलाल पुत्र चतरा उर्फ चतुर्भज
2/2–छीतर पुत्र श्री चतरा उर्फ चतुर्भज जाति–कुम्हार निवासी–माथना
3– रामचन्द पुत्र श्री पन्नालाल जाति–कुम्हार निवासी–माथना(मृतक)
3/1– मोहनलाल पुत्र रामचन्द्र जाति–कुम्हार निवासी–माथना तह.बारां
3/2– केदार बाई पत्नी श्री रामचन्द्र जाति–कुम्हार निवासी–माथना
तहसील–बारां जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

1– पुरूषोत्तम पुत्र श्री प्रभूलाल जाति–ब्राहमण निवासी–मॉगरोल जिला–बारां
2–चन्द्रप्रकाश पुत्र प्रभूलाल जाति–ब्राहमण निवासी–मॉगरोल
3–प्रदीप कुमार पुत्र श्री प्रभूलाल जाति–ब्राहमण निवासी–मॉगरोल
4–राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, मॉगरोल **(रेस्पोंडेंटस्)**

अपील बनाराजगी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा तस्दीकी इन्तकाल सं0 2349 दिनांक 28.05.2018 वाके ग्राम–मॉगरोल तहसील–मॉगरोल अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री अरविन्द सिंह हाडा, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. श्री कमलदीप सिंह हाडा,अभिभाषक **(रेस्पोडेंट्स)**

निर्णय दिनांक– 27.02.2020

1– अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर कथन किया है कि रेस्पोंडेट क्रमांक 1 ता 3 के पिता प्रभूलाल के द्वारा अन्तर्गत धारा, 88,89 आरटीए के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मॉगरोल के यहॉ एक वाद पेश किया था जिसपर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां द्वारा दिनांक 2.5.2008 को निर्णय पारित करते हुये ग्राम मॉगरोल की आराजियात् खसरा नम्बर 1072 रकबा 0.47 है0, खसरा नम्बर 1075 रकबा 0.56 है0 कुल किता दो रकबा 1.03 है0 पर रेस्पोडेंट क्रम 1 ता 3 का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये है। अपीलांट्स ने उक्त निर्णय के विरूद्व माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,कोटा के यहॉ दिनांक 24.5.2018 को अपील पेश की गयी तथा दिनांक 28.6.2018 को माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,कोटा द्वारा स्टे जारी कर दिया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेंट क्रम–4 द्वारा तुरन्त हीं अपील की मियाद निकलने से पूर्व हीं मिलीभगत करके उक्त आराजियात् का इन्तकाल रेस्पोडेंट क्रमांक 1 ता 3 के नाम खोलकर राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया इन्तकाल 2349 खिलाफ कानून एवं पत्रावली के अभिलेख तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

2— अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,मॉगरोल द्वारा अपीलांट को साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया है। एकपक्षीय कार्यवाहीं करके तुरन्त मिलीभगत से रेस्पों0 का वाद स्वीकार कर, तुरन्त हीं रेस्पों0 क्रमांक 1 ता 3 बिना इजराय प्रस्तुत किये न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पालना में राजस्व रेकार्ड में इन्तकाल खुलवाकर अपना नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवा लिया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। क्योकि अपीलांट ने राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा अपील प्रस्तुत कर दी थी जिसमें अपीलांट के पक्ष में स्टे भी जारी कर दिया था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,मॉगरोल के निर्णय व डिक्री की पालना में तुरन्त हीं रेस्पों0 क्रमांक 1 ता 3 ने मिलीभगत कर इन्तकाल खुलवाकर राजस्व रेकार्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मॉगरोल द्वारा खोला गया इन्तकाल क्रमांक 2349 दिनांक 28.5.2018 वाके ग्राम मॉगरोल निरस्त किया जावे।

3— इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट्स को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स सुनी गयी।

4— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि रेस्पोडेंट के पिता प्रभूलाल जी ने उपखण्ड अधिकारी,मॉगरोल के यहॉ धारा, 88,89 आरटीए का दावा प्रस्तुत किया था जिसमें अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मॉगरोल द्वारा दिनांक 2.5.2018 को वादा डिक्री कर, अपीलांट्स के खाते में दर्ज आराजी ख0नं0 1072 रकबा 0.47 है0, 1075 रकबा 0.56 है0 कुल 1.03 है0 वाके ग्राम मॉगरोल को रेस्पोडेंट क्रम 1 ता 3 के दर्ज करने के आदेश पारित किये गये है। अपीलांट्स ने उक्त आदेश की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी,कोटा के यहॉ प्रस्तुत की जिसमें दिनांक 28.06.2018 को स्टे प्राप्त किया गया। जिसकी प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मॉगरोल व तहसीलदार, मॉगरोल की दी गयी। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मॉगरोल द्वारा बिना इजराय प्रस्तुत हुये ही, दावा डिक्री की पालना करने हेतु तहसीलदार, मॉगरोल को आदेश दिये गये। तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा स्टे होने की जानकारी होने के बावजूद रेस्पोडेंट की मिलीभगत से उक्त इन्तकाल तस्दीक कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो इजराय प्रस्तुत करने का मौका दिया ना हीं अपील की मियाद का समय दिया। आनन फानन में तहसीलदार मॉगरोल को इन्तकाल दर्ज करने के आदेश दिये। जिसपर तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा तत्काल इन्तकाल दर्ज कर दिया है। समस्त कार्यवाहियॉ रेस्पोंडेट की मिलीभगत की गयी है जो विधि विरूद्व एवं कानूनी प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 2349 दिनांक 28.5.2019 वाके ग्राम मॉगरोल निरस्त फरमाया जावे।

5— इसके विपरीत विद्वान रेस्पोडेंट अभिभाषक ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा उक्त इन्तकाल उपखण्ड अधिकारी मॉगरोल के दावा डिक्री आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 2.5.2018 की पालना में दिनांक 28.05.2018 को खोला गया है। इन्तकाल पूर्णतया विधिसम्मत एवं कानूनी प्रावधानों के तहत हीं दर्ज किया गया है। राजस्व अपील प्राधिकारी,कोटा द्वारा अपीलांट के पक्ष में दिनांक 28.06.2018 को स्टे जारी किया गया है। जबकि इन्तकाल दिनांक 28.05.2018 को हीं दर्ज किया जा चुका है। चूकि उक्त इन्तकाल उपखण्ड अधिकारी,मॉगरोल के दावा डिक्री आदेश की पालना में खोला गया है तथा अपीलांट्स ने उपखण्ड अधिकारी,मॉगरोल के आदेश के विरूद्व राजस्व अपील प्राधिकारी,कोटा के यहॉ अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अपीलांट्स को इन्तकाल की अपील प्रस्तुत करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इन्तकाल पूर्णतया विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

6— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पोडेंट की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया जिससे पाया जाता है कि पक्षकारान् के मध्य विवादित आराजी ख0नं0 1072 रकबा 0.47 है0, 1075 रकबा 0.56 है0 कुल 1.03 है0 वाके ग्राम मॉगरोल का उपखण्ड अधिकारी,मॉगरोल के यहॉ दावा अन्तर्गत धारा, 88,89 आरटीए का जेरकार रहा है। जिसमें उपखण्ड अधिकारी,मॉगरोल द्वारा दिनांक 02.05.2018 को रेस्पोडेंट के पक्ष में दावा डिक्री कर, प्रश्नगत आराजी रेस्पोडेंट के खाते में दर्ज करने के आदेश पारित किये गये है। जिसके अनुसरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,मॉगरोल द्वारा तहसीलदार, मॉगरोल को उक्त आदेश की पालना करने हेतु आदेश दिये गये। जिसपर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा दिनांक 28.05.2018 को रेस्पोडेंट के पक्ष में इन्तकाल दर्ज किया गया। अपीलाट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,मॉगरोल के आदेश दिनांक 02.05.2018 के विरूद्व न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,कोटा में अपील प्रस्तुत की गयी तथा जिसमें अपीलीय न्यायालय द्वारा विवादित आराजी की रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु दिनांक 28.06.2018 को स्टे जारी किया गया।

6— अपील में अपीलांट्स को मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,कोटा का स्टे जारी होने के बावजूद उक्त इन्तकाल तस्दीक कर दिया है। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा प्रश्नगत इन्तकाल संख्या 2349 दिनांक 28.05.2018 को दर्ज किया गया है। जबकि अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,कोटा द्वारा स्टे दिनांक 28.06.2018 को जारी किया गया है। इससे स्पष्ट है कि उक्त तस्दीकी इन्तकाल स्टे जारी करने से पूर्व तस्दीक हुआ है। उक्त तस्दीकी इन्तकाल उपखण्ड अधिकारी,मॉगरोल के वादा डिक्री आदेश की पालना में खोला गया है, जो कानूनी प्रावधानों के तहत खोला गया है। इन्तकाल में कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहींन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 04/2020

बउनवान

जमनालाल पुत्र कन्हैयालाल जाति–माली निवासी–पाली
तहसील–मॉगरोल, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, मॉगरोल **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री नरेन्द्रसिंह हाडा, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 31.08.2020

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल के आदेश दिनांक 31.01.2018 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–पाली, तहसील–मॉगरोल की आराजी खसरा नम्बर 69, 70 रकबा 0.40 हैक्टर किस्म गै.मु.खाल अतिक्रमी मानकर 480/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट के आधार पर, पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर सजायाब किया गया है। अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है ना हीं स्वतंत्र साक्षी की साक्ष्य ली गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व विधि विरूद्व आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.01.2018 निरस्त फरमाया जावें।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं रहा है। अपीलांट ने कब्जा पूर्व से छोड रखा है। किन्तु पटवारी हल्का नं0 अधीनस्थ [illegible] अपीलांट के विरूद्व झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय [illegible] रिपोर्ट के आधार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट को पश्चात्वर्ती मानकर सजायाब किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती बाबत कोई साक्ष्य सबूत, स्वतंत्र गवाहान के बयान एंव पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। विवादित आराजी पर अपीलांट का वर्तमान में कब्जा नहीं है। अपीलांट गरीब काश्तकार है तथा उसके विरूद्व कोई तावान राशि भी बकाया नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 123/14 निर्णय दिनांक 02.03.2014 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी गै.मु. खाल है, जो सार्वजनिक हित की भूमि है, जिसपर अपीलांट द्वारा पश्चात्वर्ती अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर अतिक्रमी पाये जाने पर पूर्व में मिसल नम्बर 123/14 निर्णय दिनांक 02.03.2014 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहींन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 169/18 में पारित आदेश दिनांक 31.01.2018 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.08.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 04/2020

बउनवान

1–रामस्वरूप आयु 50 वर्ष पुत्र नन्दलाल
2–पुष्पाबाई आयु 76 वर्ष बेवा नन्दलाल
जातियान खाती निवासीगण ग्राम रेनगढ तहसील–मॉगरोल
जिला बारां हाल निवासी कोटा जिला कोटा(राज0) **(अपीलांट)**

बनाम

1–हेमराज आयु 57 वर्ष पुत्र गंगाराम खाती नि0 रेनगढ तह. मॉगरोल
2–बृजमोहन आयु 55 वर्ष पुत्र गंगाराम खाती नि0 रेनगढ तह. मॉगरोल
3–सोनू आयु 25 वर्ष पुत्र सत्यनारायण जाति–खाती नि0 रेनगढ तह.मॉगरोल
4–मोनू आयु 23 वर्ष पुत्र सत्यनारायण जाति–खाती नि0 रेनगढ तह.मॉगरोल
5–मुरलीबाई आयु 48 वर्ष बेवा सत्यनारायण जाति–खाली निवासी रेनगढ़
6–राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, मॉगरोल **(रेस्पोंडेंटस्)**

अपील बनाराजगी अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा तस्दीकी इन्तकाल सं0 338 दिनांक 20.02.2020 वाके ग्राम–मोरडी तहसील–मॉगरोल अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री कमलदीप सिंह हाडा, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. श्री जितेश कुमार शर्मा,अभिभाषक **(रेस्पोडेंट्स)**

निर्णय दिनांक– 07.09.2020

1– अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपीलांट्स के खाता खंख्या 10 ग्राम मोरडी तहसील–मॉगरोल में आराजी खसरा नम्बर 131 रकबा 1.70 है0 व खसरा नम्बर 191/335 रकबा 0.15 है0 कुल किता 2 रकबा 1.85 है0 में अपीलांट्स का 1/2 शामलाती हिस्सा जमाबंदी में दर्ज था। इस आराजी में से अपीलांट्स ने जर्ये हकत्याग दिनांक 01.07.2019 को अपने हिस्से 1/2 का 5/7 यानि दोनो खसरा नम्बरान् का 5/14 हिस्सा अपने भाई रेस्पोडेंट क्रम–1 व 2 व मृतक सत्यनारायण के पक्ष में रजिस्टर्ड हकत्याग किया था। सत्यनारायण की मृत्यु होने पर उसके वारिसान् रेस्पोडेंट क्रम 3, 4, व 5 के विरूद्व अपील पेश की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय को रजिस्टर्ड हकत्याग हकग्रहिता रेस्पोडेंट के पक्ष में 5/14 हिस्से का हीं इन्तकाल दर्ज होना चाहिये था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने सहवन या त्रुटिवश अपीलांट्स का सम्पूर्ण हिस्सा 1/2 का हीं इन्तकाल रेस्पोडेंट के पक्ष में तस्दीक कर दिया है। जिससे उसके दोनो खसरा नम्बरान् में कोई हिस्सा शेष नहीं रहा है, जैसा कि रिपोर्ट पटवारी व राजस्व रेकार्ड से स्पष्ट है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मॉगरोल ने मुताबिक ... हकत्याग के इन्तकाल नं0 338 दिनांक 20.2.2020 तस्दीक नहीं किया है ... प्रथम दृष्टया विधि विरूद्व एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

संचिका के सिद्धी प्राप्त तथ्यों के सर्वथा अवैध व त्रुटिपूर्ण होने से इन्तकाल काबिले खारजी योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर, इन्तकाल संख्या 338 दिनांक 20.02.2020 ग्राम मोरडी खारिज फरमाया जाकर, हकत्याग अनुसार पुनः इन्तकाल दर्ज करने हेतु तहसीलदार, मॉगरोल को निर्देशित किया जावे।

2— इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट्स को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स सुनी गयी।

3— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स के शामलाती खाता संख्या 10 में आराजी खं0नं0 131 रकबा 1.70 है0 व ख.नं0 191/335 रकबा 0.15 है0 कुल 1.85 है0 दर्ज है, जिसमें अपीलांट्स का 1/2 हिस्सा है। अपीलांट्स ने अपने हिस्से की आराजी में से अपने पारिवारिक आपसी सहमति से अपने हिस्से 1/2 में से 5/7 यानि दोनो नम्बरान् का 5/14 हिस्सा रेस्पोडेंट्स के पक्ष में हकत्याग किया था, जिसका अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा इन्तकाल नं0 338 दिनांक 20.02.2020 ग्राम मोरडी दर्ज किया है जिसमें पटवारी हल्का, कानूनगो व नायब तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा त्रुटिवश अपीलांट्स की सम्पूर्ण आराजी 1/2 हिस्से को हीं रेस्पोडेंट्स के खाते दर्ज कर दी है, जबकि अपीलांट्स ने मात्र 5/14 हिस्से का हीं हकत्याग किया है। शेष आराजी पर अपीलांट्स बदस्तूर काबिज काश्त है।

अधीनस्थ न्यायालय ने इन्तकाल तस्दीक करने में कानूनी व विधिक भूल की है। उक्त इन्तकाल दर्ज होने से अपीलांट के खाते में अब कोई आराजी शेष नहीं रहीं है। जबकि हकत्याग 5/14 हिस्से का हीं किया गया है। इन्तकाल निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीकी इन्तकाल संख्या 338 को निरस्त किया जाकर, हकत्याग अनुसार रेस्पों0 के पक्ष में इन्तकाल दर्ज किया जावे तथा शेष आराजी अपीलांट्स के खाते दर्ज रखी जावे।

4— इसके विपरीत विद्वान रेस्पोडेंट अभिभाषक ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का समर्थन करते हुये व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हकत्याग अनुसार इन्तकाल दर्ज नहीं किया है, त्रुटिवश सम्पूर्ण आराजी उसके खाते दर्ज कर दी है। अतः हकत्याग अनुसार पुनः सहीं इन्तकाल दर्ज करने हेतु अनुरोध किया गया।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पोडेंट की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया जिससे पाया जाता है कि पक्षकारान् के ग्राम मोरडी तहसील—मॉगरोल में संयुक्त खाता संख्या 10 में आराजी खं0नं0 131 रकबा 1.70 है0 व ख.नं0 191/335 रकबा 0.15 है0 कुल 1.85 है0 अवस्थित है, जमाबन्दी अनुसार अपीलांट के खाते में 1/2 हिस्सा दर्ज है। अपीलांट्स ने अपने हिस्से [illegible] रजिस्टर्ड हकत्याग दिनांक 01.07.2019 रेस्पोडेंट्स के पक्ष में किया है [illegible] अधीनस्थ न्यायालय नायब

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा इन्तकाल संख्या 338 दिनांक 20.02.2020 दर्ज किया है। उक्त इन्तकाल के अवलोकन से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मुताबिक हकत्याग दिनांक 01.07.2019, 5/14 हिस्से का इन्तकाल नहीं खोलकर, अपीलांट्स के हिस्से 1/2 की सम्पूर्ण आराजी रेस्पोडेंट्स के खाते दर्ज की गयी है। जबकि 5/14 हिस्से को छोडकर, शेष आराजी अपीलांट्स के खाते दर्ज रहना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त इन्तकाल तस्दीक करने में भारी भूल की है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

6— परिणामस्वरूप अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 338 दिनांक 20.02.2020 ग्राम गोरडी तहसील—मॉगरोल निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल को निर्देश दिये जाते है कि पक्षकारान् की विधिवत सुनवाई कर, मुताबिक रजिस्टर्ड हकत्याग दिनांक 01.07.2019 के अनुसार रेस्पोडेंट के पक्ष के इन्तकाल दर्ज करे।

निर्णय आज दिनांक 07.09.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 10/2018

बउनवान

हेमराज आयु 45 वर्ष पुत्र श्री रामकल्याण जाति–माली निवासी–धाकडिया पाडा, बारां तहसील व जिला–बारां (राज0) **(अपीलांट)**

बनाम

रोडीबाई पत्नी श्री देवीलाल जाति–एरवाल निवासी–खजूरपुरा वार्ड,बारां तहसील व जिला–बारां (राज0) **(रेस्पोंडेंट)**

अपील बनाराजगी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बारां द्वारा प्रकरण संख्या 06/2016 रोडीबाई बनाम हेमराज में पारित आदेश दिनांक 06.04.2018 अन्तर्गत धारा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955

उपस्थिति :–1. श्री महेश प्रकाश गौतम, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. श्री बृजराज सिंह हाडा,अभिभाषक **(रेस्पोडेंट)**

निर्णय दिनांक– 26.10.2020

1– अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.04.2018 के विरूद्व अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विवादित आराजी से बेदखली के आदेश पारित किये है। उक्त निर्णय खिलाफ कानून व न्याय के स्वीकृत सिद्धान्तों के परे होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेजो का समुचित विवेचन नहीं करके निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश से उसके भाई की खरीदशुदा व काबिजाना एवं मालिकाना हक व अधिकार की ग्राम नियाना तहसील–बारां की 30 गुणा 80 फुट कुल 2400 वर्गफुट भूमि प्लाट संख्या–02 विजय नगर कॉलोनी पर से अपीलांट का खरीद दिनांक 10.5.2010 से कब्जा होने के बाबजूद उसे बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है। जबकि हल्का पटवारी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलांट का उक्त आराजी पर पूर्व से निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं देकर भारी भूल की है। उक्त आराजी ख0नं0 317 की विवादित आराजी बाबूलाल पुत्र खेमचन्द जाति–मेघवाल निवासी खेडली भेडोलिया के खातेदारी आराजी है जिनके द्वारा उक्त आराजी आबादी के निकट व काश्त योग्य नहीं होने के कारण उक्त आराजी पर विजय नगर कॉलोनी के नाम से प्लानिग कर, भूमि को प्लाटो को रूप में बेचान किया, जिसमें से प्लाट नं0 2 अपीलांट के भाई द्वारा खरीद किया गया एवं उस पर दुकान का निर्माण करवाया जिसमें अपीलांट चाय की दुकान लगाकर अपना व परिवार का भरणपोषण करता है। किन्तु रेस्पोडेंट क्रम–1 ने न्यायालय को गुमराह करके अपने पक्ष में आदेश क[illegible] लिया है। वास्तविकता यह है

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

कि रेस्पोडेंट का, अपीलांट के भाई के खरीदशुदा प्लाट की भूमि से कोई संबंध नहीं है। वह अपनी अनुसूचित जाति की महिला होने का बेजा फायदा उठाकर कानून की बारिकियों के आधार पर बेईमानी पूर्वक न्यायालय के समक्ष मिथ्या आधार प्रस्तुत कर, अपीलांट की कब्जाशुदा उपयोग व उपभोग की भूमि पर जबरना कब्जा कर हडपने का प्रयास कर रहीं है। ताकि उक्त आदेश की आड में प्रार्थी की दुकान हटवायी जा सके। जबकि रेस्पोडेंट का उक्त प्लाट की आराजी से कोई संबंध नहीं है। उसका खसरा नम्बर 769/317 है तथा प्रार्थी की दुकान खसरा नम्बर 317 में बनी हुई है। इस कारण अपीलांट रेस्पोडेंट को उक्त दुकान एवं उसकी भूमि पर हस्तक्षेप न करने के लिए पाबन्द करवा पाने का अधिकारिणी व नालिशी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर कतई गौर न करके मनमर्जी तरीके से रेस्पोडेंट के पक्ष में आदेश सुनाया गया है जो कानूनी रूप से खारिज होने योग्य है।

2— रेस्पोडेंट द्वारा कथित विवादित आराजी पर अपीलांट के भाई का खरीदशुदा प्लाट एवं उसपर निर्मित दुकान अवस्थित है जिसे रिकार्डेड खातेदार द्वारा काटी गई कॉलोनी के नक्शे अनुसार हीं निर्माण करवाया गया है। उक्त मामले में रेस्पोडेंट द्वारा न तो अपीलांट के भाई नंदलाल को पक्षकार बनाया गया, जो प्लाट व दुकान का वास्तविक स्वामी है तथा ना हीं भूमि के रेकार्डेड खातेदार बाबूलाल पुत्र खेमचन्द को पक्षकार बनाया गया है, जो आराजी के वास्तविक मालिक का निर्धारण कर सकता था। रेस्पोडेंट द्वारा जानबूझकर दोनो पक्षकारों को मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट द्वारा विवादित आराजी का सीमाज्ञान कराये बिना एवं आवश्यक पक्षकारों की सुनवाई किये बिना, अपीलांट के कब्जे में हस्तक्षेप करना विधि सम्मत नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.04.2018 निरस्त फरमाया जाकर, अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर देने के आदेश फरमाये जावे।

3— इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट्स को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पोडेंट की बहस सुनी गयी।

4— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी ख0नं0 769/317 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम नियाना तहसील बारां से बेदखल कर, प्रार्थीयॉ रोडीबाई को कब्जा सम्भलाये जाने के आदेश पारित किये गये है। जबकि अपीलांट का रेस्पोडेंट की आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं है ना की कोई सरोकार है। अपीलांट का प्लाट नं0 2 विवादित आराजी में अवस्थित नहीं है। उक्त प्लाट अपीलांट के भाई नंदलाल ने खातेदार श्री बाबूलाल पुत्र खेमचन्द से आराजी ख0नं0 317 में खातेदार विजय नगर कॉलोनी, बारां के नाम से आवासीय कॉलोनी में प्लाट काटकर बेचाने पर, प्लाट नं0 2 साईज 30 गुणा 80 कुल 2400 वर्गफुट को दिनांक 19.05.2011 को [illegible] उसपर कॉलोनी के नक्शे अनुसार हीं निर्माण कराया है तथा वर्तमान में उक्त प्लाट पर निर्बाध रूप से

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

उसका कब्जा व मालिकाना हक है। रेस्पोडेंट क्रम–1 ने खातेदार से पृथक से आराजी क्रय की है, जिसका राजस्व रेकार्ड में ख0नं0 769/317 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम नियाना पृथक से दर्ज है। उसका प्लाट ख0नं0 317 में है। इसलिये रेस्पोडेंट का अवस्थित प्लाट से कोई संबंध नहीं है। रेस्पोडेंट ने अनुसूचित जनजाति व महिला होने का फायदा उठाकर कतिपय झूठे तथ्य प्रस्तुत कर, प्रकरण दर्ज कराया गया है। जबकि रेस्पोडेंट को यह पता था कि अपीलांट के भाई ने खातेदार से प्लाट खरीद रखा है तथा उन प्लाट को छोडकर शेष कितनी भूमि है, उसके संबंध में रेस्पोडेंट ने दिनांक 14.05.2013 को खातेदार से इकरारनामा तहरीर कराया है जिसमे स्पष्ट उल्लेख किया है कि खातेदार ने अपीलांट के भाई नंदलाल को ख0 नं0 317 की आवासीय कॉलोनी में उक्त प्लाट बेच रखा है, जिसकी गवाह स्वंय रेस्पोंडेट रोडीबाई रहीं है। रेस्पोडेंट को विवादित आराजी की सम्पूर्ण जानकारी होने के बाद भी अपीलांट के प्लाट की जमीन हडपने पर आमादा है।

5– अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्व बेदखली के आदेश पारित करने से पूर्व ना तो अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया ना हीं उक्त प्लाट नं0 2 के मालिक नंदलाल एवं मूल खातेदार को पक्षकार बनाया गया। मात्र प्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय बेदखली के आदेश पारित किये है। जबकि अपीलांट के प्लाट मे रेस्पोडेंट की कोई भूमि शामिल नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो ख0नं0 317 की सम्पूर्ण आराजी का सीमाज्ञान कराया। ना हीं प्रभावित मूल पक्षकारों की सुनवाई व साक्ष्य ली गयी। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन कराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट व रेस्पोडेंट को दिनांक 21.3.2018 को गवाह सबूत के लिये अवसर दिया था। किन्तु अपीलांट को अनुपस्थित बताकर, अप्रार्थीयॉ की ओर से देवीलाल के बयान या शपथपत्र लेकर पत्रावली में निर्णय पारित कर दिया। अपीलांट की ओर से ना तो अधीनस्थ न्यायालय में गवाह सबूत लिये गये ना हीं अप्रार्थीयॉ की गवाह से जिरह करने का अवसर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर, रेस्पोडेंट के प्रभाव में एकपक्षीय निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.04.2018 निरस्त फरमाया जावे तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को विवादित आराजी की पैमाइश व प्रभावित पक्षकारान् की विधिवत सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर, निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड फरमायी जावे।

6– इसके विपरीत रेस्पोडेंट अभिभाषक ने अपीलांट अभिभाषक के कथन व तर्को का खण्डन करते हुये व्यक्त किया कि रेस्पोडेंट ने विवादित आराजी ख0नं0 317 पूर्वी का रकबा 0.20 है0 सहखातेदार बाबूलाल पुत्र खेमचन्द मेघवाल के जर्ये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 14.07.2010 को क्रय की है जिसका नामान्तकरण संख्या 313 दिनांक 17.6.2013 दर्ज है। वर्तमान में उक्त आराजी प्रार्थीयॉ का नाम ख0नं0 769/317 रकबा 0.20 है0 दर्ज है। जिसपर अपीलांट हेमराज ने रेस्पोडेंट की आराजी के पश्चिमी मेड पर कब्जा कर, उसकी आराजी को अपने प्लाट में मिला लिया है तथा कब्जा कर रखा है। रेस्पोडेंट ने अपीलांट को कई बार उसकी आराजी से कब्जा हटाने को कहा। किन्तु अपीलांट ने [illegible] गलोच करता है। रेस्पोडेंट अनुसूचित जनजाति की महिला है, जो इन [illegible] ने लडाई झगडा करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

में असमर्थ है। रेस्पोडेंट ने इस संबंध में कानूनन अपीलांट के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना दर्ज करायी है। जिसपर माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश अजा/ज.जा., बारां ने प्रसंज्ञान लिया गया है जिसमें अपीलांट को दोषी माना गया है।

7— रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां को कब्जा हटवाने के लिये प्रार्थनापत्र पेश किया जिसपर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को धारा, 183(बी) में प्रकरण दर्ज कर सुनवाई की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट उपस्थित हुआ है किन्तु अपीलांट ने साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पक्षकारान् की विधिवत सुनवाई कर, बेदखली का आदेश पारित किया गया है। प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी का सीमाज्ञान नहीं किया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी की मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी सम्बलपुर से तलब की गयी है जिसकी रिपोर्ट दिनांक 04.7.2016 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट हेमराज ने प्रार्थीयॉ की खातेदारी भूमि पर 3—4 मीटर पर कब्जा कर रखा है। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी की दिनांक 21.5.2018 को पुनः पैमाइश करायी गयी है, जिसमें भी हल्का पटवारी ने अपीलांट को रेस्पोडेंट की आराजी पर अनाधिकृत कब्जा नजरी नक्शा में दर्शाया गया है। इस प्रकार अपीलांट, रेस्पोडेंट की आराजी पर अतिक्रमी है।

8— रेस्पोडेंट अनुसूचित जाति की महिला है जिसने उक्त आराजी खातेदार से जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की है। अपीलांट सामान्य वर्ग से है, जिसने उसकी खातेदारी आराजी पर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को खातेदारी आराजी पर बतोर अतिक्रमी पाये जाने पर, बेदखली के आदेश पारित किये गये है। उक्त आदेश पूर्णतया विधिसम्मत एवं तार्किक है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई कानूनी या विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

9— हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड व दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया इससे पाया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 769/317 रकबा 0.20 है0 रेस्पोडेंट की खातेदारी में दर्ज है, जो ख.नं0 317 का भाग है। रेस्पोडेंट ने उक्त आराजी जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.07.2010 को सहखातेदार बाबूलाल से क्रय की है। अपीलांट द्वारा उसके खातेदारी की आराजी पर अतिक्रमण करने पर, रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के समक्ष दिनांक 18.05.2016 को बेदखली के लिए प्रार्थनापत्र पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को धारा, 183(बी) के तहत दर्ज कर, पक्षकारान् की विधिवत सुनवाई की गयी है तथा विवादित आराजी की हल्का पटवारी सम्बलपुर से मौका रिपोर्ट तलब की गयी है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलांट ने रेस्पोडेंट रोडीबाई की खातेदारी आराजी लगभग 3 मीटर x 4 मीटर पर कब्जा कर अपने प्लाट में मिला रखा है। अपीलांट ने सुनवाई के दौरान अधीनस्थ न्यायालय में अपनी ओर से कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये तथा रेस्पोडेंट की ओर से साक्ष्य सबूत देवीलाल पेश किये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

10— अपीलांट का बहस के दौरान मुख्य तर्क रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व विवादित आराजी पर बताये गये अतिक्रमित प्लाट नं0 2 के मालिक नंदलाल एवं उक्त आराजी के मूल खातेदार बाबूलाल पुत्र खेमचंद मेघवाल को पक्षकार नहीं बनाया गया है, ना हीं उसको सुनवाई का अवसर दिया गया है। मात्र अपीलांट के विरूद्व बेदखली के आदेश पारित किये है। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से पाया गया है कि रेस्पोडेंट रोडीबाई अनुसूचित जनजाति की महिला सदस्य है तथा विवादित आराजी ख0नं0 769/317 रकबा 0.20 है0 की खातेदार है, जिसकी खातेदारी भूमि पर अपीलांट सामान्य वर्ग का कब्जा है। धारा, 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा धारित भूमि पर अतिक्रमियों के विरूद्व बेदखली की समरी ट्रायल कार्यवाहीं है, जो सिर्फ अतिक्रमी के विरूद्व बेदखली पर लागू है। प्रकरण में अपीलांट बतोर अतिक्रमी पाया गया है।

11— इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पक्षकारान् की विधिवत सुनवाई कर, अपीलांट को रेस्पोडेंट की खातेदारी आराजी ख0नं0 769/317 रकबा 0.20 है0 की पश्चिमी मेर पर बतौर अतिक्रमी पाये जाने पर बेदखली के आदेश पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

12— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 91/2016

बउनवान

ओमप्रकाश आयु 40 साल पुत्र श्री बद्रीलाल मीणा जाति–मीणा निवासी– खेडली भेडोलिया तहसील–बारां जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री पिकेंश जगरवाल, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 29.10.2020

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 24.04.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–खेडली भेडोलिया, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 182 कुल रकबा 0.20 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 100/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो एवं तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है, ना हीं अपीलांट को कभी बेदखल किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र हल्का पटवारी के बयानो के आधार पर अतिक्रमी माना है जबकि अपीलांट का उक्त वर्णित आराजियात् पर कोई कब्जा नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.04.2014 निरस्त किया जाकर अपीलांट को सजा व जुर्माने से बरी किया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को ना तो विधिवत नोटिस जारी किया है ना हीं सुनवाई व जवाब का कोई अवसर दिया है, एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। निर्णय परफोर्मा [illegible] विश्वसनीय नहीं माना

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

जा सकता। अपीलांट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है, कब्जा काफी समय से छोड रखा है। हल्का पटवारी ने अपीलांट को विरूद्व बिना मौके देखे व कब्जे की जॉच किये बिना अधीनस्थ न्यायालय में रिपोर्ट पेश की गयी है, इसी आधार पर अपीलांट को सजायाब किया गया है, जो विधि विरूद्व है। वर्तमान में अपीलांट को कोई कब्जा काश्त नहीं है ना हीं उसके विरूद्व कोई तावान राशि बकाया है। अपीलांट भविष्य में भी उक्त आराजी पर कभी कब्जा नहीं करने के लिए वचनबद्व है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.04.2014 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 260/13 निर्णय दिनांक 06.03.2013 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है, ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति व नरमी का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 24.04.2014 से पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 324/2014 में पारित निर्णय दिनांक 24.04.2014 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार,बारां कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,बारां द्वारा निर्णय दिनांक 24.04.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां का उक्त निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 195/2017

बउनवान

कुलदीप आयु 35 साल पुत्र श्री सूरजमल मीणा जाति–मीणा निवासी–लिसाडिया तहसील–बारां, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री पिकेंश जगरवाल अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 29.10.2020

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 05.10.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–लिसाडिया, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 471, 111 व 650/67 कुल रकबा 0.48 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 240/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो, तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपीलांट के विरूद्व एकतरफा पारित किया गया है। सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया है, कभी बेदखल भी नहीं किया गया है। वर्णित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है ना हीं उसके विरूद्व तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व उक्त आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.10.2016 निरस्त फरमाया जावें।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं रहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पश्चातवर्ती मानकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

सजायाब किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती बाबत कोई साक्ष्य सबूत, स्वतंत्र गवाहान के बयान एंव पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं घोषित किया जा सकता। विवादित आराजी से अपीलांट ने कब्जा छोड दिया है। उसके विरूद्व कोई तावान राशि भी बकाया नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 274/14 निर्णय दिनांक 24.4.2014 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह है जिसपर अपीलांट द्वारा पश्चात्वर्ती अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर अतिक्रमी पाये जाने पर मिसल नम्बर 274/14 निर्णय दिनांक 24.4.2014 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहींन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 352/16 में पारित आदेश दिनांक 05.10.2016 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2016 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 02/2020

बउनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, किशनगंज जिला–बारां **(प्रार्थी)**

बनाम

नाथूलाल पुत्र खेमा जाति सहर निवासी–कागला बमोरी तहसील–किशनगंज(मृतक) कायम मुकामान

1– छीतरलाल पुत्र नाथू जाति–सहर निवासी कागला बमोरी तहसील–किशनगंज

2– समुद्रा बाई पुत्री नाथू पत्नी कल्याण(मृतक) जाति–सहर निवासी–मॉगरोल

3– गुड्डीबाई पुत्री नाथू पत्नी प्रकाश जाति–सहर निवासी खेरपुर तहसील– बडौदा जिला–श्योपुर (म0प्र0) **(अप्रार्थीगण)**

प्रार्थनापत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम, 14(4) के तहत

उपस्थिति :–1. पेरोकार सरकार **(प्रार्थी)**

निर्णय दिनांक– 09.11.2020

1– प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, किशनगंज द्वारा प्रार्थनापत्र भू आवंटन नियम, 1970 की धारा–14(4) के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि तहसील कार्यालय किशनगंज में (DILRMP) योजना के अन्तर्गत समस्त ग्रामों की जमाबन्दियों का सेग्रिगेशन का कार्य चल रहा है उक्त कार्य को करने के दौरान ग्राम कागला बमोरी के आराजी ख0नं0 174 के रकबे का मिलान भू प्रबंध जमाबन्दी से नहीं हो रहा है जिसपर सहायक भू प्रबंध अधिकारी, कोटा द्वारा बदरात की पूर्ति(ग्राम का चक) को मिलान कर सहीं करने हेतु प्राप्त हुई है। ग्राम कागला बमोरी के ख0नं0 174 में उसके कुल रकबे से 10 बीघा भूमि अधिक आवंटन हो जाने से ग्राम का कुल रकबा गत के मुकाबले बढ़ गया है। अतः अप्रार्थी को कुल रकबे से अधिक हुये आवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

2– प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया है। अप्रार्थी को जर्ये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे है। अप्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाहीं कर, बहस पेरोकार सरकार प्रार्थी सुनी गयी।

3– बहस के दौरान पेरोकार सरकार का कथन है कि ग्राम कागला बमोरी में आराजी खसरा नम्बर 174 का गत भू प्रंबध विभाग मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2018–25 में रकबा 168 बीघा 10 बिस्वा दर्ज है, जो वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में खसरा नम्बर 174 से बने से बने सभी खसरा नम्बरों का कुल रकबा 178 बीघा 10 बिस्वा जमाबन्दी में दर्ज है। जो गत [illegible] के मुकाबले 10 बीघा रकबा बेशी है। जमाबन्दी सम्वत् 2041–44 में आंवटन [illegible] से रकबा कम करना

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

चाहिये था जो कम नहीं किया गया जो बदस्तूर बेशी चला आ रहा है। जिसके कारण खाता खसरा नम्बर 174 का रकबा 10 बीघा कुल रकबे से अधिक का आवंटन हो गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटित रकबे की मौका व रेकार्ड से जॉच करने पर पाया कि ग्राम कागला बमोरी में दिनांक 15.12.1969 को नाथू वल्द खेमा सहर सा.देह को खसरा नम्बर 174 की 10 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। आवंटी को मात्र दस्तावेज पर आवंटन किया गया है। आवंटी को ना तो मौके पर कब्जा सम्भलाया गया तथा ना हीं वर्तमान में कोई भूमि शेष है। आवंटी ने आवंटन की किसी भी शर्ते की पालना नहीं की है। आवंटी की मृत्यु हो चुकी है। उसके वारिसान मौजूद है जिनका भी उक्त आराजी पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। आवंटी अप्रार्थी कभी भी सदभावी कृषक नहीं रहे है। अतः अप्रार्थी का आवंटन दिनांक 15.12.1969 निरस्त किया जावें ताकि गत जमाबन्दी एवं वर्तमान जमाबन्दी का रकबे का मिलान एवं सेग्रिगेशन का कार्य सम्पादित किया जा सके।

4— हमने विद्वान पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड व दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि सम्वत् 2018—25 में ग्राम कागला बमोरी की आराजी ख0नं0 174 का कुल रकबा 168 बीघा 10 बिस्वा राजस्व रेकार्ड में दर्ज था जिसमें से कुल रकबा से अधिक 10 बीघा भूमि का अधिक आवंटन हो जाने से ग्राम का कुल रकबा गत रकबे के मुकाबले 10 बीघा बेशी दर्ज हो गया जो सम्वत् 2073—76 में भी खसरा नम्बर 174 से बने सभी खसरा नम्बरों में रकबा 178 बीघा 10 बिस्वा दर्ज है, जो 10 बीघा बेशी है। जबकि नयी जमाबन्दी तैयार करते समय आवंटित रकबा कम करके लिखना चाहिये था। उक्त 10 बीघा का अन्तर बदस्तूदर चला आ रहा है जिससे जमाबन्दी व वर्तमान जमाबन्दी का मिलान नहीं हो रहा है। तहसीलदार किशनगंज द्वारा उक्त आवंटित रकबे के अन्तर का मिलान मौका व रेकार्ड से करने पर पाया है कि तत्समय आवंटी अप्रार्थी श्री नाथू वल्द खेमा सहर सा. देह को दिनांक 15.12.1969 को ग्राम कागला बमोरी तहसील किशनगंज की 10 बीघा भूमि आवंटित की गयी है। आवंटी को आवंटित आराजी पर कभी दखल नहीं किया गया है तथा मौके पर आवंटी व उसके वारिसान् का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। चूकि आवंटी द्वारा आवंटन की किसी भी शर्ते की पालना नहीं की गयी है। आवंटी सदभावी कृषक नहीं रहा है तथा तहसीलदार किशनगंज से आवंटन निरस्तीकरण की सिफारिश की गयी है।

5— अतः प्रार्थी तहसीलदार, किशनगंज का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी नाथू वल्द खेमा सा.देह को ग्राम कागला बमोरी तहसील—किशनगंज मे किये गये भू आवंटन खसरा नम्बर 174 रकबा 10 बीघा आवंटन दिनांक 15.12.1969 को एतद द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.11.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 07/2018

बउनवान

1–भवानीशंकर आयु 72 साल पुत्र श्री मोतीलाल जाति–धाकड नि0–मण्डोला तहसील–बारां जिला–बारां

2–श्रीकृष्ण आयु 70 साल पुत्र श्री मोतीलाल जाति–धाकड निवासी–मण्डोला तहसील–बारां जिला–बारां(राज0) **(अपीलांट)**

बनाम

1–रामनारायण आयु 65 साल पुत्र श्री मोतीलाल जाति–धाकड निवासी–विजयपुर तहसील–बारां जिला–बारां

2–हेमराज आयु 55 साल पुत्र श्री मोतीलाल जाति–धाकड निवासी–मण्डोला तहसील–बारां जिला–बारां

3–रामकल्याण आयु 57 साल पुत्र श्री मोतीलाल जाति–धाकड निवासी–विजयपुर तहसील–बारां

4–अशोक बाई पुत्री मथुरालाल पत्नी श्री किशनलाल जाति–धाकड निवासी–विजयपुर तहसील–बारां

5–गिरबाला आयु 26 साल पुत्री चन्द्रकांता जाति–धाकड निवासी–विजयपुर तहसील–बारां हाल निवासी–जयनगर तहसील–अन्ता जिला–बारां

6–अनिता आयु 28 साल पुत्री चन्द्रकांता जाति–धाकड निवासी–विजयपुर हाल निवासी इकलेरा तहसील–बारां जिला–बारां(राज0)

7– राज. सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला–बारां(राज0) **(रेस्पोंडेंटस्)**

अपील बनाराजगी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित वसीयती आदेश दिनांक 06.12.2017 अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री गजेन्द्र नागर, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. श्री ओमप्रकाश मेहता ाा,अभिभाषक **(रेस्पोडेंट्स)**

निर्णय दिनांक– 23.11.2020

1– अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा वसीयती नामान्तकरण संख्या 93 दिनांक 05.06.1994 ग्राम विजयपुर में रामनारायण पुत्र मोतीलाल जाति–धाकड निवासी–विजयपुर के अमल के संबंध में पारित आदेश दिनांक 06.12.2017 से अप्रसन्न होकर अपील प्रस्तुत कर कथन किया है कि तहसीलदार, बारां द्वारा पारित आदेश पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है। तहसीलदार, बारां द्वारा पारित आदेश आराजियात् ख0नं0 334 रकबा 0.44 है0, 450 रकबा 1.41 है0, ख0नं0 481 रकबा 0.60 है0, ख0नं0 492 रकबा 0.[illegible] कुल 4 किता रकबा 2.57 है0 एवं ख0नं0 22 रकबा 0.59 है0, ख0नं0 27 रकबा 0.4[illegible]0, ख0नं0 117 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

0.54 है0, खनं0 215 रकबा 2.48 है0, ख0नं0 216 रकबा 2.46 है0, ख0नं0 279 रकबा 0.02 है0 कुल किता–6 रकबा 6.28 है0 वाके ग्राम विजयपुर तहसील–बारां के संबंध में पारित किया गया है। उक्त आराजियात् से संबंधित एक अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा केम्प बारां में विचाराधीन है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश काबिल खारिजी है क्योकि उक्त आराजियात् अपीलांट व रेस्पोंडेट की पुश्तैनी आराजियात् है जिसके बंटवारे से संबंधित अपील में न्यायालय भू राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा से निर्णय होना शेष है। उक्त आराजियात् में अपीलांट्स का हक व हिस्सा निहित है।

2– अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर उक्त इन्तकाल तस्दीक किया गया है जो कानूनन गलत है क्योकि पुश्तैनी जायदाद की वसीयत नही हो सकती है। मृतक मथुरालाल द्वारा की गयी वसीयत के आधार पर खोला गया इन्तकाल आदेश दिनांक 06.12.2017 निरस्त किये जाने योग्य है। मथुरालाल ने उक्त पुश्तैनी जायदाद की वसीयत रेस्पोडेंट क्रम 1, 4,5 व 6 के पक्ष मे की गयी है, जो स्वतः निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाना विधि संगत व न्यायोहित होगा।

3– इस आदेश दिनांक 06.12.2017 की जानकारी अपीलांट्स को दिनांक 29.1.2018 को होने पर अपीलांट्स से उसी दिन नकल प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिसकी नकल दिनांक 30.1.2018 को प्राप्त हुई। इसलिये निर्णय आदेश दिनांक 06.12.2017 से जानकारी दिनांक 29.1.2018 तक का समय अपील की अवधि में से मुजरा किये जाने पर अपील अवधि मध्य पेश की गयी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां वर्णित आराजियात् के संबंध में पारित आदेश दिनांक 06.12.2017 निरस्त फरमाया जावे।

4– इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट्स को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स सुनी गयी।

5– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि मथुरालाल जी के ग्राम विजयपुर में खातेदारी में ख0नं0 22 रकबा 0.50 है0, ख0नं0 27 रकबा 0.19 है0, ख0नं0 117 रकबा 0.54 है0, खनं0 215 रकबा 2.48 है0, ख0नं0 216 रकबा 2.46 है0 व ख0नं0 279 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 334 रकबा 0.44 है0, 481 रकबा 0.60 है0, 482 रकबा 0.12 है0 व 450 रकबा 1.41 है0 कुल किता 10 रकबा 8.85 हैक्टयर आराजी अवस्थित है। जिसकी रेस्पोडेंट क्रम–1 रामनारायण द्वारा फर्जी वसीयत तैयार की गयी है। इस वसीयत के आधार पर तहसील कार्यालय बारां में नामान्तकरण संख्या 93 भरा गया। किन्तु तत्समय तहसीलदार बारां द्वारा नामान्तकरण तस्दीक नहीं कर, काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन मानते हुये दिनांक 05.06.1994 को अमल पर रोक लगायी गयी। जिसकी पालना में अब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयती अमल का आदेश दिनांक 06.12.2017 को पारित किया गया है। जबकि कर्ता मथुरालाल जी न

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

अपने जीवनकाल में रेस्पोडेंट क्रम–1 के पक्ष में कोई वसीयत तहरीर नहीं की गयी है। उक्त आराजी की वैधानिक वारिस अपीलांट व रेस्पोडेंट है। विवादित आराजी पुश्तैनी आराजी है जिसकी वसीयत करने का अधिकार मथुरालाल को नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने वैधानिक वारिसान् को सुने बिना आदेश पारित करने में भारी कानूनी भूल की है।

6– अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 06.12.2017 को इन्तकाल तस्दीक किया है। उस वक्त विवादित आराजी के संबंध में माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के यहॉ अपील विचाराधीन थी। अधीनस्थ न्यायालय ने जेर अपील लंबित रहते विवादित आराजी बाबत वसीयती आदेश पारित किया गया है। इसी प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में हल्का पटवारी पटवार मण्डल सीमली तह. बारां द्वारा दिनांक 29.11.2017 को गलत व त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट पेश की गयी है जिसमें विवादित आराजी के संबंध में कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में लंबित होना नहीं बताया गया है। जबकि माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष तत्समय प्रकरण लंबित था। इसी का आधार बनाकर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश पारित किया है।

7– अधीनस्थ न्यायालय को आदेश पारित करने से पूर्व प्रभावित वैधानिक वारिसान् की सुनवाई, विवादित आराजी पैतृक है या स्वअर्जित की गयी है तथा विवादित आराजी के संबंध में किसी न्यायालय का स्थगन या विचाराधीन तो नहीं है। इन तार्किंत तथ्यों को पुष्ट व कानूनी प्रावधानों की स्पष्ट व्याख्या किये बिना विधि विरूद्व तरीके से एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां का आदेश दिनांक 06.12. 2017 निरस्त फरमाया जावे।

8– इसके विपरीत विद्वान रेस्पोडेंट्स अभिभाषक ने अपीलांट्स अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये व्यक्त किया कि मथुरालाल जी ने अपने जीवनकाल में ग्राम विजयपुर में अवस्थित आराजीयात् बाबत दिनांक 01.01.1994 को वसीयत तहरीर की गयी थी जिसमें ख0नं0 334 रकबा 0.44 है0, 481 रकबा 0.60 है0, 482 रकबा 0.12 है0, 450 रकबा 1.41 है0 कुल किता 4 रकबा 2.57 है0 रामनारायण व शेष आराजी पत्नी मोत्या व पुत्रियों को निष्पादित की गयी थी। यह मथुरालाल जी की अंतिम वसीयत थी। मथुरालाल जी का दिनांक 02.01.1994 को स्वर्गवास होने पर, रामनारायण पुत्र मोतीलाल दत्तक मथुरालाल धाकड नि. विजयपुर द्वारा वसीयत का अमल करने बाबत तहसीलदार बारां के समक्ष प्रार्थनापत्र पेश किया जिसपर अधीनस्थ न्यायलय तहसीलदार, बारां द्वारा दिनांक 03.11.2004 को विस्तृत सुनवाई गवाह सबूत लेकर वसीयत को वैध मानते हुये वसीयत के आधार पर प्रश्नगत आराजी राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित किये गये। जिसका नामान्तकरण खोला गया किन्तु तत्समय दावा उपखण्ड अधिकारी बारां में विचाराधीन होने से नामान्तकरण का अमल नहीं हो सका। विवादित आराजी बाबत उपखण्ड अधिकारी बारां से भी दावा दिनांक 22.06.2004 को खारिज हुआ। जिसकी अपील माननीय मण्डल में हुयी। माननीय मण्डल द्वारा पत्रावली राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा रिमाण्ड फरमायी

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

गयी। जो पत्रावली माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा से नोट प्रेस में दिनांक 09.05.2018 को खारिज हो चुकी है।

9— अपीलांट ने वसीयत को गलत बताया है जबकि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बारां में तत्समय दिनांक 27.7.2004 को बयान दर्ज कराये है जिसमें वसीयत को सहीं व वैध बताया है तथा वसीयत का साक्षी रहा है। ऐसी स्थिति में वसीयत को अवैध करार नहीं माना जा सकता। अपीलांट ने मन में बदयान्ति आ गयी है। इसलिये अपील प्रस्तुत की गयी है। जबकि अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने का कोई विधिक आधार नहीं है। वह ना तो मथुरालाल जी वसीयतकर्ता का वैधानिक वारिस है ना हीं उसका इस वसीयत से कोई सरोकार है।

10— अपीलांट ने अपील में मुख्य आपत्ति तहसीलदार, बारां द्वारा जेर अपील विचाराधीन रहते निर्णय पारित करने पर रहीं है। चूकि उक्त अपील माननीय न्यायालय से नोट प्रेस हो चुकी है तथा सभी अपीलीय न्यायालयों ने भी वसीयत को सहीं माना है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा इसी आधार पर विवादित आराजी बाबत अमल दरामद के आदेश पारित किये गये है। उक्त आदेश में कोई विधिक व कानूनी त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

11— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया जिससे पाया जाता है कि मथुरालाल पुत्र धूलीलाल धाकड सा. देह के खाते ग्राम विजयपुर तहसील—बारां में किता 10 रकबा 8.85 है0 आराजी अवस्थित है जिसमें से मृतक मथुरालाल द्वारा दिनांक 01.01.1994 को अनरजिस्टर्ड वसीयत तहरीर की गयी है, जिसकी पालना में रामनारायण के पक्ष में खोले गये नामान्तरण संख्या 93 दिनांक 05.06.1994 के अमल के संबंध में तहसीलदार, बारां दिनांक 06.12.2017 को आदेश पारित किया गया है जिसके विरूद्व रेस्पोडेंट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील में बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट की मुख्य दलील रहीं है कि तहसीलदार, बारां द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में विवादित आराजी के संबंध में प्रकरण लंबित रहते वसीयती आदेश पारित किया गया है। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,कोटा में अपील दिनांक 09.05.2018 को नोट प्रेस में खारिज हो चुकी है। साथ हीं यह भी दलील रहीं है कि विवादित आराजी मथुरालाल जी की पैतृक है, स्वअर्जित नहीं हैं। पैतृक आराजी की वसीयत करने का अधिकार मृतक मथुरालाल को नहीं है। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से पाया जाता है कि विवादित आराजी मथुरालाल पुत्र धूलीलाल के खातेदारी की पैतृक आराजी है, जो विरासतन प्राप्त हुई है। पैतृक आराजी का वसीयत निष्पादन करने का अधिकार वसीयतकर्ता हो नहीं है। अपील में यह भी जाहिर आया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा तत्समय वसीयती इन्तकाल संख्या 93 दिनांक 05.06.1994 तस्दीक नहीं किया गया था। इस इन्तकाल के संबंध में तहसीलदार, बारां द्वारा दिनांक 06.12.2017 को आदेश पारित किया गया है। चूकि [illegible] पैतृक आराजी को किस प्रकार वसीयतहर्ता रामनारायण के पक्ष में अमल [illegible] सकती है। इसकी जॉच

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

व विवेचना निर्णय में नहीं की गयी है तथा प्रभावित वैधानिक वारिसान की भी सुनवाई नहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है।

12— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2017 निरस्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां को इस आशय के साथ प्रेतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में वसीयतकर्ता मथुरालाल पुत्र धूलीलाल धाकड सा.देह के खाते में अवस्थित आराजी किता 10 रकबा 8.85 है0 में से वसीयतकर्ता द्वारा रेस्पोडेंट रामनारायण पुत्र मोतीलाल धाकड नि. विजयपुर के पक्ष में तहरीरी वसीयत दिनांक 01.01.1994 से ग्राम विजयपुर तह. बारां की आराजी ख0नं0 334 रकबा 0.44 है0, 481 रकबा 0.60 है0, 482 रकबा 0.12 है0, 450 रकबा 1.41 है0 कुल किता 4 रकबा 2.57 है0 वसीयत की गयी है। उक्त आराजी पैतृक है या नहीं। मथुरालाल वसीयतकर्ता को वसीयत करने का अधिकार है या नहीं। इस संबंध में विस्तृत जॉच कर, पक्षकारान् की विधि सम्मत सुनवाई कर, पुनः निर्णय पारित करे। पक्षकारान् को पाबन्द किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 015.12.2020 को उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक 23.11.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 14/2019

बउनवान

श्री किशन आयु 65 साल पुत्र श्री नाथूलाल जाति–माली निवासी–कोयला तहसील–बारां जिला–बारां (राज0) **(अपीलांट)**

बनाम

1– जमनालाल आयं 68 साल पुत्र श्री नाथूलाल जाति–माली निवासी–कोयला त्हसील–बारां जिला–बारां

2– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंट्स)**

अपील बनाराजगी तहसीलदार–बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 1183 दिनांक 10.04.2019 वाके ग्राम तलावडा अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री रमेन्द्र सिंह हाडा, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोडेंट)**

निर्णय दिनांक– 18.11.2020

1– अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलांट व रेस्पोडेंट क्रम–1 के संयुक्त खाते में ग्राम कोयला तहसील–बारां में आराजी स्थित है जो अपीलांट के पिता व रेस्पोडेंट क्रम–1 के पिता नाथूलाल जी की मृत्यु उपरान्त जर्ये फोती इन्तकाल संख्या 1183 दिनांक 13.11.2007 को खाते दर्ज हुयी है। नाथूलाल के दो लडकिया हीराबाई व उर्मिला बाई का नाम सहखातेदारान् के रूप में दर्ज हुआ। लेकिन हीराबाई व उर्मिलाबाई ने दिनांक 29.8.2018 को हक त्याग किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट व सह खातेदारान् के नाम इन्तकाल खोलते समय सहवन से अपीलांट का नाम श्री किशन के स्थान पर श्री कृष्ण अंकित कर दिया है, जो गलत दर्ज हुआ है। क्योकि अन्य समस्त दस्तावेजात् आधार कार्ड, राशनकार्ड, वोटर आई0डी0 व पेनकार्ड इत्यादि में अपीलांट का सहीं नाम श्री किशन हीं अंकित है। अपीलांट का नाम इन्तकाल में श्री कृष्ण दर्ज हो जाने से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड रहा है तथा सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 1183 दिनांक 13.11.2007 निरस्त किया जाकर अपीलांट के नाम श्री कृष्ण के स्थान पर श्री किशन दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

2– इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट्स को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में रेस्पोडेंट–1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख प्रति प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

3— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट के खातेदारी में ग्राम कोयला में किता 9 रकबा 2.41 है0 आराजी अवस्थित है। पिता की मृत्यु होने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा वारिसान् का फौती इन्तकाल तस्दीक किया गया जिसमें सहवन से अपीलांट का नाम श्री किशन के स्थान पर श्रीकृष्ण दर्ज कर दिया है। जबकि अपीलांट का वास्तविक नाम श्री किशन हीं है। अपीलांट की समस्त पहचान आई0डी0 व दस्तावेजात् आधार कार्ड, राशनकार्ड, वोटर आई0डी0 व पेनकार्ड इत्यादि में भी उसका नाम श्री किशन हीं अंकित है। अपीलांट का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत दर्ज हो जाने से सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने व अन्य कार्यो में काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीकी फौती इन्तकाल को निरस्त किया जाकर, अपीलांट के नाम श्री कृष्ण के स्थान पर श्री किशन दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

4— इसपर विद्वान पेरोकार सरकार का कथन है कि यदि सहवन से राजस्व रेकार्ड में अपीलांट का नाम गलत दर्ज हुआ है तो दस्तावेजात् की जॉच कर, सहीं किया जा सकता है।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। जिससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा नाथूलाल आ0 रघुनाथ माली सा.देह मृतक ग्राम कोयला का फौती विरासतन इन्तकाल संख्या 1183 दिनांक 13.11.2007 को तस्दीक किया गया है। अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त इन्तकाल में सहवन से अपीलांट का नाम श्रीकिशन के स्थान पर श्री कृष्ण दर्ज कर दिया है, जबकि उसका वास्तविक नाम श्री किशन हीं है। पहचान पत्र व अन्य आई0डी0 भी श्रीकिशन के नाम से हीं है।

6— अतः अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 1183 दिनांक 13.11.2007 वाके ग्राम कोयला तहसील—बारां को निरस्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत पहचान आई0डी0 यथा आधारकार्ड, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड, पेनकार्ड व अन्य दस्तावेजात् की जॉच व पुष्टि कर, अपीलांट का सहीं इन्तकाल तस्दीक किया जावे। अपीलांट को पाबन्द किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बारां के समक्ष दिनांक 14.12.2020 को उपस्थित होवें।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 33/2018

बउनवान

प्रेमकुमार आयु 60 साल पुत्र श्री मेघराज जाति–मीना निवासी–कोटडी तहसील–बारां, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री हेमराज बैरवा, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 19.11.2020

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 18.03.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–कोटडी, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 1081, 198 रकबा 0.80 है0 किस्म गै.मु.बंजड पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 400/– रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवायी व जवाबदेहीं का अवसर दिये, बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अतिक्रमित आराजी की पैमाईश नहीं की गयी है। अतिक्रमित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं हैं। ना हीं सरकारी तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व विधि विरूद्व एकपक्षीय आदेश पारित करने में विधिक भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां का आदेश दिनांक 18.03.2014 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये, अनुचितरीति से निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, जो उसे छोड़ रखा है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

भविष्य में उक्त आराजी पर कभी भी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका व कब्जे की जॉच किये, हल्का पटवारी की रिपोर्ट को विश्वसनीय मानकर, निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.3.2014 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 323/12 निर्णय दिनांक 09.05.2012 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी गै.मु.बंजछ भूमि है जिसपर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 323/12 निर्णय दिनांक 09.05.2012 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 611/14 में पारित आदेश दिनांक 18.03.2014 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 52/2017

बउनवान

प्रेमकुमार आयु 60 साल पुत्र श्री मेघराज जाति–मीना निवासी–कोटडी तहसील–बारां, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री हेमराज बैरवा, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 19.11.2020

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 20.03.2015 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–कोटडी, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 1081, 198 रकबा 0.80 है0 किस्म गै.मु.बंजड पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 400/– रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवायी व जवाबदेहीं का अवसर दिये, बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अतिक्रमित आराजी की पैमाईश नहीं की गयी है। अतिक्रमित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं हैं। ना हीं सरकारी तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व विधि विरूद्व एकपक्षीय आदेश पारित करने में विधिक भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां का आदेश दिनांक 20.03.2015 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये, अनुचितरीति से निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, जो उसे छोड़ रखा है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

भविष्य में उक्त आराजी पर कभी भी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका व कब्जे की जॉच किये, हल्का पटवारी की रिपोर्ट को विश्वसनीय मानकर, निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.03.2015 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में अतिक्रमण करने पर सम्वत् 2067 में भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी गै.मु.बंजड भूमि है जिसपर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर सम्वत् 2067 में भी बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं बेदखली, जप्ती एवं शास्ति से आरोपित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 38/15 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2015 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 07/2018

बउनवान

रमेश आयु 50 साल पुत्र श्री गोपीलाल जाति–कहार निवासी–सीसवाली तहसील–मॉगरोल जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार, मॉगरोल **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री हेमराज बैरवा, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 19.11.2020

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली के आदेश दिनांक 08.03.2017 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–सीसवाली तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 2344 रकबा 0.16 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 200/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवायी जवाबदेही का अवसर दिये बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये अपीलांट की अनुपस्थिति में एकतरफा निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अपीलांट का अतिक्रमित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है ना हीं कोई सरकारी तावान बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व विधि विरूद्व आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.03.2017 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को ना तो विधिवत नोटिस जारी किया है ना हीं सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर दिया है, एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। अपीलांट का पैतृक [illegible] पर कोई कब्जा नहीं है, कब्जा काफी समय से छोड रखा है। साथ हीं [illegible] कि हल्का पटवारी ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट को विरूद्व बिना मौके देखे व कब्जे की जॉच किये बिना अधीनस्थ न्यायालय में रिपोर्ट पेश की गयी है, इसी आधार पर अपीलांट को सजायाब किया गया है, जो विधि विरूद्व है। वर्तमान में अपीलांट को कोई कब्जा काश्त नहीं है ना हीं उसके विरूद्व कोई तावान राशि बकाया है। अपीलांट भविष्य में भी उक्त आराजी पर कभी कब्जा नहीं करने के लिए वचनबद्व है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.03.2017 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर सम्वत् 2072 में बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है, ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति व नरमी का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली द्वारा निर्णय दिनांक 08.03.2017 से पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 06/2017 में पारित निर्णय दिनांक 08.03.2017 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा नायब तहसीलदार, सीसवाली के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा नायब तहसीलदार,सीसवाली कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली द्वारा निर्णय दिनांक 08.03.2017 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार,सीसवाली का उक्त निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 50/2018

बउनवान

प्रभूलाल पुत्र धन्नालाल जाति–मीणा निवासी–बमूलिया जोगियान् तहसील–अन्ता जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री बृजराज किशोर शर्मा, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक – 26.11.2020

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता के आदेश दिनांक 25.01.2018 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–बमूलियां जोगियान तहसील–अन्ता की उप निवेशन आराजी खसरा नम्बर 07 रकबा 0.18 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर खडी फसल जप्ती, बेदखली एवं 288/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

2– अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को जवाबदेहीं एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का उक्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने रूप से अतिक्रमी मानकर निर्णय पारित किया है जो किसी भी प्रकार से चलने योग्य नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.1.2018 निरस्त फरमाया जावे।

3– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

4– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर [illegible] पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उ[illegible] से कब्जा छोड दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। तावान राशि जमा करा दी है। अपीलांट भविष्य मे उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये आदेश पारित किया गया है। अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.1.2018 निरस्त फरमाया जावे।

5— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर सम्वत् 2065 में भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

6— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

7— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा आदेश दिनांक 25.01.2018 से पारित जप्ती, बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 103/18 में पारित निर्णय दिनांक 25.1.2018 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, अन्ता के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, अन्ता कब्जा छोडने से संतुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा निर्णय दिनांक 25.1.2018 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता का आदेश दिनांक 25.01.2018 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 49/2018

बउनवान

प्रहलाद पुत्र मूलचन्द जाति–बंजारा निवासी–बमूलिया जोगियान् तहसील–अन्ता जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री बृजराज किशोर शर्मा, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक – 26.11.2020

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता के आदेश दिनांक 25.01.2018 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–बमूलियां जोगियान तहसील–अन्ता की उप निवेशन आराजी खसरा नम्बर 04 रकबा 0.24 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर खडी फसल जप्ती, बेदखली एवं 384/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

2– अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को जवाबदेहीं एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का उक्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने रूप से अतिक्रमी मानकर निर्णय पारित किया है जो किसी भी प्रकार से चलने योग्य नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.1.2018 निरस्त फरमाया जावे।

3– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

4– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर [illegible] पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उ[illegible] से कब्जा छोड दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। तावान राशि जमा करा दी है। अपीलांट भविष्य मे उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये आदेश पारित किया गया है। अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.1.2018 निरस्त फरमाया जावे।

5— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर सम्वत् 2057 में भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

6— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

7— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा आदेश दिनांक 25.01.2018 से पारित जप्ती, बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 102/18 में पारित निर्णय दिनांक 25.1.2018 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, अन्ता के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, अन्ता कब्जा छोडने से संतुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा निर्णय दिनांक 25.1.2018 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता का आदेश दिनांक 25.01.2018 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 52/2018

बउनवान

छीतरलाल पुत्र मूलचन्द जाति–बंजारा, निवासी–बमूलिया जोगियान् तहसील–अन्ता जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री बृजराज किशोर शर्मा, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक – 26.11.2020

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता के आदेश दिनांक 25.01.2018 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–बमूलियां जोगियान तहसील–अन्ता की उप निवेशन आराजी खसरा नम्बर 07 रकबा 0.24 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर खडी फसल जप्ती, बेदखली एवं 384/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

2– अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को जवाबदेहीं एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का उक्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने रूप से अतिक्रमी मानकर निर्णय पारित किया है जो किसी भी प्रकार से चलने योग्य नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.1.2018 निरस्त फरमाया जावे।

3– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

4– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर [illegible] पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उ[illegible] से कब्जा छोड दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। तावान राशि जमा करा दी है। अपीलांट भविष्य मे उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये आदेश पारित किया गया है। अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.1.2018 निरस्त फरमाया जावे।

5— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर सम्वत् 2057 में भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

6— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

7— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा आदेश दिनांक 25.01.2018 से पारित जप्ती, बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 100/18 में पारित निर्णय दिनांक 25.1.2018 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, अन्ता के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, अन्ता कब्जा छोडने से संतुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा निर्णय दिनांक 25.1.2018 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता का आदेश दिनांक 25.01.2018 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 48/2018

बउनवान

जुगराज पुत्र मूलचन्द जाति–बंजारा निवासी–बमूलिया जोगियान् तहसील–अन्ता जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री बृजराज किशोर शर्मा, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक – 26.11.2020

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता के आदेश दिनांक 25.01.2018 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–बमूलियां जोगियान तहसील–अन्ता की उप निवेशन आराजी खसरा नम्बर 04 रकबा 0.24 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर खडी फसल जप्ती, बेदखली एवं 384/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

2– अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को जवाबदेहीं एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का उक्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने रूप से अतिक्रमी मानकर निर्णय पारित किया है जो किसी भी प्रकार से चलने योग्य नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.1.2018 निरस्त फरमाया जावे।

3– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

4– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर [illegible] पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उ[illegible] से कब्जा छोड दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। तावान राशि जमा करा दी है। अपीलांट भविष्य मे उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये आदेश पारित किया गया है। अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.1.2018 निरस्त फरमाया जावे।

5— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर सम्वत् 2057 में भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

6— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

7— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा आदेश दिनांक 25.01.2018 से पारित जप्ती, बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 101/18 में पारित निर्णय दिनांक 25.1.2018 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, अन्ता के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, अन्ता कब्जा छोडने से संतुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा निर्णय दिनांक 25.1.2018 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता का आदेश दिनांक 25.01.2018 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 47/2018

बउनवान

रामगोप पुत्र मूलचन्द जाति–बंजारा निवासी–बमूलिया जोगियान् तहसील–अन्ता जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री बृजराज किशोर शर्मा, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक – 26.11.2020

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता के आदेश दिनांक 25.01.2018 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–बमूलियां जोगियान तहसील–अन्ता की उप निवेशन आराजी खसरा नम्बर 04 रकबा 0.24 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर खडी फसल जप्ती, बेदखली एवं 384/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

2– अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को जवाबदेहीं एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का उक्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने रूप से अतिक्रमी मानकर निर्णय पारित किया है जो किसी भी प्रकार से चलने योग्य नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.1.2018 निरस्त फरमाया जावे।

3– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

4– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर [illegible] पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उ[illegible] से कब्जा छोड दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। तावान राशि जमा करा दी है। अपीलांट भविष्य मे उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये आदेश पारित किया गया है। अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.1.2018 निरस्त फरमाया जावे।

5— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर सम्वत् 2057 में भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

6— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

7— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा आदेश दिनांक 25.01.2018 से पारित जप्ती, बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 99/18 में पारित निर्णय दिनांक 25.1.2018 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, अन्ता के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, अन्ता कब्जा छोडने से संतुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा निर्णय दिनांक 25.1.2018 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता का आदेश दिनांक 25.01.2018 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 51/2018

बउनवान

राधाकिशन पुत्र नेना जाति–भील निवासी–बमूलिया जोगियान तहसील–अन्ता जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,अन्ता **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री बृजराज किशोर शर्मा, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक – 26.11.2020

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता के आदेश दिनांक 25.01.2018 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–बमूलिया जोगियान, तहसील–अन्ता की आराजी खसरा नम्बर 05 रकबा 0.40 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर खडी फसल से बेदखली, जप्ती, 640/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

2– अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कतई गैर कानूनी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को जवाबदेहीं एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का उक्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने रूप से अतिक्रमी मानकर निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.01.2018 निरस्त फरमाया जावे।

3– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

4– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, वर्षों से पूर्व से कब्जा छोड रखा है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी है। [illegible] राशि जमा करा दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये पश्चात्वर्ती मानकर आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.01.2018 निरस्त फरमाया जावे।

5— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर सम्वत् 2066 में भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

6— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह है, जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर सम्वत् 2066 में बेदखल किया जाना प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

7— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रकरण संख्या 98/2018 में पारित आदेश दिनांक 25.01.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 72/2017

बउनवान

हरीशचन्द्र आयु 61 साल पुत्र श्री मदनलाल जाति–जाटव निवासी–बारां तहसील–बारां जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री सत्येन्द्र जमोदिया अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 25.11.2020

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 17.02.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–लक्ष्मीपुरा, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 241 रकबा 0.32 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, फसल जप्ती, 176/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

2– अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकतरफा निर्णय पारित किया गया है अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया है। ना हीं अतिक्रमित आराजी की पैमाईश की गयी है। मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर सजायाब किया गया है। उक्त आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायायल तहसीलदार, बारां पारित आदेश दिनांक 17.02.2014 निरस्त फरमाया जावे।

3– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

4– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पश्चात्वर्ती मानकर सजायाब किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती बाबत कोई साक्ष्य सबूत, स्वतंत्र गवाहान के बयान एंव पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती घोषित नहीं किया जा सकता। विवादित आराजी से अपीलांट ने कब्जा छोड रखा है। अपीलांट भविष्य में उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं करने हेतु बचनबद्ध है। उसके विरूद्व कोई तावान राशि भी बकाया नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

5— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 792/13 निर्णय दिनांक 13.03.2013 से बेदखल किया गया है। अपीलांट आदतन अतिक्रमी है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

6— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

7— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 09/2014 में पारित निर्णय दिनांक 17.02.2014 दी गयी सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, बारां कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 17.02.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.02.2014 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 86/2017

बउनवान

रामकल्याण पुत्र गोरधन जाति–मेघवाल निवासी–पाठेडा
तहसील–बारां जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री सत्येन्द्र जमोदिया अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 25.11.2020

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 20.03.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–पाठेडा, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 1210 रकबा 0.50 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, फसल जप्ती, 275/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

2– अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकतरफा निर्णय पारित किया गया है अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया है। मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर सजायाब किया गया है। उक्त आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायायल तहसीलदार, बारां पारित आदेश दिनांक 20.03.2014 निरस्त फरमाया जावे।

3– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

4– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं [illegible] है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट को हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पश्चात्वर्ती मानकर सजायाब किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती बाबत कोई साक्ष्य सबूत, स्वतंत्र गवाहान के बयान एंव पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती घोषित नहीं किया जा सकता। विवादित आराजी से अपीलांट ने कब्जा छोड रखा है। उसके विरूद्व कोई तावान राशि भी बकाया नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

5— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 380/12 निर्णय दिनांक 22.5.2012 से बेदखल किया गया है। अपीलांट आदतन अतिक्रमी है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

6— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह है, जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी से मिसल नम्बर 380/12 निर्णय दिनांक 22.5.2012 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

7— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 808/2014 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2014 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 09/2019

बउनवान

बजरंगा उम्र 70 वर्ष पुत्र मथुरालाल जाति–सहरिया निवासी–बमोरीकलां तहसील–मॉगरोल जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार,मॉगरोल **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री कमलदीप सिंह हाडा, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 25.11.2020

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मॉगरोल के आदेश दिनांक 15.10.2018 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–बमोरीकलां, तहसील–मॉगरोल की उप निवेशन आराजी खसरा नम्बर 1692 रकबा 0.48 हैक्टर किस्म–चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 576/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय विधि एवं संचिका के सिद्धि प्राप्त तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट की विधिवत तामील नहीं हुई है। कब्जे काश्त के संबंध में स्वतंत्र गवाहान से कोई पूछताछ नहीं हुई है। मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट व बयान के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट का सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का एकपक्षीय निर्णय निरस्त फरमाया जाकर, 90 दिन की सिविल कारावास की सजा को माफ किया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। अपीलांट की प्रोपर तामील भी नहीं हुई है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट व बयान के आधार पर पश्चात्वर्ती मानकर सजायाब कि[illegible] है। अधीनस्थ न्यायालय की

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली में स्वतंत्र गवाहान के बयान, पूर्व बेदखली व पश्चात्वर्ती निर्णय की प्रति नहीं है। ऐसी स्थिति में पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.10.2018 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 33/17 निर्णय दिनांक 11.2.2017 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह है, जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 1692 रकबा 0.48 है0 ग्राम बमोरीकलां से पूर्व में मिसल नम्बर 33/17 निर्णय दिनांक 11.2.2017 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 51/18 में पारित आदेश दिनांक 15.10.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 341/2016

बउनवान

रामप्रसाद आयु 50 साल पुत्र श्री मन्नालाल जाति–गुसाई निवासी–बालुन्दा तहसील–मॉगरोल, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, मॉगरोल **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री मो0 रफीक कुरैशी, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 25.11.2020

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल के आदेश दिनांक 18.02.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–बालुन्दा, तहसील–मॉगरोल की आराजी खसरा नम्बर 147, 361 रकबा 0.92 है0 किस्म गै.मु.नाला पर अतिक्रमी मानकर फसल जप्ती, बेदखली, 400/– रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवायी व जवाबदेहीं का अवसर दिये, बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अतिक्रमित आराजी की पैमाईश नहीं की गयी है। अतिक्रमित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं हैं। ना हीं सरकारी तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व हल्का पटवारी के बयानों के आधार पर एकपक्षीय आदेश पारित करने की भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल का आदेश दिनांक 18.2.2016 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ पटवारी ने अपीलांट को बिना सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये, अनुपस्थिति में एकपक्षीय निर्णय पारित किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, कब्जा पूर्व से छोड रखा है तथा भविष्य में उक्त आराजी पर कभी भी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका व कब्जे की जॉच किये, हल्का पटवारी की रिपोर्ट व बयानों को विश्वसनीय मानकर, निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.02.2016 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 69/15 निर्णय दिनांक 23.2.2015 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी गै.मु.नाला है जिसपर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 69/15 निर्णय दिनांक 23.2.2015 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 62/2016 में पारित आदेश दिनांक 18.02.2016 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 192/2017

बउनवान

पप्पू पुत्र मदनलाल आयु–39 वर्ष, जाति–कुम्हार निवासी–कलमण्डा तहसील–बारां जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. श्री महेशप्रकाश गौतम, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 19.11.2020

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 28.07.2015 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–कलमण्डा, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 592 रकबा 0.06 हैक्टर, किस्म माल ा पर ईट भट्टा लगाकर अकृषि कार्य करने के लिये पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर, उक्त आराजी से बेदखल कर, 1125/–रूपये अर्थदण्ड, ईट भट्टा जप्ती, नीलामी एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

2– अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एंव पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट को आधार मानकर एकपक्षीय आदेश पारित किया है। अपीलांट को सुनवायी का समुचित अवसर नहीं दिया है। निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.07.2015 निरस्त फरमाया जावे।

3– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

4– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को किसी प्रकार को कोई नोटिस जारी नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना प्रोपर तामील कराये अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये बगैर विधि विरूद्ध तरीके से एकतरफा आदेश पारित किया है। अपीलांट ने खाते की आराजी पर ईट भट्टा संचालन किया हुआ है, सरकारी भूमि पर काई अतिक्रमण नहीं है। वर्तमान में भी सरकारी [illegible] पडी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को उक्त आराजी पर पश्चातवर्ती अति[illegible] सालकर आदेश पारित

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई साक्ष्य व दस्तावेजात् व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। न्यायहित में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.07.2015 निरस्त फरमाया जावे।

5— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी कर, सुनवाई व जवाबदेहीं का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट ने खाते व राजकीय भूमि पर बिना स्वीकृति के ईट भट्टा लगा कर अतिक्रमण किया है तथा अपीलांट को पूर्व में भी अतिक्रमण करने पर बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

6— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य तर्क रहा है कि अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है तथा इसके विपरीत पेरोकार सरकार का कथन है कि अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। उपरोक्त परिपेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन व विवेचित तथ्यों पर मनन करने से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर दिया है। किन्तु अपीलांट के कथन से हम सहमत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चात्वर्ती अतिक्रमी सिद्ध करने से पूर्व पत्रावली पर पश्चात्वर्ती बाबत रेकार्ड को पत्रावली पर नहीं लिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेजात् को पत्रावली में शामिल नहीं कर विधिक भूल की है। चूकि अपीलांट का कथन है कि उसने उक्त आराजी से ईट भट्टा हटा लिया है।

7— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 22/2015 में पारित निर्णय दिनांक 28.07.2015 दी गयी सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, बारां कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 28.07.2015 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.07.2015 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 94/2018

बउनवान

रामकुंवार पुत्र नन्दलाल मेघवाल आयु–50 वर्ष, जाति–मेघवाल निवासी–सींघन्या तहसील–मॉगरोल जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,मॉगरोल **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. श्री महेशप्रकाश गौतम, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 25.11.2020

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल के आदेश दिनांक 05.03.2018 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–सींधन्या, तहसील–मॉगरोल की उप निवेशन आराजी खसरा नम्बर 291, 293, 294/427, 302 कुल रकबा 0.74 हैक्टर, किस्म बंजड पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर, उक्त आराजी से बेदखल कर, 1184/–रूपये अर्थदण्ड, फसल जप्ती नीलामी एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

2– अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एंव पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट को आधार मानकर एकपक्षीय आदेश पारित किया है। अपीलांट को सुनवायी एवं जवाबदेहीं का समुचित अवसर नहीं दिया है। निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.03.2018 निरस्त फरमाया जावे।

3– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

4– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये एकतरफा आदेश पारित किया है। अपीलांट का

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। कब्जा पूर्व से छोड रखा है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट को आधार मानकर, सजायाब किया गया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती बाबत कोई रेकार्ड व दस्तावेजात् नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। न्यायहित में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.03.2018 निरस्त फरमाया जावे।

5— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी कर, सुनवाई व जवाबदेहीं का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 78/16 निर्णय दिनांक 27.10.2016 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

6— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी सरकारी बंजड है। जिसपर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 222/18 निर्णय दिनांक 05.03.2018 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

7— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 222/2018 में पारित आदेश दिनांक 05.03.2018 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested